malhotra's

बिहार
हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950

(अद्यतन-संशोधित)

साथ में :

- बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास नियमावली, 1952
- बिहार दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955
- बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955
- बिहार राज्य धार्मिक न्यास की उपविधियाँ
- दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास राज्य-पर्षद की उपविधियाँ
- धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1988
- उपासना-स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991
- धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863
- पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890
- पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920
- बिहार अनाधिकृत धार्मिक संरचना निर्माण, सर्वेक्षण एवं विनियमन, पुर्नस्थापन एवं इसका निराकरण (Removal) नियमावली, 2013
- अधिसूचनाएँ
- समीक्षा एवं निर्णयज विधि

प्रभु नारायण सिन्हा
अधिवक्ता
पटना उच्च न्यायालय
(अवकाश प्राप्त शपथ आयुक्त)

मल्होत्रा ब्रदर्स
होटल लेन
फ्रेजर रोड, पटना-800 001
फोन : 2222914
(सावधान : हमारी कोई शाखा नहीं है।)

बिहार
हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950

(अधिनियम 4, 2013 द्वारा संशोधित)

साथ में

* बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास नियमावली, 1952
* बिहार दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955
* बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955
* बिहार राज्य धार्मिक न्यास की उपविधियां
* दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास राज्य-पर्षद् की उपविधियां
* धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1988
* उपासना-स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991
* धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863
* पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890
* पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920
* बिहार अनाधिकृत धार्मिक संरचना निर्माण सर्वेक्षण एवं विनियमन, पुर्नस्थापन एवं इसका निराकरण (Removal) नियमावली 2013
* अधिसूचनाएँ
* समीक्षा एवं निर्णयज विधि

प्रभु नारायण सिन्हा

अधिवक्ता

पटना उच्च न्यायालय

(अवकाश प्राप्त शपथ आयुक्त)

मल्होत्रा ब्रदर्स

होटल लेन

फ्रेजर रोड, पटना 800 001

फोन - 2222914

(सावधान - हमारी कोई शाखा नहीं है)

पुस्तक परिचय

संस्करण — 2016

मूल्य : 150/- (एक सौ पचास रुपये मात्र)

प्रकाशक : मल्होत्रा ब्रदर्स,
होटल लेन,
फ्रेजर रोड, पटना 800 001
दूरभाष : 2222914

संघटक : पी०डी० प्रिन्टर्स
लोदीपुर,
पटना-800 001

मुद्रक : शिव शक्ति प्रिंटर्स
राजेन्द्र नगर
पटना

सभी अधिकार प्रकाशकाधीन सुरक्षित।

प्रयास किया गया है कि प्रकाशन त्रुटिरहित हो, फिर भी अगर कोई त्रुटि पायी जाय, तो उक्त त्रुटि के कारण हुई किसी असुविधा या क्षति के लिए प्रकाशक, मुद्रक या विक्रेता उतरदायी नहीं होगा।

पुस्तक का विषय हिन्दी में अपना अनुवाद है। किसी प्रकार की भिन्नता के लिए कृपया अंग्रेजी संस्करण देखें।

इस पुस्तक का कोई अंश किसी रूप में प्रकाशित करने का हक किसी को नहीं है।

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950

अध्याय - 1

आरंभिक

1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।	5
2.	परिभाषा।	5
3.	लागू होना	14
4.	संशोधन और निरसन	14

अध्याय - 2

पर्षद का गठन

5.	पर्षद् का गठन और समावेशन	15
6.	पर्षद् की सदस्य-संख्या	15
7.	प्रथम पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्य तथा उनका कार्यकाल	15
8.	द्वितीय और पश्चात्वर्ती प्रत्येक पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्य तथा उनका कार्यकाल	16
8क.	प्रशासक की नियुक्ति	17
9.	सदस्यों की निरर्हतायें	17
10.	आकस्मिक रिक्तियों को भरना	18
11.	सदस्यों को निर्वाचित करने में निर्वाचक मंडल की विफलता पर प्रक्रिया	18
12.	अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का प्रकाशन	18
13.	अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते	18
14.	अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना	19

अध्याय - 3

पर्षद की बैठकें और बैठकों में प्रक्रिया

15.	पर्षद् की साधारण बैठकें	19
16.	विशेष बैठकें	19
17.	बैठक की गणपूर्ति	19
18.	अध्यक्ष द्वारा बैठकों की अध्यक्षता	19
19.	बहुमत द्वारा निर्णय किया जाना	20
20.	कार्यवाही का विवरण	20
21.	कार्यवृत्त (विवरण) की प्रतिलिपि राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाना	20
22.	समितियों की नियुक्ति और ऐसी समितियों के कृत्य	20

अध्याय - 4

धार्मिक न्यासों का अधीक्षक और पर्षद के पदाधिकारी और कर्मचारी

23.	अधीक्षक की नियुक्ति	20
24.	अधीक्षक की अर्हतायें, वेतन और भत्ते	20
25.	अधीक्षक तथा अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य	20
26.	पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति	20
27.	उपदान और भविष्य निधि	21

अध्याय - 5
पर्षद की शक्तियाँ और कार्य

28. पर्षद् की साधारण शक्तियां और कार्य
29. समिति या संघ जिसमें किसी धार्मिक न्यास का पर्यवेक्षण निहित हो वह पर्षद् के अधीन कार्य करेगी या करेगा
30. जहां धार्मिक न्यास के उद्देश्य का अस्तित्व समाप्त हो जाय या प्राप्त करना असंभव हो जाय वहां उक्त धार्मिक न्यास की निधि, सम्पत्ति और आय का उपयोग करने के लिए उद्देश्यों के विनिश्चयन की शक्ति
31. संविदा करने की शक्ति और संविदा के कार्यान्वयन का तरीका
32. धार्मिक न्यासों के उचित प्रशासन के लिए स्कीम बनाने की पर्षद की शक्ति
33. अस्थाई न्यासी नियुक्त करने की शक्ति
34. पर्षद् कुछ पंजियां रखेगी
35. प्रतिलिपि देने और वैसी प्रतिलिपि को प्रमाणित करने की शक्ति
36. पर्षद् की, धार्मिक न्यास की ओर से, कुछेक अदायगियां करने की शक्ति
37. धन उधार लेने की पर्षद् की शक्ति
38. अध्यक्ष द्वारा पर्षद् की शक्तियों का प्रयोग
39. पर्षद् की शक्तियों का प्रत्यायोजन

अध्याय - 6
क्षेत्रीय न्यास समितियां

40. क्षेत्रीय न्यास समिति
41. क्षेत्रीय न्यास समिति के कार्यसंचालन की प्रक्रिया, कर्मचारी, आदि का निर्धारण पर्षद् करेगी
42. क्षेत्रीय न्यास समिति की शक्तियां और कार्य

अध्याय - 7
धार्मिक न्यास की अचल समितियों को न्यास की सम्पत्ति घोषित करना

43. कोई अचल सम्पत्ति न्यास-सम्पत्ति है या नहीं-इस विवाद का निर्णय
43क. आवेदन करने की प्रक्रिया
43ख. सम्पति-विवादों का निर्णय
43ग. न्यायधिकरण द्वारा धार्मिक न्यास के किसी विधिक पहलू पर विनिश्चय
43घ. न्यास की सम्पत्ति से अधिक्रमण हटाना
43ङ. अधिक्रमण को न्यायाधिकरण द्वारा यथानिदेशित रूप से हटाये जाने में विफल रहने पर बेदखल करने की विधि
43च. पूर्त और धार्मिक संस्थानों की भूमि पर किसी व्यक्ति-समूह या समूहों के द्वारा अधिक्रमण और उसकी बेदखली
44. धार्मिक न्यास की अचल सम्पत्ति को अंतरित करने की शक्ति
44क. कुछ न्यास सम्पत्तियों की पुनः स्थापना

अध्याय - 8
न्यासी द्वारा अचल सम्पत्ति का अंतरित करना और धन उधार लेना

45. पर्षद् की पूर्वानुमति के बिना न्यासी धन उधार नहीं लेगा

अध्याय - 9
न्यायिक कार्यवाही

46. किसी धार्मिक, पवित्र या पूर्त कार्य, जिसका सम्पादन किसी सम्पत्ति पर प्रभारित है, नहीं सम्पादित किये जाने की दशा में जिला न्यायाधीश को आवेदन करने की पर्षद् की शक्ति 38
47. न्यासी के दायित्व निभाने वास्ते अधिप्रापक (Receiver) नियुक्त करने के लिए उसे बाध्य करने के निमित्त आवेदन 38
48. न्यासी को हटाने या न्यासी को नियुक्त करने की जिला न्यायाधीश की शक्ति 39
49. अस्पष्ट या अनिश्चित उद्देश्य की स्थिति में सम्पत्ति, आदि का प्रयोग 40
50. पर्षद को कुछ मुकदमों की नोटिस दिया जाना और उनमें पर्षद् को पक्षकार रुप में जोड़ना 40
51. सुलह, आदि में पर्षद् का अनुमोदन आवश्यक 40
52. धार्मिक न्यास की सम्पत्ति के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, के तहत कार्यवाही की पर्षद् को नोटिस 40
53. पर्षद् को बिक्री की नोटिस दिया जाना 41
54. उस जिला के जिला न्यायाधीश को आवेदन किया जाएगा जिसमें न्यास की विषय-वस्तु अवस्थित है 41
55. जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी 41
56. सम्मन जारी करने और साक्षियों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने की शक्ति 41
57. धारा 28 के खंड (2) (ज) या धारा 33 के अधीन पर्षद् द्वारा पारित आदेश का सिविल न्यायालय की डिक्री जैसी प्रवर्तनीय होना 41

अध्याय - 10
न्यासी और उसका कार्य

58. न्यासी, पर्षद् का आदेश पालन करेगा 42
59. न्यासी धार्मिक न्यासों के ब्योरे देगा 42
60. धार्मिक न्यासों के बजट और पर्षद् को ऐसे बजट पेश करना 42
61. क्षेत्रीय न्यास समितियों को बजट की प्रतियां दी जाएंगी 43
62. जांच, आदि में सहायता देना न्यासी का कर्तव्य 43

अध्याय - 11
लेखा परीक्षा और अनियमित व्यय की वसूल

63. धार्मिक न्यास के लेखे की परीक्षा 43
64. प्रमाणित राशि लोक-मांग के रुप में वसूल की जाएगी 44
65. अधिभार या प्रभार के आदेश के विरुद्ध अपील 44
66. पर्षद् के लेखे की परीक्षा 45

अध्याय - 12
अपराध और दंड

67. अधिनियम के तहत अपराधें और उक्त अपराधों के लिए दंड 45
68. अपराध जमानतीय, शमनीय और असंज्ञेय होंगे 46

अध्याय - 13
न्यास-निधि

69. न्यास का सृजन 46

70. धार्मिक न्यासों द्वारा पर्षद् को देय फीस 47
71. उद्देश्य, जिनपर न्यास निधि खर्च की जाएगी 48

अध्याय - 14

कुछ वादों के लिए विशेष प्रावधान

72. रिसीवर की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान 49

अध्याय - 15

प्रकीर्ण

73. धार्मिक न्यास की सम्पत्ति सम्बन्धी दस्तावेजों, पंजियों और अभिलेखों का पर्षद् द्वारा निःशुल्क निरीक्षण 49
74. न्यासी निर्देशों के लिए पर्षद् के पास आवेदन कर सकेगा 49
75. अध्यक्ष, आदि लोक सेवक होंगे 50
76. उपधारणा और व्यावृत्ति 50
77. वादों का वर्जन 50
78. वाद-हेतुक की नोटिस देने के बाद ही पर्षद् या अध्यक्ष, आदि के विरुद्ध कोई वाद दायर किया जाएगा 50
79. किसी अन्य विधि के होते हुए भी, इसके उपबंध प्रभावी होंगे 50

अध्याय - 16

पर्षद् का विघटन या अवक्रमण

80. पर्षद् को विघटित या अवक्रमित करने की राज्य सरकार की शक्ति 51
81. अवक्रमण के परिणाम 52
81क. न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा निर्गत किये जाने पर या पर्षद् का गठन अवैध घोषित किये जाने पर राज्य सरकार की शक्ति 53

अध्याय - 17

नियमावली और उपविधियाँ

82. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति 53
83. उपविधियां बनाने की पर्षद् की शक्ति 54

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1982 55
बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1992 56
बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2006 56
अधिसूचनायें। 57
बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास नियमावली, 1952 58-65
बिहार दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955 66-73
बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955 73-80
बिहार राज्य धार्मिक न्यास की उपविधियां 80-96
दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास राज्य-पर्षद् की उपविधियां 97-112
धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1988 112-115
उपासना-स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 115-117
धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 117-122
पूर्त विन्यास अधिनियम,. 1890 122-126
पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 126-129
बिहार अनाधिकृत धार्मिक संरचना निर्माण सर्वेक्षण एवं विनियमन, पुर्नस्थापन एवं इसका निराकरण (Removal) नियमावली 2013 129-131

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950

(1951 का प्रथम बिहार अधिनियम)

बिहार (असाधारण) गजट दि० 21 फरवरी, 1951, में राष्ट्रपति की अनुमति प्रकाशित :

हिन्दू धार्मिक न्यासों के बेहतर प्रशासन के लिए और उन न्यासों से सम्बन्धित सम्पत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए उपबन्ध करने वास्ते अधिनियम।

बिहार राज्य में हिन्दू धार्मिक न्यासों के बेहतर प्रशासन के लिए और उन न्यासों से सम्बन्धित सम्पत्तियों की सुरक्षा और रखरखाव के लिए उपबन्ध करना समीचीन है:

अत: एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है:

समीक्षा और निर्णयज विधि

[भारतीय संविधान ने सभी धर्मों के लिए कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारतीय संविधान को पंथनिरपेक्ष कहलाने का आशय मात्र यह रेखांकित करना है कि राज्य (स्टेट) के कामकाज में धर्म का कोई स्थान नहीं है। राज्य के कानूनों को प्रभावी बनाने वास्ते धार्मिक मंजूरी की अनिवार्यता नहीं होगी। यद्यपि अतिनियमनिष्ठ धार्मिक विषयों में तटस्थता की संवैधानिक नीति एक सकारात्मक पहलू है, तथापि राज्य को एक ऐसा प्रधान सामाजिक तंत्र बनाया गया है जो सभी धर्मों के लिए सहायक स्थितियां सृजित करे।

स्मृतियों के प्रणेता हिन्दु ऋषियों के हाथ विन्यास विषय को, अतिविस्मयकारी रुप से, संकुचित प्रतिवादन प्राप्त हुआ है, यद्यपि हजारों वर्षों से भारत भर में समृद्धिपूर्ण ढंग से दान प्राप्त मंदिरें और धार्मिक संस्थानों विद्यमान रहे हैं। किसी भी स्मृति-ग्रंथ में उक्त विषय पर प्रत्यक्षत: कोई विधि सम्बन्धी अभिकथन नहीं है। अन्य विन्दुओं पर शोध-प्रबन्धों के बीच यत्र-तत्र इस विषय पर आनुषंगिक दृष्टिकोण के केवल छुटपुट परिच्छेद दिखते है। इतनी अल्प सामग्री के आधार पर संभवत: किसी भी व्यावहारिक कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। अतएव जो कानून इस समय भारत में हिन्दू धार्मिक न्यासों को शासित कर रहा है वह बहुत हद तक उन अग्रगण्य न्यायाधीशों की रचना है, जिन्होंने विगत सैंकड़ों वर्षों में, प्राचीन हिन्दू ऋषियों के चन्द गूढ़ लेखों से एक पर्याप्तरूपेण सुविकसित सिद्धांत-तंत्र उत्सर्जित करने का प्रयास किया है।

''धर्म'' आत्यन्तिक रूप में व्यष्टियों और समाष्टियों में व्याप्त निष्ठा का विषय हैं, और यह आवश्यक नहीं कि उक्त निष्ठा ईश्वरवाद में ही हो। धार्मिक प्रयोजन को इस अर्थ में लिया जाना चाहिए कि उसका ध्येय या उद्देश्य धर्म विशेष के सिद्धांतों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति या व्यक्तियों का आध्यात्मिक कल्याण की प्राप्ति होता है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के अधीन धर्म की स्वतंत्रता को मूल अधिकार माना गया है। यह धार्मिक स्वतंत्रता निरपेक्ष या असीमित नहीं है, प्रत्युत् (क) नैतिकता, (ख) लोक-व्यवस्था, (ग) स्वास्थ्य, और (घ) भारतीय संविधान द्वारा गारंटी किये गए अन्य मूल अधिकारों की सीमाओं द्वारा नियंत्रित है ताकि वह इनका अतिक्रमण न करे। अत: आज धार्मिक न्यासों की हिन्दू विधि इन संवैधानिक उपबन्धों विशेषकर अनुच्छेद 25 में प्रतिस्थापित उपबन्धों के अध्यधीन है। तथापि, इस गारंटीसुदा धार्मिक स्वतंत्रता का एक अन्य पहलू यह है कि ऊपराकिंत सीमाओं के अधीन रहते हुए हरेक धार्मिक इकाई या उसके किसी अनुभाग को (i) धार्मिक और पूर्त संस्था स्थापित करने और चलाने का, (ii) धार्मिक विषयों से सम्बन्धित अपने कामकाज का प्रबन्ध करने का, (iii) चल और अचल सम्पत्तियां प्राप्त और अर्जित करने का, और (iv) विधि के अनुसार उन सम्पत्तियों के प्रबन्ध करने का मौलिक अधिकार है।

भारत में राजनीतिक राज्य (स्टेट) को पंथ-निरपेक्षता का संवैधानिक सिद्धांत भारत के संविधान के अनुच्छेद 27 और 28 जैसे संवैधानिक उपबंधों में निहित है। संविधान के इस भाग में प्रतिस्थापित

आधारभूत सिद्धांतों में से एक है धर्म के प्रति राज्य की तटस्थता; और दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता से संबद्ध किसी विन्यास या न्यास से संयुक्त धर्म के प्रति राज्य की वैचारिक तटस्थता।

किसी हिन्दु धार्मिक उपासना स्थल में जनसाधारण के प्रवेश का अधिकार का प्रश्न भारत में धार्मिक स्वतंत्रता विषयक विवाद का केन्द्र-विन्दु रहा है। इसका सीधा टक्कर धार्मिक न्यासों के हिन्दू कानूनों से है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 में प्रयुक्त ''प्रबन्ध'' शब्द और ''धर्म विषयक'' अभिव्यक्ति के अर्थान्वयन की व्यापकता पर संवैधानिक तर्कवितर्क प्रस्तुत किये गए हैं। धार्मिक इकाई की सम्पत्ति के प्रबन्ध करने के अधिकार को सामान्यतः पंथनिरपेक्ष विषय माना जाता है। तथापि, धर्म के तात्विक अंग क्या हैं और क्या नहीं हैं– के बारे में न्यायालयों द्वारा न्यायिक निर्धारण करने के प्रयास से जटिल प्रश्नों के उत्पन्न होने की संभावना हैं जिनका न्यायोजित समाधान अत्यंत ही संदेहास्पद होगा। यह तब और भी संदेहास्पद होगा जब न्यायालय के समक्ष मात्र उसी धर्म को सिद्धांतों को दृष्टिपथ में रखते हुए न्यायिक डिक्टेटरी के जरिए यह सूत्र निर्धारित करना हो कि कौन सा धार्मिक आचार धर्म का तात्विक अंग है और कौन सा नहीं-इस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उचित हल सहित वस्तुनिष्ठ जांच और व्यक्तिनिष्ठ जांच का सामान्य वर्गीकरण करना अनेकानेक कठिनाइयों को आमंत्रित करना है।

विभिन्न धर्मों के धार्मिक संस्थानों के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों के विधानमंडलों द्वारा निर्मित पृथक्-पृथक् कानून भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रतिकूल नहीं है और बिहार अधिनियम युक्तियुक्त वर्गीकरण-जांच का अतिक्रमण नहीं करता है। **मोती दास बनाम एस॰ पी॰ साही,** एआइआर 1959 एससी 942। **बिहार राज्य बनाम भानप्रीत आनन्द ओझा,** एआइआर 1959 एससी 1073 भी देखें।

जहां विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून की भविष्यलक्षी प्रकृति के फलस्वरूप अविवेकपूर्ण वर्गीकरण सृजित हो जाएगा वहां न्यायालय निरंकुशता दूर कर सकता है, यद्यपि ऐसा करने से कानून भूतलक्षी स्वरूप धारण कर सकता है। **बी॰ प्रभाकर राव बनाम एस॰ पी॰ राज्य,** एआइआर 1986 एससी 210।

यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 का अतिक्रमण नहीं करता है। **मोती दास बनाम एस॰ पी॰ साह,** एआइआर 1959 एससी 942।

इस अधिनियम में राज्यक्षेत्रातीत-प्रवर्तन का दोष नहीं है। **बिहार राज्य बनाम चारुशिला दासी,** एआइआर 1959 एससी 102। **बिहार-राज्य बनाम भावप्रीत आनन्द ओझा,** एआइआर 1959 एससी 1073 भी देखें।

इस अधिनयम के उपबंध संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ख) या अनुच्छेद 25, 26 और 27 का अतिक्रमण नहीं करते हैं। ये उपबंध कोई अनधिकृत कर नहीं लगाते हैं। **विजयानन्द गिरि बनाम बिहार राज्य,** एआइआर 1954 पटना 266। **द्वारिकादासजी बनाम बिहार राज्य,** एआइआर 1957 पटना 615; **महन्थ शंखराम दास बनाम प्रेसिडेन्ट,** एआइआर 1954 पटना 278 भी देखें।

अपनी पूर्ण शक्ति का प्रयोग करते हुए विधान-मंडल भविष्यलक्षी तथा भूतलक्षी प्रभाव के अधिनियम बना सकता हैं वह अधिनियम या नियमावली के किसी उपबंध को किसी भी दिन से, यहां तक कि अध्यादेश के प्रख्यापन या प्रश्नगत अधिनियम के पहले के किसी दिन से भी, प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ विधिक कल्पना पुनःस्थापित कर सकता हैं **राम नरेश राय बनाम बिहार राज्य,** 1979 पीएलजेआर 60 (पूर्णपीठ): एआइआर 1979 पटना। 130। **बम्बई राज्य बनाम पांडुरंग विनायक,** एआईआर 1953 एससी 244। कार्योत्तर अनुमति का अर्थ भूतलक्षी प्रभाव से अनुमति देना नहीं है। **एल॰ आई॰ सी॰ बनाम एस्कोर्ट्स लि॰,** (1986)। एससीसी 264।

यदि कोई रिटि-याचिका दाखिल की जाती है और ग्रहण (Admission) के स्तर पर ही बिना कोई कारण बताए और बिना किसी आख्यापक आदेश के खारिज कर दी जाती है तो यह नहीं कहा जा सकता कि इस तरह से याचिका का खारिज किया जाना कानूनी अपील दायर करने को वर्जित करेगा। **महंत एस॰**

सी॰ दास बनाम राज किशोर मोहंती, एआईआर 1982 उड़ीसा 123 (उड़ीसा हिन्दू धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1952)।

जहां किसी रिट याचिका में अत्यावश्यक रूप से प्रभावित होनेवाले बहुत सारे व्यक्ति उत्तरवादी नहीं, बनाए गए हों वहां उच्च न्यायालय को उक्त रिट याचिका में अगली कार्यवाही बिना उन व्यक्तियों को पक्षकार बनाए जाने या उनमें से कुछ को प्रतिनिधि की हेंसियत से पक्षकार बनाए जाने वास्ते जोर डाले, नहीं करना चाहिए। **प्रबोध वर्मा बनाम यू॰ पी॰ राज्य** एआइआर 1985 एससी 167।

जहां किसी रिट याचिका में अनुतोष के अधिकार की याचना नहीं की गई है वहां उच्च न्यायालय को चाहिए कि वह रिट याचिका के संशोधन द्वारा उचित अनुतोष वास्ते उसे रोक लेने पर बल दे, न कि मात्र तकनीकी आधार पर उसे खारिज कर दे। **तत्रैव।**

पर्याप्त कारण बताए जाने पर ही विलम्ब माफ किया जाए और इस सम्बन्ध में सरकार के साथ अलग तरह का व्यवहार नहीं किया जाए जब तक कि कानून में ही इस तरह के विभेद करने का संकेत हो। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड बनाम आर॰ पी॰ चौधरी,** एआइआर 1977 पटना 272।

उच्चतम न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 133 के अधीन अपील में, उस विन्दु, जिसपर अपील करने वास्ते प्रमाणपत्र स्वीकृत किया गया है, से भिन्न किसी अन्य विन्दु को उठाने की अनुमति नहीं देगा। **अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स कारपोरेशन बनाम मैक लैवोरेटरिज प्रा॰ लि॰,** एआइआर 1986 एससी 137: (1986)। एससीसी 465।

स्पष्ट असंगति, व्यर्थता, इंद्रिय-गोचर अन्याय या असंगत असुविधा या विसंगति की ओर ले जानेवाला अर्थान्वयन से बचा जाना चाहिए। **तत्रैव।**

अनुच्छेद 226 के अधीन शक्ति के प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को तथ्यों के समवर्त्ती निष्कर्ष से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए और यदि उच्च न्यायालय ऐसा करता है तो यह अधिकारिता का अतिरेक माना जाएगा। **हरवंश लाल बनाम जगमोहन,** एआइआर 1986 एससी 302।

हिन्दू विधि में धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों में कोई अन्तर नहीं किया गया है **मलयामल बनाम ए॰ मलयालम पिल्लई,** 1991 अनु॰ (1) एससीसी 579।

जहां "वसीयत" द्वारा विन्यास का सृजन किया गया है वहां वसीयतकर्ता के प्रमुख मंशा का विनिश्चयन "वसीयत" की शर्तों के अनुसार किया जाना चाहिए। **तत्रैव।**

प्रत्यायुक्त के शून्य कार्य को प्रत्यायोजिती के अनुसमर्थन द्वारा नहीं सुधारा जा सकता। **मराथवाड़ा विश्वविद्यालय बनाम शेषराव बलवंत राव चौहान,** (1989)3 एससीसी 132।

जहां कानून विहित करता है कि अमुक प्राधिकारी को अमुक शक्ति का प्रयोग करना है वहां उस शक्ति का प्रयोग एकमात्र उसी प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, अन्य द्वारा नहीं जबतक कि उक्त शक्ति प्रत्यायोजित नहीं की गई हो **मराथबाड़ा विश्वविद्यालय बनाम शेषराव बलवंत चौहान,** (1989)3 एससीसी 132।

किसी वैधानिक नियम के प्रतिकूल उपबंधों से प्रशासनिक अनुदेश निश्चय ही अच्छा होगा। **जी॰ एल॰ वर्मा बनाम यू॰ पी॰ राज्य,** 1986 अनु॰ (2) एससीसी 437।

न्यास अधिनियम, 1882, के उपबंध हिन्दू धार्मिक और पूर्त न्यासों पर नहीं लागू होते हैं। **सूरजभान बनाम बोधानन्द** एआइआर 1987 पी एण्ड एच 183।

देवोत्तर-जहां कोई मुकदमा वैसे किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया हो जो अपने को उत्तराधिकारी- न्यासी होने का दावा करे और मंदिर द्वारा भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद हो, वहां न्यायालय का झुकाव इस अवधारणा की ओर हो सकेगा कि विवादित भूमि मंदिर की है जबतक कि इस अवधारणा के प्रतिकूल धारित करने वास्ते कोई तथ्यपरक साक्ष्य उपलब्ध न हो। **मुरुगय्या उदायार बनाम कोठमपट्टी मुनियानडुयार टेम्पल,** 1991 अनु॰ (1) एस सी सी 331।

धार्मिक प्रयोजन के लिए देवताओं को सम्पत्ति का समर्पण एक विधिमान्य समर्पण है। **राम जानकी जी बनाम बिहार राज्य,** एआइआर 1992 पटना 135: 1991 (2) पी एलजेआर 417।

मठों में उत्तराधिकार के मामलों का शासन उन संस्थाओं में प्रचलित रुढ़ियों या प्रथाओं के द्वारा किया जाता है किंतु, प्रथम दृष्टया मठ या उससे सम्बन्धित सम्पत्तियों या महंथी के पद का पृथक् या विभाजित करने का प्रयास अनुचित होगा जबतक कि वैसा औचित्य लाने के लिए विशेष परिस्थितियां न हों। जिस महंथ के अनेक अलग-अलग स्थल हैं उन सभी को प्रथानुसार एक व्यक्ति द्वारा धारित किया गया है, उसके उत्तराधिकारियों के बीच उन सम्पत्तियों के विभाजन की व्यवस्थ करने या एक या एक से अधिक स्थलों की सम्पत्तियों को अन्य के पक्ष में सशर्त बन्दोवस्त करने की शक्ति को स्पष्ट प्रथा या रुढ़ि का सबूत पेश करके साफ-साफ स्थापित करना अनिवार्य है। विवादित मठ में महंथ को अपना गद्धीनशी मनोनीत करने का अधिकार था। उक्त महंथ को दो चेले थे, अत: उसने एक ही तारीख को दो वसीयतें निष्पादित कीं। एक वसीयत से उसने अपने कनिष्ठ चेला को अपना महंथ गद्धीनशी नियुक्त किया और दूसरी वसीयत से उसने वरिष्ठ चेला को मठ से संयुक्त छोटे स्थलों में से एक का कुछ शर्तों के साथ महंथ नियुक्त किया। वसीयतकर्त्ता की मृत्यु पर दोनों चेलों के बीच दो एकरारनामें निष्पादित किये गए जिनके द्वारा वसीयतों के उपबन्धों को मान्यता दी गई और हरेक पक्षकर वसीयतों द्वारा सौंपे गऐ अपने-अपने पदो पर काबिज हुए। धारित किया गया कि दोनों वसीयतों को अलग-अलग तरह से लेना होगा और चूंकि एक वसीयत के द्वारा वसीयतकर्त्ता ने स्पष्ट रुप से अपना महंथ गद्धीनशी नियुक्त किया था, इसलिए वरिष्ठ चेला को उक्त नियुक्ति को प्रश्नगत करने का कोई अधिकार नहीं था, और एकरारनामा को प्रतिफल के अभाव में अमान्य नहीं किया जा सकता। **राम चरण रामानुज दास महंथ बनाम गोविन्द रामानुज दास महंथ,** 1929 ए० एल० जे० 414 (पी० सी०)

उदासी अपने धन से या अपनी मेहनत से सम्पत्ति अर्जित कर सकता है। इस तरह से अर्जित की गई सम्पत्ति उसके प्राकृतिक रिश्तेदारों द्वारा उत्तराधिकृत नहीं की जा सकती, बल्कि उसकी मृत्यूपरांत उसके चेला समेत उसके उन धार्मिक उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी जिन्हें उसके धार्मिक पुत्र होने का मान्यता प्राप्त है। मात्र यह परिस्थिति की सम्पत्ति गुरु से चेला पर अवरोहित हुई है इस अवधारणा को प्रमाणित नहीं करती है कि उसकी पंथनिरपेक्ष प्रकृति समाप्त हो गई और वह धार्मिक सम्पत्ति है।

धर्मग्रंथों के पाठ इस परिकल्पना से कदापि असंगत नहीं हैं कि न्यास यदि कोई है, निजी स्वरूप का हो सकता है। निस्संदेह, जनसाधारण निजी समाधिस्थल में भी उपासना कर सकता है, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या वे बिना किसी अनुमति, इजाजत या अनुज्ञा के ऐसा करते हैं या अपने अधिकार स्वरूप ऐसा करते है। **परमानन्द बनाम निहालचन्द,** (1938)19 पीएलटी 712 (पी० सी०)।

सेबैत के पद में जिस तरह से कर्त्तव्यों और निजी हितों का पारस्परिक नजदीकी तालमेल है वह सेबैत को उसके पद से हटाने वास्तें आधारों और न्यासी को हटाने वास्ते आधारों में सादृश्य का होना स्थापित करने में बहुत अधिक आड़े आता है, किंतु पदीय कार्य के अंश के रुप में यह बात निर्विवाद है कि कार्य हैं जिन्हें ह· हाल में निष्पादित करने हैं, कि सम्पदा की हिफाजत करना और उसे उचित अभिरक्षा में रखना जरुरी हैं; और यदि यह पता चलता हो कि किसी व्यक्ति ने अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में स्वयं को ऐसी स्थिति में रख छोड़ा है। जिसमें, न्यायालय का विचार है कि, उस व्यक्ति के पदभारित उत्तरदायित्वों का अब निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं हो सकेगा तो उस व्यक्ति को पद से हटाने के लिए पर्याप्त आधार हो जाएगा।

उस व्यक्ति द्वारा, जो किसी सम्पदा के साथ व्यवहार के निस्बत अपनी न्यासी हैसियत में हो, उस सम्पदा को खरीदने से निर्वारित करनेवाला नियम प्रवर्त्तन में एक सामान्य नियम बन जाएगा।

जहां सेबैत ने अपने पुत्र के नाम में बेनामी सम्पत्ति खरीदी और इस बात को छिपा लिया कि वास्तविक खरीदार वह स्वयं है, वहां उक्त खरीदगी क्षणभर को नहीं ठहर सकती।

जब खरीदगी ही अवैध हो तो यह बेमानी हो जाता है कि खरीदगी बहुत बड़ी कीमत पर हुई थी और बाजार-मूल्य से काफी ऊंची कीमत पर। **राजा प्यारे मोहन मुकर्जी बनाम मनोहर मुकर्जी,** (1921)2 पीएलटी 725 (पी० सी०)।

जहां कुछ सम्पत्ति देवी को बतौर इनाम अनुदत्त की गई हो और प्रबन्ध एक परिवार में निहित हो–वहां चूंकि वाहिवतदार (Vahivatdar) उस सम्पत्ति को अंतरित करने को सक्षम नहीं है, अतः अनुदान- प्राप्तिकर्ता के परिवार में जन्मी स्त्रियां, जिन्होंने विवाह के फलस्वरूप उक्त परिवार को छोड़ दिया है, वाहिवतदार जैसी कार्य करने की हकदार नहीं हैं। **रणछोड़ मायाराम बनाम बाई जयंती,** 28 बम्बई एल॰आर॰ 463।

हिन्दू विधि के अनुसार, जब ठाकुर की उपासना संस्थापित कर दी गई हो तब इस साक्ष्य के अभाव में, कि उसने सेबैती का अन्यथा निबटान किया है, अथवा न्यागमन की भिन्न पद्धति प्रदर्शित करने वास्ते कुछेक प्रथा, व्यवहार करने की प्रक्रिया, अथवा कुछ अन्य परिस्थितियां भी रहती रही हैं, संस्थापक के उत्तराधिकारियों में सेबैती निहित धारित की जाएगी।

उत्तराधिकार की हिन्दू विधि लिंगों के बीच इस प्रकार विभेद करती है कि पुरुष उत्तराधिकारी अपने द्वारा उत्तराधिकृत सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी हो जाता है और मृत्यु पर उसे अपने निजी उत्तराधिकारियों को न्यागत कर देता है; दूसरी ओर स्त्री उत्तराधिकारिणी (गोत्रजा स्त्रियों जैसा बम्बई अपवाद को छोड़कर) उस सम्पत्ति को केवल सीमित स्वामिनी जैसी प्राप्त करती है, और उसकी मृत्यु पर उक्त सम्पत्ति उस स्त्री के उत्तराधिकारियों को न्यागत नहीं होकर अंतिम पूर्ण स्वामी के निकटतम उत्तराधिकारी को न्यागत हो जाती है।

वर्त्तमान मुकदमा में, संस्थापक ने कोई नियुक्ति नहीं की और प्रतिवादियों के पक्ष में सेबैती के अधिकार के दान-पत्र का निष्पादक ने संस्थापक की नाती और उत्तराधिकारी होने के चलते वस्तुतः सेबैती ले ली और वादियों ने उसके उत्तराधिकारी होने का बिलकुल ही दावा नहीं किया, इसलिए उत्तरभोगी के प्रश्न पर भी उलझन उत्पन्न हो गया है। **अनुरागी कुअर बनाम परमानन्द पाठक,** (1938) 19 पी एल टी 813।

अध्याय 1

आरंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–(1) इस अधिनियम को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख से जो शासकीय राजपत्र में प्रथम प्रकाशित होने की तारीख से छह महीने के पश्चात् की नहीं होगी प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।

[**प्रकाशक की टिप्पणी:**–यह अधिनियम 15 अगस्त, 1951 से प्रवृत्त हुआ। बी॰ ओ॰ आर॰ ओ॰ खण्ड 1 भाग 8 में अधिसूचना सं॰ 5023, दिनांक 23 जुलाई, 1951 देखें।]

समीक्षा और निर्णयज विधि

[इस अधिनियम के उपबन्ध न तो अनुचित हैं और न भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी का अतिक्रमण करते हैं। **द्वारकादास जी बनाम बिहार राज्य,** एआइआर 1957 पटना 615।

यह अधिनियम बिहार में अवस्थित न्यास पर लागू होता है। इस अधिनियम का राज्यक्षेत्रातीत प्रवर्तन नहीं हो सकता है। **बिहार राज्य बनाम श्रीमती चारूशिला देवी,** एआइआर 1959 एससी 1002। **बिहार राज्य बनाम भावा प्रीतानन्द ओझा,** एआइआर 1957 एससी 1073 भी देखें।]

2. परिभाषा।–इस अधिनियम में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरुद्ध न हो–

(क) ''पर्षद्'' से अभिप्रेत है धारा 5 के अधीन स्थापित, जैन धार्मिक न्यासों से भिन्न धार्मिक न्यासों की दशा में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास की दशा में बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् और दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास की दशा में बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्;

(ख) ''समिति'' से अभिप्रेत है पर्षद् द्वारा धारा 22 के अधीन नियुक्ति की गई समिति;

(ग) ''जिला न्यायाधीश'' के अंतर्गत है जिला न्यायाधीश के इस अधिनियम के अधीन के कृत्यों को निष्पादित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से शक्ति प्रदत्त अवर न्यायाधीश;

(घ) ''संस्थापक'' से अभिप्रेत है वह व्यक्ति जो धार्मिक न्यास सृजित करता है;

(ङ) ''हिन्दू'' से अभिप्रेत है हिन्दू मूल के किसी धर्म को माननेवाला व्यक्ति और इसके अंतर्गत हैं जैन और बौद्ध, किंतु सिख इसके अंतर्गत नहीं है;

(च) ''सदस्य'' से अभिप्रेत है पर्षद् का सदस्य;

(छ) ''धार्मिक न्यास में हितबद्ध व्यक्ति'' से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जो धार्मिक न्यास से किसी आर्थिक या अन्य लाभ प्राप्त करने का हकदार है और इसके अंतर्गत हैं—

(i) कोई व्यक्ति जिसे ऐसे न्यास से सम्बद्ध किसी धार्मिक संस्थान में उपासना करने या किसी कर्म का सम्पादन करने, या किसी उपासना या कर्म के सम्पादन पर उपस्थित होने या ऐसे न्यास के किसी धार्मिक या पूर्त प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है;

(ii) संस्थापक और संस्थापक का वंशज; और

(iii) न्यासी।

(ज) ''विहित'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन निर्मित की गई नियमावली द्वारा विहित;

(झ) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है धारा 7 या धारा 8 के अधीन पर्षद् के अध्यक्ष के रुप में नियुक्त व्यक्ति;

(ञ) ''अर्हताप्राप्त लेखाकार'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के जरिए इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्हताप्राप्त लेखाकार घोषित कोई व्यक्ति या व्यक्ति-वर्ग;

(ट) ''क्षेत्रीय न्यास समिति'' से अभिप्रेत है पर्षद् द्वारा धारा 40 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय न्यास समिति;

(ठ) ''धार्मिक न्यास'' से अभिप्रेत है [2][और हमेशा अभिप्रेत माना जाएगा] हिन्दू विधि द्वार मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक पवित्र या पूर्त प्रयोजन के लिए सृजित या विद्यमान कोइ अभिव्यक्त या आन्वयिक न्यास, किंतु सिख धर्म के अनुसार या सिख सम्प्रदाय मात्र के लाभ के लिए सृजित कोई न्यास और परिवारिक प्रतिभा की उपासना के लिए सृजित कोइ निजी विन्यास, जिससे जनसाधारण हितबद्ध नहीं हों, [2][और जहाँ सार्वजनिक चढावा एव दान नहीं प्राप्त किया जाता हो] इसके अंतर्गत नहीं आएंगे;

(ड) ''अधीक्षक'' से अभिप्रेत है धारा 23 के अधीन धार्मिक न्यास में अधीक्षक के रूप म नियुक्त व्यक्ति;

(ढ) ''न्यासी'' से अभिप्रेत है किसी भी पदनाम से ज्ञात वह व्यक्ति जिसे धार्मिक न्यास क प्रशासन के लिए मौखिक तौर से या किसी विलेख या लिखत या न्यास की प्रथा क अनुसार या जिला न्यायाधीश या किसी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा नियुक्त किया गया है और इसके अंतर्गत हैं न्यासी के कर्त्तव्यों के पालन के लिए न्यासी द्वारा नियुक्त किया गय कोई व्यक्ति और समिति का कोई सदस्य या उस रूप में तत्समय किसी न्यास-सम्पत्ति का प्रबन्धन या प्रशासन करनेवाला कोई अन्य व्यक्ति;

[1][(ण) ''न्यास निधि'' से अभिप्रेत है धारा 69 के अधीन बनाई गई, यथास्थिति, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् निधि, बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि या बिहा राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद निधि;

1. अधिनियम सं॰ 27, 1953 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

त) "न्यास सम्पत्ति" से अभिप्रेत है धार्मिक न्यास से सम्बद्ध सम्पत्ति।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[आचरण द्वारा विबंध–अपने अधिकारों से अनभिज्ञ अथवा विधि की वस्तुतः स्थिति से अनजान महंथों द्वारा हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम या धारा 59 के अधीन विवरणी का दाखिल किया जाना–यह न तो महंथों के अधिकारों का अधित्यजन होगा और न उनके अपने विधिक अधिकारों की सज्ञान उपमति, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 इस बात को नकारने में कोई वर्जना नहीं होगी कि प्रश्नाधीन न्यास एक सार्वजानिक न्यास था। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद बनाम महथ अमृत दास,** एआइआर 1974 पटना 95।

जहां कोई दस्तावेज नहीं हो या जहां दस्तावेज में यह दर्शित करने को कुछ भी न हो कि समर्पण था और मात्र "देवोत्तर" या "विष्णुप्रति" या "शिवप्रीत" आदि शब्द हों तथा फलोपभोग प्रत्यक्षतः प्राप्तिकर्त्ता के वैयक्तिक अधिकार में हो और अनुदाता ने अनुध्यात किया हो कि सम्पत्ति के लाभों को प्राप्तिकर्ता की वैयाक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद देवसेवा में लगाया जाए–इस तरह का समर्पण इस अधिनियम के अधीन देवता के प्रति विधिक समर्पण के गठन के लिए पर्याप्त नहीं है। **सुन्दरलाल गोस्वामी बनाम जोगेश्वर प्रसाद सिंह** एआइआर 1975 पटना 246।

मठ की अवस्थित–जहां कोई मठ एक प्रधान मठ और (अन्य) अधीनस्थ मठों से मिलकर बना हो, वहां प्रधान मठ की अवस्थिति यह सुनिश्चित करेगी कि उस पर बिहार अधिनियम लागू होगा या किसी अन्य राज्य का अधिनियम। अतः, इस मामला में, जहां न्यास और प्रधान मठ उत्तर प्रदेश में हैं और कुछ सम्पत्तियां और अधीनस्थ मठें बिहार में हैं, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा 48 लागू नहीं होगी। **मुसम्मात पछिया देवी बनाम विष्णुदेव प्रसाद सिंह,** 1985 पीएलजेआर 989।

धार्मिक न्यास की सम्पत्ति प्रतिमा की होती है, क्योंकि प्रतिमा वह विधिक इकाई होती है जो सम्पत्ति धारित कर सकती है और जो वाद दायर कर सकती है और जिसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकता है **विद्या वरुणी बनाम बालूस्वामी,** एआइआर, एआइआर 1922 पीसी : 123।

सेबैत या धर्मकर्त्ता द्वारा प्रतिनिधित्व के अधीन प्रतिमा के नाम से वाद दायर करना होगा। यही वह व्यक्ति होता है जिसके प्रभाव में देवता होते हैं और वही व्यक्ति उनका वैधानिक प्रबन्धक है। **प्रमथ नाथ बनाम प्रद्युम्न कुमार,** एआइआर 1925 पीसी 139।

समर्पित सम्पत्ति पर कब्जा और उसका प्रबन्ध सेबैत के हाथ होता है और इसी के साथ यह अधिकार भी लिप्त होता है कि वह उक्त सम्पत्ति की रक्षा के लिए जो भी वाद दायर करने हैं, कर सकता है। **किशोरी कुअर बनाम परमेश्वर मिसिर,** एआइआर 1984 पटना 457। **लक्ष्मी पपण्णचारी बनाम शत्रुघ्न,** एआइआर 1948 पटना 347 भी देखें।

न्यायालय की प्रक्रिया प्रतिमा या देवता के नाम से वाद दायर करने की इजाजत देती है यद्यपि वाद का अधिकार सेबैत के पास होता है। **मस्जिद शाहीदगंज बनाम एस॰ जी॰ पी॰ सी॰,** एआइआर 1940 पी सी॰ 116।

यदि एक से अधिक सेबैत हों तो देवता की ओर से किसी वाद में सभी सेबैतों को वादी की हैसियत से शामिल होना चाहिए क्योंकि वे एक निकाय निर्मित करते हैं, और यदि कुछ शामिल नहीं होना चाहते हैं या संस्थान के हित के प्रति दुर्भावपूर्ण रवैया अपनाते हैं तो उन्हें प्रतिवादी बनाया जा सकेगा। **प्रवीर चन्द्र बनाम पंचानन,** एआइआर 1957 कलकत्ता। 117।

मात्र इसलिए कि सेबैत ने नियुक्ति की शर्तों के विरुद्ध या सेबैत की हैसियत से अपने कर्त्तव्यों को भंग करते हुए काम किया, वह प्रतिमा के विरुद्ध दखल मोखलफाना का दावा नहीं कर सकता। **श्री ईश्वर श्रीधर जिउ बनाम मु॰ सुशीला बाला दासी,** एआइआर 1954 एससी 69।

प्रतिमा के सेबैत द्वारा सेबैत की हैसियत से अर्जित की गई आय प्रतिमा की अर्जित आय है, क्योंकि प्रतिमा का व्यक्तित्व सेबैत के व्यक्तित्व में विलीन कहा जा सकता है। **आयकर आयुक्त बनाम उमा महेश्वरी,** एआइआर 1969 पटना 95।

पालियों में उपासना करने का अधिकार अचल सम्पत्ति है, जिसका दान निबंधित लिखत से ही किया जा सकता है। सेबैत का पद आनुवंशिक होगा यदि विन्यास सृजित करनेवाला विलेख में उसके विरुद्ध कोई उपबंध न हो। **राम रतन बनाम बजरंग लाला,** एआइआर 1978 एस सी 1393।

सेबैत द्वारा उन ग्रामीणों के विरुद्ध सिविल वाद लाना जिन्होंने उसे देवता की उपासना करने और देवता की सम्पत्ति पर कब्जा करने से प्रवारित किया, वर्जित नहीं है। **हादु मोहपात्र बनाम राधा बेवा,** ए आइ आर 1983 उड़ीसा 4।

धार्मिक संस्थान के संस्थापक का अधिकार उस सीमा तक विरासत के काबिल है जिस सीमा तक संस्थापक ने उस हित को, जिसका नियंत्रण उसके पास है, पूर्णत: समाप्त नहीं किया हो। जहां सेबैत को उसके पद से हटा दिया गया है, वहां सेबैती निश्चय ही संस्थापक के उत्तराधिकारियों को प्राप्त होगी, सेबैत के उत्तराधिकारियों को नही। **सीतेश किशोर पाण्डे बनाम आर॰ के॰ पाण्डे,** 1981 पीएलजेआर 364।

इस कारण से विलेख अविधिमान्य नहीं होगा कि वह व्यक्ति, जिसे स्वत्व नहीं है किंतु जो भविष्यत् उत्तराधिकारी है, ने भी समर्पण-विलेख के निष्पादन में सम्मिलित हुआ। **राम रतन लाल बनाम काशीनाथ तिवारी,** एआइआर 1966 पटना 235।

यदि सेबैत लापरवाह था या उसने न्यास की अवहेलना करते हुए देवोत्तर सम्पत्ति को अंतरित कर दिया, तो समर्पणनामा की शर्तों के अधीन न केवल भावी सेबैत, बल्कि पारिवारिक विन्यास के मामले में संस्थापक के परिवार का कोई भी सदस्य, जिसे न्यायालय द्वारा संरक्षक नहीं भी नियुक्त किया गया हो, अंतरित सम्पत्ति को फिर से हासिल करने के लिए देवता की ओर से वाद चला सकेगा। **राम रतन लाल बनाम काशीनाथ तिवारी,** एआइआर 1966 पटना 235।

हरेक मठ एक विन्यास होता है और विशेष प्रयोजन के लिए अस्तित्व में लाया जाता है हरेक मामला में उत्तराधिकार का नियम इस बात पर निर्भर होता है कि मूल विन्यास-सर्जक का इरादा क्या हो सकता है। यदि इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगे तो मठ विशेष में एक महंथ से दूसरे महंथ को उत्तराधिकार न्यागत होने की पद्धति से इसका निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। जहां वरिष्ठतम "चेला" द्वारा उत्तराधिकार की रुढ़ि, साक्ष्य से स्थापित नहीं हो वहां नियंत्रक महंथ द्वारा उत्तराधिकारी को मनोनीत करने के अधिकार को मान्यता देनी होगी। **महंथ गिरिजा नन्द भगत बनाम भगवान भगत,** एआइआर 1967 पटना 101।

जहां कोई सम्पत्ति देवता को समर्पित की गई हो और उक्त सम्पत्ति की देवोत्तर प्रकृति उन अनेक न्यायिक निर्णयों में स्वीकृत की गई हो जिनमें समर्पण-कर्त्ता और सेबैत पक्षकार रहे हों, वहां सेबैत या न्यासी द्वारा उक्त सम्पत्ति को अपना निजी सम्पत्ति मानने का पश्चात्वर्ती आचरण यह दर्शित करने को पर्याप्त नहीं होगा कि उक्त सम्पत्ति देवोत्तर नहीं थी। **राम रतन लाल बनाम काशीनाथ तिवारी,** एआइआर 1966 पटना 235।

"संकल्प" और "समर्पण" के लिए धार्मिक अनुष्ठानों का किया जाना किसी विधिक समर्पण के लिए अनिवार्य नहीं है, यद्यपि ऐसे अनुष्ठान किये जाते हैं। **तत्रैव।**

यह सुस्थापित है कि सेबैत के पद पर आरुढ़ होने के लिए हिन्दुओं के किसी मठ-सम्बन्धी व्यवस्था में प्रचलित उत्तराधिकार के नियमों का साफ-साफ अभिवचन और प्रतिपादन अनिवार्य हैं। (सेबैत के मामले में भौतिक संसार के सर्वसाधारण हिन्दुओं पर प्रयोज्य उत्तराधिकार के नियम नहीं लागू होते हैं) **रामजी जानकीजी बनाम मौनी बाबा काले कम्बलवाला जय सियाराम दासजी,** एआइआर 1978 पटना 48।

मन्दिर को समर्पित सम्पत्ति और मठ को समर्पित सम्पत्ति में अंतर।—जहां किसी मंदिर को समर्पण होगा वहां सम्पत्ति प्रतिमाओं द्वारा धारित की जाएंगी, लेकिन जैसी भौतिक प्रकृति है, उनका कब्जा और प्रबन्ध सेबैत या प्रबन्धक की हैसियत में किसी व्यक्ति को ही सौंपा जाएगा जो उपासना करने के लिये देवता का पुरोहित होगा। हिन्दू विधि में, प्रतिमा के समान ही मठ भी विधिक अधिकारों को अर्जित,

धारित और प्रमाणित करने वास्ते एक विधिक व्यक्ति होता है, लेकिन, फिर भी महंथ की स्थिति ऐसी है कि वह संस्थान के आध्यात्मिक प्रधान के रुप में मठ की सम्पत्ति को धारित करता है। सेबैती की तरह ही, महंथी की अभिधारणा में पद और सम्पत्ति के दोनों तत्व एक साथ लिपटे होते हैं और एक से दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता, किन्तु महंथ का, उसके कर्त्तव्यों के अलावे, लाभकर प्रकृति का एक वैयक्तिक हित होता है जो किसी देवोत्तर सम्पत्ति में सेबैत के हित से बहुत बड़ा होता है। **लक्ष्मी नारायण बनाम बिहार राज्य,** एआइआर 1978 पटना 330।

स्पष्टीकरण-6 के मद्देनजर, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11, लोक-हित मुकदमों पर भी लागू होती है, पर यह साबित किया जाना अनिवार्य है कि पूर्ववर्ती मुकदमा, बिल्कुल ही एक लोकहित मुकदमा था, न कि निजी शिकायत जैसा कुछ था। पूववर्ती मुकदमा के सम्बन्ध में सद्भाव की कमी साबित करने का भार उस पक्षकार पर होगा जो निर्णय को टालना चाहते हो। **तत्रैव।**

संस्थापक के वारिसान पारिवारिक देवता और समर्पित सम्पत्तियों के रखरखाव और संधारण में मुख्यरुप से हितबद्ध व्यक्ति हैं और इसलिए, जब प्रबन्धक-व्यक्ति के विरुद्ध कदाचार और कुप्रबन्धन के आक्षेप लगे हों तब वे लेखाजोखा प्राप्त करने वास्त मुकदमा करने के हकदार होंगे। **भीमसेन महापात्र बनाम आर॰ सी॰ महापात्र,** एआइआर 1978 उड़ीसा 159। **श्री भगत वासुदेव बनाम अयोध्या दास,** एआइआर 1978 उड़ीसा 194 भी देखें।

''धार्मिक ग्रंथ'' अभिषेक के अभाव में देवता को सम्पत्ति धारण करने को सक्षम नहीं करते **श्यामा साहू बनाम अनाम साहू,** एआइआर 1976 उड़ीसा 126।

''विन्यास के लिए बहुत तगड़ा और स्पष्ट साक्ष्य अपेक्षित है और समर्पण स्थापित करने वाले पक्षकार पर यह साबित करने का भार है कि प्रतिमा को उसकी उपासना को निरंतरता के लिए अंतरणीयतारहित रुप से या धार्मिक या पूर्त संस्थान को सम्पत्ति सौंपी गई है। जहां दान या न्यास का कोई लिखत नहीं हो, वहां मात्र यह तथ्य कि अचल सम्पत्तियों के लगान और मुनाफे प्रतिमा या धार्मिक या पूर्त संस्थान के भरणपोषण पर उपयोग किये गये हैं, विन्यास या समर्पण स्थापित करने के लिए अपर्याप्त है।'' (मेयन की हिन्दू विधि)।

देवताओं के अस्तित्व के सम्बन्ध में, उपयुक्त अभिवचनों के अभाव में, मौखिक साक्ष्य मानने से इनकार करना न्यायालयों द्वारा न्यायोचित है उपासना स्थल पर कोई वैसे देवता नहीं था–यह निष्कर्ष तथा परक निष्कर्ष है, अतः द्वितीय अपील में इसकी चुनौती नहीं दी जा सकती है। **श्यामा साहू बनाम अनाम साहू,** एआइआर 1976 उड़ीसा 126।

पारिवारिक देवता के उपासक को भी देवता के हित की रक्षा के लिए वाद दाखिल करने का अधिकार है, लेकिन उसे बदइंतजामी या उक्त देवता के हित के प्रतिकूल गतिविधियों को साबित किये बिना वास्तविक प्रबन्धन करनेवाले व्यक्तियों को हटाने के लिए वाद दाखिल करने का कोइ अधिकार नहीं है। **बालाजी महाप्रभु बनाम नरसिंह कार,** एआइआर 1978 उड़ीसा 199।

देवता के पक्ष में सम्पत्ति का विधिमान्य समर्पण स्थापित हो सकता है यदि यह दर्शित किया जाए कि दानकर्त्ता की मंशा देवता के पक्ष में दान करने की थी और उसने देवता के पक्ष में (दानकृत) सम्पत्ति से अपने को बिलकुल अलग कर लिया था। **विपिन बनाम रुद्र नारायण मिश्र,** एआइआर 1978 उड़ीसा 203।

हिन्दू विधि में किसी पूर्वज के, जो एक साधारण व्यक्ति रहा हो, अवशेषों पर समाधि निमार्ण करना धार्मिक कृत्य नहीं माना जाता है। किसी सम्प्रदाय में धार्मिक प्रथा का मामला स्थापित करने वास्ते उसको साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है जो वैसा मामला उठाता है। **नागू रेड्डियार बनाम बानू रेड्डियार,** एआइआर 1978 एस सी 1174।

जहां समर्पित की गई सम्पत्ति बहुत बड़ी हो और संस्थापक द्वारा स्पष्ट रुप से निर्धारित किये गये धार्मिक अनुष्ठानों पर सारी आय खर्च न हो सके, वहां लाभकारी हित का कुछ अंश अव्ययित समझा जा

सकेगा और निस्संदेह संस्थापक के उत्तराधिकारियों में पंथनिरपेक्ष सम्पत्ति के रुप में निहित हो जाएगा। **जदु गोपाल चक्रवर्ती बनाम पन्नालाल भौमिक,** एआइआर 1978 एस सी 1329।

धार्मिक प्रतिष्ठान सहित कोई भी संस्थान औद्योगिक विवाद अधिनियम के परिक्षेत्र से परे नहीं है। **बंगलूर जलापूर्ति बनाम ए० राजप्पा,** एआइआर 1978 एस सी 548 : (1978)2 एससीसी 213।

धर्म पर आधारित प्रतिष्ठानों और संस्थानों का वर्गीकरण अनुमतेय है। **आयुक्त एच० आर० ई० बनाम एल० टी० स्वामी,** एआइआर 1954 एस सी 282।

विन्यास के संस्थापक को सेबैत के उत्तराधिकार की पंक्ति की रचना करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कोई भी हिन्दू वैसी सम्पदा नहीं सृजित कर सकता जिसकी हिन्दू विधि में पहचान न हो। उत्तराधिकर की हिन्दू विधि के अधीन उत्तराधिकारितापूर्ण जीवन पर्यंत सम्पदा का सृजन अनुमतेय नहीं है। **सीतेश किशोर पाण्डे बनाम आर० के पाण्डे,** 1981 पीएलजेआर 364।

न्यायालय का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह समर्पणनामा से संस्थापक की मंशा ज्ञात करे। मात्र इस बात से कि मंदिर-प्राधिकारियों द्वारा साधु-अभ्यागतों की आवभगत किया जाना संभावित है अथवा मंदिर स्थित देवताओं की उपासना में लोगों को कोई दिक्कत पेश नहीं आती है, यह खुलाशा नहीं होता है कि मंदिर एक सार्वजनिक न्यास है। **रामचन्द्र मिश्र बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,** 1982 पीएलजेआर 173 : एआइआर 1982 पटना 59।

''न्यास'' की परिभाषा की गई है:–उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में, व्यक्ति में निहित विश्वास, जिस पर वह दखलकार है अथवा जिसपर वह इस संकल्प तक शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि वह उक्त सम्पत्ति को धारित या किसी अन्य व्यक्ति या ध्येय को लाभांवित करने के लिए उक्त शक्ति का प्रयोग कर सकेगा। हैल्सबरी लॉ ऑफ इंगलैंड, द्वितीय संस्करण, जिल्द 33, पृष्ठ 87।

''जो व्यक्ति ग्राम, देश या समुदाय के लिए सच्चाईपूर्वक न्यास के निमित्त वचनबद्ध होने के पश्चात् लालचवश उसका उल्लंघन करता है उसे देशनिकाला दिया जाना चाहिए।'' (वचनबद्धता के उल्लघंन पर ऋषि मनु का कथन, ''स्मृति-चन्द्रिका'' से।)

''जो व्यक्ति समुदाय के धन की चोरी करता है या न्यास के नियमों का उल्लंघन करता है उसे उसके सारे धन से वंचित करके देश-निकाला दिया जाना चाहिए।'' (याज्ञवल्क्य)

एक उचित और विधित: प्रवर्तनीय न्यास के सृजन के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उस समय के हिन्दुओं पर प्रयोज्य कानूनी नियमों के अनुसार उक्त न्यास का एक विधिमान्य धार्मिक प्रयोजन हो। यह भी आवश्यक है कि संस्थापक या प्रतिष्ठान-कर्त्ता हिन्दू विधि के अधीन वैसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में न्यास सृजित करने वास्ते समर्थ हो जैसी सृजित किये जाने वाले न्यास की विषयवस्तु हो।

अधिनियम के अधीन उपबंधित, बिना किसी पूर्व जांच के जल्दबाजी में पारित किया गया कोई इस तरह का आदेश, जिसका प्रभाव वंशानुगत न्यासियों को उनकी सम्पत्ति से बेदखल करना हो, अवैध और अधिनियम की स्कीम के विरुद्ध होगा। वंशानुगत न्यासियों को बेदखल करनेवाला आदेश का अनुसरण करता दखलदेहानी के लिए पारित पश्चात्वर्ती आदेश भी असंधार्य हो जाएगा। **भारमबार संत्रा बनाम उड़ीसा राज्य सरकार,** एआइआर 1970 उड़ीसा 141।

यह अधिनियम केवल धार्मिक सार्वजनिक न्यासों पर लागू होता है, निजी न्यासों पर नहीं।

धार्मिक न्यास-सम्पत्तियों से सार्वजनिक धार्मिक न्यास-सम्पत्तियों का तात्पर्य है। **महंथ राम स्वरुप दास जी बनाम एस० पी० साही,** एआइआर 1959 एस सी 1951। **मुंद्रिका कुअर बनाम अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,** 1968 बीएलजेआर 197।

यदि वसीयत द्वारा विन्यास का सृजन पारिवारिक प्रतिमा के पक्ष में हो और जनसाधारण को उनके अधिकार की तरह पूजा करने की अनुमति नहीं हो, तो वह न्यास एक निजी न्यास होगा **धार्मिक न्यास पर्षद, बनाम पलट लाल,** 1971 पीएलजेआर 186 : एआइआर 1972 एस सी 57 : (1971)2 एससीजे 461।

जबतक संस्थान के संस्थापक के समय से अव्यवधानिक रुप में वंशानुगत अधिकार द्वारा न्यागमन का क्रम दर्शित नहीं किया जाएगा तबतक न्यासी को वंशानुगत न्यासी नहीं माना जाएगा। यदि दावाकृत अधिकार की निरंतरता नहीं है तो स्पष्टतः यह दुर्बलता से ग्रस्त है। **जी॰ सी॰ एच॰ जगदेव बनाम जे॰ स्वामी,** एआइआर 1976 उड़ीसा 38।

यह अधिनियम कबीरपंथियों पर लागू होगा बशर्त्ते कि यह पता चले कि विवाद सार्वजनिक न्यास से सम्बन्धित है। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम आचार्य महंथ अमृत दास,** एआइआर 1974 पटना 95।

न्यास किस प्रकार का है–इसकी जांच रिट कार्यवाही में नहीं की जा सकती है। क्या न्यास सार्वजनिक है या निजी, और क्या सम्पत्तियां निजी हैं या न्यास की–ऐसे प्रश्न हैं जो जटिल बातों के अनुसंधान और साक्ष्यों के अभिलेखन की अपेक्षा करते हैं और ऐसे अनुसंधान रिट कार्यवाही में नहीं किये जा सकते। **भरमरबार संत्रा बनाम उड़ीसा राज्य,** एआइआर 1970 उड़ीसा 141।

जहां यह घोषित किये जाने की पूर्ववर्ती कार्यवाही में कि देवता और उनका विन्यास निजी सम्पत्तियां थीं– वंशानुगत न्यासीपद के सम्बन्ध में कोई मंतव्य नहीं दिया गया हो, वहां वंशानुगत न्यासीपद के अस्तित्व की घोषणा के लिए पश्चात्‌वर्ती कार्यवाही पूर्व-न्यास से ग्रसित नहीं होगा **लिंगराज सामंत्रय बनाम सिद्धबालादेवजी,** एआइआर 1984 उड़ीसा 187।

जब यह दर्शित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हो कि वर्तमान न्यासियों और उनके पूर्वजों द्वारा गत सैंकड़ों वर्षों से वंशानुगत तौर से न्यासीपद पर दखल बनाए रखा गया है तब यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वर्तमान न्यासी के पूर्वज भी विन्यास के संस्थापक के समय से ही न्यासी की हैसियत से काम कर रहे थे। **तत्रैव।**

धार्मिक समर्पणनामा के अभाव में, क्या कोई न्यास निजी है या सार्वजनिक–यह विनिश्चित करने के लिए कुछ जांच इस प्रकार हैः (i) क्या लाभार्थी विनिश्चित व्यक्ति हैं या जनसाधारण, (ii) क्या सर्वसाधारण को उनके अधिकार के तौर पर मंदिर में या देवता तक पहुँच है, (iii) क्या मंदिर आदि संस्थापक या उसके उत्तराधिकारियों आदि के गृह या परिसर में अवस्थित हैं, और (iv) क्या विन्यास पर निजी न्यास होने का दावा करनेवाली व्यक्ति उसके कामकाज के प्रबन्धन पर पर्यवेक्षण के अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। **विजय नारायण बनाम बिहार राज्य,** 1985 पीएलजेआर (एन ओ सी) 17। **दीनबन्धु बनाम कुलानमणि दास,** एआरआर 1981 उड़ीसा 158।

देवता में निहित सम्पत्तियों के सभी न्यासी आवश्यक पक्षकार हैं, अन्यथा न्यास की सम्पत्तियों से सम्बन्धित वाद नहीं संघार्य होगा। **आत्मा राम रणछोड़भाई बनाम जी॰ एच॰ मोहियाद्दिन,** एआइआर 1973 गुजरात 113 (पू॰पी॰)।

जिस मामले में वसीयतकर्त्ता ने अपने पारिवारिक देवता के पक्ष में निरपेक्ष देवोत्तर (सम्पत्ति) सृजित की थी और प्रत्यक्षतः न्यासियों को सेबैत नहीं बनाया था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि सेबैती न्यासियों पर नहीं प्रत्युत् वसीयतकर्त्ता के उत्तराधिकारियों पर न्यागत हुआ। **प्रोफुलो शोरोन रेकिट बनाम सत्य शोरोन रेटि,** एआइआर 1979 एस सी 1682।

मात्र मंदिर में प्रवेश से कोई मंदिर सार्वजनिक न्यास नहीं हो जाता जबतक कि सर्वसाधारण को अधिकार के रुप में प्रवेश उपलब्ध न हो। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद बनाम महादेव प्रसाद कसेरा,** 1977 बीबीसीजे 393।

जहां देवता के पक्ष में समर्पण हो और अधीक्षण और सेबैत पर नियंत्रण का काम बाह्‌य व्यक्तियों के किसी निकाय को दिया गया हो, वहां मात्र सेबैती को समर्पणनामा के निष्पादक के परिवार के भीतर रखा जाना यह अभिप्रेत नहीं करेगा कि समर्पण जनसाधारण के पक्ष में नहीं था विशेषकर तब, जब शासी निकाय को वैसे को हटाने की शक्ति सौंपी गई है यदि वह उचित वर्ताव नहीं करे। **बि॰ रा॰ धा॰ न्या॰ प॰ बनाम बी॰ पी॰ चौधरी,** 1974 बीबीसीजे 590 (एस सी)।

कोई धार्मिक न्यास सार्वजनिक या निजी विन्यास है–यह प्रयोक्ता, समर्पण और वाद विशेष की परिस्थितियों के साक्ष्य पर निर्भर करता है। केवल, वाद विशेष के पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किये गए साक्ष्यों के मुल्यांकन में उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित किये गए जांचों को दृष्टिगत रखना चाहिए। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम महंथ अमृत दास,** एआइआर 1974 पटना 95।

प्रतिमा से सम्बन्धित निजी न्यास धारा 2(1) के अभिप्राय के अंतर्गत ''धार्मिक न्यास'' नहीं है और फलत: बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम से शासित नहीं होगा। **बि॰ रा॰ धा॰ न्या॰ प॰ बनाम बलदेव गिरि,** एआइआर 1979 पटना 175।

पर्षद् को किसी विशेष व्यक्ति को वंशानुगत न्यासित के दावा को निर्णीत करने की शक्ति नहीं सौंपी गई है। **हरि चरण दास बाबाजी बनाम अधिकारी वैषाव चरण दास,** एआइआर 1981 उड़ीसा 78।

देवता और उसकी सम्पत्तियों को सार्वजनिक घोषित करने के लिए कार्यवाही में जो व्यक्ति उक्त देवता और उसकी सम्पत्तियों को निजी होने का दावा करेगा उसी पर ऐसा साबित करने का भार भी होगा। **दीनबन्धु पंडा बनाम कुलमणि दास,** एआइआर 1981 उड़ीसा 158।

जहां किसी मंदिर की सम्पत्तियां बहुत दिनों से किसी महंथ के दखल में चली आती हों और उसने उन सम्पत्तियों को निजी सम्पत्तियां होने का दावा किया हो, वहां यह साबित करने का भार धार्मिक न्यास पर्षद, पर होगा कि उक्त महंथ सार्वजनिक प्रयोजन के लिए न्यास रुप से उन सम्पत्तियों को धारित कर रहा है। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम महंथ श्री विशेश्वर दास,** 1972 पीएलजेआर 16 (एस सी)।

धारा 2(1) में दी गई परिभाषा से स्पष्ट संकेत मिलता है कि यदि पारिवारिक प्रतिमा की उपासना के लिए निजी विन्यास सृजित किया गया है जिससे जनसाधारण हितबद्ध नहीं है तो वैसा विन्यास धारा 2(1) के अभिप्राय के अंतर्गत धार्मिक न्यास नहीं होगा। ''सार्वजनिक न्यास'' के रुप में किसी न्यास का निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए (यह देखना होगा कि) जनसाधारण को अधिकार प्राप्त व्यक्ति जैसा देवता की उपासना के लिए मंदिर में आनाजाना होता है। किसी भी सार्वजनिक न्यास में न केवल विनिर्दिष्ट व्यक्ति को बल्कि जनसाधारण को विन्यास-लाभार्थी होना वांछनीय है **राम चन्द्र मिश्र बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,** 1982 पीएलजेआर 173।

देवता में निहित सम्पत्तियों के सम्बन्ध में अधिनिष्कासन के लिए वाद उन सम्पत्तियों का प्रबन्धन करनेवाला सह-न्यासी द्वारा लाया जा सकता है। **विश्वकर्मा मंदिर न्यास बनाम मु॰ मुनु देवी,** 1985 पीएलजेआर 1046 : एआइआर 1986 पटना 158। **नवल किशोर धवल बनाम श्री ठाकुर,** 1986 पीएलजेआर 478 भी देखें।

साधारणत:, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा अभिलिखित इस तथ्य के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करेगा कि धार्मिक प्रतिष्ठान एक सार्वजनिक मंदिर है। जहां समर्पणनामा किसी व्यक्ति को प्रबन्धन का अनन्य अधिकार नहीं सौंपता है, वहां न्यायालय धार्मिक प्रतिष्ठान की सम्पत्ति के उचित प्रबन्धन के लिए स्कीम बना सकेगा। **जगदीश प्रसाद बनाम महंथ त्रिभुवन पुरी,** एआइआर 1988 एस सी 323।

वंशानुगत न्यासी की अनर्हता के प्रस्ताव को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जाने से सम्बन्धित विषय पर विचार करते समय राज्य सरकार को सम्बद्ध पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देना चाहिए। **राम नारायण साहू बनाम उड़ीसा राज्य,** एआइआर 1988 उड़ीसा 219।

जहां धार्मिक संस्थान के वंशानुगत न्यासी होने का दावा करनेवाले व्यक्ति के पूर्वजों द्वारा देवता की ''सेवा-उपसना'' करने का सिलसिला जारी रहता आया हो, वहां यह धारणा विधित: बन सकती है कि उक्त संस्थान वंशानुगत न्यासी के प्रबन्धन के अधीन रहा है। **रघुनाथ दास बनाम श्री ग्रवा देवाती अम्बिका ठाकुरानी** एआइआर 1992 (एन ओ सी) 22 उड़ीसा।

निजी न्यास-जहां ''इनाम रजिस्टर'' तथा दिये गये मौखित साक्ष्य दर्शित करते हों कि मंदिर एक

सार्वजनिक मंदिर था और देवात की उपासना के प्रयोजन के लिए जनसाधारण का मंदिर में निर्बाध रुप से आना-जाना था, वहां इस तरह के साक्ष्य कि विवादित मंदिर सार्वजनिक था और भी कि ''दावेदार'' अपने को उक्त मंदिर का वंशानुगत न्यासी होने का अपना केस साबित करने में विफल हो गया, पर आधृत तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्ष संपुष्ट किए जाने लायक था। **जम्मी राजा राव बनाम अंजनेयस्वामी टेम्पुल वालू**, एआइआर 1992 एस सी 1110।

सार्वजनिक न्यास–सार्वजनिक विन्यास का तत्व है जनसाधारण को उसका समर्पित किया जाना किसी समर्पणनामा या धार्मिक प्रतिष्ठान सृजित करने के लिए अन्य दस्तावेज के अभाव में, ''दीर्घकालीन प्रयोग'' ही वह वस्तुपरक कारक है जिससे समर्पण का निष्कर्ष उद्‌भूत हो सकेगा। निजी विन्यास और सार्वजनिक विन्यास में अंतर यह है कि जहां पूर्ववर्ती में लाभार्थी विनिश्चित व्यक्ति होते हैं वहां पश्चात्वर्ती में वे जनसाधारण या उनका कोई वर्ग होता हैं **प्रताप सिंहजी एन॰ देसाई बनाम डिप्टी चैरिटी कमिश्नर**, एआइआर 1987 एस सी 2064। **देवकी नन्दन बनाम मुरलीधर**, एआइआर 1957 एस सी 133; **तिलकायत श्री गोविन्दजी महाराज बनाम राजस्थान राज्य**, एआइआर 1963 एस सी 1638; **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद बनाम महंथ श्री विशेश्वर दास**, एआइआर 1971 एस सी 2057 भी देखें।

मंदिर की सम्पत्ति को अपनी पैतृक सम्पत्ति होने का दावा करनेवाले पक्षकार द्वारा मात्र इस आशय का दृढ़कथन कि विवादित धार्मिक न्यास एक निजी न्यास है, उसके दावा के समर्थन में अन्य अकाट्य साक्ष्य के अभाव में कत्तई लाभप्रद नहीं होगा। यह दर्शित करनेवाला कोई दस्तावेज कि धार्मिक न्यास की सम्पत्ति पर दावेदार का दखल के सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा या किसी कार्यवाही में नोट किया गया था केवल उसके दखल का साक्ष्य माना जा सकता है उसके स्वत्व का नहीं **लक्ष्मी प्रसाद शर्मा बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद**, 1988 पीएलजेआर 176।

जहां जनसाधारण अधिकारपूर्वक देवता की उपासना करने के लिये मुक्त रुप से बेरोकटोक आ-जा रहे थे वहां न्यास को एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास समझा जाएगा और देवता एक पारिवारिक देवता नहीं होगा। **तत्रैव।**

जहां किसी देवता को सम्पत्ति समर्पित करते हुए संस्थापक यह उपबंधित करेगा कि अपने जीवन-काल में वह और तत्पश्चात् उसके उत्तराधिकारी देवता के सेबैत होंगे, वहां संभवत: यह कहा जाएगा कि संस्थापक ने न केवल समर्पण के साथ कुछ कर्त्तव्यों का प्रावधान निहित कर रखा है बल्कि सम्पत्ति में लाभदायक हित भी अर्जित कर लिया है। **दीप्ति नारायण श्रीमाली बनाम सम्पदा शुल्क नियंत्रक**, 1988 (3) एससीसी 488।

राज्य पर्षद, से प्राप्त की गई कोई रकम न्यास-निधि का भाग होगी। जहां किसी विशेष प्रयोजन के लिए दान दिया गया हो वहां न्यासी उसका उपयोग न्यास के प्रयोजनों से भिन्न किसी प्रकार नहीं कर सकते। **दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास बिहार राज्य पर्षद बनाम जिला न्यायाधीश**, 1989 पीएलजेआर 138।

किसी लिखित अनुदान के अभाव में, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा निर्मित विन्यास एक सार्वजनिक विन्यास है या निजी-यह प्रश्न तथ्य और विधि का एक मिश्रित प्रश्न होगा। हरेक मामला विशेष के तथ्यों के मद्देनजर सार्वजनिक और निजी विन्यास के विधिक अवधारणा के प्रयोग के अनुसार समर्पण के विस्तार और प्रकार का निर्धारण अनिवार्य होगा। इस प्रश्न के हल के लिए सारे सुसंगत कारकों पर विचार करना होगा, किसी एक पर नहीं। **प्रताप सिंहजी एन॰ देसाई बनाम डिप्टी चैरिटी कमिश्नर**, 1987 (अनु॰) एससीसी 714 : एआइआर 1897 एस सी 2064।

निजी विन्यास के लाभार्थी विशेष व्यक्ति होते हैं, जबकि सार्वजनिक विन्यास के लाभार्थी जनसाधारण या उनका वर्ग होता है। **तत्रैव।**

जहां किसी सार्वजनिक धार्मिक और पूर्त विन्यास के प्रबन्ध के अधिकार पर उक्त विन्यास के दो सह-संस्थापकों के वंशजों द्वारा दावा किया जाता हो वहां न्यायालय मंदिर के समुचित प्रबन्ध के लिए स्कीम बना सकेगा और यह भी सुनिश्चित कर सकेगा कि मंदिर की सम्पत्ति का दुरुपयोग दावाकर्त्ताओं या उनके रिश्तेदारों द्वारा निजी इस्तमाल में नहीं किया जा सके। **जगदीश प्रसाद बनाम महंथ त्रिभुवन पुरी**, 1987 (अनु॰) एससीसी 482।

न्यास– जहां रजिस्ट्रीकृत विलेख द्वारा देवता और मंदिर के पक्ष में धार्मिक न्यास सृजित किया गया है वहां कोई पश्चात्‌वर्ती विलेख उक्त देवता और मंदिर में निहित सम्पत्ति को दुष्प्रभावित नहीं करेगा। तथापि, पश्चात्‌वर्ती विलेख उक्त न्यास के प्रशासन करनेवाले व्यक्तियों में बदलाव ला सकता है। **बब्बन पांडे बनाम बिहार राज्य**, 1987 (अनु॰) एससीसी 34।

धारा 2 (छ) में ''धार्मिक न्यास में हितबद्ध व्यक्ति'' अभिव्यक्ति की परिभाषा बहुत बृहत् मायने में की गयी है और अपने विस्तार में उस व्यक्ति को समाहित कर लेती है जिसे धार्मिक न्यास से सम्बन्धित किसी धार्मिक संस्थान में उपासना करने या अनुष्ठान करने या किसी उपासना अनुष्ठान के लिए सम्मिलित होने का अधिकार है। **पीताम्बर ठाकुर बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद**, 1995 (2) बीएलजे 278 : 1995 (2) पीएलजेआर 242।

किसी न्यास सार्वजनिक को निजी किस्म की होने के विनिश्चयन के अभिप्राय से की गई कार्यवाही के दौरान, अर्जन सम्बन्धी दस्तावेजों और अन्य तात्विक कागजात के अप्रस्तुतीकरण की स्थिति में, महंथ द्वारा दस्तावेजों के नहीं दाखिल किये जाने के चलते न्यायालय कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। **मुक्ति नारायण दास बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्** 2000 (2) बीबीसीजे (1)।

कोई न्यास सार्वजनिक न्यास है अथवा निजी न्यास–यह प्रश्न तथ्य और विधि का मिश्रित प्रश्न है और इसका निर्णय रिट अधिकारिता में नहीं किया जा सकता। **महंथ आर॰ एस॰ दास बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद**, 1998 (3) पीएलजेआर 218।]

3. लागू होना।–यह अधिनियम सभी न्यासों पर लागू होगा चाहे वे इस अधिनियम के आरंभ होने के पहले सृजित किये गये हों या बाद, यदि उनकी सम्पत्ति का कोई भाग बिहार राज्य में अवस्थित होगा।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम के उपबन्ध सभी धार्मिक न्यासों पर लागू होंगे, चाहे वे उक्त अधिनियम के आरंभ के पहले या बाद सृजित किए गए हों वशर्ते कि उक्त धार्मिक न्यास की सम्पत्ति का कोई भाग बिहार राज्य में अवस्थित हो। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद बनाम महादेव भारती**, 1988 पीएलजेआर 351]

[1][**4. संशोधन और निरसन।**–(1) बंगाल पूर्त विन्यास, सार्वजनिक भवन और राजगामी सम्पत्ति विनियम, 1810 (1810 का बंगाल विनियम 19) की धारा 17 में, बिहार राज्य पर उसके लागू होने के लिये यथासंशोधित, बिहार वक्फ अधिनियम, 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 8) के अधीन स्थापित मजलिस द्वारा बिहार राज्य में किसी वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में शब्दों और अंकों के लिए निम्नांकित शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्ः–

> ''बिहार अधिनियम, 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 8) के तात्पर्य के अंतर्गत किसी वक्फ सम्पत्ति के सम्बन्ध में, और बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार प्रथम अधिनियम) के तात्पर्य के अंतर्गत किसी न्यास सम्पत्ति के सम्बन्ध में, उक्त अधिनियमों के अधीन स्थापित क्रमशः मजलिस और पर्षद, द्वारा।''

(2) बंगाल भू-राजस्व विक्रय अधिनियम, 1959 (1959 का 11) की धारा 5 के द्वितीय परंतुक में, ''वक़्फ सम्पत्ति'' के बाद ''बिहार वक्फ अधिनियम 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 8) के तात्पर्य के अंतर्गत, या बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम बिहार अधिनियम) के

1. अधिनियम सं॰ 16, 1951 द्वारा प्रतिस्थापित।

तात्पर्य के अंतर्गत न्यास सम्पत्ति ''शब्द और अंक प्रविष्ट किये जाएंगे, और ''बिहार वक्फ अधिनियम, 1947", शब्द और अंकों के बाद, शब्द और अंक, या, यथा-स्थिति, ''बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार प्रथम अधिनियम) की धारा 5 के अधीन स्थापित पर्षद, के अध्यक्ष पर'' जोड़े जाएंगे।

(3) बिहार राज्य में लागू किये जाने के लिए यथा संशोधित पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का 6), की धारा 5 के परंतुक में, ''बिहार राज्य में किसी वक्फ सम्पत्ति से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति बिहार वक्फ अधिनियम, 1947, के अधीन स्थापित मजलिस द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन प्रयोग की जाएगी'' शब्दों और अंकों के लिए ''बिहार वक्फ अधिनियम, 1947 (1948 का बिहार अधिनियम 8) के तात्पर्य के अंतर्गत कोई वक्फ सम्पत्ति, या बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार प्रथम अधिनियम) के तात्पर्य के अंतर्गत न्यास सम्पति से सम्बन्धित कोई सम्पति राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन प्रथम उल्लिखित अधिनियम के अधीन स्थापित मजलिस द्वारा अथवा, यथास्थिति, अंतिम उल्लिखित अधिनियम के अधीन स्थापित पर्षद् द्वारा प्रयोग की जाएगी'' शब्द और अंक प्रतिस्थिति किये जाएंगे।

(4) बिहार राज्य पर लागू होने में यथा संशोधित दातव्य और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 (1920 का 14) की धारा 13 में ''बिहार राज्य के किसी वक्फ पर लागू'' शब्दों के लिए ''या बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1950 का बिहार प्रथम अधिनियम) बिहार राज्य में किसी वक्फ या, यथास्थिति, धार्मिक न्यास पर लागू'' शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

(5) इस अधिनियम में यथापरिभाषित इस राज्य में किसी धार्मिक न्यास पर धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863 (1863 का 20) और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), की धारा 92 लागू नहीं होंगे।

अध्याय 2

पर्षद् का गठन

5. पर्षद् का गठन और समावेशन।–(1) इस अधिनियम के लागू होने के बाद यथासंभव शीघ्र [1][राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के लिए एक पर्षद् की स्थापना की जाएगी जिसे बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् कहा जाएगा और जो जैन धार्मिक न्यास को छोड़कर अन्य धार्मिक न्यासों से सम्बन्धित इस अधिनियम द्वारा सौंपे गये कृत्यों का निर्वहन करेगी।

[2][(2) श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास और दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास से सम्बन्धित इस अधिनियम द्वारा पर्षद् को सौंपे गए कृत्यों के निर्वहन के लिए राज्य सरकार द्वारा क्रमशः बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् नामक पर्षदें भी स्थापित की जाएंगी।

(3) पर्षद् यथास्थिति बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् या बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् या बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् या बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् नाम से एक निगमित निकाय और अनवरत सिलसिला होगी और इसे एक सामान्य मुहर होगी और विहित शर्तों और निर्बधनों के अधीन चल और अचल दोनों तरह की सम्पत्तियों को अर्जित और धारित करने तथा ऐसी किसी सम्पत्ति को अंतरित करने की शक्ति होगी और इसी नाम से वाद कर सकेगी या इसके विरुद्ध वाद किया जा सकेगा।

[3][**6. पर्षद् की सदस्य-संख्या।**–बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्, बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् में से प्रत्येक की अधिकतम सदस्य-संख्या ग्यारह होगी।

7. प्रथम पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्य तथा उनका कार्यकाल।–[4][x x x]

---

1. अधिनियम सं॰ 16, 1951 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 10, 1969 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. अधिनियम सं॰ 21, 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम सं॰ 4, 2013 द्वारा विलोपित

8. द्वितीय और पश्चात्वर्ती प्रत्येक पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्य तथा उनका कार्यकाल।–[1][(1) पर्षद के सदस्य, जिनमें अध्यक्ष भी शामिल होगा, राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना के जरिए, व्यक्तियों की निम्नांकित कोटियों से, इस प्रकार नियुक्त किये जाएंगे कि उक्त कोटियों के प्रत्येक से कम-से-कम एक व्यक्ति नियुक्त किया जाए।

(क) राज्य विधानमंडल के हिन्दू सदस्य और/या राज्य के प्रतिनिधित्व करनेवाले हिन्दू संसद्-सदस्य;

(ख) व्यक्ति, जो बिहार सिविल सेवा (कार्यपालिका या न्यायपालिका शाखा) के सदस्य अथवा बिहार उच्च न्याय-पालिका सेवा या भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य हैं या रह चुके हैं

(ग) हिन्दू धार्मिक न्यासों से हितबद्ध राज्य के साधु;

(घ) व्यक्ति जिनको प्रबन्धन-नियंत्रण में अभिरुचि हो और ख्याति प्राप्त धार्मिक न्यासों के प्रबन्ध करने का अनुभव हो और जो हिन्दू धर्म में प्रति-बद्धता के लिए जाने जाते हों

(ङ) हिन्दू धार्मिक न्यास विधि के संव्यवहारार्थ अनुभव के लिए ख्यात राज्य के अधिवक्ता

[2][(च) धर्मग्रन्थों के ज्ञाता संस्कृत विद्वान।

[2][(छ) धार्मिक न्यास से सम्बद्ध अनुसूचित जातियों से व्यक्ति।"

[3][(2) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होगा, राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों के निम्नलिखित कोटियों से, इस प्रकार नियुक्त किये जायेंगे कि उक्त कोटियों के प्रत्येक से कम से कम एक व्यक्ति, लेकिन दो से अधिक नहीं, नियुक्त किया जा सकेगा,

(क) बिहार राज्य विधान मंडल/संसद सदस्य/ नगरपालिका/त्रिस्तरीय पंचायत के श्वेताम्बर जैन समाज के निर्वाचित सदस्य;

(ख) श्वेताम्बर जैन समाज के बिहार सेवा (कार्यपालिका या न्यायिक सेवा या अन्य राजपत्रित सेवा) के सदस्य हैं या रह चुके हैं, अथवा उच्च न्यायिक सेवा या अखिल भारतीय सेवा के सदस्य हैं, या रह चुके हैं।

(ग) इस अधिनियम के अधीन निबन्धित श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास के न्यासी;

(घ) श्वेताम्बर जैन धर्म में प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति जिसको प्रबन्धन-नियंत्रण में अभिरूचि हो और ख्याति प्राप्त श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास के प्रबन्धन का अनभुव हो;

(ड.) श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास विधि के संव्यवहारार्थ अनभुव के लिए प्रसिद्ध राज्य के अधिवक्ता,

(च) श्वेताम्बर जैन धर्म समाज के ख्याति प्राप्त राज्य के व्यवसायी, जो धर्म में रूचि रखते हों; और

(छ) श्वेताम्बर जैन धर्म के बिहार राज्य के लब्धप्रसिद्ध विद्वान।

(3) द्वितीय और पश्चात्वर्ती प्रत्येक बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के सदस्यों में–

(क) दो व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाएंगे;

(ख) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास के न्यासियों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित चार व्यक्ति होंगे; और

(ग) बिहार राज्य में निवास करनेवाले दिगम्बर जैन समुदाय के सदस्यों द्वारा विहित रीति से निर्वाचित पांच व्यक्ति होंगे जो तत्समय प्रवृत्त बिहार राज्य की विधान सभा के किसी निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली में निर्वाचक जैसा सूचीबद्ध होंगे।

(4) राज्य सरकार यथास्थिति, उप-धारा(1), (2) या (3) के अधीन नियुक्त किये गये ... में से एक को उस पर्षद का अध्यक्ष नियुक्त करेगी।

(5) प्रत्येक पर्षद के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल इस अधिनियम की धारा-12 के अध्यधीन शासकीय गजट में उनके नाम के प्रकाशन की तारीख से पाँच वर्ष का होगा, और इसके अन्तर्गत वह

1. अधिनियम सं॰ 21, 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अंतःस्थापित।
3. अधिनियम सं॰ 4, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिक अवधि भी आएगी जो उक्त पाँच वर्ष की समाप्ति और अगले अनुवर्त्ती पर्षद् की उस पहली बैठक, जिसमें गणपूर्त्ति मौजूद रहेगी, की तारीख के बीच व्यतीत होगी।''

समीक्षा और निर्णयज विधि

[धारा 8 (i) (ii) के अर्थ के अन्दर, 'साधु' शब्द के अंतर्गत महंथ या ब्रह्मचारी भी है। 1959 बीएलजेआर 338।

धारा, 2, 5, 6, 7 और 8 भार के संविधान का अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करते हैं। **मोतीदास बनाम एस० पी० साही**, एआइआर 1959 एस सी 942।

यह धारा मतदाताओं की कोई उम्रसीमा नहीं निर्धारित करती है, और न बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास को शासित करनेवाली नियमावली का नियम 4 (i) (ग) ही ऐसा करता है। यह एक गंभीर त्रुटि है और इस वास्ते खंड (ग) अविधिमान्य है। **पद्माशी कुंवरजी शाह बनाम विशेष पदाधिकारी, बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्**, 1971 बीएलजेआर 24।

राज्य सरकार को किसी संघ के सदस्यों के अधिकारों को शामिल करते हुए नियमावली बनाने की शक्ति नहीं है। राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाया गया कोई नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 के अधीन गारंटी किये गये मूल अधिकारों का उल्लंघन होगा।

धारा 8(2) (ग) और तदधीन जारी अधिसूचना को इस आधार पर अवधिमान्य धारित किया जाएगा कि न तो अधिनियम के अधीन और न नियमावली के अधीन मतदाताओं की उम्र सीमा निर्धारित की गई है। **रमेश भाई चांद मेहता बनाम बिहार राज्य**, 1971 बीएलजेआर 487।

राज्य के अन्दर के श्वेताम्बर पंथ को माननेवाले 21 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी व्यक्तियों और राज्य के बाहर निवास करनेवाले उन व्यक्तियों को जो न्यास या पर्षद् को 500/- रु० देंगे, निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट करने की बिहार सरकार द्वारा बनाई गई (बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955) नियमावली अधिकारातीत है क्योंकि यह विभेदकारी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 का अतिक्रमणकारी है। **लाभ चन्द्र रेयसुर्ण बनाम बिहार राज्य**, एआइआर 1969 पटना–209 : 1969 बीएलजेआर 320।

जब राज्य सरकार आयुसीमा आदि निर्धारित करनेवाली नियमावली में किसी परिवर्त्तन लाने की मंशा करेगी तो उसे विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा ताकि उक्त संशोधन को वैधानिक बल दिया जा सके **तत्रैव।**

श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय के किन्हीं दो सदस्यों को मनोनीत करने का सरकार का विवेकाधिकार अबाधित है, और इस तरह नियुक्त व्यक्ति बिहार का निवासी है, या नहीं या किसी बिहार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जैसा सूचीबद्ध है या नहीं– गौण बातें हैं। **कमल सिंह बडोलिया बनाम बिहार राज्य**, एआइआर 1974 पटना– 81]

[1]['' **8क- प्रशासक की नियुक्ति**।- जब पर्षद् अधिक्रांत हो या पर्षद् के कार्यकाल समाप्त होने तथा धारा-8 के अधीन नई पर्षद् के गठन किये जाने तक, पर्षद् की सभी शक्तियों के प्रयोग के लिए सरकार एक प्रशासक नियुक्त करेगी।''

[**समीक्षा और निर्णयज विधि**–1992 के संशोधन अधिनियम के द्वारा अधिनियम में अंतर्विष्ट धारा 8 क के उपबन्धों के अधीन राज्य सरकार को, अधिनियम की धारा 8 के अधीन नई ''पर्षद'' के गठन तक बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् की सभी शक्तियों के प्रयोग करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति सौंपी गई है। तथापि, अधिनियम की धारा 8 क अनिश्चित समय तक प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति नहीं सौंपती है। जहां किसी प्रशासक की नियुक्ति अनिश्चित अवधि के लिए, अर्थात ''अगले आदेश तक'' की जाएगी, वहां नियुक्ति, धारा 8 क के शर्तों के अनुसार नहीं होने के कारण, बिल्कुल ही अनधिकृत और अधिकारिता-विहीन होगी। **पीताम्बर ठाकुर बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्**, 1955 (2) बी एल जे 278 : 1995 (2) पीएलजेआर 242।

यथा अधिनियमित धारा 8 क संवैधानिक तौर पर विधिमान्य है क्योंकि इसकी प्रत्यक्ष मंशा सीमित उद्देश्य की पूर्ति करना है, अर्थात् ''पर्षद्'' के पुनर्गठन से पहले की अन्तरालावधि के अस्थायी चरण को पार करना है। **तत्रैव।**]

9. सदस्यों की निरर्हतायें।– कोई भी व्यक्ति सदस्य के रुप में नियुक्त या निर्वाचित किये जाने योग्य नहीं होगा यदि वह–

1. अधिनियम सं० 4, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

(क) हिन्दू नहीं है;

(ख) इक्कीस वर्ष से कम आयु का है;

(ग) विकृत मस्तिष्क है और सक्षम न्यायालय द्वारा वैसा घोषित है;

(घ) दिवालिया न्यायनिर्णीत किये जाने के लिए आवेदन किया है अथवा अनुनमुक्त दिवालिया

(ङ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्धदोष है;

(च) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष है या दंड न्यायालय द्वारा किसी ऐसा आदेश के अधी रखा हुआ है जिसमें वैसी नैतिक अधमता अंतर्लिप्त है जो, राज्य सरकार की राय में, उ पद धारण करने को अयोग्य करता है;

(छ) किसी पूर्व अवसर पर धारा 14 के अधीन पद से या सक्षम न्यायालय के आदेश कुप्रबन्धन या भ्रष्टाचार के कारण न्यास के किसी पद से हटाया गया है; या

[2][(ज) वह न्यासी, जिसने न्यास की सम्पति को अपने लाभ के लिए अन्य संकामणित किया

परंतु, यह खंड धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रथम पर्षद् के सदस्य के रुप में नियुक्त व्यक्ति पर नहीं लागू होगा।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[धारा 9 (ज) और उसके परंतुक के अधीन उपबंधित राज्य सरकार द्वारा गठित पर्षद् के सद रुप में व्यक्ति की नियुक्ति की रोक को राज्य सरकार द्वारा पश्चात्वर्ती पर्षदों के गठन तक विस्तार न दिया जा सकता। **वीरेन्द्र कुमार जैन बनाम बिहार राज्य,** 1987 पीएलजेआर 1066 : 1987 बीएल 770।]

10. आकस्मिक रिक्तियों को भरना।–यदि कोइ सदस्य मृत्यु, पदत्याग, निष्कासन या अन्य वजह से अपना पूरा कार्यकाल तक बन रहने में असमर्थ होगा तो इस प्रकार उद्भूत रिक्ति को अन्य व्यक्ति की, [3][***] नियुक्ति या निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा और इस प्रकार नियुक्त [3][***] व्यक्ति उस सदस्य के कार्यावधि की अव्यतीत समय तक उक्त रिक्ति को भरे रहेगा जिसके स्थान पर उक्त व्यक्ति को नियु [3][***] किया गया है।

11. सदस्यों को निर्वाचित करने में निर्वाचक मंडल की विफलता पर प्रक्रिया।–यदि ध 8 की, यथास्थिति, उपधारा [4][***] (3) के खंड (ख) और (ग) में निर्देशित निर्वाचक-मंडलों में से उस समय के अन्दर, जो राज्य सरकार युक्तिसंगत समझे, उन खंडों में निर्देशित सदस्य या सदस्यों निर्वाचित करने में या कोई आकस्मिक, रिक्ति होने पर धारा 10 में उपबंधित तरह से उक्त रिक्ति की करने में विफल होता है तो राज्य सरकार ऐसी रिक्ति या रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अर्हता प्र व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्ति कर सकेगी।

12. अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का प्रकाशन।–धारा 7, 8 10 या 11 के अधीन नियुक्त निर्वाचित अध्यक्ष और हरेक सदस्य के नाम शासकीय गजट में राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित करवाए जा

13. अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते।–(1) अध्यक्ष या तो पर्षद का वैतनिक या म पदाधिकारी होगा जैसा राज्य सरकार पर्षद् के परामर्श से समय-समय पर विनिश्चित करेगी।

(2) जब अध्यक्ष पर्षद् का वैतनिक पदाधिकारी होगा तब उसके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा वैसे होंगे जो राज्य सरकार द्वारा पर्षद् के परामर्श से समय-समय पर निर्धारित किये जाएंगे।

[3][***]

---

1. अधिनियम सं॰ 21, 1992 द्वारा "परन्तुक" अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अंतःस्थापित।
3. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा विलोपित।
4. अधिनियम सं॰ 4, 2013 द्वारा विलोपित।

(3) सदस्यों का पर्षद् को तथा किसी समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिये और, विहित शर्तों और बंधेजों के अधीन रहते हुए, पर्षद् के कामगाज से सम्बन्धित किसी यात्रा करने के लिए उन दरों से यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते दिये जा सकेंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

14. अध्यक्ष और सदस्यों को हटाना।–राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगी–

(i) यदि अध्यक्ष या उक्त सदस्य–

(क) धारा 9 में विनिर्दिष्ट अनर्हताओं में से किसी से ग्रस्त है या ग्रस्त हो जाता है; या

(ख) कार्य करने से इनकार करता है कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या इस प्रकार कार्य करता है जिसे राज्य सरकार, उसके द्वारा दिये गये किसी स्पष्टीकरण की सुनवाई के बाद, धार्मिक न्यास के हित के प्रतिकूल समझे;

(ii) यदि अध्यक्ष पर्षद् की लगातार दो बैठकों में, बिना वैसे किसी कारण के, जो राज्य सरकार की राय में पर्याप्त हो, उपस्थित होने में चूक करे;

(iii) यदि कोई सदस्य पर्षद की लगातार तीन बैठकों में, बिना वैसे किसी कारण के, जो राज्य सरकार की राय में पर्याप्त हो, उपस्थित होने में चूक करे।

अध्याय 3

पर्षद की बैठकें और बैठकों में प्रक्रिया

15. पर्षद् की साधारण बैठकें।–(1) पर्षद् का पटना में [1][या किसी वैसे अन्य स्थान पर, जो राज्य सरकार पर्षद से परामर्श करके अधिसूचना द्वारा नियत करे], कार्यालय होगा और वह कामकाज को निबटाने के लिये प्रत्येक तीन महीनों में कम-से-कम एक बार तथा आवश्यकतानुसार यदा-कदा काम-काज को निबटाने के लिए बैठकें करेगी।

(2) प्रत्येक बैठक अध्यक्ष द्वारा या अध्यक्ष के निर्देशानुसार अधीक्षक द्वारा आयोजित की जाएगी और सदस्यों को बैठक की कम-से-कम दस दिन को नोटिस दी जाएगी।

(3) यदि किसी तिमाही बैठक में कोई शासकीय कामकाज नहीं निबटाना है और यदि किसी सदस्य से तिमाही की समाप्ति के कम-से-कम बीस दिन पहले अध्यक्ष द्वारा ऐसी बैठक में निबटाने के लिए किसी कामकाज सम्बन्धी कोई नोटिस नहीं प्राप्त हो तो अध्यक्ष बैठक बुलाने के बजाय इस बात की सूचना हरेक सदस्य को तिमाही के अंत के कम-से-कम एक सप्ताह पहले दे देगा।

16. विशेष बैठकें।–कम-से-कम पांच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और बैठक में निबटाये जानेवाले कामकाज को विनिर्दिष्ट करती अधियाचना की प्राप्ति पर अध्यक्ष द्वारा पर्षद् की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। यदि अध्यक्ष इस तरह की किसी अधियाचना की प्राप्ति के तीन सप्ताह बाद ऐसी बैठक बुलाने में विफल होगा तो अधियाचना हस्ताक्षरित करनेवाले सदस्य बैठक बुला सकेंगे।

[2][**17. बैठक की गणपूर्ति।**–(1) बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद, बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पषर्द् और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् में से प्रत्येक की बैठक के लिये गणपूर्ति चार सदस्यों की होगी।

(2) यदि बैठक के लिए नियत किया गया समय पर या उसके बाद आधा घंटा के भीतर गणपूर्ति नहीं होगी, तो बैठक स्थगित हो जाएगी। अध्यक्ष स्थगित बैठक के लिये एक तारीख नियत करेगा और हरेक सदस्य को उस तारीख की एक सप्ताह की नोटिस दी जाएगी।

18. अध्यक्ष द्वारा बैठकों की अध्यक्षता।–अध्यक्ष पर्षद् की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा

1. अधिनियम सं० 7, 1953 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम सं० 21, 1992 द्वारा प्रतिस्थापित।

और उसकी अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता के लिए अपनों में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे।

19. बहुमत द्वारा निर्णय किया जाना।–(1) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, पर्षद् के समक्ष आनेवाला प्रत्येक विषय का निर्णय बैठक में उपस्थित और मतदान करनेवाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा।

(2) समान मतों की दशा में, अध्यक्ष द्वितीय या निर्णायक मत दे सकेगा।

20. कार्यघाही का विवरण।–पर्षद् की सभी बैठकों की कार्यवाहियों का विवरण तत्प्रयोजनार्थ रखी गई बही में प्रविष्ट किया जाएगा और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

21. कार्यवृत्त (विवरण) की प्रतिलिपि राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाना।–अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों के विवरण की एक प्रति तत्काल राज्य सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे राज्य सरकार निदेशित करें, अग्रसारित की जाएगी।

22. समितियों की नियुक्ति और ऐसी समितियों के कृत्य।-(1) पर्षद् इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसे सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग में या अधिरोपित किये गये कर्त्तव्यों के सम्पादन में सहायता के लिये समितियां नियुक्त कर सकेगी और उन समितियों के कृत्य और प्रक्रिया निर्धारित कर सकेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो पर्षद् का सदस्य नहीं है, ऐसी किसी समिति का सदस्य नियुक्त किया जा सकेगा।

परंतु यह कि किसी ऐसी समिति में ऐसे व्यक्तियों की संख्या समिति के सदस्यों को कुल सदस्य संख्या की एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी।

अध्याय 4

धार्मिक न्यासों का अधीक्षक और पर्षद् के पदाधिकारी और कर्मचारी

23. अधीक्षक की नियुक्ति।–पर्षद, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन, किसी व्यक्ति को धार्मिक न्यासों का अधीक्षक नियुक्त कर सकेगी।:

परंतु यह कि पहला अधीक्षक, जो मात्र चार वर्ष तक पद धारित करेगा लेकिन पुनर्नियुक्ति के लिये अर्हताप्राप्त होगा, की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

24. अधीक्षक की अर्हतायें, वेतन और भत्ते।-(1) कोई भी व्यक्ति, जो हिन्दू नहीं है, अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये अर्हताप्राप्त नहीं होगा [1]["और उसे कम-से-कम 15 वर्षों का विधिक या प्रशासनिक अनुभव हो।"]

(2) अधीक्षक के वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तें पर्षद द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नियत किये जाएंगे:

परंतु यह कि प्रथम अधीक्षक के वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तें पर्षद् द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन नियत किये जाएंगे।

25. अधीक्षक तथा अन्य पदाधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य।–(1) पर्षद के अधीक्षक तथा अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी उन शक्तियों का प्रयोग और उन कर्त्तव्यों का अनुपालन करेंगे जो उन्हें, यथास्थिति, पर्षद् या [1][अध्यक्ष] द्वारा समय-समय पर प्रदत्त या सौंपे जाएंगे।

(2) अधीक्षक पर्षद् के समक्ष विचार विमर्श में भाग ले सकेगा लेकिन मत देने का हकदार नहीं होगा।

26. पदाधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति।–(1) पर्षद् समय-समय पर अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, पदनाम, संवर्ग, वेतनमान और अन्य सेवा-शर्तें निर्धारित कर सकेगी।

(2) उपन पदाधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने, प्रोन्नत करने और छुट्टी स्वीकृत करने तथा उन्हें पंक्ति से अवनत करने या निलम्बित या बर्खास्त करने और उनकी सेवायें नहीं लेने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी:परंतु यह कि–

(i) पर्षद् की मंजूरी के बिना किसी व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसका वेतन-प्रतिमास [2][सात हजार रुपये] या उससे अधिक हो; और

1. अधिनियम सं॰ 21, 1992 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ii) बिना ऐसी मंजूरी के कोई पदाधिकारी या कर्मचारी, जिसका वेतन [1][पाँच हजार रुपये] प्रति मास से अधिक है, बर्खास्त नहीं किया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया बर्खास्तगी के किसी आदेश से विक्षुब्ध कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी, यदि उक्त आदेश पर्षद् की मंजूरी के बिना पारित किया गया है, पर्षद् के पास अपील कर सकेगा और उस पर पर्षद् यदि उचित समझे उस आदेश को संपुष्ट, उपांतरित या निरस्त कर सकेगी।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[धारा 83 के अधीन पर्षद् द्वारा निर्मित उपविधियां 38 और 40 के साथ पठित धारा 26 के उपबंधों के अनुसार यह धारित करना अनिवार्य है कि पर्षद् को अधिनियम के अधीन किसी अनुध्यात अनुशासनिक कार्यवाही में अपने कर्मचारी को निलम्बित करने की शक्ति है। **कामेश्वर प्रसाद चौधरी बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1996 (1) पीएलजेआर 270 (पूर्ण पीठ)।

किसी विधान या नियम के द्वारा पर्षद् को विभागीय कार्यवाही के दौरान निलम्बित कर्मचारी के वेतन रोकने की शक्ति नहीं दी गई है। निलम्बन की अवधि के दौरान निलम्बित कर्मचारी को निर्वाहभत्ता देने के लिये किसी उपबंध के अभाव में, उक्त कर्मचारी को उसकी निलम्बन-अवधि के लिए पूरा पारिश्रमिक देना होगा। **तत्रैव।**]

[अधिसूचना दिनांक 7 जनवरी, 1993 (बिहार गजट (असाधारण) दिनांक 18.1.1993 में प्रकाशित।– बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम अधिनियम) की उपविधि सं॰ 21 में निम्न लिखित संशोधत किया जाता है:–

''पर्षद्हित में, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्षद् कार्यालय के विधि पदाधिकारी के पद को समाप्त किया जाता है।'']

27. उपदान और भविष्य निधि।–(1) पर्षद्, इस प्रयोजन के लिये विशेष रुप से आयोजित की गई बैठक में, या वैसे संकल्प के द्वारा जिसके पक्ष में वैसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई ने मतदान किया हो, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन निम्नलिखित के लिये उपविधियां बना सकेगी–

(क) न्यास निधि से उपदान स्वीकृत करना; या

(ख) भविष्य निधि का सृजन और प्रबन्धन, पदाधिकारियों और कर्मचारियों को उसमें अंशदान वास्ते बाध्य करना, और न्यास निधि से उस अंशदान को बढ़ाना।

(2) पर्षद्, यदि उचित समझे, समय-समय पर उन उपविधियों के अनुसार अपने पदाधिकारियों या कर्मचारियों में से किसी को न्यासनिधि से उपदान और उक्त भविष्य निधि से भत्ते स्वीकृत कर सकेगी।

स्पष्टीकरण।–इस धारा में ''पदाधिकारियों और कर्मचारियों'' अभिव्यक्ति के अंतर्गत अधीक्षक है, लेकिन इसके अंतर्गत अध्यक्ष नहीं है।

अध्याय 5

पर्षद् की शक्तियां और कार्य

28. पर्षद् की साधारण शक्तियां और कार्य।–(1) राज्य में सभी धार्मिक न्यासों का साधारण अधीक्षण पर्षद् में निहित होगा। यह सुनिश्चित करने के लिये कि ये न्यास समुचित तरह से पर्यवेक्षित और प्रशासित किये जाते हैं और इनकी आय इन न्यासों के उन उद्देश्यों के प्रति और उन प्रयोजनों के अनुसार जहां तक उद्देश्यों और प्रयोजनों को विनिश्चित किया जा सके, सम्यक् तरह से उपयोजित और व्ययित की जाती है जिनके लिये इन न्यासों की स्थापना की गई थी या जिनके लिए ये विद्यमान हैं और-इसके लिए पर्षद् सभी समुचित और आवश्यक कारवाई करेगी।

(2) उप धारा (1) के उपबंधों की व्यापकता पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले और इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, पर्षद् की शक्तियां और कार्य निम्न होंगे–

(क) बिहार राज्य में विभिन्न तरह के धार्मिक न्यासों की उत्पत्ति, प्रकृति, विस्तार, आय (यदि हो), उद्देश्य और लाभार्थियों से सम्बन्धित पूरी जानकारियां समाविष्ट करनेवाला एक सम्पूर्ण अभिलेख तैयार और संधारित करना;

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) किसी धार्मिक न्यास के सृजन करने वाले सभी दस्तावेजों की सही प्रतियां समाविष्ट करती हुई पंजी तैयार और संधारित करना;

(ग) बजट तैयार और व्यवस्थित करना और उसकी प्रति राज्य सरकार को या उस प्राधिकारी को देना जिसे राज्य सरकार निदेशित करे;

(घ) किसी धार्मिक न्यास की खोई सम्पत्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए उपाय करना;

(ङ) किसी धार्मिक न्यास की, लेखा, सहित, सम्पत्ति और कार्यालय का निरीक्षण करवाना और उसके अधीक्षक या किसी सदस्य, पदाधिकारी या कर्मचारी को उस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करना;

(च) समय-समय पर न्यासियों से जानकारी, विवरणी और अन्य दस्तावेज मांगना;

(छ) ऐसे न्यास को शासित करनेवाली विधि और संस्थापक की अभिलाषा, जिस सीमा तक वैसी अभिलाषा, विनिश्चित की जा सके और उक्त विधि की विरोधी न हो, के अनुसार धार्मिक न्यास के उचित प्रशासन के लिये निर्देश देना;

(ज) न्यासी को पद से हटाना यदि उक्त न्यासी–

(i) किसी वैसे अपराध के लिये सिद्धदोष होता है या दंड न्यायालय द्वारा वैसे किसी आदेश के अधीन कर लिया जाता है जिसमें नैतिक अधमता अंतर्निहित है, जो पर्षद् की राय में उसे पदधारण का आयोग्य करता हो;

(ii) इस अधिनियम के तहत एक से अधिक बार एक जैसा ही अपराध या भिन्न-भिन्न अपराधों के लिये सिद्धदोष हुआ है;

(iii) कार्य करने से इनकार करता हो या इस अधिनियम के तहत पर्षद् के निर्देशों और आदेशों का मंशापूर्वक नहीं पालन करता हो; या

(iv) दिवालिया न्यायनिर्णयन के लिये आवेदन करता हो या दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो;

[1][(v) यदि बजट, लेखा, रिपोर्ट या विवरणी प्रस्तुत करने में या अंशदान या पर्षद् को भुगतेय अन्य देयकों के भुगतान में लगातार व्यतिक्रम करता हो;

(vi) इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए न्यास की अचल सम्पत्ति का अन्य संक्रामण करता हो या न्यास की निधि का दुर्विनियोग करता हो।

(vii) धर्मशास्त्र द्वारा अस्वीकृत अनैतिक कार्यों में संलिप्त हो या अपने सम्प्रदाय की मर्यादा का उल्लंघन किया हो।]

(झ) न्यासी के हाथ पर रहे धार्मिक न्यास के धर्मदाधन को राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में जमा करने का निदेश देना;

(ञ) न्यासी अथवा धार्मिक न्यास से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर, उक्त न्यास की किसी सम्पत्ति का अन्य सम्पत्ति में परिवर्तन की मंजूरी देना, यदि पर्षद् इस बात से आश्वस्त हो कि इस तरह का परिवर्तन उक्त न्यास के लिए लाभकर होगा;

परंतु यह कि, इस तरह के किसी परिवर्तन की मंजूरी तबतक नहीं दी जायेगी जबतक पर्षद् अपने सदस्यों की कम-से-कम तीन चौथाई के बहुमत से ऐसा संकल्प न लें और जिला न्यायाधीश द्वारा अनुमोदित न हो;

(ट) राज्य सरकार के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए न्यास निधि को नियंत्रित और प्रशासित करना;

(ठ) अपने आय-व्यय का सही और नियमित लेखा रखना और उसे लेखा-परीक्षण के लिये समर्पित करना।

(ड) राज्य सरकार को या उस किसी पदाधिकारी को, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त नियुक्त करे, वैसा किसी विवरण, रिपोर्ट, विवरणी या अन्य दस्तावेज और कोई जानकारी देना जो, यथास्थिति, राज्य सरकार या उक्त पदाधिकारी के लिए प्राप्त करना आवश्यक हो, तथा राज्य सरकार को पर्षद् की गतिविधियों के विस्तृत विवरणयुक्त वार्षिक रिपोर्ट देना;

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ढ) जब कभी उसे उचित प्रतीत हो, धार्मिक न्यास के प्रशासन के सम्बन्ध में जांच बैठाना;

(ण) धार्मिक न्यास के किसी न्यासी को पर्षद् द्वारा नियत किये जानेवाले समय के भीतर न्यायालय में उक्त न्यास या उससे सम्बद्ध किसी विषय के लिये तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार वैसा किसी वाद या कार्यवाही, जिसे संस्थित करने का वह हकदार है, संस्थित करने का निदेश देना और उक्त न्यासी द्वारा वैसा नहीं किये जाने पर स्वयं वैसा वाद या कार्यवाही संस्थित करना;

(त) धार्मिक न्यास या तत्सम्बद्ध किसी विषय के सम्बन्ध में संस्थित किसी वाद या कार्यवाही को न्यासी की ओर से या उसके अतिरिक्त बचाव करना, अथवा उन मामलों में, जिनमें न्यासी नहीं हो या न्यासी पद पर उत्तराधिकार विवादित हो, वैसे किसी वाद या कार्यवाही का स्वयं बचाव करना;

(थ) धार्मिक न्यास के न्यासी को किसी अचल सम्पत्ति में उक्त न्यास के अधिकार, स्वत्व या हित को खतियान या नगरपालिका-अभिलेखों में प्रविष्ट कराने के लिए उपयुक्त पदाधिकारी या प्राधिकारी को आवेदन करने का निदेश देना और उक्त न्यासी द्वारा युक्तियुक्त समय के अन्दर ऐसा नहीं किये जाने पर, स्वयं वैसा आवेदन करना;

(द) विहित रीति से और विहित स्थितियों के अंतर्गत रहते हुए, किसी धार्मिक न्यास की आय से उक्त न्यास के विषय में खंड (ण) के अधीन स्वयं द्वारा संस्थित किसी वाद या कार्यवाही में खंड (त) के अधीन किसी वाद या कार्यवाही के बचाव में, या खंड (थ) के अधीन किसी आवेदन को तैयार करने और अग्रसारित करने में पर्षद् द्वारा किये गये खर्चे को वसूल करना;

(ध) न्यासी को अपने पद से सेवा-निवृत्त होने के लिये अनुमति देना, और यदि न्यासी को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त करने की शक्ति है तो उसे जीवनकाल में वैसी नियुक्ति करने की अनुमति देना; और [1][धारा-28 (2) (ज) के अन्तर्गत हटाये गये न्यासियों की रिक्तियों पर संस्थापक की इच्छा या सक्षम न्यायालय द्वारा अनुमोदित पर्षद् और न्यास के आंपसी सुलहनामा के अध्यधीन नियुक्ति करना।]

(न) इस अधिनियम के अनुबंधों में से किसी के अधीन पर्षद् के समक्ष कोई काम या चीज जिस अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित या आदिष्ट है उस अवधि को पर्याप्त कारण होने पर बढ़ाना।

[1][(प) ऐसे सभी विवादों में इस अधिनियम की धारा-2 (ठ) के अधीन परिभाषा के अनुसार निर्णय लेना कि क्या कोई न्यास सार्वजनिक न्यास है या निजी और पर्षद् का यह आदेश तबतक लागू रहेगा, जबतक कि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अपास्त न कर दिया जाए।''

''(3) उपधारा (2), खंड (ज) के अधीन आदेश पारित करने के पूर्व संबंधित न्यासी को उसे हटाए जाने के प्रस्ताव का आधार संसूचित करते हुए पर्षद् नोटिस जारी करेगी और उसे उत्तर देने का समुचित समय दिया जाएगा। आदेश करने के पूर्व पर्षद् उसके उत्तर पर विचार करेगी, यदि वह अपेक्षित समय के भीतर प्रस्तुत किया गया हो, तथा धारा-28 (2) (ज) (vii) के अधीन हटाए जाने की दशा में, किसी ऐसे धर्माचार्य की राय लेगी जो उस पंथ के सिद्धान्तों के अच्छे जानकार हों। हटाए जाने का आदेश न्यासी द्वारा प्राप्त किए जाने के बाद वह, ऐसे आदेश में संसूचना के नब्बे दिनों के भीतर, ऐसे आदेश में फेरबदल, उपांतरण या इसे अपास्त करने के लिए जिला न्यायाधीश के पास आवेदन कर सकेगा।''

(3) उपधारा (2) के खंड (ज) के तहत पर्षद् द्वारा पारित किया गया आदेश सम्बद्ध यासी को संसूचित किया जाएगा, और उक्त न्यासी उक्त आदेश की संसूचना के नब्बे दिन के अन्दर उक्त आदेश में फेरबदल, उपांतरण या उसको खारिज करवाने के लिए जिला न्यायाधीश के पास आवेदन कर सकेगा।

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[धारायें 28 और 32 भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण नहीं करतीं हैं **मोती दास बनाम एस॰ पी॰ साही,** एआइआर 1959 एस सी 942।

पर्षद् द्वारा अपने पक्ष में किसी पक्षकार से, जिसके पास कोई विधिमान्य विलेख नहीं हो, सम्पत्ति के दखल फिर से लेने के लिये लाया गया वाद संधार्य है, और वैसे वाद की संधार्यता के प्रश्न पर धारा 72 की कोई सुसंगति नहीं है। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम पटना ईंट विनिर्माण कम्पनी,** एआइआर 1981 पटना, 90।

समर्पणनामा (या उसके समर्थन के लिये किसी प्रथा या रुढ़ि) में प्रावधान के अभाव में, पर्षद् ने वंशानुगत न्यासीं का वैयक्तिक खर्च चलाने के लिये सार्वजनिक धार्मिक न्यास की निधियों के लिये स्कीम में वैसा प्रावधान करने की गलती की। **महादेव आचार्य बनाम चौ॰ गगन दास,** एआइआर 1983 उड़ीसा 195।

बिहार राज्य के अन्दर अवस्थित किसी भी न्यास-सम्पत्ति को प्रशासित करनेवाले सभी वैसे न्यासों पर बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम के उपबंध लागू होते हैं। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी भी धार्मिक न्यास जिसे बिहार राज्य के अन्दर सम्पत्ति है, उसका प्रबन्ध उपर्युक्त अधिनियम के अधीन विहित किये गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम महंथ महादेव भारती,** 1988 पीएलजेआर 35।

पर्षद् धारा 28(2) (ख) के अधीन अपनी शक्ति के प्रयोग में विद्यमान प्रबन्धन के अनुचित कार्यकलाप के असमर्थित आंक्षेप के मात्र के आधार पर अस्थायी न्यासी की नियुक्ति नहीं कर सकती। **ईश्वरी प्रसाद झुनझुनवाला बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1989 बीबीसीजे 382 : एआइआर 1989 पटना 349।

धारा 28 (2) (ज) के उपबंधों के अनुसार धार्मिक न्यास के न्यासी को हटाये जाने के बाद ही अधिनियम की धारा 33 द्वारा सौंपी गई शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। **अग्रवाल धर्मशाला बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1988 पीएलजेआर 212।

धारा 28(2) (ख) के अधीन बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् किसी न्यासी को उसके पद से हटाने के लिये शक्ति प्राप्त है यदि वैसा करने वास्ते पहले से ही स्थितियां मौजूद हों, और धारा 33 पर्षद् को धार्मिक न्यास के न्यासी के रिक्त पद को भरने के लिए अस्थायी न्यासी नियुक्त करने की शक्ति सौंपती हैं यह शक्ति इस शर्त के अधीन है कि नियुक्त किया गया व्यक्ति वैसा व्यक्ति हो जो समर्पणनामा के अनुबंधों के अनुसार नियुक्त किया जा सकता था। **महंथ मोतीलाल गोस्वामी बनाम बिहार राज्य,** 1993 (2) बीएलजेआर 1289 : एआइआर 1993 पटना 171 : 1993 (1) पीएलजेआर 767 : 1994 (1) बीएलजे 130 ।

सार्वजनिक न्यास की स्थिति में, न्यासी के पद के दावेदार व्यक्ति पर यह दर्शित करने का भार होगा कि उसकी नियुक्ति पर्षद् द्वारा सम्यक् रुप से की गई। इस तरह का किसी साक्ष्य नहीं रहने पर, न्यास की सम्पत्तियों के समुचित प्रबन्धन के लिए पर्षद् द्वारा अस्थायी न्यासी के नियुक्त करने के काम के विरुद्ध उसकी कोई सुनवाई नहीं की जा सकती। **महंथ अवध दास बनाम बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद्,** 2000 (1) पीएलजेआर 542।]

29. समिति या संघ जिसमें किसी धार्मिक न्यास का पर्यवेक्षण निहित हो वह पर्षद् के अधीन कार्य करेगी या करेगा।–(1) जहां किसी धार्मिक न्यास का पर्यवेक्षण संस्थापक द्वारा या सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी समिति या संघ में निहित हो, वहां उक्त समिति या संघ तबतक पर्षद् के सामान्य अधीक्षण या नियंत्रण के अधीन कार्य करेगी या करेगा जबतक वह पर्षद् द्वारा उपधारा (2) के अधीन अवक्रमित नहीं कर दिया जाए।

(2) पर्षद् उपधारा (1) में निर्देशित किसी समिति या संघ को, जो पर्षद् की राय में अपने कार्यों को संतोषजनक ढंग से नहीं निष्पादन कर रही है, या कर रहा है अवक्रमित कर सकेगी, और यदि पर्षद ऐसा करती है तो न्यायालय या प्राधिकारी की अनुज्ञप्ति या आदेश, जिसके द्वारा उक्त समिति या संघ गठित की गई थी या किया गया था, तदनुसार उपांतरित समझा जाएगा:

परंतु, इस उपधारा के तहत कोई आदेश करने के पहले, पर्षद, सम्बद्ध समिति या संघ को उन आधारों को संसूचित करेगी जिन पर वह उसे अवक्रमित करना प्रस्तावित करती है, तथा उक्त प्रस्ताव के विरुद्ध समिति या संघ द्वारा बजह बताने के लिए और उसके स्पष्टीकरण और आपत्तियाँ यदि हों, पर विचार करने के लिए समुचित समय निर्धारित करेगी।

(3) उक्त समिति या संघ या धार्मिक न्यास से हितबद्ध कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (2) के अधीन पर्षद् द्वारा पारित किया गया किसी आदेश के तीस दिन के भीतर उक्त आदेश को परिवर्तित, उपांतरिक या निरस्त करने के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा, लेकिन किसी ऐसे आवेदन पर जिला न्यायाधीश के निर्णय के अधीन रहते हुए पर्षद् का उक्त आदेश अंतिम होगा और आवेदक तथा उक्त न्यास से हितबद्ध हरेक व्यक्ति के लिये आबद्धकर होगा।

[1][(4) जहां ऐसी समिति या संघ उपधारा (2) के अधीन अवक्रमित कर दी गई हो या कर दिया गया हो, वहां पर्षद् सम्बद्ध धार्मिक न्यास के प्रशासन के लिये यथावश्यक व्यवस्था कर सकेगी।

समीक्षा और निर्णयज-विधि

[धारा 29 (2) के अधीन पारित किये गये आदेशों को परिवर्तित, उपांतरित या निरस्त करने के लिए आवेदन-पत्र उक्त आदेशों के तीस दिन के भीतर दाखिल करना होगा, न कि उक्त आदेशों की जानकारी के तीस दिन के भीतर। उपविधियां विहित परिसीमा-काल को नहीं बढ़ाती हैं। **बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन न्यास बनाम एम॰ बी॰ सिंह,** 1981 बीबीसीजे 281।

जहां धारा 29 (3) के अधीन आवेदन पत्र दाखिल करने में विलम्ब की माफी के लिये कोई आवेदन नहीं किया गया हो, वहां न्यायालय को आवेदन-पत्र को स्वीकारने की कोई अधिकारिता नहीं है। **तत्रैव।**

सम्बन्धित समिति को आधारों की संसूचना देना और वजह बताने का अवसर देना, उसके विरुद्ध अवक्रमण के किसी आदेश पारित किये जाने की आज्ञापक पूर्वापेक्षाएं हैं। धारा 29 के आज्ञापक उपबंधों के अतिक्रमण करके नई प्रबन्ध समिति का गठन संधार्य नहीं है। **महंथ रामौतार ब्रह्मचारी बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1999 (3) पीएलजेआर 509।

धारायें 29 (2) और 32 की शर्त्तों के अनुसार, वर्तमान प्रबन्ध समिति का अवक्रमण, उक्त प्रबन्ध समिति पर तामिल की गई वजह बताओं नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद ही किया जा सकता है। बिना बुद्धि का समुचित प्रयोग किये स्थानीय विधान सभा सदस्य के कहने पर अवक्रमण का आदेश पारित करना विधि के आज्ञापक प्रावधानों के प्रतिकूल है। **महंथ रामौतार बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,** 1998 (1) पीएलजेआर 528।]

30. जहां धार्मिक न्यास के उद्देश्य का अस्तित्व समाप्त हो जाय या प्राप्त करना असंभव हो जाय वहां उक्त धार्मिक न्यास की निधि, सम्पत्ति और आय का उपयोग करने के लिए उद्देश्यों के विनिश्चयन की शक्ति।–(1) जब धार्मिक न्यास के किसी उद्दश्य या अस्तित्व समाप्त हो गया हो या पर्षद् की राय में उसकी प्राप्ति असंभव हो गई हो, तब पर्षद्, अपने स्वयं के प्रस्ताव से या किसी हिन्दू के आवेदन पर, उक्त न्यास के न्यासी को और उस किसी अन्य व्यक्ति को, जो पर्षद् को हितबद्ध प्रतीत हो, विहित रिति से नोटिस जारी करने के बाद और ऐसी किसी जांच करने के बाद जो उसे उचित लगे, उन उद्देश्यों को (जो अस्तित्वरहित या अप्राप्य हुए उद्देश्यों के समान या यथासंभव समान और व्यावहार्य हों). निर्धारित करेगी जिनपर उक्त न्यास की निधि, सम्पत्ति या आय अथवा उस निधि, सम्पत्ति या आय का उतना जितना पहले उन उद्देश्यों पर खर्च या प्रयोग किया जाता था जो अब अस्तित्व में नहीं हैं या जो अप्राप्य हो चुके हैं, लगाये जाएंगे।

(2) आवेदक या धार्मिक न्यास का न्यासी या उससे हितबद्ध कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (1) के अधीन पारित किया गया किसी आदेश के नब्बे दिन के अन्दर, उक्त आदेश को परिवर्तित, उपांतरित या निरस्त करने के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा, लेकिन वैसे किसी आवेदन पर जिला न्यायाधीश के निर्णय के अधीन रहते हुए पर्षद् का आदेश अंतिम होगा और आवेदक और उक्त न्यास से हितबद्ध हरेक व्यक्ति के लिये आबद्धकर होगा।

31. संविदा करने की शक्ति और संविदा के कार्यान्वयन का तरीका।–(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पर्षद् वैसी संविदाओं में प्रवेश कर सकेगी जिनकों वह इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के कार्यान्वयन के लिये आवश्यक या समीचीन समझेगी।

1. अधिनियम सं॰ 16, 1951 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) पर्षद् की ओर से निष्पादित की गई प्रत्येक वैसी संविदा जिसका मूल्य या राशि [1][पाँच रुपये] से अधिक होगी, लिखित होगी, पर्षद् के अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित, अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित सामान्य मुहर से मुद्रांकित होगी। संविदायें, जिनका मूल्य या राशि एक सौ रुपये या उससे कम लिखित होंगी और अधीक्षक द्वारा हस्ताक्षरित होंगी।

(3) यदि पर्षद् की ओर से कोई संविदा उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार से भिन्न प्रका निष्पादित की जाती है तो वह पर्षद् के अनुरोध पर शुन्यकरणीय होगी।

32. धार्मिक न्यासों के उचित प्रशासन के लिए स्कीम बनाने की पर्षद की शक्ति।–(1) अपने प्रस्ताव से या किसी न्यास से हितबद्ध दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा इस निमित्त आवेदन किये जान

(क) ऐसे धार्मिक न्यास के लिय, जैसी वह यथोचित समझे, वैसी जांच करने के बाद और न्यास के न्यासी को और उस किसी अन्य व्यक्ति को, जो पर्षद् की समझ में, हित प्रतीत हो, नोटिस देने के बाद स्कीम बना सकेगी;

(ख) उसी पद्धति से और उन्हीं शर्तों के अध्यधीन इस धारा के अधीन या किसी अन्य के अधीन निर्मित किसी स्कीम को उपांतरित कर सकेगी या उसके स्थान पर दूसरी स्क प्रतिस्थापित कर सकेगी:

परंतु यह कि, इस प्रकार बनाई गई, उपांतरित, या प्रतिस्थापित कोई भी स्कीम न्यास को शासित करने विधि के अनुसार होगी और यथासंभव जहां तक संस्थापक की इच्छाओं का विनिश्चयन किया जा सकेग इच्छाओं के विरुद्ध नहीं होगी। [2][और इसमें निम्मिलिखित के लिए प्रावधान अन्तर्विष्ट हो सकेंगे:-

(क) धार्मिक न्यास के सर्म्पूण प्रशासन या उसके किसी भाग में सहायता करने के प्रयोज एक समिति गठित करना, जिसमें 11 से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे।

(ख) ऐसी समिति की शक्तियों और कर्तव्यों को अवधारित करना; और

(ग) ऐसी स्कीम के बनाने एवं उसके कार्य से आनुषंगिक कोई अन्य सुसंगत विषय।]

(2) इस धारा के अधीन निर्मित, उपांतरित या किसी अन्य स्कीम के लिये प्रतिस्थापित, कोई स्कीम, जबतक उपधारा (3) के अधीन किया गया किसी आवेदन पर जिला न्यायाधीश द्वारा अन्य आदेशित नहीं हो, पर्षद् द्वारा इस निमित्त नियत किया दिन को अमल में आ जाएगी और शासकीय में प्रकाशित की जाएगी।

(3) ऐसे न्यास का न्यासी या इससे हितबद्ध कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, इस प्रकार नि उपांतरित या अन्य स्कीम के स्थान पर प्रतिस्थापित स्कीम के शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि तीन महीनों के अन्दर उस स्कीम को परिवर्तित, उपांतरित या निरस्त करने के लिए जिला न्यायाधीश आवेदन कर सकेगा; किंतु इस तरह के आवेदन के परिणाम के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) और के अधीन पर्षद् का आदेश अंतिम होगा और धार्मिक न्यास के न्यासी के लिए और उक्त धार्मिक न से हितबद्ध हरेक व्यक्ति के लिये आबद्धकर होगा।

(4) उपधारा (3) के अधीन किया गया किसी आवेदन पर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित किया आदेश अंतिम होगा।

समीक्षा और निर्णयज-विधि

[जबकि बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा निर्मित स्कीम न तो कभी अंतिम की गई थी न प्रकाशित, तब पक्षकार के उस बोगस दावा पर कि वह प्रबन्धक के रुप में न्यास-सम्पत्ति पर दखल हुआ था, जिला न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया आदेश अधिकारिता रहित हो जाएगा। **कैलाश बनाम रामजी सिंह**, एआइआर 1975 पटना 144 : 1974 बीबीसीजे 955।

जिला न्यायाधीश के समक्ष धारा 32 (3) के अधीन कार्यवाही का क्षेत्र सीमित है। जिला न्याया को आवेदक के तथाकथित दखल में हस्तक्षेप करने से न्यासी को मना करने की अधिकारिता नहीं है।

किसी हिन्दू धार्मिक न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्धन के लिये प्रबन्ध समिति नियुक्त करने की का प्रयोग बिना धारा 32 में उल्लिखित अन्य शर्तों के पालन किये, जिनमें धार्मिक न्यास सम्पत्ति प्रबन्धन के लिये स्कीम बनाना और तय करना भी शामिल हैं, नहीं किया जा सकता। **राजस्व धर्मशाला बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्**, 1988 पीएलजेआर 333।

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

सह-अंशधारकों से भिन्न, किसी हिन्दू धार्मिक संस्थान के संयुक्त न्यासियों को धार्मिक संस्थान की सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं होता हैं किसी धार्मिक संस्थान के संयुक्त न्यासियों में से केवल कुछ के द्वारा दाखिल किया गया आवेदन पर बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा दिया गया प्रबन्ध समिति को भंग करने का आदेश संधार्य नहीं है। **राम गोपाल दास बनाम बिहार राज्य,** एआइआर 1992 पटना 70।

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा ''प्रबन्ध समिति'' को भंग करने के आदेश को चुनौती देनेवाली रिट याचिका संधार्य नहीं होगी, क्योंकि उक्त, विवाद में तथ्य सम्बन्धी विचारण संलिप्त होगा। उचित प्रक्रिया यह होगी कि धारा 32 (3) के अधीन उपचार की याचना की जाय और जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदनपत्र दाखिल किया जाय। **तत्रैव।**

धारा 32 (1) के अधीन, बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद्, या तो अपनी मर्जी से या किसी हिन्दू धार्मिक न्यास से हितबद्ध दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा पर्षद्, के पास इस निर्मित्त आवेदन किये जाने पर प्रश्नाधीन न्यास के न्यासियों और उन अन्य व्यक्तियों को, जो उक्त पर्षद् की निगाह में हितबद्ध प्रतीत हों, नोटिस देकर स्वयं द्वारा समुचित समझी जानेवाली जांच करने के बाद कोई स्कीम निर्मित्त करे। विधिवत् नोटिस देने के बाद यह किसी स्कीम को उपांतरित या विद्यमान स्कीम को अन्य स्कीम के द्वारा स्थानापन्न भी कर सकेगी। तथापि, यह शक्ति धारा 32 की उपधारा (1) के परंतुक के द्वारा नियंत्रित की गई है जो कहता है, कि इस प्रकार निर्मित्त या उपांतरित या प्रतिस्थापित स्कीम प्रश्नाधीन न्यास को शासित करनेवाली विधि के अनुसार होगी और संस्थापक की इच्छाओं के जहां तक उन इच्छाओं को विनिश्चित किया जा सके, प्रतिकूल नहीं होगी। धारा 32 की उपधारा (3) उपबंधित करती है कि न्यासी या न्यास में अभिरुचि रखनेवाला कोई अन्य व्यक्ति पर्षद् द्वारा यथानिर्धारित स्कीम के शासकीय गजट में प्रकाशित होने के तीन महीनों के भीतर उक्त स्कीम को उपांतरित या निरस्त करने के लिए जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा।

जहां पर्षद् द्वारा कुप्रबंधन के मुद्दा पर फिलवक्त कायम रही प्रबन्ध-समिति भंग कर दी गई हो और एक नई प्रबन्ध-समिति गठित कर दी गई हो, वहां किसी व्यथित व्यक्ति के लिये सही प्रक्रिया यह होगी कि वह जिला न्यायाधीश के समक्ष धारा 23 (3) के तहत आवेदन पत्र दाखिल करे। जहां फिलवक्त कायम रही प्रबन्ध समिति के कुछ सदस्यों द्वारा रिट याचिका दाखिल की गई हो, वहां उच्च न्यायालय, अपनी रिट अधिकारिता के प्रयोग में, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। **राम गोपाल दास बनाम बिहार राज्य** 1992 (1) बीएलजेआर 421।

धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन हितबद्ध व्यक्ति'' को नोटिस जारी करवाने का अधिकार नैसर्गिक न्याय का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14 की परिधि को विस्तृत करते हुए उच्चतम न्यायालय ने बारबार यह कहा कि नैसर्गिक न्याय संविधान के अनुच्छेद 14 के पहलुओं में से एक है। **पीताम्बर ठाकुर बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्।** 1995 (2) बीएलजे 275 : 1995 (2) पीएलजेआर 242।

धारा 32 की उपधारा (1) के उपबंध स्पष्ट रुप से विहित करते हैं कि पर्षद् द्वारा तबतक कोई स्कीम निर्मित नहीं की जा सकती और किसी प्रबन्ध समिति की नियुक्ति नहीं की जा सकती जबतक की धारा 32 में उल्लिखित शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। उस धार्मिक न्यास, जिसके किये स्कीम तैयार की जा रही है, के अबतक रह चुके न्यासी को नोटिस पाने का हक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस वजह से नोटिस का अधिकार नहीं है कि वह अपने को प्रश्नाधीन न्यास में हितबद्ध व्यक्ति समझता है। **महंथ मुधसूदन दास जी बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,** 1995 (1) बीएलजे 259।

धारा 32 की उपधारा (3) के अधीन दिया गया वैधानिक उपचार प्रत्यक्षत: धारा 32 की चहारदिवारी के भीतर निर्मित की गई स्कीम को चुनौती देने के लिए उपबंधित हैं जहां धारा 32 के उपबंधनों से असम्बद्ध होकर विवादित स्कीम बनाई गई है, वहां अपनी रिट अधिकारिता के प्रयोग करते हुए

उच्चन्यायालय आवेदन-पत्र प्रविष्ट कर सकेगा। **पीताम्बर ठाकुर बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्या पर्षद,** 1995 (2) बीएलजे 278 : 1995 (2) पीएलजेआर 242।

रिट न्यायालय हकीयत के दावा-संलिप्त ऐसा विवाद के न्यायनिर्णयन के लिये उचित मंच नहीं कि उक्त न्यास एक निजी न्यास है। यह विवाद रिट अधिकारिता में नहीं विचारा जा सकता। विधिमा नोटिस के अनुसरण में धर्मशाला के कामकाज के प्रबन्ध के लिये समिति गठित किया जाना न्यायसं हैं **आनन्द कुमार बजाज बनाम बिहार राज्य,** 1998 (3) पीएलजेआर 446।]

33. अस्थाई न्यासी नियुक्त करने की शक्ति।–(1) जहां धार्मिक न्यास में न्यासी का पद रिक्त हो और उक्त न्यास के विलेख की शर्तों के अनुसार न्यासी के पद पर नियुक्त होने वास्ते कोई सक्ष व्यक्ति नहीं हो या जहां न्यासी की हैसियत से कार्य करने के अधिकार के सम्बन्ध में कोई जायज विवा हो और पर्षद् की राय में उक्त न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्धन में गंभीर हस्ताक्षेप या शांतिभंग की संभावन हो, या जहां इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन पारित किया गया पर्ष के आदेश के द्वारा रिक्त हुई हो, वहां पर्षद्, सक्षम न्यायालय के किसी आदेश के अधीन रहते हुए, किसी व्यक्ति को उस अवधि के लिये [1][एक वर्ष से अनधिक] और उन शर्तों पर जिसे वह उचित समझे, उक्त न्यास का न्यासी की हैसियत से कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन न्यासी के पद पर नियुक्ति में, पर्षद् यथासंभव उस वर्ग के किसी व्यक्ति को चुनेगी जिस वर्ग का अंतिम न्यासी था।

[1][(3) यदि सक्षम प्राधिकार के द्वारा वास्तविक न्यासी से सम्बन्धित विवाद का विनिश्चय एक वर्ष की अवधि में नहीं होता हो तो पर्षद् अधिनियम की धारा-32 के अधीन न्यास के लिए एक स्कीम तय कर देगी जो सक्षम न्यायालय के पश्चात्वर्ती आदेश के अध्यधीन होगी।]

समीक्षा और निर्णयज विधि

[इस धारा के तहत पर्षद् या अध्यक्ष द्वारा पारित किया गया आदेश एक प्रशासनिक आदेश है और इसपर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। **बामेश्वर पंडा बनाम श्री शत्रुधन प्र॰ साही,** एआइआर 1957 पटना 202।

धारा 28 (2) के उपबंधों के अनुसार न्यासी या न्यासियों के हटा दिये जाने के बाद ही इस अधिनियम की धारा 33 के अधीन सौंपी गई शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। **अग्रवाल धर्मशाला बनाम धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1988 पीएलजेआर 212।

धारा 33 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यासियों की नियुक्ति के लिये पारित किया गया आदेश विधिमान्य नहीं होगा यदि उक्त विवादास्पद आदेश धार्मिक न्यास के न्यासी को हटाने के लिए धारा 28 (2) (ज) की उस अपेक्षा की पूर्ति नहीं करता हो जो धारा 33 के तहत शक्ति के विधिमान्य प्रयोग के लिये पूर्वशर्त है। **ईश्वरी प्रसाद झुनझुनवाला बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्,** एआइआर 1889 पटना 349।

उन मामलों में भी जिनमें किसी धार्मिक न्यास के अस्थायी न्यासी की नियुक्ति बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा की जा सकती है, पर्षद् को यह देखने का जिम्मा सौंपा गया है कि केवल वैसे ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो समर्पणनामा की शर्तों के अनुसार नियुक्ति के काबिल हों। पर्षद् का कृत्य एक वैधानिक कृत्य हैं इस प्रकार का वैधानिक काम करने वाला उस किसी व्यक्ति की अनुसंशा के आधार पर काम नहीं कर सकता जिसे विधान के तहत किसी तरह की भूमिका नहीं अदा करनी है। यहां तक कि, वैधानिक कार्यसम्पादक द्वारा उसी किसी व्यक्ति से परामर्श करना भी, जिसे विधान के तहत किसी तरह की भूमिका नहीं अदा करनी है, अवैध माना जाएगा और आदेश को दूषित करने के लिये पर्याप्त

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

होगा। **महंथ मोती लाल गोस्वामी बनाम बिहार राज्य,** एआइआर 1993 पटना 171 ; 1993 (2) बीएलजेआर 1289 ; 1994 (1) बीएलजे 130 ; 1993 (1) पीएलजेआर 767।

धारा 33 के पठन मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस मामले में अस्थायी न्यासी की नियुक्ति की जा सकती है उसमें बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को यह सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है कि केवल वैसे ही व्यक्ति की नियुक्ति की जाए जो समर्पणनामा की शर्तों के अनुसार नियुक्ति के काबिल हो। **तत्रैव।**

जबतक अधिनियम के उपबंधों के अनुसार प्रबन्धक-न्यासी नहीं हटाया जाता है या जिस मामले में इस वास्ते शांतिभंग का ख़तरा उत्पन्न करनेवाला जायज विवाद है, तबतक और उस मामले में पर्षद् को धारा 33 का आश्रय लेकर अन्य व्यक्ति को प्रबन्धक-न्यासी नियुक्त कराने का अवसर नहीं है। सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना पारित किया गया कोई भी आदेश शून्य है। **तेज बहादुर वर्मा बनाम बिहार राज्य,** 1998 (3) पीएलजेआर 347।]

34. [1]**[धार्मिक न्यासों का पंजीकरण और पंजियों का संधारण]** ।–(1) [2][सभी धार्मिक न्यास पर्षद में पंजीकृत होंगे और] पर्षद्, वैसे फारम में जो वह ठीक समझे, राज्य के अन्दर के सभी धार्मिक न्यासों की पंजीयां संधारित करेगी।

(2) उक्त पंजी में पर्षद्, अपने अनुभूति से या किसी हिन्दू द्वारा आवेदन पर, वैसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, प्रविष्टियां कर सकेगी।

(3) कोई भी हिन्दू, वैसा शुल्क अदा करके, जो पर्षद् द्वारा नियत किया जाएगा, पंजी का निरीक्षण कर सकेगा।

35. प्रतिलिपि देने और वैसी प्रतिलिपि को प्रमाणित करने की शक्ति।–(1) पर्षद्, वैसे शुल्क के भुगतान पर और वैसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह निर्धारित करेगी, अपनी कार्यवाहियों और अपने कब्जा में रहनेवाला अभिलेख और किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि दे सकेगी।

(2) ऐसी प्रतिलिपि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का प्रथम) की धारा 76 में उपबंधित रीति से प्रमाणित की जा सकेगी।

36. पर्षद् की, धार्मिक न्यास की ओर से, कुछेक अदायगियां करने की शक्ति।–(1) जहां कोई न्यासी, धार्मिक न्यास से सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय कोई भू राजस्व, उपकर, लगान, उपशुल्क या कर देने से इनकार करे या विफल हो, वहां पर्षद् स्वयं न्यास-निधि से उन प्रभारों की अदायगी कर सकेगी और इस प्रकार अदा की गई राशि सम्बन्धित न्यास की सम्पत्ति से वसूल कर सकेगी, और यदि पर्षद् की राय में उक्त न्यासी की इनकारी या विफलता नीयतपूर्ण पाई जाएगी तो पर्षद् इस तरह की इनकारी या विफलता के लिये उत्तरदायी न्यासी की वैयक्तिक सम्पत्ति से इस तरह अदा की गई राशि के साढ़े बारह प्रतिशत की दर से हर्जाना भी वसूल कर सकेगी।:

परंतु यह कि, इस उपधारा के तहत हर्जाना वसूल करने का पर्षद् का निर्णय से व्यथित न्यासी आदेश को निरस्त या उपांतरित करवाने के लिये जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा, और उस आवेदन पर जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा।

(2) धारा 70 की उपधारा (4) में उपबंधित प्रक्रिया, पर्षद् द्वारा उस किसी राशि की वसूली को लागू होगी जो पर्षद् उपधारा (1) के तहत धार्मिक न्यास या न्यासी से वसूलने को शक्ति प्राप्त है।

37. धन उधार लेने की पर्षद् की शक्ति।–(1) पर्षद्, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के लिए वैसी राशि, वैसी शर्तों पर उधार ले सकेगी जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी।

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

38. अध्यक्ष द्वारा पर्षद् की शक्तियों का प्रयोग।–यदि पर्षद् द्वारा अविलम्ब कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता उत्पन्न हो जाए और वैसी कार्रवाई करने के लिए समय पर पर्षद् की बैठक की व्यवस्था न की जा सके, तो अध्यक्ष उस किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो पर्षद् द्वारा इस अधिनियम के तहत प्रयोग किया जा सकेगा, लेकिन वह पर्षद् की आगामी बैठक में, की गई कार्रवाई की सम्पुष्टि के लिए इस धारा के तहत उसके द्वारा की गई कार्रवाई और कार्रवाई करने के लिये कारणों की लिखित रिपोर्ट पेश करेगा। [1][और अध्यक्ष की ऐसी कोई कार्रवाई, जो न्यास की अगली बैठक में संपुष्ट कर ली जाय, केवल इस आधार पर शून्य नहीं होगी कि अध्यक्ष को न्यास की ओर से ऐसी कोई शक्ति नहीं थी।]

39. पर्षद् की शक्तियों का प्रत्यायोजन।–पर्षद् इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों और कार्यों में से किसी को उस किसी विशेष परिस्थिति में प्रयोग और निष्पादन करने के लिये अध्यक्ष को प्रत्यायोजित कर सकेगी जो पर्षद् विनिर्दिष्ट करेगी, और उसी तरह वह किसी वैसे प्रत्यायोजन को वापस ले सकेगी।

अध्याय 6

क्षेत्रीय न्यास समितियां

40. क्षेत्रीय न्यास समिति।–(1) पर्षद् उस इलाका के लिए, जो वह आवश्यक समझे, एक क्षेत्रीय न्यास समिति स्थापित कर सकेगी।

(2) हरेक वैसी समिति पर्षद् द्वारा नियुक्त सदस्यों की उस संख्या की होगी जो पर्षद् समय-समय पर निर्धारित करेगी;

[2][***]

(3) ऐसी प्रत्येक समिति के सभी सदस्य हिन्दू होंगे और साधारणतः उस इलाका के निवासी होंगे, जिसके लिये उक्त समिति स्थापित की गई है:

परंतु, इस तरह की समिति के सदस्य के रुप में नियुक्ति के लिए कोई भी व्यक्ति अर्हता प्राप्त नहीं होगा यदि वह धारा 9 में निर्देशित अनर्हताओं में से किसी से ग्रस्त हो।

(4) उक्त समिति के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे। अध्यक्ष निर्वाचित करने के लिए बैठक की गणपूर्ति, उक्त समिति की कुल सदस्य-संख्या की कम-से-कम आधी होगी।

(5) पर्षद्, वैसी प्रत्येक समिति के सदस्यों में से एक को, उसका मंत्री नियुक्त करेगी।

(6) ऐसी समिति के सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष तक पद धारित करेंगे।

(7) ऐसी समिति में होने वाली आकस्मिक रिक्ति पर्षद् द्वारा भरी जा सकेगी और उस अवधि तक के लिए जिस तक रिक्त है।

41. क्षेत्रीय न्यास समिति के कार्यसंचालन की प्रक्रिया, कर्मचारी, आदि का निर्धारण पर्षद् करेगी।–क्षेत्रीय न्यास समिति के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया, उक्त समिति के लिये अपेक्षित कर्मचारी, उन कर्मचारियों की सेवाशर्तें, उक्त समिति के कार्य के लिये बैठक में उपस्थित होने और उस सम्बन्ध में यात्रायें करने के लिये उक्त समिति के सदस्यों को दिये जानेवाले यात्रा तथा अन्य भत्ते, राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन पर्षद् द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

42. क्षेत्रीय न्यास समिति की शक्तियां और कार्य।–प्रत्येक क्षेत्रीय न्यास समिति को, पर्षद् के नियंत्रण और निर्देशन के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित शक्तियां और कार्य होंगे, अर्थात्:

---

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा विलोपित।

(क) उस इलाका, जिसके लिये उक्त समिति स्थापित की गई है, में स्थित कोई धार्मिक न्यास किस प्रकार प्रशासित किया जा रहा है–इस सम्बन्ध में जांच करना और पर्षद् को रिपोर्ट देना;

(ख) उक्त इलाका में स्थित धार्मिक न्यास के सम्बन्ध में उन विषयों पर पर्षद् को वैसी जानकारी देना जैसी वह अपेक्षा करे; और

(ग) सामान्यत: इस अधिनियम के उपबंधों से असंगतविहीन वैसे अन्य कार्यों का निष्पादन करना जैसे इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए पर्षद् द्वारा उसे सौंपे जायें।

अध्याय 7

धार्मिक न्यास की अचल सम्पत्तियों को न्यास की सम्पत्ति घोषित करना

[1][**43. न्यायाधिकरण का गठन, उसकी शक्तियाँ और कार्य।**- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम की धारा-43 (ख) के तहत सम्पत्ति सम्बन्धी विवादों के निपटारे के लिए एवं 43 (ग) के अधीन किसी विनिश्चय के लिए और इस अधिनियम की धारा 43घ, 43ङ और 43च के अधीन न्यास-सम्पत्ति पर से अधिक्रमण हटाने के लिए और धारा-44 के अधीन अंतरित अचल सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए तथा धारा-72 के अधीन रिसीवर नियुक्त करने के लिए न्यायाधिकरण का गठन करेगी।

(2) न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालय के एक अवकाश प्राप्त न्यायाधीश या अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश होंगे। न्यायाधिकरण के न्यायाधीश की पदावधि पाँच वर्षों की या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, होगी।

(3) न्यायाधिकरण के न्यायाधीश और अन्य कर्मचारियों की सेवाशर्तें वही होंगी, जो सरकार के द्वारा विहित की जाए।

(4) न्यायाधिकरण को वही शक्तियाँ होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम 5, 1908) के अधीन किसी वाद के विचारण या किसी डिक्री या आदेश को कार्यान्वित करने के लिए व्यवहार न्यायालय में निहित हों।

(5) न्यायाधिकरण के न्यायाधीश के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या किए जाने के लिए आशयित किसी प्रकार की क्षति या किसी प्रकार की संभावित क्षति के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही स्वीकार्य नहीं होगी।

43क. आवेदन करने की प्रक्रिया।-(1) पर्षद् या पर्षद् की अनुमति से कोई धार्मिक न्यास या दो व्यक्ति जो किसी विशेष न्यास के क्रिया-कलापों से हितबद्ध हों, पर्षद् से अनुमति प्राप्त कर अन्यसंक्रांत सम्पत्ति की वापसी के लिए या अधिक्रमण हटाने के लिए या उपबंध के किसी अधिनियम के अधीन सम्पत्ति विवाद में निर्णय के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकेगा:

परन्तु, यदि पर्षद् आवेदन प्राप्ति के 8 सप्ताह के अन्दर अनुमति के विषय पर निर्णय लेने में विफल रहती है तो अनुमति स्वीकृत मानी जाएगी।

(2) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण विहित प्रक्रिया के अनुसार एक संक्षिप्त जाँच करेगा और समुचित आदेश पारित करेगा।

(3) न्यायाधिकरण के आदेश का निष्पादन जिला प्रशासन के माध्यम से कराया जाएगा, जो न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन करेगा।

---

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) इस अधिनियम के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश से व्यथित होने पर कोई भी पक्ष आदेश की तिथि से 90 दिनों के अन्दर उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा, जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

43ख. सम्पत्ति-विवादों का निर्णय।-न्यायाधिकरण निम्नलिखित सम्पत्ति विवादों का निपटारा करेगा:-

(1) कोई अचल सम्पत्ति किसी विशेष न्यास की सम्पत्ति है या नहीं।

(2) महंत, सेवैत, पुजारी या न्यासी द्वारा दावाकृत सम्पत्ति विशेष उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है या मन्दिर या मठ की सम्पत्ति है।

स्पष्टीकरण :-(क) यदि कोई महंत, सेवैत, पुजारी या न्यासी किसी सम्पत्ति विशेष के बारे में दावा करता हो कि यह उसकी व्यक्तिगत सम्पत्ति है तो यह प्रमाणित करने का दायित्व उसी पर होगा कि उसने सम्पत्ति को किस प्रकार अर्जित किया और क्या उसने ऐसी सम्पत्ति को अर्जित करने के पश्चात् सम्बद्ध प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी थी।

(ख) कोई पौराणिक मन्दिर या मठ जिसे सदियों से पवित्र समझा गया है या किसी सम्प्रदाय विशेष की गद्दी (पीठ) जो पीढ़ी दर पीढ़ी अस्तित्व में रही हो उसकी अचल सम्पत्ति उस पौराणिक मन्दिर/मठ या उस सम्प्रदाय की सम्पत्ति होगी भले ही वह न्यासी के नाम में दाखिल खारिज किया हुआ हो, बशर्ते कि यह सिद्ध न कर दिया जाता हो कि उसने इसे अपनी निजी आय के ज्ञात स्रोत से अर्जित किया था।

43ग. न्यायाधिकरण द्वारा धार्मिक न्यास के किसी विधिक पहलू पर विनिश्चय।-न्यायाधिकरण, पर्षद् से कोई अर्जी प्राप्त होने पर, किसी मामले के अभिलेखों का परीक्षण कर सकेगा तथा विहित प्रक्रिया के अनुसार धार्मिक न्यास के किसी विधिक पहलू पर समुचित विनिश्चिय कर सकेगा।

43घ. न्यास की सम्पत्ति से अधिक्रमण हटाना। (1) पर्षद् की अनुमति से कोई न्यासी या न्यास के धार्मिक कार्यों से हितबद्ध कोई दो व्यक्ति अधिक्रमण हटाने के लिए न्यायाधिकरण को आवेदन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:-इस धारा के प्रयोजन के लिए ''अधिक्रमणकर्ता'' अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति जो अनधिकृत रूप से किसी जमीन, भवन, दुकान, तालाब और कुआँ या अन्य किसी सम्पत्ति पर दखल किए हुए है और इसमें शामिल है-

(क) ऐसा कोई व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी जिसे न्यास की किसी सम्पत्ति को पट्टा या रेहन या अनुज्ञप्ति प्रदान करने की शक्ति हो, की स्वीकृति के बिना सम्पत्ति को दखल किये हुए हो, और

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति जो पट्टा, रेहन, या अनुज्ञप्ति के अवसान या उसकी समाप्ति या उसे रद्द किए जाने के बाद भी सम्पत्ति पर कब्जा जमाये हुए हो।

(2) जहाँ उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन के प्राप्त होने पर न्यायाधिकरण द्वारा प्रथमदृष्ट्या अधिक्रमण की स्थिति पायी जाती हो, वहाँ अधिक्रमण को विशिष्टयों को विनिर्दिष्ट करते हुए अधिक्रमणकर्ता को नोटिश तामील कराएगा और उससे निश्चित तारीख से पूर्व कारणपृच्छा की जाएगी कि नोटिश में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उनसे अधिक्रमण हटाने की अपेक्षा का आदेश क्यों नहीं पारित किया जाये। नोटिस की प्रति धार्मिक संस्था के न्यासियों या सम्बद्ध धर्मदाय को भी भेजी जाएगी।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस यथाविहित रीति से तामील की जाएगी।

(4) जहाँ उपधारा (2) में निर्दिष्ट नोटिस विनिर्दिष्ट अवधि में अधिक्रमणकर्ता से प्राप्त आपत्तियाँ, यदि कोई हो, पर विचार करने के उपरांत और यथाविहित जाँच करने के बाद यदि न्यायाधिकरण का

समाधान हो जाता हो कि अधिक्रमण हुआ है वहाँ वह, आदेश द्वारा और अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व अधिक्रमणकर्ता से अधिक्रमण हटा लेने तथा अधिक्रमित संपत्ति (भूमि, भवन या स्थान) का कब्जा न्यासी को दने की अपेक्षा करेगा।

(5) कार्यवाही लंबित रहने के दौरान न्यायाधिकरण, प्रश्नगत संपत्ति के उपयोग और अधिभोग के फलस्वरूप, यथानिर्दिष्ट राशि विहित रीति से जमा करने का आदेश अधिक्रमणकर्त्ता को देगा।

43ङ. अधिक्रमण को न्यायाधिकरण द्वारा यथानिदेशित रूप में हटाये जाने में विफल रहने पर बेदखल करने की विधि:-(1) जहाँ धारा-43घ की उपधारा (4) के अधीन किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर अधिक्रमणकर्ता ने अधिक्रमण नहीं हटाया हो और सम्पत्ति को खाली नहीं कर दिया हो वहाँ न्यायाधिकरण अधिक्रमित सम्पत्ति पर से अधिक्रमण हटाने और सम्पत्ति को कब्जा में लेने का आदेश पारित करेगा। न्यायाधिकरण के आदेश कार्यान्वयन, यथावश्यक आरक्षी बल की सहायता लेकर कार्यान्वित किया जाएगा। जिस किसी आरक्षी पदाधिकारी, जिसकी सहायता की अपेक्षा इस प्रयोजनार्थ की जाए, वह न्यायाधिकरण को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।

(2) उपधारा (1) की कोई भी बात, न्यायाधिकरण की धारा-43घ की उपधारा (4) में पारित आदेश से व्यथित किसी व्यक्ति को यह साबित करने के लिए, न्यायालय में वाद दायर करने से निवारित नहीं करेगी कि सम्पत्ति पर धार्मिक संस्था या धर्मदाय का कोई हक नहीं है:

परन्तु धारा-43घ की उपधारा (4) के अधीन किए गये आदेश की प्राप्ति की तिथि के छह महीने बाद संस्थित किसी वाद का संज्ञान किसी व्यवहार न्यायालय द्वारा नहीं लिया जाएगा;

परन्तु यह और कि वैसे व्यक्ति द्वारा, जो धार्मिक संस्थान या धर्मदाय का किरायेदार हो या पट्टाधारी हो, अनुज्ञप्तिधारी हो या रेहनदार हो, ऐसा कोई स्वत्ववाद संस्थित नहीं किया जाएगा।

(3) धारा-43घ के अधीन न्यायाधिकरण द्वारा चलाई गई या चलाई जानेवाली किसी कार्यवाही की बावत किसी न्यायालय द्वारा कोई व्यादेश नहीं दिया जाएगा।

43च. पूर्त और धार्मिक संस्थानों की भूमि पर किसी व्यक्ति-समूह या समूहों के द्वारा अधिक्रमण और उसकी बेदखली:-(1) जहाँ न्यायाधिकरण को ऐसी सूचना दी गयी हो और उसे यह विश्वास करने के कारण हो कि व्यक्ति-समूह या समूहों के द्वारा बिना किसी हकदारिता के और कब्जा करने के सामान्य उद्देश्य से किसी ऐसी भूमि, जो किसी पूर्त या धार्मिक संस्था या धर्मदाय की हो, दखल की जा रही है या दखल की गई है और न्यायाधिकरण या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के आदेश पर यदि ऐसे व्यक्ति-समूह या समूहों ने भूमि खाली नहीं किया हो, वहाँ इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी बिना किसी सूचना के वैसे अधिक्रमणकर्ता को उस जमीन से तुरंत बेदखल करने और भूमि को कब्जा में लेने का आदेश न्यायाधिकरण करेगा। तत्पश्चात् यथावश्यक पुलिस सहायता लेकर इस भूमि से न्यायाधिकरण द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत किसी पदाधिकारी द्वारा बलपूर्वक अधिक्रमणकर्ताओं को बेदखल करना और भूमि को कब्जे में लेना विधिपूर्ण होगा। जिस किसी आरक्षी पदाधिकारी की सहायता की अपेक्षा, इस प्रयोजनार्थ, की जाएगी, वह न्यायाधिकरण या उसके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगा।

(2) जहाँ कहीं भी इस धारा के अधीन चलायी गयी कार्यवाही या इस धारा के अधीन कुछ भी किये जाने के फलस्वरूप यह प्रश्न उठता हो कि क्या कोई भूमि पूर्त या धार्मिक संस्थान या धर्मदाय की सम्पत्ति है तो ऐसी भूमि तब तक पूर्त या धार्मिक संस्थान या धर्मदाय की सम्पत्ति के रूप में उपधारणा की जाएगी मानी जाएगी जब तक कि इसके प्रतिकूल सिद्ध न किया जाता हो।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, न्यायाधिकरण द्वारा धारा-43घ की उपधारा (4) (क) के अन्तर्गत पारित आदेश अन्तिम होगा और उस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जाएगा।''

समीक्षा और निर्णयज विधि

[यह धारा, कोई अचल सम्पत्ति न्यास-सम्पत्ति है या नहीं–इसकी घोषणा के लिए पर्षद् या न्यास में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के पास आवेदन करना, अनिवार्य करती है। दूसरे शब्दों में पर्षद् किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति के आय-व्यय-लेखा देने का निदेश नहीं दे सकती जबतक कि उसने उक्त सम्पत्ति की प्रकृति और औचित्य के निर्धारण के लिए जिला न्यायाधीश के पास आवेदन नहीं किया है (यदि सम्बन्धित व्यक्ति उक्त सम्पत्ति की न्यास की नहीं होने के चलते उसका लेखाजोखा देने के अपने दायित्व को चुनौती दे) **नलिनीकांत चौधरी बनाम अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्** 1970 पीएलजेआर 81 ; 1970 बीएलजेआर 306।

प्राधिकारी को धारा 43 के तहत न्यास की प्रकृति निर्णीत करने की शक्ति नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि विवाद केवल न्यास की प्रकृति के सम्बन्ध में है तो धारा 43 नहीं लागू होगी। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम महंथ जलेश्वर गिरि,** 1968 पीएलजेआर 507।

धारा 43 के तहत प्राधिकारी केवल सम्पत्ति के स्वामित्व निर्णीत करने की सीमा तक शक्तिसम्पन्न है, सम्पत्ति की प्रकृति निर्णीत करने तक नहीं। जहां विवाद-मूल सम्पत्ति की प्रकृति का निर्णयन हो, वहां उक्त प्राधिकारी उसे निर्णीत करने को नहीं सक्षम है। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम राजरतन गिरि,** 1969 बीएलजे आर 63। **परमेश्वर प्र॰ सिंह बनाम बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1969 पीएलजेआर 387 : **मुन्द्रिका कुअर बनाम अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,** 1988 बीएलजेआर 197 भी देखें।

बिना धारा 43 के तहत आवश्यक घोषणा प्राप्त किये पर्षद् किसी निजी संस्थान से सम्बद्ध सम्पत्ति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। **श्री जगरनाथ रामानुज दास बनाम उड़ीसा राज्य,** एआइआर 1954 एससी 400 ; 1954 एससीआर 1046।

जहां किसी सम्पत्ति को सार्वजनिक न्यास की सम्पत्ति होने से सम्बन्धित मामला विवादित रहे, वहां धारा 43 के अधीन विहित प्रक्रिया को अमल में लाये बिना धारा 67 के तहत अभियोजन चलाना नहीं अनुमतेय है। **एन॰ के चौधरी बनाम अध्यक्ष,** बि॰ रा॰ धा॰ न्या॰, 1970 पीएलजेआर 81 : एआइआर 1971 पटना।

धारा में ''सभी विवाद'' शब्द जांच की परिधि को विस्तृत करने की मंशा से प्रयुक्त किया गया है उक्त उपबन्ध द्वारा धार्मिक न्यास की प्रकृति से सम्बन्धित विवाद भी आच्छादित होते हैं। **तत्रैव।**

''वैसा साक्ष्य, जो उसके सामने पेश किया जाए लेने के बाद'' अभिव्यक्ति जांच के दायरे को बड़ी तथा कार्यवाही को लम्बी कर देती है और उसे न्यायालयों द्वारा छोटा नहीं किया जा सकता। **तत्रैव।**

अधिनियम के अधीन कोई तंत्र नहीं स्थापित किया गया है जो न्यास की प्रकृति का निर्णय करे और यह बतावे कि न्यासी कौन है। धारा 43 के तहत केवल सम्पत्ति विषयक अधिकार का निर्णय किया जा सकता है अतएव धारा 43 के अधीन वैसा निर्णायक फैसला नहीं किया जा सकता जो धारा 67 के अधीन अभियोजन का जबाब हो। अतः, मात्र प्रश्न, जो धारा 43 के अधीन निर्णीत किया जा सकता है, धारा 67 में उल्लिखित अपराधों में से बहुतों के सम्बन्ध में अभियोजन-मामलों के लिए असंगत है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि अभियोजन संस्थित किये जाने से पहले न्यायालय, अपने सामन

उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर, अनिवार्य रुप से, न्यास की प्रकृति तथा न्यासी कौन है-निश्चित करे। यह ठीक है कि धारा 43 के तहत फैसला नहीं होते हुए भी धारा 67 के अधीन अभियोजन कायम किया जा सकता है। **अध्यक्ष, बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम नलिनी चौधरी,** 1974 बीएलजेआर 218 : एआइआर 1973 एससी 2578।

न्यास की प्रकृति का विनिश्चय करने और आवश्यक घोषणा करने की सिविल न्यायालय की शक्ति धारा 43 द्वारा नहीं छीनी गई है। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, बनाम महंथ जलेश्वर गिरि,** 1968 बीएलजेआर 507 (**चम्पा साहु बनाम बिहार धार्मिक न्यास पर्षद आपराधिक पुरीक्षण सं॰** 170 सन् 1961 में किया गया निर्णय प्रत्यादिष्ट।)

कोई न्यास, सार्वजेनिक है या निजी-यह विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न हैं किसी न्यास की प्रकृति के विनिश्चयन के लिए विस्तृत साक्ष्य-मौखिक तथा दस्तावेजी, दोनों इस विषय को संव्यवृहित करने वाले न्यायालय द्वारा विवादी पक्षकारों से प्राप्त किया जाना अनिवार्य है, और शेष बात यह है कि इस प्रश्न का उचित निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत नहीं किया जा सकता। **मुंद्रिका कुअर बनाम अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1968 बीएलजेआर 197।

इस अधिनियम के तहत पारित आदेश को वसीयती-प्रमाणपत्र, वैवाहिक, नौकाधिकरण या दिवालापन अधिकारिता के प्रयोग में पारित किया गया आदेश नहीं कहा जा सकता। मात्र इस छोटे से आधार पर, अन्य विचारों को अलग रखते हुए, यह कहा जा सकता है कि उक्त आदेश शब्दशः आदेश की प्रकृति नहीं ग्रहण करता है। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम राज रतन गिरि,** 1969 बीएलजेआर 63।

धारा 43 के तहत नियुक्त किये गये प्राधिकारी को अधिनियम और तदधीन निर्मित नियमावली के द्वारा न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं और इसीलिए उक्त प्राधिकारी सि॰ प्र॰ स॰ की धारा 115 के मायने में उच्च न्यायालय के अधीन एक न्यायालय है। **शिव शंकर चौबे बनाम बि॰ हि॰ धा॰ न्या॰ प॰,** 1986 पीएलजेआर 414 : एआइआर 1986 पटना 510।

महंथ द्वारा धार्मिक या पूर्त प्रकार के दानकार्य-प्रयोजन के लिए सम्पत्तियां न्यास में धारित की गई-इसे साबित करने का भार उस धार्मिक न्यास पर्षद् पर है जो यह अभिकथन करता है कि यह इस प्रकार है **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम महंथ अमृत दास,** एआइआर 1974 पटना 95।

न्यास-सम्पत्ति के दखलकार व्यक्ति पर वैयक्तिक नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है और आम नोटिस जारी होना पर्याप्त अनुपालन नहीं है। **गोपाल नारायण सिंह बनाम बि॰ रा॰ धा॰ न्या॰ प॰,** 1975 बीबीसीजे 280।

मूलभूत प्रश्न यह है कि संस्थापक की मंशा क्या थी-यह कि विशिष्ट व्यक्तियों को उपासना का अधिकार रहे या आम जनता को या उसके किसी विशिष्ट भाग को। मंदिर का उद्गम पद्धति जिस तरह से कार्य प्रबन्धित किये जाते हैं, उसमें उपासना के सम्बन्ध में भक्तों द्वारा प्रयुक्त अधिकार और जनसाधारण द्वारा किये गये अंशदान भी वैसे अवयव हैं जो निर्धारित करते हैं कि विन्यास सार्वजनिक है अथवा निजी। **बिहार धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम मदन लाल जोशी,** 1977 पीएलजेआर 25 : एआइआर 1977 पटना 23 : 1976 बीबीसीजे 509।

कोई विन्यास सार्वजनिक न्यास है या निजी-यह बात मामला विशेष की परिस्थितियों द्वारा विनिश्चित की जाएगी और इसका निश्चयन उच्चतम न्यायालय द्वारा विहित की गई जांचों के आधार पर किया जाना चाहिये। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम रामाश्रय प्रसाद चौधरी,** एआइआर 1977 पटना 272।

मठा के वंशानुगत न्यासी को उक्त संस्था की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में न्यासभंग का अपराध करने के लिए या उसके कर्त्तव्यों या कृत्यों के संपादन में सनीयत व्यतिक्रम करने के लिए न्यासी के रुप में बने रहने वास्ते निर्योग्य घोषित किया जा सकता है तथापि, ऐसी चूकों और/या कुप्रबन्धन का, निर्योग्यता

करार देने के लिये, गंभीर होना अनिवार्य होगा **महंथ श्रीकृष्ण चन्द्र दास बनाम राज किशोर मोहंथी,** एआइआर 1982 उड़ीसा 123।

राज्य पर्षद् द्वारा प्राप्त की गई हरेक राशि न्यास-निधि की भाग होगी। जहां कोई दान किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए किया गया है, वहां न्यासी उसे उक्त न्यास-निकाय के प्रयोजन से भिन्न किसी तरह उपयोग नहीं कर सकते। **बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम जिला न्यायाधीश,** 1989 पीएलजेआर 138।

धार्मिक न्यास सम्पत्ति से सम्बन्धित हकीयत के विवादित प्रश्न को उच्च न्यायालय द्वारा उसकी रिट आधिकारिता के प्रयोग में नहीं हल किया जा सकता। इस तरह की हकीयत का विवादित प्रश्न बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 43 में अंतर्विष्ट उपबन्धों की शर्तों के अनुसार हल किया जा सकता है, **ईश्वरी प्रसाद झुनझुनवाला बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,** एआइआर 1989 पटना 349 : 1989 बीबीसीजे 382।

जहां मंदिर-सम्पत्ति को अपनी व्यक्तिक या पैतृक सम्पत्ति दावा करनेवाले व्यक्तियों के पक्ष में (निष्पादित) कोई दानपत्र उक्त दावेदारों द्वारा नहीं प्रस्तुत किया जाता हो, वहां प्रश्नाधीन समर्पणनामा को अनिवार्यरुपेण सार्वजनिक धार्मिक न्यास सृजित करनेवाला माना जाएगा। **लक्ष्मी प्र० शर्मा बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,** 1988 पीएलजेआर 176।

इस अधिनियम के अधिनियम के अधीन प्राधिकारी में हिन्दू धार्मिक न्यास की प्रकृति की जांच करने की अधिकारिता का निहित रहता हुआ अनिवार्य रुप से माना जाना चाहिय। **लक्ष्मी प्र० शर्मा बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1988 पीएलजेआर 176।

अस्थायी न्यासी नियुक्त करने के लिये आदेश पारित करने के पहले या उस धार्मिक न्यास की प्रकृति निर्णीत करने के पहले जिसके लिये अस्थायी न्यासी नियुक्त किया जाता हो, बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् के लिए एक समुचित बजह बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य है। धारा 43 के तहत कार्यवाही में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किये बिना किसी आदेश का पारित किया जाना विधि की दृष्टि में उचित नहीं कहा जा सकता। **आनन्द मोहन पांडे बनाम बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1993 (2) बीएलजेआर 171।

सन्यासियों और धार्मिक संस्थानों के स्वरुप में भारी विभिन्नता पाई जाती है और विशेषकर उदासी किसी एक रुप से आबद्ध नहीं रहते हैं। जो भी हो, इस वजह से कि प्रांत भर के सभी धार्मिक संस्थानों में से अधिकतर में इसी प्रकार का चलन पाया गया, यह मान लेना कि उदासी मठ विशेष इसी खास चलन का अनुसरण करता है, सिद्धांत या प्राधिकार के अनुसार एक अनुचित तर्क-क्रम होगा। किसी धार्मिक संस्थान के चलन के नियम को साक्ष्य से साबित किये गये उसके अपने संविधान या चलन से संगृहित किया जाना चाहिये। पंजाब के धार्मिक संस्थानों को प्रयोज्य कोई सामान्य विधि नहीं है और वे केवल उन रुढ़ियों और प्रथाओं द्वारा शासित होते हैं जो स्वीकार्य दिखाई जा सकती हों।

पंजाब में, विधिक परिकल्पना के मायने में ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि किसी धार्मिक बिरादरी के व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा अर्जित की गई सारी सम्पत्ति उस धार्मिक संस्थान की है जिससे वे जुड़े हैं। **गुरुद्वारा पंजा साहेब प्रबन्धन समिति बनाम मोहम्मद नवाज खां,** (1942)23 पीएलटी। (पी० सी०)।

प्रत्येक प्रत्यक्ष लेन-देन को तबतक वास्तविक मानना होगा जबतक इसके विपरीत नहीं स्थापित किया जाय, और विपरीत स्थापित करने का भार उस व्यक्ति पर होगा जो इस बात पर बल देता हो कि लेनदेन वह नहीं है जो प्रतीत होता है।

यदि किसी पक्षकार को बाध्यकर करने के लिए न्यायालय किसी विलेखगत स्वीकारण को विचारण में लेता हो तो उसे उस विलेख का पूरा अभिकथन पर विचार करना चाहिए।

न्यायालय का निर्णय संदेह मात्र पर आधृत नहीं होना चाहिए, प्रत्युत् विधिक प्रमाण द्वारा स्थापित विधिक आधारों पर।

कोई न्यासी अमानत में खयानत कर सकता है, परंतु इस वजह से न्यास विफल नहीं होगा।

यदि पर्षद् को यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण हों कि विवादित सम्पत्ति, न्यास की सम्पत्ति है और अन्य व्यक्ति उस पर झूठा दावा कर रहा है, तो सही रास्ता धारा 43 के तहत कार्यवाही शुरु करना होगा जिसमें पक्षकारों को विधिवत् नोटिस देकर विवाद का निर्णय होगा। एकदम से यह मान लेना कि विवादित सम्पत्ति किसी धार्मिक न्यास की है और न्यास-सम्पत्ति है धार्मिक न्यास पर्षद् की मनमानी है। **प्रेम लाल गुप्त बनाम बिहार राज्य,** 1997 (1) पीएलजेआर 480।

महज महंथ द्वारा देवताओं की उपासना के काम की देखभाल करने वास्ते अपने चेलों को प्रतिनियुक्त कर देने से यह इंगित नहीं हो सकता है कि वह सार्वजनिक मंदिर या सार्वजनिक न्यास है। आनेवाले साधुओं के प्रति आभार और अभ्यागतों का सत्कार स्वत: यह संकेत नहीं देते कि उक्त मंदिर एक सार्वजनिक मंदिर है अथवा उसकी सम्पत्ति सार्वजनिक न्यास के अधीन है। **मुक्ति नारायण दास बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद,** 2000 (2) बीबीसीजे।

सनद या अनुदान का वैसा दस्तावेज जो कोई धर्मस्व या उत्तराधिकार विषयक कोई अधिकार सृजित करता स्पष्टत: प्रतीत नहीं होता, स्पष्ट रुप से किसी सार्वजनिक न्यास का तो दूर, किसी भी न्यास का सर्जक दस्तावेज नहीं है। **तत्रैव।]**

अध्याय 8

न्यासी द्वारा अचल सम्पत्ति का अंतरित करना और धन उधार लेना

44. धार्मिक न्यास की अचल सम्पत्ति को अंतरित करने की शक्ति।–(1) इस अधिनियम के अधीन पर्षद् की स्थापना के बाद धार्मिक न्यास की किसी अचल सम्पत्ति का न्यासी द्वारा विक्रय, रेहन, दान या बदलैन के रुप में या तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा के रुप में किया गया कोई भी अंतरण विधि मान्य नहीं होगा जबतक वह पर्षद् की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया गया हो।

(2) धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ञ) में न्याससम्पत्ति के परिवर्तन सम्बन्धी उपबंधों के अधीन रहते हुए, पर्षद् द्वारा, न्यास सृजित करनेवाला समर्पणनामा की शर्तों के विरुद्ध, अथवा न्यास सृजित करनेवाला किसी समर्पणनामा की अनुपलब्धता की स्थिति में, संस्थापक की इच्छाओं, जहां तक वे विनिश्चित की जा सकें, के विरुद्ध विक्रम, रेहन, दान या बदलैन के रुप में या पट्टा के रुप में धार्मिक न्यास की किसी अचल सम्पत्ति के किसी अंतरण के वास्ते मंजूरी नहीं दी जाएगी।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[मठ की सम्पत्ति के सम्बन्ध में महंथ को उसे अंतरित करने की वही शक्तियां हैं जो किसी देवोत्तर सम्पत्ति के सम्बन्ध में सेबैत को हैं। न्यस्त सम्पत्ति के अंतरण के सम्बन्ध में सेबैत और महंथ की बिल्कुल एक जैसी स्थिति है।

मठ जैसी संस्था के लिए उसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव की संरक्षा, सम्पत्ति की संरक्षा से कम नहीं होती। उदारणार्थ, जहां किसी त्योहार के अवसर पर हाथी का प्रयोग आवश्यक है, वहां महंथ उधार लेकर भी हाथी खरीद सकता है वशर्ते वह बुद्धिमानी से काम करे। इस बात को आवश्यकता के आत्यंतिक मानक से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इस दृष्टिकोण से कि एक विचक्षण प्रबन्धक के मन में कौन सी चीज वजन रख रही है। इस आवश्यकता के प्रश्न को अन्य संस्थाओं के सादृश्य के आधार पर नहीं हल किया जा सकता है। **श्री ठाकुरजी बनाम मथुरा प्रसाद,** एआइआर 1941 पटना 354।

जब किसी महंथ ने मठ-सम्पत्ति के एक जिन्स को अंतरित करने के पश्चात् बाद में अन्य व्यक्ति के हाथ सारी बची सम्पत्ति अंतरित कर दी, तब पहले अंतरिती का मोखालफाना दखल महंथ की मृत्यु की तिथि से नहीं, बल्कि दूसरा अंतरण की तथि से होगा। क्योंकि उक्त अंतरण का प्रभाव सिविल मृत्यु से यानी महंथ की हैसियत का सम्पूर्ण निर्वापण से होगा। **राम लगन बनाम नन्दपाल,** एआइआर 1938 पटना 143।

निशचित परिस्थितियों में यह धारा धार्मिक न्यास द्वारा अचल सम्पत्ति के अंतरण को एकदम वर्जित करती है। जहां अंतरण से पहले पर्षद् की अनुमति नहीं प्राप्त की गई हो वहां अंतरण अवैध होगा और उक्त अवैध अंतरण को वैध करने के लिये किया गया समझौता भी। उक्त समझौता भी विधिक नहीं है यद्यपि पर्षद भी उक्त समझौता की पक्षकार है **धनुषधारी प्र० सिंह बनाम अवध राय,** 1967 बीएलजेआर 657।

धार्मिक पद का अधिकार एक प्रकार का सम्पत्ति है। अतः धार्मिक पद अनुवांशिक हो सकते हैं। एक महिला को भी सेबैती पद का अधिकार प्राप्त हो सकता है। **हादु मोहपात्र बनाम राधा बेवा,** एआइआर 1983 उड़ीसा 4।

विन्यास-सम्पत्ति के अंतरितियों के विरुद्ध, एक वैसे अंतरिती के विधिक प्रतिनिधिनियों को स्थानापन्न किये बिना जिसकी मृत्यु कार्यवाही के दौरान हो गई थी, पारित किया गया आदेश उक्त विधिक प्रतिनिधियों द्वारा दाखिल की गई रिट याचिका में रद्द किया जा सकता है। **नारायण पाधि बनाम कार्यपालक पदाधिकारी,** एआइआर 1983 उड़ीसा 6।

पट्टाधारी द्वारा दखल मोखालफाना द्वारा हकीयत के पूर्णत्व के दावा में, चूंकि ऐसा अंतरण आरंभ में ही शून्य था, परिसीमा अधिनियम, 1963 का अनुच्छेद 63 प्रयोज्य होगा, न कि अनुच्छेद 96। **चिंतामणि साहू बनाम आयुक्त,** एआइआर 1983, उड़ीसा 205।

हिन्दू मंदिर के पुजारी द्वारा, सेबैत द्वारा किया गया अंतरण को इस आधार पर चुनौती देता हुआ दाखिल वाद, कि सेबैत देवता के हिंत के प्रतिकूल कार्य कर रहा था।, संघार्य है। **श्रीमती पछिया देवी बनाम बासुदेव प्रसाद सिंह,** 1985 पीएलजेआर 989। **महाजन महतो बनाम श्री गोपी नाथ जी,** 1985 पीएलजेआर 713 : एआइआर 1986 पटना 3 भी देखें।

जहां धार्मिक संस्थान की सम्पत्ति न तो विधिक आवश्यकता के लिये और न प्रतिमा के लाभ के लिए बेची जाती हो, वहां उक्त सम्पत्ति का विक्रय धार्मिक संस्थान पर अबद्धकर नहीं होगा। **पूर्ण सिंह बनाम अजायब सिंह,** एआइआर 1991 पी एण्ड एच 247।

धार्मिक संस्थान की प्रबन्ध समिति को उक्त धार्मिक संस्थान की सम्पत्ति के अंतरण वास्ते सेबैत से अधिक शक्ति नहीं हो सकती। **तत्रैव।]**

[1]**[44क. कुछ न्यास सम्पत्तियों की पुनः स्थापना:**- अधिनियम लागू होने की तिथि के बाद धारा-44 के उल्लंघन में अन्यसंक्रांत सभी अचल सम्पत्तियाँ न्यायाधिकरण के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार धार्मिक न्यास को प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी।]

45. पर्षद् की पूर्वानुमति के बिना न्यासी धन उधार नहीं लेगा।- कोई भी न्यासी, इस अधिनियम के शासकीय गजट में प्रथम बार प्रकाशित होने की तिथि के बाद, पर्षद, की पूर्वानुमति के बिना, उस धार्मिक न्यास जिसका वह न्यासी है, के किसी प्रयोजन के लिए कोई धन उधार नहीं लेगा।

अध्याय 9

न्यायिक कार्यवाही

46. किसी धार्मिक, पवित्र या पूर्त कार्य, जिसका सम्पादन किसी सम्पत्ति पर प्रभारित है, नहीं सम्पादित किये जाने की दशा में जिला न्यायाधीश को आवेदन करने की पर्षद् की शक्ति।-जहां हिन्दू विधि में मान्यता प्राप्त किसी धार्मिक, पावन या पूर्त कार्य के सम्पादन के लिए कोई सम्पत्ति प्रभारित हो और उक्त कार्य का सम्पादन नहीं होता हो, वहां पर्षद् जिला न्यायाधीश को इस आदेश के लिए आवेदन कर सकेगी कि सम्पत्ति के दखलकर व्यक्ति को यह निर्देश करता हुआ आदेश दिया जाय कि वह उस कार्य के लिये, जिसके सम्पादन के लिये प्रभार सृजित किया गया है। पर्षद् को या पर्षद द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति को कार्य सम्पादन के लिये आवश्यक राशि दे।

47. न्यासी के दायित्व निभाने वास्ते अधिप्रापक (Receiver) नियुक्त करने के लिए उसे बाध्य करने के निर्मित आवेदन।-यदि धार्मिक न्यास का न्यासी जानबुझकर उक्त धार्मिक न्यास के अधीन उसे सौंपे गये कर्त्तव्यों में से किसी का निर्वहन करने में विफल हो, तो पर्षद् या उक्त धार्मिक न्यास में हितबद्ध कोई व्यक्ति निम्नलिखित आदेश के लिये जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा:

1. अधिनियम सं० 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

(क) आदेश में निर्धारित समय के भीतर न्यासी द्वारा उक्त कर्त्तव्य की पूर्ति का निदेश; या

(ख) यदि न्यासी निर्धारित समय के भीतर उक्त निदेश का पालन न करे तो धार्मिक न्यास की निधि और सम्पत्ति का अधिप्रापक की नियुक्ति।

48. न्यासी को हटाने या न्यासी को नियुक्त करने की जिला न्यायाधीश की शक्ति।–(1) पर्षद्, या पर्षद् की पूर्वानुमति से धार्मिक न्यास में हितबद्ध कोई व्यक्ति निम्नांकित किसी आदेश के लिये जिला न्यायाधीश को आवेदन कर सकेगा–

(क) धार्मिक न्यास के न्यासी को हटाना यदि उक्त न्यासी–

(i) उक्त न्यास के हित के विरुद्ध कार्य करता हो; अथवा

(ii) उक्त न्यास की सम्पत्ति या आय के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन देय राशि अथवा उस सम्पत्ति या आय पर कोई अन्य कानूनी प्रभार को चुकाने में तीन या उससे अधिक बार विफल रहता हो; या

(iii) उक्त न्यास के तहत किसी लाभार्थी को देय किसी राशि के भुगतान में या तद्विषयक सौंपे गए कोई अन्य कर्त्तव्य निभाने में चूक करता हो; या

(iv) अमानत में खयानत को दोषी हो :

(ख) नया न्यासी की नियुक्ति;

(ग) न्यासी में किसी सम्पत्ति को निहित करना;

(घ) लेखा और जांच के निदेश; या

(ङ) उस प्रकार के और भी या अन्य अनुतोषों की स्वीकृति के लिए जो मुकदमें की हालात में आवश्यक हों।

(2) उपधारा (1) के तहत, जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम होगा।

समीक्षा और निर्णयज-विधि

[यह धारा भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (च) का अतिक्रमण नहीं करती है। **राघवाचार्य बनाम सालिग्रामाचार्य,** एआअबार 1960 पटना 148।

जहां सेबैत को मंदिर और उसकी सम्पत्तियों के प्रबन्ध में बेईमानी के चन्द काम करने के लिये न्यायालय के आदेश द्वारा सेबैत के पद से विधिवत् हटाया गया हो, वहां सेबैत को मंदिर और उसकी सम्पत्तियों में बतौर न्यासी कोई हित बचा नहीं रहता है। **पंडित सालिग्राम आचार्य बनाम पंडित राघवाचार्य,** एआइआर 1969 पटना 118 : 1969 बीएलजेआर 224।

धारा 48 के अधीन कार्यवाही के दौरान नया सेबैत की नियुक्ति लम्बित रहने तक अधिप्रापक को नियुक्त करने में संविधान का अनुच्छेद 26 आड़े नहीं आता है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 में अनुध्यात किस्म का है। **तत्रैव।**

जहां न्यास, प्रधान मठ और अधीनस्थ मठों से मिलकर बना हो वहां प्रधान मठ की अवस्थिति निश्चित करेगी कि बिहार अधिनियम या अन्य राज्य का अधिनियम लागू होगा। इसलिए, जहां, जैसा कि प्रस्तुत मामला में है, न्यास और प्रधान मठ उत्तर प्रदेश में अवस्थित हैं, और केवल कुछ ही सम्पत्तियाँ और मठ बिहार में है बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1951, की धारा 48 लागू नहीं होगी। **मो० पछिया देवी बनाम विष्णुदेव प्रसाद सिंह,** 1985 पीएलजेआर 989।

हिन्दू धार्मिक न्यास के प्रबन्ध के लिये न्यासियों को नियुक्त करने की शक्ति, अधिनियम की धारा 48 के अधीन अधिकारिता प्राप्त जिला न्यायाधीश के पास है। सिवाय धारा 33 के उपबन्धों के, ''पर्षद्'' को अस्थायी न्यासी नियुक्त करने की कोई शक्ति नहीं है जहा पर्षद् ने धारा 81 के साथ पठित धारा 32 के अधीन शक्तियों का तात्पर्यित प्रयोग करते हुए न्यासियों को नियुक्त किया हो, वहाँ न्यासियों की नियुक्ति विधि के दृष्टिकोण से अनधिकृत और अविधिमान्य है। **पीताम्बर ठाकुर बनाम बिहार राज्य**

धार्मिक न्यास पर्षद्, 1995 (2) बीएलजे 278; 1995 (2) पीएलजेआर 242।]

49. अस्पष्ट या अनिश्चित उद्देश्य की स्थिति में सम्पत्ति, आदि का प्रयोग।–(1) जहां पर्षद् के, या पर्षद् की पूर्वानुमति से धार्मिक न्यास में किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर जिला न्यायाधीश का यह समाधान हो जाता है कि न्यास का कोई उद्देश्य, जिससे उक्त आवेदन का सम्बन्ध है, अस्पष्ट या अनिश्चित है, वहां वह निदेश दे सकेगा कि उस निधि, सम्पत्ति या आय का उतना, जितना का सम्बन्ध उक्त उद्देश्य से है, गरीब हिन्दुओं की शिक्षा पर खर्च किया जाय।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के तहत गरीब हिन्दुओं की शिक्षा पर उपयोग में निधि, सम्पत्ति या आय का उक्त उद्देश्य के प्रति प्रयोग, पर्षद् के निदेश के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध न्यासी द्वारा किया जाएगा।

50. पर्षद को कुछ मुकदमों की नोटिस दिया जाना और उनमें पर्षद् को पक्षकार रूप में **जोड़ना।**–(1) (न्यासी द्वारा बकाया लगान (रेंट) की वसूली के लिये दायर किये गये मुकदमों और वैसे मुकदमों में पारित डिक्रियों की इजराय कार्यवाहियों को छोड़कर) किसी धार्मिक न्यास या उक्त न्यास की सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी मुकदमा या कार्यवाही में, चाहे वह न्यासी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दायर की गई हो, न्यायालय, पर्षद् को उसके दायर किये जाने की नोटिस जारी करेगा।

(2) पर्षद्, अपने को उस न्यायालय के पास, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट मुकदमा या कार्यवाही लम्बित है, पक्षकार बनाने के लिए आवेदन कर सकेगा और उस पर उसे उसमें पक्षकार के रुप में जोड़ा जाएगा और, यदि न्यासी द्वारा दायर किया गया हो तो वह उक्त मुकादमा या कार्यवाही को चलाने का हकदार होगी, तथा यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न्यासी के विरुद्ध दायर किया गया हो तो उक्त मुकदमा या कार्यवाही का बचाव करेगी।

(3) यदि किसी मुकदमा या कार्यवाही के सम्बन्ध में पर्षद् को उपधारा (1) में जारी की जानेवाली अपेक्षित नोटिस नहीं जारी की जाती है, तो उक्त मुकदमा या कार्यवाही में पारित की गई डिक्री या आदेश पर्षद् की मांग पर शून्यकरणीय होगा।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[न्यासी नहीं (भले ही वे इस तरह वर्णित हों), वरन स्वयं पर्षद् प्रकट और वास्तविक, दोनों तरह का, डिक्री धारक है। धारा 50 के अनुसार पर्षद् सिविल न्यायालय की डिक्री का इजराय करा सकती थी यद्यपि उसके इजराय के लिए न्यासी भी थे। विधि के प्रर्वतन द्वारा डिक्री के इजराय का अधिकार पर्षद में सृजित की गई है और अधिकार अभिभावी होगा। **राय मथुरा प्रसाद बनाम विशेष पदाधिकारी,** 1984 पीएलजेआर 542 : एआइआर 1984 पटना 227।]

51. सुलह, आदि में पर्षद् का अनुमोदन आवश्यक।–पर्षद् की लिखित अनुमति के बिना, किसी धार्मिक न्यास या उक्त न्यास की सम्पत्ति के सम्बन्ध में (न्यासी द्वारा बकाया लगान (रेंट) की वसूली के लिए दायर किये गये मुकदमों और उन मुकदमों में पारित की गई डिक्रियों के इजराय में कार्यवाहियों को छोड़कर) किसी मुकदमा या कार्यवाही में कोई भी करार, सुलह या समझौता सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), के आदेश 23 के नियम 8 के उपबन्ध के तहत नहीं अभिलिखित किया जाएगा।

[1][परन्तु धारा-44 के अध्यधीन धार्मिक न्यास को वर्तमान किराये को स्थानीय प्रचलित किराये की दर के बराबर लाने की शक्ति होगी और किराये की सम्पूर्ण राशि को धार्मिक न्यास के बैंक/डाकघर खाता में जमा की जायेगी। धार्मिक न्यास के निर्णय से व्यथित कोई पक्ष या धार्मिक न्यास के कार्य-कलापों से हितबद्ध कोई दो व्यक्ति उस क्षेत्र के अनुमण्डल दण्डाधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकेगा और उनका निर्णय अन्तिम होगा।]

52. धार्मिक न्यास की सम्पत्ति के सम्बन्ध में भूमि अर्जन अधिनियम, 1894, के तहत कार्यवाही की पर्षद् को नोटिस।–(1) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का प्रथम), के अधीन कार्यवाही के दौरान समाहर्ता किसी धार्मिक न्यास की सम्पत्ति के सम्बन्ध में पंचाट बनाने के पहले पर्षद् को नोटिस जारी करेगा और नोटिस की प्राप्ति की तारीख से तीन महीनों के अन्दर किसी समय उक्त कार्यवाही में उसे पक्षकार की हैसियत से अभिवचन करने के समर्थ बनाने के लिए आगे की कार्यवाही स्थगित करेगा।

1. अधिनियम सं० 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) जहां पर्षद् को यह विश्वास करने का कारण होगा कि अर्जन के अधीन कोई सम्पत्ति धार्मिक न्यास की है, वहां वह पंचाट बनने के पहले किसी समय उपस्थित होकर कार्यवाही के पक्षकार के रुप में अभिवचन कर सकेगी।

(3) जब पर्षद् उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन उपस्थित हो जाएगी, तब पर्षद् को सुनवाई का अवसर दिये बिना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का प्रथम), की धारा 31 या धारा 32 के अधीन कोई आदेश नहीं पारित किया जाएगा।

(4) पर्षद् को सुनवाई का अवसर दिये बिना, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का प्रथम), की धारा 31 या धारा 32 के अधीन पारित किया गया कोई आदेश पर्षद् की मांग पर शून्यकरणीय होगा।

53. पर्षद् को बिक्री की नोटिस दिया जाना।–(1) जब कभी सिविल न्यायालय की डिक्री के इजराय में या बिहार और उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 (1914 का बि० और उ० अधिनियम 4), की धारा 4 या 6 के अधीन दाखिल की गई सर्टिफिकेट के इजराय में सर्टिफिकेट पदाधिकारी के आदेश के तहत या समाहर्ता या अन्य राजस्व पदाधिकारी के डिक्री या आदेश के अनुसरण में धार्मिक न्यास की कोई सम्पत्ति बिक्री के लिए अधिसूचित की जाएगी, तब उक्त न्यायालय, सर्टिफिकेट पदाधिकारी, समाहर्ता, या अन्य पदाधिकारी पर्षद् को भी उसकी नोटिस, देगा।

(2) यदि किसी बिक्री के सम्बन्ध में पर्षद् को उपधारा (1) द्वारा तामीलकरणीय अपेक्षित नोटिस नहीं दी जाएगी तो [1][अन्य बिक्री शून्य होगी]

54. उस जिला के जिला न्यायाधीश को आवेदन किया जाएगा जिसमें न्यास की विषय-वस्तु अवस्थित है।–(1) जब इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के द्वारा या तहत कोई आवेदन या निर्देशन जिला न्यायाधीश को किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत हो तब वैसा आवेदन या निर्देशन उस जिला के जिला न्यायाधीश को किया जाएगा। जिसमें सम्बन्धित धार्मिक न्यास की विषय वस्तु पूर्णतः या भागतः अवस्थित हो।

(2) जब कोई ऐसा आवेदन या निर्देशन एक जिला के जिला न्यायाधीश के समक्ष लम्बित रहे, तब उक्त न्यास की पूर्णतः या भागतः विषय-वस्तु के सम्बन्ध में कोई वैसा आवेदन या निर्देशन किसी अन्य जिला के जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगा।

55. जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील हो सकेगी।–(1) जबतक इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित न हो, तबतक इस अधिनियम के अधीन जिला न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया हरेक आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

(2) इस धारा के तहत अपील में पारित किया गया किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील संधार्य नहीं होगी।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[धारा 55 (2) उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को प्रभावित नहीं करती है। **मोती दास बनाम एस० पी साही**, एआइआर 1957 एस सी 942।]

56. सम्मन जारी करने और साक्षियों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत कराने की शक्ति।–इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए पर्षद् और, यदि पर्षद् द्वारा इस निमित विशेष रुप से प्राधिकृत हो तो, अध्यक्ष, अधीक्षक, समिति और क्षेत्रीय न्यास समिति को सम्मन जारी करने, साक्षियों और पक्षकारों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेजात दाखिल करने के लिए विवश करने की वही शक्ति होगी जो सिविल न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन हैं।

57. धारा 28 के खंड (2) (ज) या धारा 33 के अधीन पर्षद् द्वारा पारित आदेश का सिविल न्यायालय की डिक्री जैसी प्रवर्तनीय होना।– धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (ज), धारा 29 की उपधारा (4), [2]["धारा 32 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2)"]धारा 33 की उपधारा (1) के तहत पर्षद् द्वारा पारित किया गया प्रत्यैक आदेश को स्थानीय अधिकारिता प्राप्त किसी सिविल न्यायालय द्वारा उसी तरह लागू किया जाएगा। जिस तरह उक्त न्यायालय की डिक्री लागू की जाती है।

1. अधिनियम सं० 1, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम सं० 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

समीक्षा और निर्णयज-विधि

[किसी व्यक्ति को धार्मिक न्यास के ''प्रबन्धक'' के रूप में बन रहने, और जांच करने और तत्पश्चात् धार्मिक न्यास के ''प्रबन्धक'' को, सम्पत्ति का प्रभार, उक्त न्यास के प्रबन्ध समिति के सदस्यों को सौंपने की नोटिस जारी करने की पर्षद् द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय की विवेकाधीन रिट अधिकारिता प्रार्थित करने का संवैधानिक हक नहीं है। **महंथ मधुसूदन दास जी बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्,** 1995 (1) बीएलजे 259।]

अध्याय 10

न्यासी और उसका कार्य

58. न्यासी, पर्षद् का आदेश पालन करेगा।–प्रत्येक न्यासी इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के तहत समय-समय पर पर्षद् द्वारा जारी किये गये निर्देशों का पालन करेगा। [1][और सभी आय एवं व्यय के खातों का सही सही और सावधानीपूर्वक संधारण करते हुए न्यास के कार्य-कलापों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा।]

59. न्यासी धार्मिक न्यासों के ब्योरे देगा।–(1) (क) प्रथम पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्यों के नामों का शासकीय गजट में प्रकाशन की तारीख से छः महीने के अन्दर, उक्त तारीख को विद्यमान प्रत्येक धार्मिक न्यास का न्यासी, पर्षद् को उस न्यास संबंधित, जिसका वह न्यासी है, विहित फारम में विहित ब्योरे सहित एक विवरण देगा।

(ख) उक्त प्रकाशन की तारीख के बाद सृजित किया गया धार्मिक न्यास की स्थिति में, उक्त न्यास के न्यासी द्वारा उक्त न्यास के सृजित किये जाने की तारीख से छः महीने के अन्दर पर्षद् को विवरण दिया जाएगा:

परंतु यह कि राज्य सरकार खंड (क) और (ख) में उल्लिखित अवधि को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा बढ़ा सकेगी।

(2) प्रत्येक ऐसा विवरण न्यासी द्वारा, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5), में अभिवचन के सत्यापन के लिए विहित की गई रीति से, सत्यापित किया जाएगा और इसके साथ न्यास का सृजन करने वाला विलेख या लिखित की सही प्रति रहेगी और जहां ऐसा कोई विलेख या लिखत नहीं हो वहां विहित प्ररुप में उद्देश्यों को उल्लिखित करता हुआ और उक्त रीति से सत्यापित किया हुआ विवरण साथ रहेगा।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[अधिनियम की धारा 59 के अधीन दाखिल किये गये विवरण और विवरणिका को इस बात की स्वीकृति के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए कि उक्त न्यास एक सार्वजनिक न्यास है। दिशा-निर्देश का सिद्धांत यह है, जैसा साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में परिभाषित किया गया है, कि मात्र अचारण स्वीकृत नहीं है। **बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम महंथ जलेश्वर गिरि,** 1968, पीएलजेआर 507।

पर्षद् को महंथ द्वारा समर्पित किये गये विवरणी और लेखओं से सम्बन्धित दस्तावेजात किसी सम्पत्ति की प्रकृति को निजी से बदलकर सार्वजनिक नहीं कर सकते। महंथ द्वारा विवरणियों का दाखिल किया जाना आचरण द्वारा विबंध नहीं निर्मित करेगा, और न महंथ के सार्वजनिक न्यास का अस्तित्व नकारने पर कोई रोक लगा सकेगा। **मुक्ति नारायण दास बनाम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद्,** 2000 (2) बीबीसीजे।]

60. धार्मिक न्यासों के बजट और पर्षद् को ऐसे बजट पेश करना।–(1) हरेक धार्मिक न्यास का न्यासी हर साल पन्द्रह जनवरी से पहले आगामी अनुवर्ती वर्ष के लिए उक्त न्यास की अनुमानित आय और व्यय का बजट तैयार करेगा और तत्काल उसकी एक प्रति पर्षद् को भेजेगा:

परंतु यह कि पर्षद् ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसी वह समय-समय पर लगा सकेगी, पांच सौ रुपये से कम आय वाले धार्मिक न्यासों के न्यासियों को पर्षद्, के पास उक्त न्यासों के बजट की प्रतियां भेजने के दायित्व से मुक्त कर सकेगी और किसी भी समय उक्त मुक्ति को वापस ले सकेगी:

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

परंतु यह और भी कि इस प्रकार की मुक्ति पर्षद् को किसी वित्तीय वर्ष के लिये, जिसमें उक्त मुक्ति प्रवर्तनशील रहेगी, उक्त न्यास की बजट की प्रति भेजने से निवारित नहीं करेगी।

(2) पर्षद्, उक्त प्रति की प्राप्ति की तिथि से छः सप्ताह के भीतर बजट को उस प्रकार और उस सीमा तक परिवर्तित या उपांतरित कर सकेगी जैसा वह उचित समझेगी।

(3) यदि पर्षद् उपधारा (2) के तहत किसी बजट को परिवर्तित या उपांतरित करेगी तो वह तत्काल इस प्रकार परिवर्तित या उपांतरित बजट की एक प्रति सम्बद्ध न्यास के न्यासी को भेजेगी और इस प्रकार परिवर्तित या उपांतरित बजट उक्त धार्मिक न्यास का बजट समझा जाएगा।

(4) यदि उपधारा (2) में उल्लिखित अवधि के भीतर और ततपश्चात् दो सप्ताह तक पर्षद् सम्बद्ध न्यास के न्यासी को यथापूर्वोक्त परिवर्तित या उपांतरित बजट की प्रति नहीं भेजता हो तो यह माना जाएगा कि पर्षद् ने उक्त बजट को बिना किसी परिवर्तन या उपांतरण के अनुमोदन कर दिया है।

(5) यदि उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित बजट तैयार करने और उसकी प्रति भेजने में न्यासी विफल होता है, तो पर्षद् हर साल पहली मार्च से पहले सम्बद्ध न्यास के लिए बजट तैयार करके उसकी एक प्रति भेजेगी और प्रश्नगत साल के लिये उस न्यास का बजट, वही बजट समझा जाएगा।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात पर्षद् को संस्थापक की इच्छाओं, जहां तक उनकों विनिश्चित किया जा सके, या इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगति की प्रकृति का या सीमा तक, परिवर्तित या उपांतरित करने वास्ते अधिकृत करती नहीं मानी जाएगी।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[धार्मिक न्यास से सम्बन्धित बजट को परिवर्तित या उपांतरित करने की शक्ति अथवा किसी न्यासी को निर्देश देने की शक्ति इस विशेष तरह से प्रयोग की जा सकेगी ताकि मठ या मंदिर में धार्मिक अनुष्ठानों का विधिवत् पालन इस तरह किया जाय कि संविधान के अनुच्छेद 25 के अधीन गारंटी किये गये मूल अधिकारों का अतिक्रमण न हो। **मोती दास बनाम एस॰ पी॰ साही**, एआइआर 1959 एस सी 942।

पर्षद् पर एक दायित्व डाला गया है कि प्राधिकारियों को बजट तैयार करके देने के बाद, सार्वजनिक धार्मिक न्यासों की ओर से किया गया व्यय संस्थापक की इच्छाओं से बेमेल नहीं होना चाहिए, जहाँतक वे इच्छायें किसी विधि अथवा वैसे न्यासों को शासित करनेवाली विधि और प्रथा से असंगत नहीं हों। तत्रैव।]

61. क्षेत्रीय न्यास समितियों को बजट की प्रतियां दी जाएंगी।– उन क्षेत्रों में जिनके लिए इस अधिनियम के उपबन्धों के तहत क्षेत्रीय न्यास समितियां स्थापित की गई हैं, उस क्षेत्र के क्षेत्रीय न्यास समिति को, जिसमें सम्बद्ध न्यास का प्रधान कार्यालय अवस्थित है, न्यासी द्वारा धारा 59 में उल्लिखित विवरणों में से हरेक की प्रति और धारा 60 में उल्लिखित बजट की प्रति दी जाएंगी।

62. जांच, आदि में सहायता देना न्यासी का कर्त्तव्य।–पर्षद् के आह्वान पर, हरेक धार्मिक न्यास का न्यासी किसी समिति, अध्यक्ष, अधीक्षक या पर्षद् द्वारा जांच करने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति या पदाधिकारी को उक्त न्यास के दस्तावेजात और सम्पत्ति के निरीक्षण के लिऐ हरेक युक्ति युक्त सुविधा और जांच में हर तरह की सहायता देगा।

अध्याय 11

लेखा–परीक्षा और अनियमित व्यय की वसूल

63. धार्मिक न्यास के लेखे की परीक्षा।–(1) हरेक साल हरेक धार्मिक न्यास, सिवाय उस धार्मिक न्यास जिसके न्यासी को धारा 60 की उपधारा (1) के प्रथम परंतुक के तहत बजट की प्रति भेजने से मुक्त किया गया है के लेखे की परीक्षा पर्षद् द्वारा लेखापरीक्षक रुप में नियुक्त किया गया अर्हताप्राप्त लेखाकार द्वारा की जाएगी।

(2) लेखा-परीक्षक, लिखित नोटिस देकर, अपने सामने किसी दस्तावेज की पेशी या लेखा-परीक्षा के समुचित संचालन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली जानकारी प्राप्त करने वास्ते अपने को समर्थ करने के लिए लेखे तैयार करने में उत्तरदायी रहे व्यक्ति की उपस्थित की अपेक्षा कर सकेगा।

(3) लेखा-परीक्षा के पूरा होने के बाद एक महीना के भीतर, लेखा परीक्षक अंकेक्षित और परीक्षित लेखे पर रिपोर्ट तैयार करेगा और पर्षद् को एक रिपोर्ट देगा तथा उसकी प्रति सम्बद्ध न्यासी को:

परंतु, लेखापरीक्षक किसी भी सम, जो वह ठीक समझे, अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है।

(4) लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में विवरण होगा-

(क) कोई भुगतान जो उसे विधि-विरुद्ध या बजट के प्रावधानों के विरुद्ध प्रतीत हो;

(ख) किसी कमी या नुकसान की राशि जो न्यासी की लापरवाही या गलत आचरण के चलते हुई प्रतीत होती हो; और

(ग) किसी राशि की रकम जो न्यासी द्वारा लेखा में लाई जानी चाहिए थी लेकिन नहीं लाई गई हो।

(5) उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के बाद पर्षद्-

(क) आदेश कर सकेगी कि उप-धारा (4) के खंड (क) में उल्लिखित कोई भुगतान स्वीकृत किया जाए या कि उक्त उपधारा के खंड (ख) या खंड (ग) में उल्लिखित किसी रकम के सम्बन्ध में कोई आगे कार्रवाई नहीं की जाए; या

(ख) यह आवश्यक करते हुए सम्बद्ध न्यासी को नोटिस तामिल कर सकेगी कि वह नोटिस की तामिली की तारीख से एक महीना के भीतर वजह बताए कि उक्त भुगतान को क्यों नहीं अधिभारित किया जाए या उक्त रकम को उस पर क्यों नही प्रभारित किया जाए।

(6) न्यासी द्वारा बताई गई वजह पर विचार करने और उसे सुनवाई के समुचित अवसर देने के बाद, पर्षद् उक्त भुगतान को अधिभारित कर सकेगी या किसी नुकसान या कमी की राशि को उस पर प्रभारित कर सकेगी, और हरेक ऐसा मामला में न्यासी से बकाया हुई राशि को प्रमाणित करेगी।

(7) पर्षद लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में सम्मिलित किया गया उपधारा (4) में उल्लिखित विवरण, यदि हो, की प्रति राज्य सरकार को उसके द्वारा यथोचित आदेश के लिए भेजेगी।

(8) यदि उपधारा (5) और (6) के तहत पर्षद् के आदेश और उपधारा (7) के तहत राज्य सरकार के आदेश में विरोध होगा तो पश्चातवर्ती हाबी होगा।

(9) धार्मिक न्यास के लेखे की परीक्षा का व्यय न्यासनिधि से अदाय किया जाएगा।

64. प्रमाणित राशि लोक-मांग के रुप में वसूल की जाएगी।-(1) किसी न्यासी से धारा 63 की उपधारा (6) के तहत बाकी प्रमाणित हरेक राशि, प्रमाणीकरण की तिथि के बाद नब्बे आगामी दिन के अन्दर नहीं चुकाए जाने पर, धारा 70 के उपधारा (4) में उपबन्धित रीति के अनुसार उससे वसूल की जा सकेगी।

(2) पर्षद् अपने द्वारा प्राप्त या वसूली गई सभी प्रमाणित राशियों को सम्बद्ध धार्मिक न्यास के न्यासी को, उक्त न्यास के लेखा में जमा करने वास्ते, दे देगी।

65. अधिभार या प्रभार के आदेश के विरुद्ध अपील।-(1) धारा 63 की उपधारा (6) के अधीन उस पर लगाये गये अधिभार या प्रभार के किसी आदेश सें क्षुब्ध न्यासी, उक्त आदेश के तीस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी के पास अपील कर सकेगा जो यथोचित जांच करने के बाद वैसे आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(2) धारा 64 की उपधारा (1) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उक्त अपील के लम्बित रहने की अवधि में सर्टिफिकेट पर की सभी कार्यवाहियां स्थगित कर दी जाएंगी।

66. पर्षद् के लेखे की परीक्षा।–पर्षद् के लेखे बिहार और उड़ीसा स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1925 (1925 का बि० और उ० अधिनियम 2), के अधीन लेखापरीक्षा के विषय होंगे और उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए, पर्षद् को एक ऐसी स्थानीय प्राधिकारी माना जाएगा जिसके लेख को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन लेखा-परीक्षा के विषय होने की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की गई है, और न्यास-निधि को स्थानीय निधि मानी जाएगी।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[धार्मिक या पूर्त न्यास के न्यासी के विरुद्ध उक्त विन्यास के लाभार्थियों द्वारा दल या वर्ग के रुप में लेखा-जोखा देने के लिये वाद दायर करना विधि के तहत वर्जित नहीं है। सिविल न्यायालय, बिना यह निर्णय किये कि विवादास्पद मंदिर सार्वजनिक न्यास था या निजी न्यास, लेखा-जोखा देने वास्ते डिक्री पारित करने को सक्षम है। **बी० के० सी० मुरुगा कोरार बनाम भी सेठा कोने,** 1989 अनु० (2) एस सी सी 612।]

अध्याय 12

अपराध और दंड

67. अधिनियम के तहत अपराधें और उक्त अपराधों के लिए दंड।–(1) यदि न्यासी, बिना युक्तियुक्त कारण के, अनुपालन करने के भार के, जो उसपर होगा, साबित किये, धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (झ), (ण) या (थ) के तहत या धारा 58 के तहत किया गया या जारी किया गया किसी आदेश या निदेश का अनुपालन, धारा 59 की उपधारा (1), धारा 60 की उपधारा (1), धारा 61 या धारा 62 के उपबन्धों के अनुसार अनुपालन करने या उस धार्मिक न्यास, जिसका वह न्यासी है, से सम्बन्धित कोई विवरण, वार्षिक लेखा, आकलन, स्पष्टीकरण या अन्य दस्तावेज या जानकारी, जिसे प्रस्तुत करने की उससे अपेक्षा या उसका आह्वान इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के तहत किया गया हो, नहीं करेगा या देगा, तो वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा जो प्रथम अपराध की दशा में [1][दो हजार रुपये] तक हो सकेगा और द्वितीय या पश्चात्वर्ती किसी अपराध के लिए [1][पाँच हजार रुपये] तक हो सकेगा और जुर्माना नहीं चुकाने की दशा में साधारण कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि यथास्थिति, छः महीने से एक साल हो सकेगी।

(2) उपधारा (1) के तहत वसूले गए जुर्माने न्यास-निधि में जमा किये जाएंगे।

समीक्षा और निर्णयज विधि

[जहां कि सम्पत्ति सार्वजनिक न्यास है–यह बात विवादित नहीं हो, वहां धारा 43 के तहत कार्यवाही किये बिना धारा 67 के तहत अभियोजन आरंभ करना अनुमतेय नहीं है। **एन० के० चौधरी बनाम अध्यक्ष, बिहार रा० धा० न्यास पर्षद्** 1970 पीएलजेआर 81 एआइआर 1971 पटना 7।

न्यास अधिनियम के तहत न्यास की प्रकृति तय करने और न्यासी कौन है–इसको निश्चित करने के लिए कोई तंत्र कायम नहीं किया गया है। धारा 43 के तहत जो विनिश्चित किया जा सकता है वह सम्पत्ति का अधिकार। इस वजह से धारा 43 के तहत कोई वैसा निर्णायक फैसला नहीं हो सकता जो धारा 67 के तहत अभियोजन को उत्तर उपस्थित कर सके। अतः धारा 43 के तहत निर्णय किया जा सकनेवाल मात्र प्रश्न धारा 67 में उल्लिखित अनेकानेक अपराधों के सम्बन्ध में अभियोजन के मुकदमों वास्ते विसंगत है। इस दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि अभियोजन के आरंभ से पहले न्यायालय, न्यास किस प्रकार का है और न्यासी कौन है, इस बात का निर्णय अपने सामने उपलब्ध सामग्रियों के आधार पर अनिवार्यतः कर ले। धारा 43 के तहत निर्णय के बिना भी धारा 67 के तहत सही-सही अभियोजन कायम किया जा सकता है। **अध्यक्ष, बिहार राज्य हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम नलिनी चौधरी,** 1974 पीएलजेआर 218 : एआइआर 1973 एससी 2578।

यदि पर्षद् धारा 67 के तहत अभियोजन शुरू करे और विनिश्चयन का प्रश्न न्यास की प्रकृति हो तो पर्षद् पर यह स्थापित करने का भार होगा कि उक्त न्यास एक सार्वजानिक न्यास है। **बिहार राज्य**

1. अधिनियम सं० 1, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम महंथ जलेश्वर गिरि, 1986 पीएलजेआर 507।

धारा 67 (1) के तहत अभियोजन संधार्य होगा यदि न्यायालय यह पाएगा कि न्यास एक सार्वजनिक न्यास है। न्यास की प्रकृति के प्रश्न पर न्यायालय राजस्व प्राधिकारियों के निष्कर्ष से बंधा नहीं रहेगा **बि॰ रा॰ धा॰ न्या॰ प॰ बनाम एम॰ पी कसेरा**, 1997 बीबीसीजे 393।

"प्रबन्ध समिति" के सदस्य या सदस्यों द्वारा न्यास-सम्पत्ति के सही लेखा का संधारण नहीं किया जाना उसको या उनको धार्मिक न्यास के न्यासी-बोर्ड से हटाने को दायी बनाएगा। सम्बन्धित न्यासी या न्यासीगण अमानत में खयानत या उपेक्षा के मामले में भी दायी होगा और उसके लिए दंडित किया जा सकता है। **राम गोपाल दास बनाम बिहार राज्य**, एआइआर 1992 पटना 70 : (1992)। बीएलजेआर 401।]

68. अपराध जमानतीय, शमनीय और असंज्ञेय होंगे।–(1) इस अध्याय के तहत किसी अपराध के लिए अभियोजन केवल अध्यक्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा इस निर्मित लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति की शिकायत पर ही शुरु किया जाएगा।

(2) इन अपराधों का विचारण प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी के न्यायालय से भिन्न कोई अन्य न्यायालय नहीं करेगा।

(3) हरेक ऐसा अपराध जमानतीय होगा और, [1][दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5), में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, अध्यक्ष द्वारा या उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी शिकायत पर अभियोजन शुरु किया गया है, शमनीय होगा।

अध्याय 13

न्यास-निधि

69. न्यास का सृजन।–(1) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्, और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् में से प्रत्येक के लिए पृथक्-पृथक न्यास निधि बनाई जाएगी जो क्रमशः बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् निधि, बिहार राज्य शेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि और बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि कही जाएगी, और–

(i) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् निधि में जमा होंगी–

(क) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दान और अनुदान के रुप में, [2][सरकार, बैंकों, निगमों या किसी रजिस्ट्रीकृत संस्थान से] प्राप्त सभी राशियां;

(ख) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 67 के तहत जुर्माना के रुप में, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 70 के तहत शुल्क के रुप में, प्राप्त सभी राशियां;

(घ) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा दस्तावेजात के निरीक्षण और प्रतिलिपि देने के लिये शुल्क के रुप में, सभी प्राप्त या वसूल हुई सभी राशियां;

(ङ) बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद द्वारा, किसी वाद या कार्यवाही में उसे प्रदत्त खर्च के रूप में, प्राप्त या वसूल हुई सभी राशियों;

(च) धारा 64 के तहत प्राप्त या वसूल प्रमाणित राशियों को छोड़कर किसी अन्य मद में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा प्राप्त या वसूल की गईं सभी राशियां;

(ii) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि में जमा होंगी–

(क) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दान और अनुदान के रुप में, प्राप्त सभी राशियां;

1. अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)
2. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ख) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 67 के तहत जुर्माना के रूप में, प्राप्त सभी राशियां;

(ग) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा धारा 70 के तहत शुल्क के रूप में प्राप्त सभी राशियां;

(घ) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दस्तावेजात के नरीक्षण और प्रतिलिप देने के लिए शुल्क के रूप में, सभी प्राप्तियां;

(ङ) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, किसी वाद या कार्यवाही में उसे प्रदत्त खर्च के रूप में, प्राप्त या वसूल हुई सभी राशियां;

(च) धारा 64 के तहत प्राप्त या वसूल प्रमाणित राशियों को छोड़कर अन्य किसी मद में बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा या वसूल की गईं सभी राशियां; और

(iii) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् निधि में जमा होंगी–

(क) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दान और अनुदान के रूप में, प्राप्त सभी राशियां;

(ख) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 67 के तहत जुर्माना के रूप में, प्राप्त सभी राशिया;

(ग) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, धारा 70 के तहत शुल्क के रूप में, प्राप्त सभी राशियां;

(घ) बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा, दस्तावेजात के निरीक्षण और प्रतिलिपि देने के लिए शुल्क के रूप में, सभी प्राप्तियां;

(ङ) बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा किसी वाद या कार्यवाही में उसे प्रदत्त खर्च के रूप में, प्राप्त या वसूल हुई सभी राशियां;

(च) धारा 64 के तहत प्राप्त या वसूल प्रमाणित राशियों को छोड़कर अन्य किसी मद में बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् द्वारा प्राप्त या वसूल की गईं सभी राशियां।

(2) प्रत्येक पर्षद् की निधि, सम्बन्धित पर्षद् में निहित होगी और निधि में जमा अतिशेष वैसी अभिरक्षा में रखा जाएगा। जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित की जाएगी।

70. धार्मिक न्यासों द्वारा पर्षद् को देय फीस।–(1) इस अधिनियम के प्रशासन में खर्च किया गया या खर्च होने के लिए, हरेक न्यास का न्यासी प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उतनी फीस, अंतिम पूर्ववर्ती वर्ष में अपनी शुद्ध आय का अधिक से अधिक पांच प्रतिशत, जो पर्षद् समय-समय पर, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, निर्धारित कर सकेगी पर्षद् को देगा।

स्पष्टीकरण।–इस उपधारा में 'शुद्ध आय' अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है राजस्व, लगान, स्थानीय और अन्य उपकर और [1][बीस प्रतिशत] की दर से प्रबन्धन-व्यय के रूष में देय राशि को घटाने के बाद की सभी स्रोतों से न्यासी द्वारा वसूली गई कुल आय।

(2) (क) उपधारा (1) के तहत विहित प्रधिकारी द्वारा किया गया निधरिण-आदेश से विक्षुब्ध न्यासी उक्त आदेश की प्राप्ति की तिथि से एक महीना के भीतर उस प्रधिकारी के पस अपील कर सकेगा जो विहित किया जाएगा और उक्त प्राधिकारी आदेश के जरिए उक्त निर्धारण को रद्द या परिवर्तित कर सकेगा और ऐसा आदेश अंतिम होगा।

(3) उक्त फीस विहित रीति से चार बराबर-बराबर किश्तों में उन तारीखें पर दी जाएंगी जो पर्षद् द्वारा समय-समय पर नियत की जाएंगी।

---

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

(4) यदि उक्त फीस की काई किश्त उपधारा (3) के तहत उन किश्तों की अदायगी के लिये पर्षद् द्वारा नियत की गई तारीख पर या उससे पहले नहीं चुकाई जा सके तो वह उसे अदाय करने के लिये जिम्मेवार व्यक्ति से, पर्षद को देय लोक-मांग के रूप में, वसूल की जा सकेगी।

(5) पर्षद् किसी धार्मिक न्यास के न्यासी द्वारा देय फीस का कोई अंश कम कर सकेगी। [1]["तथा यदि न्यास किसी दूर-दराज गाँव में स्थित हो और न्यास के विलेख में भू-सम्पत्ति एक एकड़ से कम हो और न्यास की वार्षिक आय दस हजार रुपये प्रतिवर्ष से कम हो तो न्यास को किसी विशेष अवधि के लिए फीस देने से छूट दे सकेगी,"]

(6) धार्मिक न्यास का न्यासी उप-धारा (1) के तहत स्वयं द्वारा देय फीस को उक्त न्यास के लाभार्थियों से वसूल कर सकेगा, लेकिन वैसे व्यक्तियों में से किसी एक से वसूलनीय राशि उतनी राशि से अधिक नहीं होगी जितनी उस व्यक्ति द्वारा प्राप्य लाभ के मूल्य का अनुपात कुल देय अंशदान के प्रति उक्त न्यास की कुल उपलब्ध आय के साथ आता हो;

परंतु यह कि यदि किसी न्यास की आय जो उप-धारा (1) के तहत देय फीस जैसी राशि से भिन्न और न्यास-विलेख के तहत देय राशि से अधिक हो इस अधिनियम के तहत बाकी पड़ी राशि से अधिक होती है, तो उक्त आय से सर्वप्रथम फीस अदा की जाएगी।

[1][(7) प्रशासनिक व्यय अदा करने के बाद, यदि कोई अधिशेष निधि हो तो इस निधि से सारवान् राशि राज्य में अवस्थित पौराणिक और ऐतिहासिक महत्त्व के धार्मिक न्यासों के पुनर्नवीकरण एवं विकास के लिए उपयोग की जाएगी।]

समीक्षा और निर्णयज विधि

[यह धारा फीस लगाती है, कर नहीं। **मोती दास बनाम एस० पी० साही,** एआइआर 1969 एस सी 942।

अपील पर जिला न्यायाधीश द्वारा धारा 70 (2) (ख) के तहत पारित किया गया आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षणीय नहीं है और इसलिए पुनरीक्षण संधार्य नहीं है। **ओंकार दत्त शास्त्री बनाम बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद्,** एआइआर 1960 पटना 164।

विशिष्ट उद्देश्य के साथ किया गया दान धारा 70 के प्रयोजनों के लिए धार्मिक न्यास की आय नहीं है। धारा 70 धार्मिक न्यास की "शुद्ध आय" पर फीस लगाने वास्ते एक प्रभारक (चार्जिग) उपबन्ध है, न कि "न्यास-निधि" पर फीस लगाने वास्ते। किसी धार्मिक न्यास को विशिष्ट उद्देश्य के लिए किये दान पर धारा 70 के तहत कोई फीस नहीं लगाई जा सकती। **बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् बनाम जिला न्यायाधीश,** 1989 पीएलजेआर 138।]

71. उद्देश्य, जिनपर न्यास निधि खर्च की जाएगी।–न्यास निधि निम्नांकित उद्देश्यों पर और निम्नांकित क्रम में खर्च की जाएगी:–

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पर्षद् द्वारा लिये गये ऋणों की वापसी पर;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पर्षद् द्वारा नियुक्त किए गए अध्यक्ष, अधीक्षक और स्थापना के वेतन और भत्तों के भुगतान पर और उक्त स्थापना के अधीक्षक और सदस्यों के उपदान और भविष्य-निधि अंशदान पर;

(ग) सदस्यों के यात्रा-भत्तों और अन्य भत्तों के भुगतान पर;

(घ) समितियों के सदस्यों और क्षेत्रीय न्यास समितियों के सदस्यों के यात्रा-भत्तों और अन्य भत्तों के भुगतान पर;

(ङ) धारा 70 में उल्लिखित फीस के निर्धारण और वसूली में किये गये व्यय पर;

(च) न्यास-निधि की लेखा-परीक्षा और किसी धार्मिक न्यास के लेखे की लेखा-परीक्षा में अध्याय 11 के तहत की गई लेखा-परीक्षा के व्यय के भुगतान पर;

(छ) किसी वैसे वाद या कार्यवाही में व्यय पर, जिसमें पर्षद् पक्षकार है;

1. अधिनियम सं० 1, 2007 द्वारा अन्त:स्थापित।

(ज) धारा 36 की उपधारा (1) के तहत धार्मिक न्यास सरकार या स्थानीय प्राधिकारी को देय भू राजस्व, उपकर, लगान, महसूल या करों के भुगतान पर;

(झ) किसी वैसे उद्देश्य पर, जो इस प्रयोजन के लिए विशेष तरह से आयोजित बैठक में वैसा संकल्प के द्वारा जिसके पक्ष में उक्त बैठक में उपस्थित सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई ने उसको एक ऐसा उद्देश्य होने वास्ते मत दिया हो जिसपर हिन्दू विधि के अनुसार न्यास-निधि लगाई जा सकती है; और

(ञ) इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में पर्षद् द्वारा किया गया किसी अन्य व्यय के भुगतान पर। [1]["जिसमें राज्य के किसी पौराणिक या ऐतिहासिक मन्दिर/मठ के रख-रखाव, मरम्मत या विकास पर व्यय और सुसंगत परिचायिकाओं या पुस्तकों के प्रकाशन या सी॰डी॰ या धार्मिक न्यासों के वृत्तचित्र के निर्माण के खर्च भी शामिल होंगे।"]

अध्याय 14

कुछ वादों के लिए विशेष प्रावधान

[2][**72. रिसीवर की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान।**- (1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) (समय-समय पर यथासंशोधित) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहाँ पर्षद् की ओर से कोई वाद संस्थित किया जाता है और जहाँ सम्पत्ति, जो वाद की विषय-वस्तु है, प्रतिवादी की दखल में है, वहाँ वादी द्वारा आवेदन दिये जाने पर, न्यायाधिकरण उक्त सम्पत्ति का रिसीवर नियुक्त करेगा और उक्त रिसीवर को सम्पत्ति की आय से वादी को, समय-समय पर, वह रकम देने का निदेश देगा, जो न्यायाधिकरण वाद चलाने के लिए आवश्यक समझे।

(2) न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 (1870 का 7), (बिहार संशोधन अधिनियम, 1995 द्वारा यथासंशोधित) में किसी बात के होते हुए भी, अन्यसंक्रामणित अचल सम्पत्ति के प्रत्यावर्तन के लिए न्यास या पर्षद् द्वारा दाखिल वाद के सम्बन्ध में अर्जी या अपील के ज्ञापन पर भुगतेय फीस 100 रुपए होगी।]

समीक्षा और निर्णयज-विधि

[धारा 48 के तहत कार्यवाही के दौरान नया सेबैत की नियुक्ति लम्बित रहने तक अधिप्रापक की नियुक्ति पर संविधान का अनुच्छेद 26 कोई रोक नहीं है, जो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 द्वारा अनुध्यात तरह की है। **पंडित सालिग्राम आचार्य बनाम पंडित राघवाचार्य,** एआइआर 1969 पटना 118।

अध्याय 15

प्रकीर्ण

73. धार्मिक न्यास की सम्पत्ति सम्बन्धी दस्तावेजों, पंजियों और अभिलेखों का पर्षद् द्वारा निःशुल्क निरीक्षण।–किसी विधि या विधि का बल रखनेवाला नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धार्मिक न्यास की सम्पत्ति सम्बन्धी किसी दस्तावेज, पंजी या अभिलेख, जो किसी न्यायालय, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के किसी कार्यालय या विभाग की अभिरक्षा में हो, के निरीक्षण के लिए पर्षद् से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा:

परंतु, ऐसा निरीक्षण पर्षद् के केवल विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों को और केवल उन्हीं दस्तावेजों, पंजियों या अभिलेखों के लिए, जिन्हें कोई प्राइवेट पक्षकार साधारणतः निरीक्षण कर सकता है, अनुज्ञा दी जाएगी।

74. न्यासी निर्देशों के लिए पर्षद् के पास आवेदन कर सकेगा।–धार्मिक न्यास का न्यासी उक्त न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्ध या प्रशासन को प्रभावी करनेवाला किसी प्रश्न पर पर्षद् की राय, परामर्श या निर्देश के लिए याचिका द्वारा पर्षद् के पास आवेदन कर सकेगा और पर्षद् उस पर, यथास्थिति, अपनी राय, परामर्श या निर्देश देगा।

---

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा प्रतिस्थापित।

सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर देना आवश्यक नहीं है। धारा की वास्तविक आवश्यकता मात्र यह है कि राज्य सरकार को उपलब्ध सामर्गियों के आधार पर अपनी राय बनानी होगी। ऐसी कार्रवाई के लिए सामग्रियों की आवश्यकता ही इस धारा के तहत तात्विक आवश्यकता है। **महंथ सुखदेव गिरि बनाम श्री कपिलदेव सिंह,** 1959 पीएलजेआर 1058।

सद्भावपूर्वक शक्ति का प्रयोग और दुर्भावपूर्वक उसका प्रयोग के बीच अंतर है। जब कोई प्राधिकारी विधि भंग करके अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है, तब वह प्रश्नाधीन कार्य या आदेश को अधिकारातीत कर देता है, क्यों न उक्त प्राधिकारी अपनी सर्वोत्तम नीयत से कार्य किया हो। कोई शक्ति विद्वेषपूर्वक या दुर्भावपूर्वक प्रयोग होगी यदि उसका पात्र उनलोगों के प्रति, जो इसके प्रयोग से सीधे दुष्प्रभावित होते हैं, वैयक्तिक विद्वेष से प्रेरित होता हो। **रामायण साहू बनाम उड़ीसा राज्य,** एआइआर 1998 उड़ीसा 219।

हिन्दू धार्मिक न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्ध वास्ते अनुवांशिक न्यासी नियुक्त करने के प्रयोजन के लिए इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोगार्थ यह स्थापित करना होगा कि धार्मिक न्यास सार्वजनिक प्रकार का है और उक्त धार्मिक अधिष्ठान के लिए केवल अनुवांशिक न्यासी नियुक्त करने की परिपाटी नहीं रहा है। **वैकुंठनाथ पटजोशी बनाम धर्मस्व आयुक्त,** एआइआर 1950 उड़ीसा 223।

पर्षद् का विघटन:– ''यदि राजय सरकार की राय में'' शब्द मात्र का प्रयोग अपने-आप इस प्रश्न का निर्णायक नहीं है कि वह शक्ति प्रकृति में अर्ध-न्यायिक है या विशुद्ध रूप से प्रशासनिक जो व्यक्तिगत समाधान के आधार पर प्रयोग की जाएगी। इस बात के मद्देनजर कि अधिनियम के तहत गठित की गई पर्षद एक प्रतिष्ठान और मर्यादा धारण कर लेती है और इसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं और कुछ दायित्व भी, जो सब-के-सब नागरिकों की ओर से श्रद्धापूर्ण प्रतिष्ठा को आमंत्रित करते होते हैं, इसको अनौपचारिक रूप से हटा दिया जाना लोक-मर्यादा की हानि है और निश्चय ही इसका खामियाजा पर्षद् को सिविल परिणाम के रूप में भुगतना पड़ता है। अत: गंभीर आरोपों के कथित मुद्दे पर पर्षद् के सदस्य को हटाने के पहले सुनवाई का अवसर दिया जाना अत्यावश्यक है। **राधा कांत यादव बनाम बिहार राज्य,** 1995 (2) पीएलजेआर 898 : 1995(2) बीएलजे 585।

धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार के वैयक्तिक समाधान के आधार पर नहीं किया जाएगा। धारा 80 के तहत प्रदत्त शक्ति की प्रकृति अर्धन्यायिका है। अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकेगा कि प्रबन्धन समिति को कारण-पृच्छा की नोटिस नहीं दिये जाने पर 'विपक्ष को भी सुनो' नियम लागू होगा। **तत्रैव।**

जहां पर्षद् को, बिना कारण पृच्छा की कोई नोटिस दिये, अवक्रमित किया गया हो और राज्य सरकार द्वारा नई पर्षद् गठित की गई हो, वहां धारा 80 के तहत शक्ति का तात्पर्यित प्रयोग में की गई कार्रवाई अविधिमान्य होगी और प्रश्नाधीन अधिसूचना निरसनीय होगी। **तत्रैव।**

जबतक विधान प्रत्येक रूप से या आवश्यक विवेक्षा द्वारा नैसर्गिक न्याय की भूमिका का प्रयोग दरकिनार नहीं करेगा तबतक न्यायालय उसे अधिनियम के अधीन तथा सिविल परिणामों वाले प्रशासनिक कार्रवाई के मामलों में एक आवश्यकता समझेगा। **तत्रैव।]**

81. अवक्रमण के परिणाम।–जहां धारा 80 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत अवक्रमण का आदेश पारित कर दिया जाएगा, वहां निम्नांकित परिणाम होंगे, अर्थात्:–

(क) पर्षद् के सभी सदस्य, 'आदेश' में नियत की गई तिथि से सदस्य-पद छोड़ देंगे;

(ख) अवक्रमण की अवधि के दौरान पर्षद (या अध्यक्ष) द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के तहत प्रयोग और निष्पादित किये जानेवाले सभी शक्तियां और कार्य उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त और निष्पादित किये जाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जांएगे।

'(ग) पर्षद् में निहित सारी सम्पत्ति, अवक्रमण की अवधि के दौरान, राज्य सरकार में निहित रहेगी; और

(घ) अवक्रमण की अवधि की समाप्ति से पहले पर्षद् के पुनर्गठन के लिए निर्वाचन होगा और नियुक्तियां की जाएंगी।

81क. न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा निर्गत किये जाने पर या पर्षद् का गठन अवैध घोषित किये जाने पर राज्य सरकार की शक्ति।–जहां सक्षम न्यायालय द्वारा पर्षद् को उसके कृत्य-संपादन से मना करती हुई निषेधाज्ञा निर्गत की जाएगी या जहां वैसा न्यायालय द्वारा पर्षद् का गठन अवैध घोषित किया जाएगा, वहां –

(क) राज्य सरकार इस निमित्त वैसे व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जो ऐसी निषेधाज्ञा के जारी रहने के दौरान, या यथास्थिति, पुनर्गठित पर्षद् की पहली बैठक तक, उक्त पर्षद् या अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त और निष्पादित की जानेवाली शक्तियों और कार्यों को प्रयुक्त और निष्पादित करेगा या करेंगे:

परंतु यह कि जब राज्य सरकार ने निषेधाज्ञा के जारी रहने के दौरान पर्षद् या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और कार्यों के निष्पादन के लिए पहले ही व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति कर ली हो तो वह या वे व्यक्ति ही विधिवत् पुनर्गठित पर्षद् की पहली बैठक तक वैसा करना जारी रखेगा या रखेंगे;

(ख) पर्षद् में निहित सारी सम्पत्ति, निषेधाज्ञा के जारी रहने के दौरान, या यथास्थिति, विधिवत् पुनर्गठित पर्षद् की पहली बैठक तक, राज्य सरकार में निहित रहेगी; और

2[(ग) जहाँ न्यायालय के आदेश से पर्षद् का गठन अवैध घोषित किया गया हो, प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी, और इस अधिनियम के अधीन प्रशासक की नियुक्ति, पर्षद् का पुनर्गठन के लिए आदेश की तिथि से अधिनियम की धारा-8 के अधीन 48 महीनों की अवधि के भीतर की जायेगी।"

समीक्षा और निर्णयज विधि

[पर्षद् या अध्यक्ष के कार्यों के निष्पादन के लिए एक से अधिक व्यक्ति को नियुक्त करनेवाला उपबंध ही स्पष्ट रूप से दर्शित कर देता है कि इस तरह नियुक्त किया गया या किये गये व्यक्ति पर्षद् का अध्यक्ष नहीं है और इसलिए अधिनियम की धारा 14 लागू नहीं होगी। अतएवं यह प्रकट है कि पर्षद् या अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए या उसके कार्यों को निष्पादित करने के लिए अधिनियम की धारा 81-क के तहत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को हटाने के वास्ते पर्षद् के अध्यक्ष को हटानेवाला धारा 14 में अंतर्विष्ट उपबंध कदापि प्रयुक्त नहीं होगा। धारा 81-क के तहत नियुक्त व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं है, और इसलिये भारत का संविधान का अनुच्छेद 311 लागू नहीं होता है। **सेवाईलाल केशवलाल साह बनाम बिहार राज्य,** 1970 बीएलजेआर 997।]

अध्याय 17

नियमावली और उपविधियां

82. नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति।–(1) राज्य सरकार, प्रकाशन करने के बाद, इस अधिनियम के प्रयोजनों को अमल में लाने के लिए, इस अधिनियम से विसंगतिरहित नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप में, और पूर्वगामी शक्ति की साधारणता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, राज्य सरकार निम्नांकित सभी विषयों या उनमें से किसी के सम्बन्ध में नियम बना सकेगी:–

(क) शर्तें और बन्धेजें जिनके अधीन रहते हुए पर्षद् धारा 5 की उपधारा (3) के तहत किसी सम्पत्ति का अंतरण कर सकेगी;

(ख) 1[***]

(ग) शर्तें और बन्धेजे जिनके अधीन रहते हुए पर्षद् और समिति के सदस्य पर्षद् के किसी कार्य के सम्बन्ध में यात्रा कर सकेंगे और ऐसी यात्राओं के लिए दिये जानेवाले यात्रा और अन्य भत्ते;

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा विलोपित
2. अधिनियम सं॰ 4, 2013 द्वारा प्रतिस्थापित।

घ) पद्धति जिसके अनुसार धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिलेख तैयार और संधारित किया जाएगा;

(ङ) पद्धति जिसके अनुसार और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए पर्षद् धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (द) में निर्दिष्ट खर्च वसूल कर सकेगी;

(च) पद्धति जिसके अनुसार धारा 30 की उपधारा (1) के तहत नोटिसें जारी की जाएंगी;

(छ) [1][***]

(ज) [1][***]

(झ) [1][***]

(ञ) [1][***]

(ट) धारा 59 की उप-धारायें (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरणों के फारम और उक्त उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण में अंतर्विष्ट किये जानेवाले ब्योरे;

(ठ) प्राधिकारी जिसके पास न्यासी धारा 65 की उपधारा (1) के तहत अपील कर सकेगा;

(ड) पद्धति जिसके अनुसार धारा 70 के तहत फीस निर्धारित की जाएगी, प्राधिकारी जिसके द्वारा वैसा निर्धारण किया जाएगा, प्राधिकारी जिसके पास निर्धारण के आदेश के विरुद्ध अपील होगी और पद्धति जिसके अनुसार निर्धारित फीस देय होगी; और

(ढ) अन्य विषय जो इस अधिनियम द्वारा निर्धारित किये जाने के लिए स्पष्ट रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात हैं।

[2]["(3) इस अधिनियम के अध्यधीन बनायी गई नियमावली एवं उपविधियाँ बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधानमंडल के समक्ष जब यह चौदह दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में हो, रखा जायेगा। यह अवधि एक सत्र अथवा दो या दो से अधिक अनुवर्त्ती सत्रो में हो सकेगी।"

समीक्षा और निर्णयज-विधि

[बिहार सरकार द्वारा निर्मित (बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955, का) नियम कि श्वेताम्बर मत को माननेवाले राज्य के सभी 21 वर्ष आयु से अधिक के व्यक्ति निर्वाचक सूची में प्रविष्टि के काबिल होंगे और राज्य के बाहर के निवासी, जो न्यास या पर्षद् को 500/- रु॰ देंगे, वैसी प्रविष्टि के काबिल होंगे, अधिकारातीत है क्योंकि वह (नियम) विभेदकारी और संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 के विरुद्ध है। **लाभ चन्द्र रेयसुराना बनाम बिहार राज्य,** एआइआर 1969 पटना 209/]

83. उपविधियां बनाने की पर्षद् की शक्ति।–पर्षद् इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इस अधिनियम और तदधीन निर्मित नियमावली से विसंगतिरहित, किसी आवश्यक विषय के लिए, उपविधियां बना सकेगी।

(2) विशेष रूप में और पूर्वगामी शक्ति की साधारणता पर बिना विपरीत प्रभाव डाले, पर्षद निम्नांकित के सम्बन्ध में उप-विधियां बना सकेगी:–

(क) पर्षद् के आदेश का अनुरक्षण और कार्यवाहियों का संचालन;

(ख) समितियों के कार्य और प्रक्रिया;

(ग) उसके या उसकी किसी समिति के समक्ष या पर्षद् के अध्यक्ष या अधीक्षक या किसी पदाधिकारी या कर्मचारी के समक्ष इस अधिनियम के तहत दाखिल किये जानेवाले आवेदनों पर, और पर्षद् की कार्यवाहियों या अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिए आवेदनों पर, ली जानेवाली फीस, इस तरह के आवेदन के फारम और दाखिल करने की पद्धति और शर्तें जिनके अध्यधीन ऐसी कार्यवाही और अभिलेखें की प्रतिलिपियां स्वीकृत की जाएंगी;

(घ) धार्मिक न्यास की पंजी के निरीक्षण के लिये देय फीस;

(ङ) पर्षद् द्वारा तैयार और संधारित की जानेवाली धार्मिक न्यासों की पंजियों के फारम;

(च) धार्मिक न्यास के कार्यालय में रखी जानेवाली बहियां और लेखे;

1. अधिनियम सं॰ 1, 2007 द्वारा विलोपित।
2. अधिनियम सं॰ 4, 2013 द्वारा अन्तःस्थापित।

(छ) न्यासियों द्वारा दिये जानेवाले लेखे, रिपोर्टें और विवरणें;

(ज) धार्मिक न्यासों के लेखे के परीक्षण और प्रकाशन के तरीके, वैसी लेखा-परीक्षा का संमय और स्थान, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के प्ररुप और विषय-वस्तु, और लेखापरीक्षक को दिया जानेवाला पारिश्रमिक;

(झ) किसी न्यास की निधियों की अभिरक्षा और निवेश, धारा-28 की उप-धारा (2) के खंड (झ) के तहत अपने पास रहे न्यास-धन को न्यासी द्वारा निक्षेप करने के लिये शर्तें, और न्यासी द्वारा उक्त धन को निकालने के लिए शर्तें;

(ञ) पर्षद् के पदाधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, पदनाम, संवर्ग, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें तथा उनकी शक्तियां और कार्य;

(ट) अध्यक्ष और सदस्यों को कार्यों का आवंटन;

(ठ) पर्षद् के पदाधिकारी और कर्मचारी द्वारा दी जानेवाली प्रतिभूति, यदि हो;

(ड) व्यक्ति जो प्राप्त की गई धनराशि के लिए रसीद देंगे;

(ढ) सामान्य मुहर की अभिरक्षा;

(ण) पद्धति, जिसके अनुसार, सिवाय बैठक के (निणयों के) पर्षद् के निर्णयों को विनिश्चित की जा सकेगी;

(त) धारा-60 में उल्लिखित बजट का प्ररूप और उसमें अंतर्विष्ट किये जानेवाले ब्योरे;

(थ) क्षेत्रीय न्यास समिति के कितने सदस्य होंगे, किस तरह क्षेत्रीय न्यास समिति के कामकाज किये जाएंगे, उक्त समिति के लिये कर्मचारी, उन कर्मचारियों की सेवा-शर्तें और बैठकों में उपस्थित होने के लिये और उक्त समिति के कार्यों के सम्बन्ध में की जानेवाली यात्राओं के लिए उक्त समिति के सदस्यों को दिये जानेवाले यात्रा और अन्य भत्ते; और

(द) पर्षद् की नोटिसें, निर्णयों और आदेशों का प्रकाशन।

(3) पूर्व प्रकाशन के बाद ऐसी उप-विधियां निर्मित की जाएंगी और तब तक प्रभावी नहीं होंगी जबतक वे राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित और संपुष्ट नहीं की जाएंगी:

परंतु यदि राज्य सरकार प्राप्ति की तारीख से चार महीने के भीतर उन उपविधियों को अनुमोदित और संपुष्ट नहीं करेगी तो उक्त उपविधियां, उक्त चार महीने की समाप्ति पर, अनुमोदित और संपुष्ट मानी जाएंगी।

समीक्षा और निर्णयज-विधि

[धारा 83 एक योग्यता प्रदायी उपबंध है जो पर्षद को उप-विधियां बनाने की शक्ति सौंपती है पर्षद् की उप-विधियो का विनियम 38 पर्षद् को विधि पदाधिकारी का पद सृजित करने की शक्ति सौंपता है और इस प्रकार उसे उक्त पद को समाप्त करने की भी शक्ति है। **तुलसी दास गोस्वामी बनाम बिहार राज्य**, 1999 (3) पीएलजेआर 446।]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन)

[1982 का बिहार अधिनियम सं॰ 62]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, को संशोधित करने के लिये अधिनियम।

भारतीय गणतंत्र के तैंतीसवें वर्ष में बिहार राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम।-इस अधिनियम को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1982, कहा जा सकेगा।

[**समीक्षा**-इस संशोधन अधिनियम में निर्दिष्ट संशोधन सर्वप्रथम बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास

(संशोधन) अध्यादेश 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रभावी किया गया जिसे 1982 का 49 तक उत्तरोत्त अध्यादेशों के निर्गम द्वारा प्रति-स्थापित करके प्रभावी बनाए रखा गया जो क्रम से इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 30.7.1982 को सरकार द्वारा इसकी सहमति दी गई है और इसका हिन्दी पाठ बिहार गजट (असा०) दिनांक 7.8.1992 में प्रकाशित हुआ है।]

2. से 5. अधिनियम के पाठ में समाविष्ट।

6. निरसन और व्यावृत्ति।–(1) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 (1982 का 49), एतद्द्वारा निरसित किया जाता हैं

(2) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा या तहत प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में कोई किया गया कार्य या कोई उठाया गया कदम इस अधिनियम के द्वारा या तहत शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या उठाया गया कदम समझा जाएगा मानो यह अधिनियम उस तारीख को लागू था जिस तारीख को वैसा कार्य किया गया या वैसा कदम उठाया गया था।

●

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1992

(1992 का 21)

[**प्रकाशक की टिप्पणी:**–राज्यपाल द्वारा 29.8.1992 को अनुमति प्रदान की गई।]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारतीय गणतंत्र के तैंतालीसवें वर्ष में बिहार राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:

वित्तीय ज्ञापन।–बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, के संशोधनात्मक उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार पर 12,000/- रु० (बारह हजार रुपए) मात्र की राशि अतिरिक्त भार होगी और इस सम्बन्ध में वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

उद्देश्य और कारण।–राज्य सरकार, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, के उपबंधों के कार्यान्वयन में, विशेषकर धार्मिक न्यास पर्षद् के प्रभावशाली गठन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर रही है जिसके चलते अधिनियम के मौजूदा उपबंधों में कुछ संशोधन अत्यावश्यक हो गया हैं। प्रस्तावित संशोधन में वक्फ अधिनियम, 1954, के सुसंगत उपबंधो के तहत वक्फ बोर्ड (पर्षद्) के गठन के उपबंधों की रूपरेखा पर पर्षद् के गठन के लिए और अध्यक्ष को मानदेय की न्यूनतम राशि स्वीकृत करने के उपबंध करने के लिए सरलीकृत पद्धति बनाई जा रही है। इस विधेयका का उद्देश्य इन उपबंधों को अधिनियमित करना है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।–(1) इस अधिनियम को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रभावी होगा।

2 से 7 पाठ में अंतर्विष्ट।

●

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2006

(बिहार अधिनियम 1, 2007)]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950

o

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनयम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2 से 30 अधिनियम पाठ में समाविष्ट।

अधिसूचनायें।

[**राज्यादेश 633, 1 ली मई, 1989.**—विधि विभाग की अधिसूचना सं॰ 81, दिनांक 6 जनवरी, 1977, के तहत बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम प्रथम), की धारा 80 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत निर्गत आदेश के द्वारा पंचम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् छः महीने की अवधि के लिए अवक्रमित की गई थी;

और अवक्रमण की उक्त अवधि को भिन्न-भिन्न अधिसूचनाओं के जरिए समय-समय पर विस्तृत किया गया है;

और अंतिम अवक्रमण की अवधि की समाप्ति की तिथि, जैसी राज्यादेश 265, दिनांक 8 अप्रैल, 1988, के तहत अधिसूचित है, 31 मार्च, 1989 है;

और उक्त पर्षद् का अबतक गठन नहीं हुआ है;

और राज्य सरकार अवक्रमण की उक्त अवधि को, नई पर्षद् के गठन की तिथि तक या 1ली अप्रैल, 1989 से एक और वर्ष की अवधि तक, जो पूर्वतर हो, विस्तृत करना आवश्यक समझती है;

अतः अब राज्यपाल, बिहार, उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि उक्त पर्षद् 1ली अप्रैल, 1989 के प्रभाव से एक और वर्ष की अवधि के लिए या पर्षद् के गठन की तिथि तक, जो पूर्वत्तर हो, अवक्रमित रहेगी।

●

राज्यादेश 189, 3 अप्रैल, 1991.—विधि विभाग की अधिसूचना सं॰ 81, दिनांक 6 जनवरी, 1977, के तहत बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम प्रथम) की धारा 80 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत निर्गत आदेश के द्वारा पंचम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् छः महीने की अवधि के लिए अवक्रमित की गई थी;

और अवक्रमण की उक्त अवधि को भिन्न-भिन्न अधिसूचनाओं के जरिए समय-समय पर विस्तृत किया गया है;

और अंतिम अवक्रमण की अवधि की समाप्ति की तिथि, जैसी राज्यादेश 388 दिनांक 8 मई, 1990 के तहत अधिसूचित है, 31 मार्च, 1991 है;

और उक्त पर्षद् का अबतक गठन नहीं हुआ है;

और राज्य सरकार अवक्रमण की उक्त अवधि को, नई पर्षद् के गठन की तिथि तक या 1ली अप्रैल 1991 से एक और वर्ष की अवधि तक, जो पूर्वतर हो, विस्तृत करना आवश्यक समझती है;

अतः अब राज्यपाल, बिहार, उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि उक्त पर्षद् 1ली अप्रैल 1991 के प्रभाव से एक और वर्ष की अवधि के लिए या पर्षद के गठन की तिथि तक, जो पूर्वतर हो, अवक्रमित रहेगी।

●

(संशोधन) अध्यादेश 1970 (1970 का 5) द्वारा प्रभावी किया गया जिसे 1982 का 49 तक उक्त अध्यादेशों के निर्गम द्वारा प्रति-स्थापित करके प्रभावी बनाए रखा गया जो क्रम से इस अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 30.7.1982 को सरकार द्वारा इसकी सहमति दी गई है और इसका हिन्दी में बिहार गजट (असा०) दिनांक 7.8.1992 में प्रकाशित हुआ है।]

2. से 5. अधिनियम के पाठ में समाविष्ट।

6. निरसन और व्यावृत्ति—(1) बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1982 (1982 का 49), एतद्द्वारा निरसित किया जाता है

(2) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के द्वारा या तहत प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में कोई किया गया कार्य या कोई उठाया गया कदम इस अधिनियम के द्वारा या तहत शक्तियों के प्रयोग में किया गया कार्य या उठाया गया कदम समझा जाएगा मानो यह अधिनियम उस तारीख को लागू था जिस तारीख को वैसा कार्य किया गया या वैसा कदम उठाया गया था।

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1992

(1992 का 21)

[**प्रकाशक की टिप्पणी:**—राज्यपाल द्वारा 29.8.1992 को अनुमति प्रदान की गई।]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, को संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारतीय गणतंत्र के तैंतालीसवें वर्ष में बिहार राज्य के विधानमंडल द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो।

वित्तीय ज्ञापन।—बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, के संशोधनात्मक उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार पर 12,000/- रु० (बारह हजार रुपए) मात्र की राशि अतिरिक्त भार होगी और इस सम्बन्ध में वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है।

उद्देश्य और कारण।—राज्य सरकार, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, के उपबंधों के कार्यान्वयन में, विशेषकर धार्मिक न्यास पर्षद् के प्रभावशाली गठन के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयों का अनुभव कर रही है जिसके चलते अधिनियम के मौजूदा उपबंधों में कुछ संशोधन अत्यावश्यक हो गये हैं। प्रस्तावित संशोधन में वक्फ अधिनियम, 1954, के सुसंगत उपबंधो के तहत वक्फ बोर्ड (पर्षद्) के गठन के उपबंधों की रूपरेखा पर पर्षद् के गठन के लिए और अध्यक्ष को मानदेय की न्यूनतम राशि स्वीकृत करने के उपबंध करने के लिए सरलीकृत पद्धति बनाई जा रही है। इस विधेयका का उद्देश्य इन उपबंधों को अधिनियमित करना है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।—(1) इस अधिनियम को बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 1992 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रभावी होगा।

2 से 7 पाठ में अंतर्विष्ट।

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2006

(बिहार अधिनियम 1, 2007)]

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के संतावनवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2 से 30 अधिनियम पाठ में समाविष्ट।

अधिसूचनायें।

[**राज्यादेश 633, 1 ली मई, 1989.**—विधि विभाग की अधिसूचना सं॰ 81, दिनांक 6 जनवरी, 1977, के तहत बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम प्रथम), की धारा 80 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत निर्गत आदेश के द्वारा पंचम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् छः महीने की अवधि के लिए अवक्रमित की गई थी;

और अवक्रमण की उक्त अवधि को भिन्न-भिन्न अधिसूचनाओं के जरिए समय-समय पर विस्तृत किया गया है;

और अंतिम अवक्रमण की अवधि की समाप्ति की तिथि, जैसी राज्यादेश 265, दिनांक 8 अप्रैल, 1988, के तहत अधिसूचित है, 31 मार्च, 1989 है;

और उक्त पर्षद् का अबतक गठन नहीं हुआ है;

और राज्य सरकार अवक्रमण की उक्त अवधि को, नई पर्षद् के गठन की तिथि तक या 1ली अप्रैल, 1989 से एक और वर्ष की अवधि तक, जो पूर्वतर हो, विस्तृत करना आवश्यक समझती है;

अतः अब राज्यपाल, बिहार, उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि उक्त पर्षद् 1ली अप्रैल, 1989 के प्रभाव से एक और वर्ष की अवधि के लिए या पर्षद् के गठन की तिथि तक, जो पूर्वत्तर हो, अवक्रमित रहेगी।

राज्यादेश 189, 3 अप्रैल, 1991.—विधि विभाग की अधिसूचना सं॰ 81, दिनांक 6 जनवरी, 1977, के तहत बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का बिहार अधिनियम प्रथम) की धारा 80 की उपधारा (1) के खंड (ख) के तहत निर्गत आदेश के द्वारा पंचम बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद् छः महीने की अवधि के लिए अवक्रमित की गई थी;

और अवक्रमण की उक्त अवधि को भिन्न-भिन्न अधिसूचनाओं के जरिए समय-समय पर विस्तृत किया गया है;

और अंतिम अवक्रमण की अवधि की समाप्ति की तिथि, जैसी राज्यादेश 388 दिनांक 8 मई, 1990 के तहत अधिसूचित है, 31 मार्च, 1991 है;

और उक्त पर्षद् का अबतक गठन नहीं हुआ है;

और राज्य सरकार अवक्रमण की उक्त अवधि को, नई पर्षद् के गठन की तिथि तक या 1ली अप्रैल 1991 से एक और वर्ष की अवधि तक, जो पूर्वतर हो, विस्तृत करना आवश्यक समझती है;

अतः अब राज्यपाल, बिहार, उक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेश देते हैं कि उक्त पर्षद् 1ली अप्रैल 1991 के प्रभाव से एक और वर्ष की अवधि के लिए या पर्षद के गठन की तिथि तक, जो पूर्वतर हो, अवक्रमित रहेगी।

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास नियमावली, 1952

अधिसूचना सं॰ 9594-डी॰ 28-29 नवम्बर 1942–बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1950 (बिहार ऐक्ट 1, 1951) की धारा 82 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, निम्न नियमावली बनाते हैं, जिसका प्रकाशन पहले किया जा चुका है।

1. संक्षिप्त नाम–यह नियमावली बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट रूल्स, 1952, कहलायेगी।

2. यह नियमावली उस तारीख को लागू होगी जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।

3. इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' से तात्पर्य है बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1950 ;

(ख) ''धारा'' से तात्पर्य है अधिनियम की धारा;

(ग) ''हस्ताक्षर'' के अन्तर्गत, अपढ़ व्यक्तियों की दशा में, अँगूठे का निशान भी सम्मिलित है; परन्तु अँगूठे का निशान साक्षर व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित किया हुआ होना चाहिए;

(घ) ''फारम'' से तात्पर्य है इस नियमावली से संलग्न फारम;

(ङ) ''बोर्ड'' से तात्पर्य है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रेलिजस ट्रस्ट्स);

(च) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रेलिजस ट्रस्टस) का अध्यक्ष;

(छ) ''निवार्ची-पदाधिकारी'' के अन्तर्गत कोई अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित है जिसे निर्वाची-पदाधिकारी ने, लिखित रूप में, इस नियमावली के अधीन अपने कोई या सभी कृत्य सौंप दिये हों।

[धारा 8(1) (ख) (ग) और धारा 10]

4. (1) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन डाक द्वारा मतदान से और एकल संक्रमणीय मत के जरिये होगा।

(2) (क) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक-नामावली देवनागरी लिपि, हिन्दी में धारा 34 के अधीन संधारित, न्यासों की पंजी के आधार पर अध्यक्ष द्वारा तैयार की जायेगी।

(ख) खंड (क) के अधीन तैयार की गई निर्वाचक-नामावली में निम्न विवरण होंगे:–

(i) हरेक निर्वाचक का नाम;

(ii) हरेक निर्वाचक का डाक पता;

(iii) हरेक निर्वाचक के पिता या आध्यात्मिक गुरु का नाम;

(iv) हरेक न्यासों का नाम जिनका निर्वाचक न्यासी हो।

(ग) धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक-नामावली देवनागरी लिपि, हिन्दी में, राज्य विधान-मंडल के हिन्दू सदस्यों और इस राज्य से लोक-सभा के लिए निर्वाचित हिन्दू सदस्यों के नाम और पते सम्बद्ध सचिवों से अभिनिश्चय कर, अध्यक्ष द्वारा तैयार की जायेगी।

(घ) निर्वाचक-नामावली, बोर्ड के कार्यालय के किसी सुगोचर स्थान में लटका दी जाएगी।

(ङ) निर्वाचक-नामावली में हुई किसी भूल के सम्बन्ध में कोई आपत्ति, नामावली के इस प्रकार

लटकाये जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों की भीतर लिखित रूप में, अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की जा सकेगी और यदि इस अवधि के भीतर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की जाए तो निर्वाचक-नामावली अन्तिम मानी जायेगी। इस अवधि के बाद दाखिल की गई आपत्ति रद्द कर दी जायेगी।

(च) खंड (ङ) के अधीन दाखिल की गई आपत्ति पर, यदि कोई हो, अध्यक्ष संक्षिप्त जांच कर अपना निर्णय अभिलिखित करेगा, जो अन्तिम होगा। निर्वाचक-नामावली, यदि आवश्यक हुआ तो, अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार, संशोधित कर दी जाएगी और उसके बाद नामावली अन्तिम मानी जायेगी।

(छ) अध्यक्ष, अन्तिम निर्वाचक-नामावली की कम से कम दो प्रतियां, यथाशीघ्र, निर्वाची-पदाधिकारी के पास भेजे देगा।

5. इस नियमावली के खंड 4 (1) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा, अर्थात्:–

(क) इस खंड के अधीन निर्वाचन संचालित करने के प्रयोजनार्थ पटना प्रमंडल का आयुक्त, निर्वाची पदाधिकारी होगा।

(ख) निर्वाची-पदाधिकारी निम्न नियत करेगा :–

(i) मनोनयन के लिये अन्तिम तारीख, जो निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में ऐसी अन्तिम तारीख नियत करने वाले आदेश के प्रकाशन की तारीख से 10 दिनों के बाद और सात दिनों से पहले की न होगी;

(ii) मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख, जो मनोनयन की अन्तिम तारीख से पांच दिनों के बा॰ की न होगी;

(iii) उम्मी॰॰ा की वापसी के लिये अन्तिम तारीख, जो मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख के बाद तीसरे दिन होगी;

(iv) वह तारीख या तारीखें जब, यदि आवश्यक हो, मतदान लिया जायेगा, और जो या जिनमें से प्रथम वह तारीख होगी जो उम्मीदवारी की वापसी की अन्तिम तारीख से 30 दिनों के पहले की न होगी; और

(v) मतगणना के लिये कोई दूसरी तारीख, जो मतदान लिये जाने की तारीख या मतदान की अन्तिम तारीख से सात दिनों से बाद की नहीं होगी। परन्तु, यदि किन्हीं कारणों से इस प्रकार नियत तारीख पर मतगणना पूर्ण न हो तो अनुवर्ती तारीख या तारीखों को मतगणना जारी रहेगी।, जब तक वह पूर्ण न हो जाय।

(ग) खंड (ख) के अधीन नियत तारीख निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में, बोर्ड-कार्यालय में और बिहार में मुद्रित व प्रकाशित होने वाले कम से कम एक हिन्दी और एक अँग्रजी दैनिक के अंक में प्रकाशित होगी।

(घ) (i) मनोनयन के लिये खंड (ख) (i) के अधीन नियत तारीख को या उसके पहले प्रत्येक उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक, फारम III में पूर्ण मनोनयन-पत्र मनोनयन की स्वीकृति में स्वयं हस्ताक्षर कर और खंड (I) में निर्दिष्ट प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित, निर्वाची-पदाधिकारी के पास उसके कार्यालय में भेजे देगां

(ii) कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली में निर्बन्धित हो मनोनयन-पत्र पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर कर सकेगा।

(iii) हरेक मनोनयन-पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित यह लिखित घोषणा संलग्न रहेगी कि वह निर्वाचित होने पर बोर्ड की सेवा करने को तत्पर है और वह हिन्दू

है और कोई भी उम्मीदवार उस समय तक उचित रूप से मनोनीत नहीं समझा जायगा; जब तक उसके मनोनयन पत्र के साथ ऐसी घोषणा संलग्न न हो।

(iv) उम्मीदवारों के मनोनयन के लिये नियत तारीख को अपराह्न में तीन बजे के बाद प्राप्त होने वाला मनोनयन-पत्र रद्द कर दिया जायगा।

(v) खंड (घ) (i) के अधीन मनोनयन-पत्र की प्राप्ति पर, निर्वाची पदाधिकारी, इसे भेजने वाले व्यक्ति को मनोनयन के परिनिरीक्षण के लिए नियत तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा और उसके बाद यथाशीघ्र अपने कार्यालय के किसी सुगोचर स्थान में उम्मीदवार और उन व्यक्तियों के, जिन्होंने मनोनयन-पत्र पर प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किया हो, मनोनयन-पत्र की सूचना चिपकवा देगा।

(vi) कोई उम्मीदवार निर्वाची पदाधिकारी को अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित सूचना देकर उम्मीदवारी की वापसी के लिये नियत तारीख को अपराह्न में तीन बजे के पूर्व अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेगा। किसी उम्मीदवार को, जिसने अपनी उम्मीदवारी इस प्रकार वापस ले ली हो, इसे रद्द करने या उसी निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(vii) निर्वाची-पदाधिकारी, खंड (घ) (iv) के अधीन वापसी की सूचना की प्राप्ति पर, यथाशीघ्र इस प्रकार उम्मीदवारी की वापसी की सूचना अपने कार्यालय के किसी सुगोचर स्थान पर चिपकवा देगा।

(viii) मनोनयनों के परिनिरीक्षण के लिये निर्वाची-पदाधिकारी द्वारा नियत समय और स्थान पर उम्मीदवार, हरेक उम्मीदवार के एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक को छोड़ कर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेगा और निर्वाची-पदाधिकारी, सभी उम्मीदवारों के मनोनयन-पत्र, जो नियत समय के भीतर और इस नियमावली में विनिहित रीति से दिये गये हों, की जांच के लिये उन्हें सभी युक्तियुक्त सुविधायें प्रदान करेगा।

उसके बाद निर्वाची-पदाधिकारी मनोनयन-पत्रों की जांच करेगा और किसी मनोनयन-पत्र पर की गई सभी आपत्तियों पर अपना निर्णय देगा और ऐसी आपत्ति पर या स्वतः ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, किसी मनोनयन-पत्र को अस्वीकार कर सकेगा जिससे इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन होता हो। निर्वाची-पदाधिकारी हरेक मनोनयन-पत्र पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करते हुए अपना निर्णय पृष्ठांकित करेगा और ऐसा निर्णय अन्तिम होगा।

(ix) मनोनयन-पत्रों के परिनिरीक्षण के पूर्ण होने पर और उस अन्तिम तारीख की समाप्ति के बाद जिसके भीतर उम्मीदवारी वापस ली जा सकती हो, निर्वाची-पदाधिकारी अविलम्ब उचित रूप से मनोनीत उम्मीदवारों की सूची, हिन्दी-भाषा देवनागरी लिपि में वर्णानुक्रम से तैयार करेगा और उसे अपने कार्यालय में किसी सुगोचर स्थान पर चिपकवा देगा।

(x) यदि मान्य रूप से मनोनीत उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस न ली हों, केवल उतने ही हों जितने धारा 8 की उप-धारा (1) के खंड (ख) और (ग) के अधीन निर्वाचित किए जाने वाले हों तो वे निर्वाचित घोषित कर दिये जाएँगे।

(xi) यदि मान्य रूप से मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक हो तो मतदान लिया जायगा।

(ङ) मतदान के लिये नियत तारीख के कम-से-कम पन्द्रह दिन पूर्व निर्वाची-पदाधिकारी हर निर्वाचक के पास एक-एक शलाका-पत्र निबंधित डाक से भेज देगा।

(च) (i) अपना मत अभिलिखत करने के बाद निर्वाचक, शलाका-पत्र को निबन्धित डाक द्वारा निर्वाची पदाधिकारी के पास इस प्रकार भेजेगा कि मतदान के लिये नियत तारीख को अपराह्न पांच बजे के पूर्व वह उसके पास पहुंच जाए। उस समय के बाद मिलने वाला शलाका-पत्र रद्द कर दिया जायगा:

परन्तु निर्वाचक, स्वेच्छा से शलाका-पत्र डाक से न भेज कर स्वयं भी उक्त समय तक निर्वाची-पदाधिकारी को दे सकेगा।

(ii) कोई भी निर्वाचन, इस कारण से अमान्य नहीं होगा कि इस नियमावली के अधीन यथावत् रूप से किसी निर्वाचक को भेजा गया शलाका-पत्र उसे नहीं मिला है।

(छ) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा या उसकी देख-रेख में मतगणना की जायेगी और हरेक उम्मीदवार या उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके एक प्रतिनिधि को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

(ज) (i) सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार (एकल संक्रमनीय मत प्रणाली के अनुसार गिना गया) सम्यक रूप से निर्वाचित घोषित होगा।

(ii) जब किन्हीं उम्मीदवारों के बीच मत साम्य हो और एक मत से ही उम्मीदवारों में से कोई निर्वाचित घोषित होने का हक्कदार हो जाता हो तो इस बात का निश्चय, कि ऐसा अतिरिक्त मत किसे दिया गया समझा जाय, निर्वाची-पदाधिकारी की उपस्थिति में लाटरी से और उसके द्वारा निश्चित रीति से किया जायगा।

(iii) निर्वाची-पदाधिकारी निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होते ही निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास, बिहार गजट में प्रकाशनार्थ, भेज देगा।

(झ) पूर्ववर्ती नियम के अधीन निर्वाचित घोषित किसी उम्मीदवार के विरुद्ध निर्वाचन-याचिका, निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीरत, निर्वाची-पदाधिकारी के समक्ष किसी उम्मीदवार या निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद दी गई याचिका अस्वीकार कर दी जायेगी।

(ञ) यदि खंड (झ) के अधीन याचिका अस्वीकार न की गई हो तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकारी याचिका के सम्बन्ध में जांच करेगा।

(ट) निर्वाचित व्यक्ति का निर्वाचन शून्य माना जायगा; यदि निर्वाचन भ्रष्टाचार या प्रलोभन देकर किया गया हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर भ्रष्ट वृत्ति द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर किसी मनोनयन की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा किसी मत की अनुचित प्राप्ति या अस्वीकृति या ऐसे किसी मत, जो शून्य हो, की प्राप्ति द्वारा अथवा अधिनियम या उसके अधीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के उल्लंघन द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो।

(ठ) इस नियमावली के प्रयोजनार्थ ''भ्रष्ट वृत्ति'' का वही अर्थ है जो इसका राज्य-विधान मंडल के निर्वाचन के सम्बन्ध में है।

(ड) खंड (ञ) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी निर्वाचन-याचिका का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

[धारा 13 (3)]

6. (1) बोर्ड या किसी समिति के सदस्य, यथास्थिति, बोर्ड या समिति के अध्यक्ष या नियमित संकल्प द्वारा उन्हें सौंपे गये विशेष कर्त्तव्यों के पालन करने के लिये यात्रा कर सकते हैं।

(2) बोर्ड का अध्यक्ष और सदस्य, चाहे वे निर्वाचित हों या नियोजित, यात्रा या अन्य भत्तों के प्रयोजनार्थ, बिहार और उड़ीसा सेवा संहिता के प्रसंगोचित उपबन्धों के अर्थ में क्रमशः प्रथम व द्वितीय कोटि के पदाधिकारी समझे जायंगे।

(3) अध्यक्ष और सदस्य, यदि वे बैठक के समय मुख्यालय में ही हों और बाहर से न आये हों तो, यात्रा भत्ता के हक्कदार न होकर केवल हरेक बैठक के लिये क्रमशः तीन और दो रुपये सवारी भत्ता लेने के हक्कदार होंगे।

[धारा 28 (2) (क)]

7. अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिलेख फारम 1 में निरूपित रीति से तैयार किये और रखे जायेंगे।

8. धारा 28 की उप-धारा (2) के खंड (द) में निर्दिष्ट खर्चे भू-राजस्व के बकाये के रूप में बोर्ड द्वारा वसूलने योग्य होंगे। ऐसे बकाये की वसूली का मांग-पत्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी होगा।

[धारा 30 (1)]

9. धारा 30 की उप-धारा (1) के अधीन हरेक सूचना पावती-सहित निबंधित डाक से भेजी जायेगी अथवा पाने वाले की उचित रूप से हस्ताक्षरित लिखित रसीद लेकर हाथों-हाथ दी जायेगी। रसीद देने से इनकार करने की दशा में यह सूचना सम्बद्ध पाने वाले के निवास के किसी सुगोचर स्थान में, दो साक्षियों की उपस्थिति में, चिपका दी जायेगी।

[धारा 43 (1)]

10. धारा 43 की उप-धारा (1) के अधीन दिया गया कोई आवेदन उचित रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा और उसमें सम्बद्ध सम्पत्ति के इस प्रकार के विवरण अन्तर्विष्ट होंगे जो इसकी पहचान के लिये पर्याप्त हों। ऐसे सत्यापन का फारम वही होगा जो व्यवहार-प्रक्रिया-संहिता में वाद सत्यापित करने के लिए विनिहित है।

[धारा 43 (2)]

11. धारा 43 की उप-धारा (2) के अधीन सामान्य सूचना, बिहार राज्य में मुद्रित व प्रकाशित या इस राज्य में परिचारित अँग्रेजी और हिन्दी समाचार-पत्र के कम-से-कम एक अंक में प्रकाशित होगी। यदि जिला न्यायाधीश वांछनीय समझे तो वह बिहार में परिचारित अन्य समाचार पत्रों में भी उसके प्रकाशन का आदेश दे सकेगा। यह सूचना सम्बद्ध जिला न्यायाधीश के सूचना-पट्ट पर भी प्रकाशित की जायेगी

[धारा 44 (1)]

12. धारा 44 की उप-धारा (1) के अधीन अन्तरण की सूचना फारम 2 में होगी।

[धारा 59 (1) (2)]

13. धारा 59 की उप-धारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण फारम 1 में दिये जायेंगे और उसमें दिये जाने वाले विवरण वही होंगे जो इस फारम के हर स्तम्भ में दिखाये गये हों।

[धारा 65 (1)]

14. वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा 65 की उप-धारा (1) के अधीन न्यासी अपील करेगा, उस जिले का जिला न्यायाधीश होगा जिसमें सम्बद्ध धार्मिक न्यास की विषय-वस्तु का सम्पूर्ण या कोई भाग अवस्थित हो।

[धारा 70 (2) (क)]

15. धारा 70 की उप-धारा (2) के खंड (क) के अधीन फीस अध्यक्ष द्वारा परिस्थिति के अनुसार ऐसी रीति से जैसा वह उत्तम समझे निर्धारित होगी। परन्तु अध्यक्ष कर-दाता को, स्वयं या इसके लिये लिखित रूप में उचित रीति से प्राधिकृत अभिकर्त्ता द्वारा, अपने मामले का उसके समक्ष अभिवेदन करने

का अवसर प्रदान करेगा और इस सम्बन्ध में कर-दाता या उसकी ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, पर भी विचार करेगा।

[धारा 70 (2) (ख)]

16. कर-निर्धारण के आदेश के विरुद्ध धारा 70 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपील, उस जिले के जिला न्यायाधीश के यहां होगी जिसमें सम्बद्ध धार्मिक न्यास की विषय-वस्तु का सम्पूर्ण या कोई भाग अवस्थित हो।

[धारा 70 (3)]

17. बोर्ड, अध्यक्ष के नाम सरकारी खजाने में लेखा खोलेगा और धारा 70 की उप-धारा (3) के अधीन देय फीस उस लेखे में चालान के जरिए अथवा कोषागार पदाधिकारी के नाम पोस्टल मनीआर्डर द्वारा जमा होगी।

18. इस नियमावली के किसी नियम के अधीन अध्यक्ष द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां, धारा 80 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के अधीन बोर्ड के अवक्रमण की अवधि में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा प्रयोग की जायेंगी जिसे या जिन्हें राज्य सरकार ऐसी अवधि में बोर्ड की शक्तियों और कर्त्तव्यों का प्रयोग और पालन करने के लिये निदेशित करे।

फारम 1

(बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स रूल्स, 1942 के नियम 7 और 13 देखें।)

1. क्रम संख्या ... ...
2. न्यास का नाम ... ...
3. उस ग्राम, डाकघर, थाना, अवर प्रमंडल और जिले का नाम, जिसमें यह अवस्थित हो (सबसे अधिक समीपी रेलवे स्टेशन भी)।
4. प्रधान मठ या मंदिर के पड़ोस के छोटे मठों या मंदिरों के नाम और उनकी अवस्थिति।
5. न्यासियों और प्रबन्धकों के पते सहित नाम (नियुक्ति और पदावधि की समाप्ति की तारीख सहित)।
6. इस सम्बन्ध के ब्योरे की संस्था का प्रशासन-न्यायालय द्वारा तय की गई किसी योजना के अधीन होता है या न्यासियों द्वारा बिना किसी नियंत्रण के तथा ऐसे ब्योरे भी कि न्यासी और प्रबन्धक के पद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में किसी लेख्य या प्रचलन में कोई उपबन्ध है या नहीं।
7. न्यास की उत्पत्ति या निर्माण के बारे में लेख्यों के विवरण।
8. संस्थापक या दानदाता का नाम, यदि ज्ञात हो।
9. न्यास के उद्देश्य ... ...
10. न्यास द्वारा धारित चल और अचल दोनों सम्पत्तियों के विवरण।
11. गत वित्तीय वर्ष के भीतर बेची गई, अन्तरित या गठित चल और अचल दोनों सम्पत्तियों के विवरण।

12. वार्षिक आय, यह पिछले वित्तीय वर्ष की होनी चाहिये और निम्न प्रकार दिखलाई जाये :–
 (क) सभी स्रोतों से आय; और...
 (ख) राजस्व, लगान, कर स्थानीय और अन्य उपकरों और 12½ प्रतिशत प्रबंध के खर्च की कटौती के बाद शुद्ध आय।
13. वार्षिक व्यय–
 (क) न्यासियों और प्रबंधकों के पारिश्रमिक पर;
 (ख) स्थापना और कर्मचारिवर्ग पर ...
 (ग) धार्मिक कार्यों पर ..
 (घ) दानों के सम्बन्ध में ..
 (ङ) विविध मदों पर ..
14. अनुसरण किये जाने वाले महत्वपूर्ण आचारों और प्रयोगों के विवरण।
15. न्यास की सम्पत्ति पर अवभारों के विवरण।
16. महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना ...
17. अभ्युक्ति .. ...

फारम 2

(बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स रूल्स, 1952 का नियम 14 देखें)

सेवा में

अध्यक्ष,

बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रेलिजस ट्रस्ट्स)।

महोदय,

बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1950 की धारा 44 की उप-धारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि न्यास-विलेख (जैसा नीचे अंकित है) में अभिव्यक्त अन्तरण की शक्ति के अनुसार, न्यास से सम्बद्ध..... जिले में अवस्थित..............न्यास की, आगे वर्णित अचल सम्पत्ति नीचे लिखी रीति से अन्तरित करने का अभिप्राय है :–

न्यास विलेख से उद्धरण ....

अन्तरित की जाने वाली सम्पत्ति.........................

अन्तरण के विवरण...

अन्तरण के बन्धेज और शर्तें..............................

तारीख.............

....

न्यासी का हस्ताक्षर।

फारम 3

(बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स रूल्स, 1952 का नियम 5 देखे)

1. उम्मीदवार नाम
2. पिता का नाम
3. आयु
4. प्रस्तावक का नाम (1)
5. प्रस्तावक का हस्ताक्षर (1)
6. अनुमोदक का नाम (1)
7. अनुमोदक का हस्ताक्षर (1)

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं इसके द्वारा यह घोषित करता हूं कि मैं इस मनोनयन से सहमत हूं और मैं हिन्दू/बौद्ध हूँ और निर्वाचन का पात्र हूं।

उम्मीदवार का हस्ताक्षर।

डिलिवरी का प्रमाण-पत्र

यह मनोनयन-पत्र मुझको मेरे कार्यालय में तारीख 200 को अ० म०/ ... बजे डिलिवर (दिया) किया गया।

निर्वाची-पदाधिकारी।

परिनिरीक्षण का प्रमाण-पत्र

मैंने उम्मीदवार, प्रस्तावक और अनुमोदक की पात्रता का परिनिरीक्षण कर लिया है और वे, क्रमशः, निर्वाचन के लिये खड़े होने और मनोनयन का प्रस्ताव और अनुमोदन करने के योग्य हैं।

निर्वाची-पदाधिकरी।

फारम 4

(बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स रूल्स, 1952 का नियम 5 देखें)

क्रम संख्या...

निर्वाचक का नाम.................................

मैं (पूरा नाम)..............घोषित करता हूं कि मैं.............. का सदस्य हूं और मै हरेक के सामने दी गई प्रधानता के अनुसार, उम्मीदवारों को मत देने का इच्छुक हूँ।

निर्वाचक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान।

पता..........................

उम्मीदवारों के नाम।	प्रधानता-क्रम।
(1)	
(2)	
(3)	
(4)	
(5)	

निर्वाचक (1) के सामने उस व्यक्ति का नाम देगा जिसे वह प्रथम प्रधानता देना चाहता है, (2) के सामने उस व्यक्ति का नाम देगा जिसे वह द्वितीय प्रधानता देना चाहता है, (3) के सामने उस व्यक्ति का नाम देगा जिसे वही तीसरी प्रधानता देना चाहता है और आगे भी इसी प्रकार।

बिहार दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955

सं० 200-डी, 15 जनवरी, 1955.—बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम अधिनियम), की धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार निम्न नियमावली बनाती है जिसका प्रकाशन उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पहले किया जा चुका है, अर्थात्

1. संक्षिप्त नाम।—यह नियमावली ''बिहार दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955'' कहलाएगी।

2. यह नियमावली उस तिथि को लागू होगी जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा नियत करेगी।

3. इस नियमावली में जबतक कोई बात विषय या प्रसंग में असंगत नहीं होगी, तबतक:—

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950;

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है उक्त अधिनियम की धारा;

(ग) ''हस्ताक्षर'' के अंतर्गत, अशिक्षित व्यक्तियों की स्थिति में अंगूठा-निशान, परंतु उक्त अंगूठा-निशान साक्षर व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित होना चाहिए।;

(घ) ''फारम'' से इस नियमावली में संलग्न फारम अभिप्रेत है;

(ङ) ''पर्षद्'' से बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् अभिप्रेत है;

(च) ''अध्यक्ष'' से बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है; और

(छ) ''निर्वाची पदाधिकारी'' के अंतर्गत कोई अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित है जिसे निर्वाची पदाधिकारी ने लिखित रूप में, इस नियमावली के तहत अपने सभी या कोई कृत्य सौंप दिये हो।

4. (1) धारा 8 की उप-धारा (2) के खंड (ख) और (ग) के तहत बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के सदस्यों का निर्वाचन डाक द्वारा मतदान से और एकल अतरणीय मत के जरिए होगा।

2 (क) धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (ख) के तहत सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक-सूची देवनागरी लिपि हिन्दी में, धारा 34 के तहत संघारित न्यासों की पंजी के आधार पर, अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी।

(ख) खंड (क) के तहत तैयार की गई निर्वाचक-सूची में निम्नांकित ब्योरे अंतर्विष्ट होंगे:

(i) प्रत्येक निर्वाचक का नाम,

(ii) प्रत्येक निर्वाचक का डाक पता,

(iii) प्रत्येक निर्वाचक के पिता या आध्यात्मिक गुरु का नाम, और

(iv) धार्मिक न्यास का नाम जिसका निर्वाचक न्यासी हो।

(ग) धारा 8 की उपधारा (3) के खंड (ग) के तहत सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक सूची अध्यक्ष द्वारा देवनागरी लिपि हिन्दी, में तैयार की जाएगी। अध्यक्ष, तारीख निश्चित करते हुए जो नोटिस-प्रकाशन की तारीख से 30 दिन से पहले की नहीं होगी, राज्य में प्रकाशित कम-से-कम दो हिन्दी समाचार-पत्रों में, नोटिस प्रकाशित करेगा, जिस तारीख के भीतर निर्वाचक-सूची में सदस्यों के पंजीयन के लिए आवेदन पत्र लिए जाएंगे। वैसे आवेदन पत्रों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और पर्षद्-कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकेंगे या डाक से भेजे जा सकेंगे।

(घ) निर्वाचक सूची पर्षद्-कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लटका दी जाएगी और धारा 34 के तहत पंजीकृत न्यासों के कार्यालयों को इसकी जानकारी भेज दी जाएगी।

(ङ) निर्वाचक-सूची में किसी भूल से सम्बन्धित कोई आपत्ति लिखित रूप में उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की जाएगी, और यदि इस अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं दाखिल की जाएगी तो निर्वाचक सूची अंतिम हो जाएगी। इस अवधि के बाद दाखिल की गई आपत्ति अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(च) अध्यक्ष खंड (ग) के तहत दाखिल की गई आपत्तियों की, यदि हों, संक्षिप्त जांच करेगा और अपना निर्णय अभिलिखित करेगा जो अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा और तत्पश्चात् सूची अंतिम हो जाएगी।

(छ) अध्यक्ष निर्वाची पदाधिकारी को यथाशीघ्र अंतिम निर्वाचक सूची की कम-से-कम दो प्रतियां भेजेगा।

5. नियम 4(1) के तहत सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्नांकित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात्:-

(क) नियम 4(1) के तहत सदस्यों के निर्वाचन के संचालन के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, निर्वाची पदाधिकारी होगा।

(ख) निर्वाची पदाधिकारी नियत करेगा-

(i) मनोनयन के लिए अंतिम तारीख, जो निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में ऐसी अंतिम तारीख नियत करनेवाले आदेश के प्रकाशन की तारीख से दसवां दिन के बाद और सातवां दिन से पहले की न होगी;

(ii) मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख, जो मनोनयन करने के लिए अंतिम तारीख से पांचवा दिन के बाद की नहीं होगी;

(iii) उम्मीदवारी की वापसी की अंतिम तारीख मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख के बाद का सातवां दिन होगी;

(iv) तारीख या तारीखें जिसपर या जिनपर, यदि आवश्यक हो, मतदान लिया जाएगा, वह या उनमें से प्रथम वह होगी जो उम्मीदवारी वापसी की अंतिम तारीख के बाद के तीसवां दिन से पहले नहीं होगी;

(v) मतगणना के लिए कोई अगली तारीख, जो मतदान लिये जाने की तारीख या मतदान की अंतिम तारीख से सातवां दिन के बाद की नहीं होगी;

परंतु यह कि यदि किसी कारणवश मतगणना नियत की गई तारीख को सम्पन्न नहीं होगी तो आगामी अनुवर्ती तारीख या तारीखों को भी, यथा स्थिति, जारी रहेगी जबतक कि वह सम्पन्न नहीं हो जाए।

(ग) खंड (ख) के तहत नियत की गई तारीखें निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में, पर्षद् के कार्यालय में और राज्य में प्रकाशित होनेवाले एक अंग्रेजी दैनिक और एक हिन्दी दैनिक के कम-से-कम एक अंक में प्रकाशित की जाएंगी।

(घ) (i) मनोनयन करने के लिए (ख) (i) के तहत नियत की गई तारीख को या उसके पहले, प्रत्येक उम्मीदवार, व्यक्तिगत रूप में या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक के द्वारा, ग्यारह बजे पूर्वाह्न और तीन बजे अपराह्न के बीच निर्वाची पदाधिकारी को उसके कार्यालय में फारम 3 में अच्छी तरह भरा हुआ, सहमति स्वरूप स्वयं उम्मीदवार द्वारा और खंड (ii) में प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में निर्दिष्ट किये गए दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, मनोनयन-पत्र देगा।

(ii) कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में पंजीकृत है, मनोनयन-पत्र पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर कर सकेगा।

(iii) प्रत्येक मनोनयन-पत्र के साथ स्वयं उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का लिखित घोषणा-पत्र संलग्न रहेगा कि निर्वाचित होने पर वह पर्षद् में कार्य करने के लिये तैयार है, और यह कि वह हिन्दू है, तथा कोई उम्मीदवार तबतक विधिवत् मनोनीत नहीं माना जाएगा जबतक वह ऐसा घोषणा-पत्र मनोनयन-पत्र के साथ नहीं देगा।

(iv) उम्मीदवारों के मनोनयन के लिये नियत की गई तारीख को तीन बजे अपराह्न के बाद प्राप्त किया गया कोई भी मनोनयन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(v) निर्वाची पदाधिकारी, खंड (घ) (i) के तहत पत्र की प्राप्ति पर उसे देनेवाले व्यक्ति को मनोनयन-पत्र के परिनिरीक्षण की तारीख, नियत समय और स्थान की जानकारी देगा और तत्पश्चात् यथासम्भव शीघ्र अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर उम्मीदवार के मनोनयन-पत्र और उन व्यक्तियों के जिन्होंने मनोनयन पत्र पर प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किये हैं, दोनों की नोटिस चिपकवा देगा।

(vi) कोई भी उम्मीदवार, उम्मीदवारी की वापसी के लिए नियत की गई तारीख को तीन बजे अपराह्न के पहले निर्वाची पदाधिकारी को स्वहस्ताक्षरित लिखित नोटिस देकर अपनी उममेदवारी वापस ले सकेगा। जिस उम्मीदवार ने इस तरह से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली हो उसे वापसी रद्द करने की या उसी निर्वाचन के लिये उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किये जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

(vii) निर्वाची पदाधिकारी, खंड (घ) (vi) के तहत वापसी की नोटिस पाने पर, यथासंभव शीघ्र अपने कार्यालय के सहजदृश्य स्थान पर वापसी की नोटिस चिपकवा देगा।

(viii) मनोनयन-पत्रों के परिनिरीक्षण के लिये निर्वाची पदाधिकारी द्वारा नियत किया गया समय और स्थान पर उम्मीदवार और उम्मीदवार का एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक लेकिन अन्य कोई नहीं, उपस्थित रह सकेंगे, और निर्वाची पदाधिकारी सभी उम्मीदवारों के उन मनोनयन-पत्रों की जांच के लिए उन्हें सभी समुचित सुविधायें देगा, जो समय के अन्दर और इस नियमावली में विहित रीति से दिये गये होंगे।

इसके बाद, निर्वाची पदाधिकारी मनोनयन पत्रों की जांच करेगा और किसी मनोनयन के विरुद्ध की गई सभी आपत्तियों पर निर्णय लेगा और, वैसी आपत्ति पर या अपने विवेकानुसार किसी वैसी जांच के बाद जो वह आवश्यक समझेगा, किसी वैसे मनोनयन पत्र को अस्वीकृत करेगा जो इस नियमावली के किसी उपबंध का उल्लंघन करता हो। निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक मनोनयन पत्र पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय पृष्ठांकित करेगा और उक्त निर्णय अंतिम होगा।

(ix) मनोनयन पत्रों के परिनिरीक्षण को सम्पन्न करने और उम्मीदवारी की वापसी की अवधि की समाप्ति के बाद निर्वाची पदाधिकारी तुरंत वर्णानुक्रम में सजाये गये देवनागरी लिपि, हिन्दी में विधिवत् मनोनीत उम्मीदवारों की सूची तैयार करेगा और अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपकवा देगा।

(x) यदि केवल उतने ही विधिवत् मनोनीत उम्मीदवार, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है होंगे जितने को निर्वाचित किया जाना है तो उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(xi) यदि विधिवत् मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित होनेवालों की संख्या से अधिक होगी तो मतदान कराया जाएगा।

(ङ) मतदान के लिए नियत की गई तारीख से कम-से-कम पन्द्रह दिन पहले निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचक को रजिस्ट्री डाक से या पर्षद् के अध्यक्ष या विशेष पदाधिकारी द्वारा विधिवत् विशेष दूत के द्वारा, यथास्थिति, फारम 4 में एक मतपत्र भेजेगा।

(च) (i) अपना मत अभिलिखित करके निर्वाचक रजिस्ट्रीकृत डाक से मतपत्र को निर्वाची पदाधिकारी के पास भेजेगा ताकि वह मतदान के लिये नियत की गई तारीख को 5 बजे

अपराह्न तक पहुंच जाए। उक्त समय के बाद प्राप्त किये गये मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे:

परंतु यह कि निर्वाचक स्वेच्छया, डाक से मतपत्र भेजने के बजाए, उपर्युक्त समय तक व्यक्तिगत रूप से मतपत्र निर्वाची पदाधिकारी को दे सकेगा।

(ii) कोई निर्वाचन इस कारण नहीं रद्द किया जाएगा कि इस नियम के तहत निर्वाचक को सम्यक रूप से भेजा गया मतपत्र नहीं प्राप्त हुआ।

(छ) मतों की गिनती निर्वाची पदाधिकारी द्वारा या उसकी निगरानी में की जाएगी और प्रत्येक उम्मीदवार को या उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत एक प्रतिनिधि को गिनती के समय उपस्थित रहने का अधिकार प्राप्त होगा।

(ज) (i) (एकल अंतरणीय मतदान पद्धति के अनुसार गणित) अधिकतम मत प्राप्त करनेवाला उम्मीदवार को विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ii) जब उम्मीदवारों के बीच बराबर-बराबर मत पाये जाएंगे और एक मत की बढ़ती उम्मीदवारों में से किसी एक को निर्वाचित घोषित किये जाने का हकदार बना देगी तब उस व्यक्ति का विनिश्चयन, जिसे एक अतिरिक्त मत प्राप्त हुआ माना जाएगा, निर्वाची पदाधिकारी की उपस्थित में भाग्य-पत्रक (लौट) द्वारा उस तरीका से किया जाएगा जो वह विनिश्चित करेगा।

(iii) निर्वाचन का परिणाम घोषित होते ही निर्वाची पदाधिकारी बिहार गजट में प्रकाशन के लिए राज्य सरकार को निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम प्रतिवेदित करेगा।

(झ) पूर्वगामी नियम के तहत निर्वाचित घोषित किसी उम्मीदवार के विरुद्ध निर्वाचन-याचिका, निर्वाचन के परिणाम घोषित होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर, निर्वाची पदाधिकारी को किसी उम्मीदवार या निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद याचिका अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(ञ) यदि खंड (झ) के तहत याचिका नहीं अस्वीकृत की गई हो तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उक्त याचिका के सम्बन्ध में जांच की जाएगी।

(ट) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य होगा, यदि निर्वाचन भ्रष्टाचार से या प्रलोभन देकर किया गया हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर भ्रष्ट वृत्ति द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर किसी मनोनयन की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा किसी मत की अनुचित प्राप्ति या अस्वीकृति या ऐसे किसी मत, जो शून्य हो, की प्राप्ति द्वारा अथवा अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमावली के उपबन्धों के उल्लंघन द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो।

(ठ) इस नियमावली के प्रयोजन के लिए "भ्रष्टवृत्ति" का वही अर्थ होगा जो इसका राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के सम्बन्ध में है।

(ड) खंड (ञ) के तहत नियुक्त प्राधिकारी निर्वाचन-याचिका का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

6. (1) पर्षद् या समिति के सदस्य, अध्यक्ष के द्वारा या यथास्थिति, पर्षद् या समिति के नियमित संकल्प के द्वारा सौंपे गए विशेष कार्यों के निष्पादन के लिये ही यात्रा कर सकेंगे।

(2) पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्य यात्रा और अन्य भत्तों के प्रयोजन के लिए बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के सुसंगत उपबंधों के अर्थ में क्रमशः प्रथम और द्वितीय कोटि के पदाधिकारी समझे जाएंगे।

(3) यदि पर्षद् या समिति के अध्यक्ष और सदस्य बैठक के समय मुख्यालय (स्टेशन) पर ही हों और बाहर से नहीं आए हों तो वे यात्रा-भत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे, किंतु वे प्रति बैठक 2 रु० वाहन-भत्ता लेने के हकदार होंगे।

7. धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिलेख फारम-1 में निरूपित रीति से तैया और संधारित किया जाएगा।

8. धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (द) में निर्दिष्ट खर्चे, पर्षद् द्वारा भूराजस्व के बकाए जैसा वसूलनीय होंगे। वैसे बकाए की वसूली के लिए मांगपत्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।

9. धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस पावती-सहित रजिस्ट्री डाक से भेजी जाए या सम्बोधिती की विधिवत् हस्ताक्षरित लिखित रसीद पर हाथोंहाथ दी जाएगी। रसीद देने से इनकार करने पर यह नोटिस, दो साक्षियों की उपस्थिति में संबोधिती के निवास के सहजदृश्य स्थान पर लटका दी जाएगी।

10. धारा 43 के तहत दाखिल किया गया कोई आवेदन विधिवत् हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा और सम्बद्ध सम्पत्ति को पहचानने के लिए उसमें पर्याप्त ब्योरे होंगे। इस तरह का सत्यापन का फारम वही होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वादपत्र के सत्यापन के लिये विहित है।

11. धारा 43 की उपधारा (2) के तहत सामान्य नोटिस बिहार राज्य में मुद्रित और प्रकाशित अथवा इस राज्य में परिचारित अंग्रेजी और हिन्दी समाचार-पत्र के कम-से-कम एक अंक में प्रकाशित की जाएगी। यदि जिला न्यायाधीश वांछनीय समझे तो वह बिहार में परिचारित अन्य समाचार-पत्रों में भी उसका प्रकाशन का आदेश दे सकेगा। सम्बद्ध जिला न्यायाधीश के नोटिस-बोर्ड पर भी यह नोटिस प्रकाशित की जाएगी।

12. धारा 44 की उपधारा (1) के तहत अंतरण के आवेदन की नोटिस फारम-2 में होगी।

13. धारा 59 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण फारम-1 में प्रस्तुत किये जाएंगे और उसमें समाविष्ट किये जानेवाले ब्योरे वहीं होंगे जो उस फारम के प्रत्येक मद में बताये गये हों।

14. वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा 65 की उपधारा (1) के तहत न्यासी अपील कर सकेगा, उस जिला का जिला न्यायाधीश होगा जिसमें सम्बन्धित धार्मिक न्यास की विषय-वस्तु पूर्णत: या भागत: अवस्थित हो।

15. धारा 70 की उपधारा (2) के खंड (क) के तहत फीस अध्यक्ष द्वारा परिस्थितियों के अनुसार ऐसी रीति से निर्धारित की जाएगी जो वह सर्वोत्तम समझे परंतु, अध्यक्ष निर्धारिती को स्वयं या लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत अपने किसी अभिकर्त्ता के जरिए अपने मामले को उसके समक्ष अभ्यावेदित करने का अवसर प्रदान करेगा और इस सम्बन्ध में निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से पेश किया गया दस्तावेजी साक्ष्य यदि कोई हो पर विचार करेगा।

16. निर्धारण के आदेश के विरुद्ध धारा 70 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपील उस जिला के जिला न्यायाधीश के यहां संधार्य होगी जिसमें सम्बन्धित धार्मिक न्यास की विषय-वस्तु पूर्णत: या भागत: अवस्थित हो।

17. पर्षद्, राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष के नाम से एक खाता खोलेगी और धारा 70 की उपधारा (3) के तहत देय फीस, यदि खाता राजकीय कोषागार में खोला जाए तो, चालान के द्वारा अथवा कोषागार पदाधिकारी को सम्बोधित डाक द्वारा मुद्रादेश के जरिए प्रेषण द्वारा और यदि खाता भारतीय स्टेट बैंक में खोला जाए तो, अध्यक्ष के नाम में या अध्यक्ष को सम्बोधित डाक मुद्रादेश के जरिए प्रेषण द्वारा अदा की जाएगी।

फारम-1

(नियम 7 और 13 देखें)

1. क्रम सं०....
2. न्यास का नाम...
3. उस ग्राम, डाकघर, थाना, अवर प्रमंडल और जिला के

नाम, जिनमें यह अवस्थित है (निकटतम रेलवे स्टेशन भी)....

4. प्रधान मठ या मंदिर के पड़ोस के छोटे मठों या मंदिरों के नाम और उनकी अवस्थिति.....

5. न्यासियों और प्रबन्धकों के पते सहित नाम; नियुक्ति और पदावधि की समाप्ति की तारीखें भी.....

6. इस सम्बन्ध में ब्योरे की संख्या का प्रशासन न्यायालय द्वारा तय की गई किसी योजना के अधीन होता है या न्यासियों द्वारा बिना किसी नियंत्रण के, तथा ऐसे ब्योरे भी कि न्यासी और प्रबन्धक के पद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में किसी लेख्य या प्रचलन में कोई उपबन्ध है या नहीं/......

7. न्यास की उत्पत्ति या निर्माण के बारे में लेख्यों के विवरण.....

8. संस्थापक या दानकर्ता का नाम, यदि ज्ञात हो।

9. न्यास के उद्देश्य.....

10. न्यास द्वारा धारित चल और अचल, दोनों, सम्पत्तियों के विवरण.......

11. गत वित्तीय वर्ष के भीतर बेची गई, अन्तरित या बन्दोवस्त की गई चल और अचल, दोनों, सम्पत्तियों के विवरण. ...

12. वार्षिक आय (यह पिछले वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए और निम्न प्रकार दिखाई जाए):
   (क) सभी स्रोतों से आय: और
   (ख) राजस्व, लगान, कर स्थानीय अन्य उपकरों और 12½% प्रतिशत प्रबंध के खर्चों की कटौती करने के बाद, शुद्ध आय....

13. वार्षिक व्यय:
   (क) न्यासियों और प्रबन्धकों के पारिश्रमिक पर.........
   (ख) स्थापना और कर्मचारियों पर............
   (ग) धार्मिक कार्यों पर.............
   (घ) दानों के सम्बन्ध में.........
   (ङ) विविध मदों पर.................

14. अनुसरण किये जानेवाले महत्वपूर्ण आचारों और प्रयोगों के विवरण..........

15. न्यास की सम्पत्ति पर अवभारों के विवरण...........

16. महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना..............

17. अभ्युक्ति...........

फारम-2

(नियम 12 देखें)

सेवा में,

अध्यक्ष,

दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्।

महोदय,

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, की धारा 44 की उप-धारा (1) के उप... अनुसार इसमें वर्णित अचल सम्पत्ति को निम्न तरह से अंतरित करने की अनुमति के लिए मैं ... आवेदन करता हूं:

न्यास विलेख से उद्धरण:–

अंतरित की जानेवाली सम्पत्ति:–

अंतरण का विवरण:–

अंतरण की शर्तें और बंधेजें:–

तारीख....

न्यासी के हस्ता...

फारम-3

(नियम 5 देखें)

1. उम्मीदवार का नाम: –
2. पिता का नाम: –
3. आयु:–
4. प्रस्तावक का नाम: –(1)
5. प्रस्तावक के हस्ताक्षर: – –(1)
6. अनुमोदक का नाम: –(1)
7. अनुमोदक के हस्ताक्षर : –(1)

उम्मीदवार द्वारा घो...

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि मैं इस मनोनयन से सहमत हूं और मैं.....हिन्दू हूं और नि... का पात्र हूं।

उम्मीदवार के हस्ता...

डिलिवरी का प्रमाण-पत्र

यह मनोनयन-पत्र मुझे मेरे कार्यालय में तारीख ....200... को..... बजे पूर्वाह्न। अ... डिलिवर (प्रदान) किया गया।

निर्वाची पदा...

परिनिरीक्षण का प्रमाण-पत्र

मैंने उम्मीदवार, प्रस्तावक और अनुमोदक की पात्रता का परिनिरीक्षण कर लिया है और वे, क्र... निर्वाचन के लिए खड़े होने और का प्रस्ताव और अनुमोदन करने के योग्य हैं।

निर्वाची पदा...

फारम-4

(नियम 5 देखें)

क्रम संख्या:....

निर्वाचक का नाम:–...

मैं, (पूरा नाम)............,घोषित करता हूं कि मैं...........का सदस्य हूं और मैं हरेक के सामने दी गई प्रधानता के अनुसार, उम्मीदवारों को मत देने का इच्छुक हूं।

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठा-निशान।

पता..............

उम्मीदवारों के नाम प्रधानता-क्रम

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) निर्वाचक (1) के सामने उस व्यक्ति का नाम देगा जिसे वह प्रथम प्रधानता देना चाहता है, (2) के सामने उस व्यक्ति का नाम देगा जिसे वह द्वितीय प्रधानता देना चाहता है, (3) के सामने उस व्यक्ति का नाम देगा जिसे वह तृतीय प्रधानता देना चाहता है और आगे भी इसी प्रकार।

बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955

सं॰ 199 डी, 15 जनवरी, 1995.—बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 (1951 का प्रथम अधिनियम) की धारा 82 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, निम्न नियमावली बनाते हैं, जिसका प्रकाशन उक्त धारा की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार पहले किया जा चुका है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम।–यह नियमावली ''बिहार श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955" कहलाएगी।

2. यह नियमावली उस तारीख को लागू होगी जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करेगी।

3. इस नियमावली में, जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विसंगत नहीं होगी, तबतक :–

(क) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950;

(ख) ''धारा'' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(ग) ''हस्ताक्षर'' के अन्तर्गत, अशिक्षित व्यक्तियों की दशा में, अंगूठे का निशान भी सम्मिलित है; परंतु अंगूठे का निशान साक्षर व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से अभिप्रमाणित किया हुआ होना चाहिए;

(घ) ''फारम'' से अभिप्रेत है इस नियमावली से संलग्न फारम;

(ङ) ''पर्षद्'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्;

(च) ''अध्यक्ष'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् का अध्यक्ष;

(छ) ''निर्वाची पदाधिकारी'' के अन्तर्गत कोई अन्य पदाधिकारी भी सम्मिलित है, जिसे निर्वाची पदाधिकारी ने, लिखित रूप में, इस नियमावली के अधीन अपने कोई या सभी कृत्य सौंप दिये हों।

4. (1) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) और (ग) के अधीन बिहार राज्य श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद् के सदस्यों का निर्वाचन डाक द्वारा मतदान से और एकल संक्रमणीय मत के जरिए होगा।

(2) (क) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक-नामावली देवनागरी लिपि, हिन्दी में धारा 34 के अधीन संधारित न्यासों की पंजी के आधार पर अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी।

(ख) खंड (क) के अधीन तैयार की गई निर्वाचक-नामावली में निम्न विवरण होंगे:–

(i) हरेक निर्वाचक का नाम;

(ii) हरेक निर्वाचक का डाक-पता

(iii) हरेक निर्वाचक के पिता या आध्यात्मिक गुरु का नाम;

(iv) हरेक न्यासों के नाम जिनका निर्वाचक न्यासी हो।

(ग) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निर्वाचक-नामावली देवनागरी लिपि, हिन्दी में अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाएगी। अध्यक्ष तारीख नियत करते हुए, जो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों से पहले की नहीं होगी, राज्य में प्रकाशित कम-से-कम दो हिन्दी समाचारपत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा, जिस तारीख के भीतर निर्वाचक-नामावली में सदस्यों के पंजीयन के लिए आवेदन-पत्र लिए जाएंगे। वैसे आवेदन-पत्रों के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और आवेदन-पत्र पर्षद्-कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकेंगे या डाक से भेजे जा सकेंगे।

(घ) निर्वाचक-नामावली, पर्षद्-कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लटका दी जाएगी और धारा 34 के अधीन के सभी पंजीकृत कार्यालयों में इसकी जानकारी भेज दी जाएगी।

(ङ) निर्वाचक-नामावली में हुई किसी भूल के सम्बन्ध में कोई आपत्ति, नामावली के इस प्रकार लटकाए जाने की तारीख से पन्द्रह दिनों के भीतर लिखित रूप में, अध्यक्ष के समक्ष दाखिल की जा सकेगी और यदि इस अवधि के भीतर कोई आपत्ति दाखिल नहीं की जाएगी तो निर्वाचक-नामावली अंतिम मानी जाएगी। इस अवधि के बाद दाखिल की गई आपत्ति खारिज कर दी जाएगी।

(च) खंड (ग) के अधीन दाखिल की गई आपत्ति पर, यदि हो, अध्यक्ष संक्षिप्त जांच कर अपना निर्णय अभिलिखित करेगा, जो अंतिम होगा। निर्वाचक-नामावली, यदि आवश्यक हुआ तो, अध्यक्ष के निर्णय के अनुसार, संशोधित कर दी जाएगी और उसके बाद नामावली अंतिम मानी जाएगी।

(छ) अध्यक्ष, अंतिम निर्वाचक-नामावली की कम-से-कम दो प्रतियां, यथाशीघ्र, निर्वाची अधिकारी के पास भेज देगा।

5. नियम 4(1) के अधीन सदस्यों के निर्वाचन के सम्बन्ध में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अर्थात्:–

(क) नियम 4 (1) के अधीन निर्वाचन संचालित करने के लिए अध्यक्ष, निर्वाची पदाधिकारी होगा।

(ख) निर्वाची पदाधिकारी निम्न नियत करेगा–

(i) मनोनयन के लिए अंतिम तारीख, जो निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में ऐसी अंतिम तारीख नियत करनेवाले आदेश के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रहवां दिन के बाद और दसवां दिन से पहले की न होगी;

(ii) मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख, जो मनोनयन की अंतिम तारीख से पांचवा दिन के बाद की न होगी;

(iii) उम्मीदवारी की वापसी के लिए अंतिम तारीख, जो मनोनयन के परिनिरीक्षण की तारीख के बाद सातवां दिन होगी;

(iv) तारीख या तारीखें जब, यदि आवश्यक हों, मतदान लिया जाएगा, और जो या जिनमें से प्रथम वह तारीख होगी जो उम्मीदवारी की वापसी की अंतिम तारीख से तीसवां दिन से पहले की न होगी; और

(v) मतगणना के लिए कोई अगली तारीख, जो मतदान लिये जाने की तारीख या मतदान की अंतिम तारीख से सातवां दिन से बाद की नहीं होगी;

परंतु, यदि किसी कारणवश इस प्रकार नियत की गई तारीख पर मतगणना सम्पन्न न हो तो अनुवर्त्ती तारीख या तारीखों पर मतगणना जारी रहेगी, जबतक वह सम्पन्न न हो जाए।

(ग) खंड (ख) के अधीन नियत की गई तारीखें निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय में, पर्षद्-कार्यालय में और राज्य में प्रसारित होनेवाले एक अंग्रेजी और एक हिन्दी दैनिक के कम-से-कम एक अंक में प्रकाशित की जाएंगी और इसके बारे में जानकारी धारा 34 के अधीन पंजीकृत न्यास के सभी पंजीकृत कार्यालयों को भेजी जाएगी।

(घ) (i) मनोनयन के लिए खंड (ख) (i) के अधीन नियत तारीख को या उसके पहले प्रत्येक उम्मीदवार स्वयं या अपने प्रस्तावक या अनुमोदक द्वारा, पूर्वाह्न ग्यारह बजे और अपराह्न तीन बजे के बीच, फारम 3 में पूर्ण मनोनयन-पत्र मनोनयन की सहमति में स्वयं हस्ताक्षर करके और खंड (ii) में निर्दिष्ट प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में दोनों व्यक्तियों के हस्ताक्षर सहित, निर्वाची पदाधिकारी के पास उसके कार्यालय में सौंप देगा।

(ii) कोई व्यक्ति, जिसका नाम निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक-नामावली में पंजीकृत हो, मनोनयन-पत्र पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर कर सकेगा।

(iii) हरेक मनोनयन-पत्र के साथ उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित यह लिखित घोषणा-पत्र संलग्न रहेगा कि निर्वाचित होने पर वह पर्षद् की सेवा करने को तत्पर है और वह हिन्दू है; और कोई भी उम्मीदवार उस समय तक सम्यक रूप से मनोनीत नहीं समझा जाएगा जबतक उसके मनोनयन-पत्र के साथ ऐसा घोषणा-पत्र संलग्न न हो।

(iv) उम्मीदवारों के मनोनयन के लिए नियत की गई तारीख को तीन बजे अपराह्न के बाद प्राप्त होनेवाला मनोनयन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(v) खंड (घ) (i) के अधीन मनोनयन-पत्र की प्राप्ति पर, निर्वाची पदाधिकारी, इसे सौंपने वाले व्यक्ति को मनोनयन-पत्र के परिनिरीक्षण के लिए नियत किये गए तारीख, समय और स्थान की जानकारी देगा और तत्पश्चात् यथासंभव शीघ्र अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में उम्मीदवार और उन व्यक्तियों, जिन्होंने मनोनयन-पत्र में प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किये हैं, दोनों, के मनोनयन-पत्र की नोटिस चिपकवा देगा।

(vi) कोई उम्मीदवार निर्वाची पदाधिकारी को अपने हस्ताक्षर के साथ लिखित नोटिस देकर उम्मीदवारी की वापसी के लिए नियत की गई तारीख को अपराह्न तीन बजे के पहले अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेगा। किसी उम्मीदवार को, जिसने अपनी उम्मीदवारी इस तरह वापस ले ली हो, इसे रद्द करने या इसी निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में मनोनीत किये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(vii) खंड (घ) (vi) के अधीन वापसी की नोटिस की प्राप्ति पर निर्वाची पदाधिकारी यथासंभव शीघ्र वापसी की एक नोटिस अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में चिपकवा देगा।

(viii) मनोनयन-पत्रों के परिनिरीक्षण के लिए निर्वाची-पदाधिकारी द्वारा नियत समय और स्थान पर उम्मीदवार, हरेक उम्मीदवार के एक प्रस्तावक और एक अनुमोदक को छोड़कर अन्य

कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेगा और निर्वाची पदाधिकरी, सभी उम्मीदवारों के
मनोनयन-पत्रों, जो नियत, समय के भीतर और इस नियमावली में विहित की गई रीति
से दिये गये हों, की जांच के लिए उन्हें सभी समुचित सुविधाएं प्रदान करेगा।

उसके बाद निर्वाची पदाधिकारी मनोनयन-पत्रों की जाचं करेगा और किसी मनोनयन-पत्र पर की गई सभी आपत्तियों पर अपना निर्णय देगा और ऐसी आपत्ति पर या स्वत: ऐसी संक्षिप्त जांच के बाद, यदि कोई हो, जैसा वह आवश्यक समझे, किसी मनोनयन-पत्र को अस्वीकृत कर सकेगा जिससे इस नियमावली के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन होता हो। निर्वाची-पदाधिकारी प्रत्येक मनोनयन-पत्र पर उसको स्वीकृत या अस्वीकृत करते हुए अपना निर्णय पृष्ठांकित करेगा और ऐसा निर्णय अंतिम होगा।

(ix) मनोनयन-पत्रों के परिनिरीक्षण पूरा करके उस अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद जिसके भीतर उम्मीदवारी वापस ली जा सकती हो, निर्वाची अधिकारी तत्काल सम्यक रूप से मनोनीत उम्मीदवारों की सूची देवनागरी लिपि, हिन्दी, में वर्णानुक्रम के अनुसार तैयार करेगा और उसे अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में चिपकवा देगा।

(x) यदि विधिवत् मनोनीत उम्मीदवारों की, जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं ली है, उतनी ही हो जितनी की निर्वाचित की जानी है, तो उन्हें निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

(xi) यदि विधिवत् मनोनीत उम्मीदवारों की संख्या निर्वाचित किये जानेवालों की संख्या से अधिक हो तो मतदान लिया जाएगा।

(ङ) मतदान के लिए नियत की गई तारीख से कम-से-कम पन्द्रह दिन पहले निर्वाची पदाधिकारी प्रत्येक निर्वाचक को फारम-4 में एक मतपत्र रजिस्ट्री डाक से भेजेगा।

(च) (i) अपना मत अभिलिखित करने के बाद निर्वाचक मत-पत्र को रजिस्ट्री डाक से निर्वाची पदाधिकारी को इस तरह से भेजेगा कि मतदान के लिए नियत की गई तिथि को अपराह्न 5 बजे के पहले वह उसके पास पहुंच जाए। उस समय के बाद प्राप्त किये गये मतपत्र अस्वीकृत कर दिये जाएंगे:

परंतु यह कि निर्वाचक स्वेच्छा से मतपत्र डाक से न भेजकर स्वयं भी उपर्युक्त समय तक निर्वाची पदाधिकारी को दे सकेगा।

(ii) कोई निर्वाचन इस कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि इस नियमावली के अधीन सम्यक निर्वाचक को रूप से भेजा गया मत-पत्र उसे नहीं मिला है।

(छ) निर्वाची पदाधिकारी द्वारा या उसकी निगरानी में मतगणना की जाएगी और प्रत्येक उम्मीदवार या प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत उसके एक प्रतिनिधि को मतगणना के समय उपस्थित रहने का अधिकार होगा।

(ज) (i) (एकल संक्रमणीय मतदात पद्धति के अनुसार गणित) अधिकतम मत प्राप्त करनेवाला उम्मीदवार विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ii) जब किन्हीं उम्मीदवारों के बीच प्राप्त मत बराबर-बराबर हों और मत की बढ़ती उम्मीदवारों में से किसी को निर्वाचित घोषित होने का हकदार बनाता हो तो इस बात का निश्चय कि ऐसा एक अतिरिक्त मत किसे दिया गया समझा जाय, निर्वाची अधिकारी की उपस्थिति में भाग्य-पत्रक (लौट) निकाल कर उस रीति से किया जाएगा जो वह निश्चित करेगा।

(iii) निर्वाचक के परिणाम की घोषणा होते ही, निर्वाची पदाधिकारी निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम बिहार गजट में प्रकाशन के लिए राज्य सरकार को प्रतिवेदित कर देगा।

(झ) पूर्वगामी नियम के अधीन निर्वाचित घोषित किसी उम्मीदवार के विरुद्ध निर्वाचन-याचिका निर्वाचन का परिणाम घोषित होने की तारीख से चौदह दिन के भीतर, निर्वाची पदाधिकारी को, किसी

उम्मीदवार या निर्वाचक द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी। उक्त अवधि की समाप्ति के बाद दी गई याचिका अस्वीकृत कर दी जाएगी।

(ञ) यदि खंड (झ) के अधीन याचिका नहीं अस्वीकृत की गई हो तो राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से नियुक्त प्राधिकारी द्वारा उक्त याचिका के सम्बन्ध में जांच की जाएगी।

(ट) निर्वाचित उम्मीदवार का निर्वाचन शून्य होगा, यदि निर्वाचन भ्रष्टाचार से या प्रलोभन देकर किया गया हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर भ्रष्ट वृत्ति द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो अथवा निर्वाचन के परिणाम पर किसी मनोनयन की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति अथवा किसी मत की अनुचित प्राप्ति या अस्वीकृति या ऐसे किसी मत, जो शून्य हो, की प्राप्ति द्वारा अथवा अधिनियम या तदधीन निर्मित नियमावली के उपबंधों के उल्लंघन द्वारा मुख्य रूप से प्रभाव पड़ा हो।

(ठ) इस नियमावली के प्रयोजन के लिए "भ्रष्ट वृत्ति" का वही अर्थ है जो इसका राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के सम्बन्ध में है।

(ड) खंड (ञ) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी निर्वाचन याचिका का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

6. (1) पर्षद् या समिति के सदस्य, अध्यक्ष के द्वारा या, यथास्थिति, पर्षद् या समिति के नियमित संकल्प के द्वारा सौंपे गऐ विशेष कार्यों के निष्पादन के लिये ही यात्रा कर सकेंगे।

(2) पर्षद् के अध्यक्ष और सदस्य यात्रा और अन्य भत्तों के प्रयोजन के लिए बिहार यात्रा भत्ता नियमावली के सुसंगत उपबन्धों के अर्थ में क्रमशः प्रथम और द्वितीय कोटि के पदाधिकारी समझे जाएंगे।

(3) यदि पर्षद् या समिति के अध्यक्ष और सदस्य बैठक के समय मुख्यालय (स्टेशन) पर ही हों और बाहर से नहीं आए हों तो वे यात्राभत्ता पाने के हकदार नहीं होंगे, किंतु वे प्रति बैठक 2 रु० वाहन भत्ता लेने के हकदार होंगे।

7. धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट अभिलेख फारम-1 में निरूपित रीति से तैयार और संधारित किया जाएगा।

8. धारा 28 की उपधारा (2) के खंड (द) में निर्दिष्ट खर्चे, पर्षद् द्वारा भूराजस्व के बकाये जैसा वसूलनीय होंगे। वैसे बकाए की वसूली के लिए मांगपत्र अध्यक्ष के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।

9. धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक नोटिस पावती-सहित रजिस्ट्री डाक से भेजी जाएगी या सम्बोधिती की विधिवत् लिखित रसीद पर हाथोंहाथ दी जाएगी। रसीद देने से इनकार करने पर यह नोटिस दो साक्षियों की उपस्थिति में सम्बोधित के निवास के सहजदृश्य स्थान पर लटका दी जाएगी।

10. धारा 43 की उपधारा (1) के तहत दाखिल किया गया कोई आवेदन विधिवत् हस्ताक्षरित और सत्यापित होगा और सम्बद्ध सम्पत्ति को पहचानने के लिए उसमें पर्याप्त ब्योरे होंगे। इस तरह का सत्यापन का फारम वही होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में वादपत्र के सत्यापन के लिए विहित है।

11. धारा 43 की उपधारा (2) के तहत सामान्य नोटिस बिहार राज्य में मुद्रित और प्रकाशित अथवा उस राज्य में परिचारित अंग्रेजी और हिन्दी समाचार-पत्र के कम-से-कम एक अंक में प्रकाशित की जाएगी। यदि जिला न्यायाधीश वांछनीय समझे तो वह बिहार में परिचारित अन्य समाचार पत्रों में भी इसके प्रकाशन का आदेश दे सकेगा। सम्बद्ध जिला न्यायाधीश के नोटिस-बोर्ड पर भी यह नोटिस प्रकाशित की जाएगी।

12. धारा 44 की उपधारा के तहत अंतरण के आवेदन नोटिस फारम-2 में होगी।

13. धारा 59 की उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण फारम-1 में प्रस्तुत किये जाएंगे और उनमें समाविष्ट किये जानेवाले ब्योरे वही होंगे जो उस फारम के प्रत्येक मद में बताये गए हों।

14. वह प्राधिकारी, जिसके पास धारा 65 की उपधारा (1) के तहत न्यासी अपील कर सकेगा, उस जिला का जिला न्यायाधीश होगा जिसमें सम्बन्धित न्यास की विषय-वस्तु पूर्णतः या भागतः अवस्थित हो।

15. धारा 70 की उपधारा (2) के खंड (क) के तहत फीस अध्यक्ष द्वारा परिस्थितियों के अनु ऐसी रीति से निर्धारित की जाएगी जो वह सर्वोत्तम समझे:

परंतु अध्यक्ष निर्धारिती को स्वयं या लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत अपने किसी अभि के जरिए अपने मामले को उसके समक्ष अभ्यावेदित करने का अवसर प्रदान करेगा और इस सम्बन्ध निर्धारिती द्वारा या उसकी ओर से पेश किया गया दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

16. निर्धारण के आदेश के विरुद्ध धारा 70 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन अपी उस जिला के जिला न्यायाधीश के यहां संधार्य होगी जिसमें सम्बन्धित धार्मिक न्यास की विषय-व पूर्णत: या भागत: अवस्थित हो।

17. पर्षद्, राजकीय कोषागार या भारतीय स्टेट बैंक में अध्यक्ष के नाम से एक खाता खोलेगी औ धारा 70 की उपधारा (3) के तहत देय फीस, यदि खाता राजकीय कोषागार में खोला जाए तो, चाला के जरिए अथवा कोषागार पदाधिकारी को सम्बोधित डाक मुद्रादेश के जरिए प्रेषण द्वारा; और यदि खा भारतीय स्टेट बैंक में खोला जाए तो, अध्यक्ष के नाम में या अध्यक्ष को सम्बोधित डाक मुद्रादेश के जरि प्रेषण द्वारा अदा की जाएगी।

फारम-1

(नियम 7 और 13 देखें)

1. क्रम सं०....
2. न्यास का नाम....
3. उस ग्राम, डाकघर, थाना, अवर प्रमंडल और जिला के नाम, जिनमें यह अवस्थित है। (निकटतम रेलवे स्टेशन भी)....
4. प्रधान मठ या मंदिर के पड़ोस के छोटे मठों या मंदिरों के नाम और उनकी अवस्थिति..............
5. न्यासियों और प्रबन्धकों के पते सहित नाम; नियुक्ति और पदावधि की समाप्ति की तारीखें भी..................
6. इस सम्बन्ध में ब्योरे कि संस्था का प्रशासन न्यायालय द्वारा तय की गई किसी योजना के तहत होता है या न्यासियों द्वारा बिना किसी नियंत्रण के, तथा ऐसे ब्योरे भी न्यासी और प्रबन्धक के पद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में किसी लेख्य या प्रचलन में कोई उपबन्ध है या नहीं।................
7. न्यास की उत्पत्ति या निर्माण के बारे में लेखों के विवरण..............
8. संस्थापक या दानकर्त्ता का नाम, यदि ज्ञात हो।.......... ....
9. न्यास के उद्देश्य................
10. न्यास द्वारा धारित चल और अचल दोनों सम्पत्तियों के विवरण.....................
11. गत वित्तीय वर्ष के भीतर बेची गई, अन्तरित या बन्दोवस्त की गई चल और अचल दोनों सम्पत्तियों के विवरण... ....

12. वार्षिक आय (यह पिछले वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए और निम्नवत् दिखाई जानी चाहिए).........................
    (क) सभी स्रोतों से आयः...........................
    और
    (ख) राजस्व, लगान, कर स्थानीय अन्य उपकरों और प्रबंध के खर्चों की कटौती करने के बाद, शुद्ध आय.....................
13. वार्षिक व्ययः
    (क) न्यसियों और प्रबन्धकों के पारिश्रमिक पर...... ....
    (ख) स्थापना और कर्मचारियों पर......................
    (ग) धार्मिक कार्यों पर..................
    (घ) दानों के सम्बन्ध में.............
    (ङ) विविध मदों पर...............
14. अनुसरण किए जानेवाले महत्वपूर्ण आचारों और प्रयोगों के विवरण..............
15. न्यास की सम्पत्ति पर अवभारों के विवरण.................
16. महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना......................
17. अभ्युक्ति.............

फारम-2

(नियम 12 देखें)

सेवा में,

अध्यक्ष,
श्वेताम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्।

महोदय,

बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950, की धारा 44 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार इसमें वर्णित अचल सम्पत्ति को निम्न तरह से अंतरित करने की अनुमति के लिए मैं एतद्द्वारा आवेदन करता हूं:

न्यास विलेख से उद्धरणः –
अंतरित की जानेवाली सम्पत्तिः –
अंतरण का विवरणः –
अंतरण की शर्तें और बंधेजें: –
तारीख................. न्यासी के हस्ताक्षर..............

फारम-3

(नियम 5 देखें)

1. उम्मीदवार का नामः –
2. पिता का नामः –
3. आयुः –
4. प्रस्तावक का नामः –(1)

5. प्रस्तावक के हस्ताक्षर: –(1)
6. अनुमोदक का नाम: –
7. अनुमोदक के हस्ताक्षर: –

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं इस मनोनयन से सहमत हूं और मैं...............हिन्दू हूं और निर्वाचन का पात्र हूं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

डिलिवरी का प्रमाण-पत्र

यह मनोनयन पत्र मुझ मेरे कार्यालय में तारीख ....200....................को................बजे पूर्वाह्न/अपराह्न डिलिवर (प्रदान) किया गया।

निर्वाची पदाधिकारी

परिनिरीक्षण का प्रमाण-पत्र

मैंने उम्मीदवार, प्रस्तावक और अनुमोदक की पात्रता का परिनिरीक्षण कर लिया है और वे, क्रमशः, निर्वाचन के लिए खड़े होने और मनोनयन का प्रस्ताव और अनुमोदन करने के योग्य हैं।

निर्वाची पदाधिकारी

फारम-4

(नियम 5 देखें)

क्रम संख्या:–...................

निर्वाचक का नाम:–..............

मैं, (पूरा नाम)................,घोषित करता हूं कि मैं................का सदस्य हूं और मैं हरेक के सामने दी गई प्रधानता के अनुसार उम्मीदवारों को मत देने का इच्छुक हूं।

निर्वाचक के हस्ताक्षर या अगूंठा-निशान

पता..................

आवेदकों के नाम प्रधानता-क्रम

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

बिहार राज्य धार्मिक न्यास की उपविधियां

बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1950 (अधिनियम 1, 1951) की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (स्टेट बोर्ड ऑफ रेलिजस ट्रस्ट्स) निम्न उपविधियां बनाता है, जो पहले प्रकाशित हो चुकी है और जो राज्य सरकार द्वारा पंत्र सं॰ 1449, तारीख 20 अप्रील 1955 में सम्यक रूप से अनुमोदित और सम्पुष्ट हो चुकी हैं।

परिभाषायें–

1. इनं उपविधियों में–

(क) ''अधिनियम'' से तात्पर्य है बिहार हिन्दू रेलिजस ट्रस्ट्स ऐक्ट, 1950;

(ख) ''परिशिष्ट'' से तात्पर्य है इन उपविधियों से अनुबद्ध सभी परिशिष्टि;

(ग) ''बोर्ड'' से तात्पर्य है बिहार स्टेट बोर्ड ऑफ रेलिजस ट्रस्ट्स;

(घ) ''सभापति'' से तात्पर्य है धारा 22 के अधीन नियुक्त समिति के सदस्यों द्वारा सभापति के रूप में निर्वाचित व्यक्ति;

(ङ) ''फारम'' से तात्पर्य है इन उपविधियों के परिशिष्ट का फारम;

(च) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य है बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड का अध्यक्ष और क्षेत्रीय न्यास समिति की दशा में उस समिति का अध्यक्ष;

(छ) ''अध्यासी-पदाधिकारी'' से तात्पर्य है बोर्ड या धारा 22 के अधीन नियुक्त समिति या धारा 40 के अधीन स्थापित क्षेत्रीय न्यास समिति की बैठक में अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति;

(ज) ''नियम'' से तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 82 के अधीन बनाया गया नियम; और

(झ) ''धारा'' से तात्पर्य है अधिनियम की धारा।

2. शान्ति-रक्षा–अध्यासी-पदाधिकारी बोर्ड या समिति की बैठक में शान्ति बनाये रखेगा और अशान्ति या अशान्ति की सम्भावना उत्पन्न होने पर उसे स्थगित कर सकता है। यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के आदेश का पालन न करे तो उसे बैठक से वहिष्कृत किया जा सकता है।

3. बोर्ड की कार्यवाहियों का संचालन–बोर्ड की सभी बैठकें साधारणतया बोर्ड के कार्यालय में या संकट कालीन अवस्था में, किसी अन्य स्थान में होगी। बैंठक के लिये निकाली गई कार्यावली में सम्मिलित कार्यों के सिवाय अन्य कोई भी कार्य अध्यासी-पदाधिकारी की विशेष अनुमति के बिना बोर्ड या समिति की बैठक में सम्पादित नहीं होगा:

परन्तु विशेष बैठक में केवल कार्यावली में सम्मिलित कार्यों का ही सम्पादन होगा।

नियमापत्ति या जानकारी अथवा किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण को छोड़कर जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो उसका क्रम-भंग नहीं किया जायेगा। नियमापत्ति की दशा में या जब अध्यासी-पदाधिकारी बोल रहा हो, तो बोलने वाले सदस्य को अपना आसन ग्रहण कर लेना चाहिय। अध्यासी-पदाधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को दुबारा नहीं बोलने दिया जायगा, किन्तु उत्तर देने के लिये वह बोल सकता है।

4. मतों का अभिलेखन–अध्यासी-पदाधिकारी के विवेक से हाथ उठा कर अथवा शलाका-पत्र के द्वारा बैठक में मत दिये जायेंगे।

5. प्रश्नों की सूचना–कोई सदस्य किसी बैठक के लिये, बोर्ड के कर्त्तव्यों और शक्तियों और समिति के कृत्यों की क्षमता के भीतर के मामलों के सम्बन्ध में, प्रश्नों की सूचना, यथास्थिति, बोर्ड या समिति की बैठक के कम से कम पूरे पांच दिन पहले दे सकता है। यथास्थिति, अध्यक्ष या सभापति किसी ऐसे प्रश्न को, जिसका न्यास के मामलों से सम्बन्ध न हो, अस्वीकार भी कर सकता है और अध्यक्ष या सभापति का आदेश अन्तिम होगा।

6. निर्णित प्रश्नों का फिर से उठाया जाना–बोर्ड द्वारा एक बार निर्णय किया गया प्रश्न निर्णय के छः मास के भीतर फिर से नहीं उठाया जायेगा; परन्तु यदि बोर्ड के कम से कम छः सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अधियाचन अध्यासी-पदाधिकारी को मिले तो उसकी विशेष अनुमति से प्रश्न फ़िर से उठाया जा सकता है।

7. प्रस्तावों की सूचना–कोई भी सदस्य बोर्ड या समिति की बैठक की कार्यावली में सम्मिलित किये जाने के लिए प्रस्तावों की सूचना, उक्त बैठक की तारीख से कम से कम 6 दिन पहले, दे सकता है। सभी प्रस्ताव ऐसे विषय सम्बन्धी होंगे जिसे बोर्ड या समिति विचार करने के लिए सक्षम होगी। कोई सदस्य किसी प्रस्ताव के संशोधन की सूचना बैठक प्रारंभ होने के बाद किसी समय दे सकता है।

अध्यासी-पदाधिकारी प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के किसी क्रम में किसी संशोधन के लाने की अनुमति ... सकता है। प्रस्ताव पर कोई ऐसा संशोधन नहीं लाया जायगा जो मूल प्रस्ताव के विपरीत हो। ... संशोधन प्रस्ताव की विषय-वस्तु से संगत होगा। हरेक प्रस्ताव और संशोधन पर विचार करने के ... उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक है। संशोधनों को विपरीत क्रम से उठाया जायगा अर्थात् ... को सबसे पहले लिया जायगा। प्रस्ताव या संशोधन अनुमान्य है या नहीं इस सम्बन्ध में अध्यासी-पदाधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

8. वाद-वृत्त की बन्दी–कोई भी सदस्य विवादान्तक प्रस्ताव कर सकेगा परन्तु इस प्रकार किये ... विवादोन्तक प्रस्ताव पर मत लिया जायगा। विवादान्तक प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, प्रस्तावक को जवाब ... का हक होगा किन्तु किसी संशोधन के प्रस्तावक को जवाब देने का हक नहीं होगा।

9. गणपूर्ति का अभाव–कोई भी सदस्य, किसी भी समय, यथास्थिति, बोर्ड या समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति के अभाव की ओर अध्यासी-पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और ... गणपूर्ति के अभाव में बोर्ड या समिति की बैठक स्थगित कर दी जायेगी। अध्यासी-पदाधिकारी सहित ... सदस्यों से बोर्ड की स्थगित बैठक की और दो सदस्यों से समिति की स्थगित बैठक की गणपूर्ति ...

10. अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव एवं निर्णय की कार्यान्विति–अध्यासी-पदाधिकारी, बोर्ड या ... समिति द्वारा, समय-समय पर पास किए गए या निर्णीत सभी प्रस्तावों या निर्णयों को कार्यान्वित ...

11. कार्यावृत्त–बोर्ड या समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त हिन्दी (देवनागरी लिपि) ... अभिलिखित होंगे और उक्त प्रयोजन के लिए रखे गए पुस्तक में प्रविष्ट किये जायेंगे तथा अध्यासी-पदाधिकारी उस पर हस्ताक्षर करेगा। अधीक्षक अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यासी-पदाधिकारी या अध्यासी-पदाधिकारी द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति बैठक की कार्यवाहियां अभिलिखित करेगा।

12. धन्यवाद आदि के प्रस्ताव–धन्यवाद, बधाई के संदेश तथा शोक सम्बन्धी प्रस्ताव ... उसी प्रकार के अन्य प्रस्ताव अध्यासी-पदाधिकारी या उसकी अनुमति से कोई भी व्यक्ति बिना सूचना ... कर सकता है।

13. अधिनियम की धारा 22 के अधीन समितियों की नियुक्ति, उनके कृत्य और प्रक्रिया–... निम्न समितियां नियुक्त करेगा, यथा–

(1) वित्त-समिति,

(2) सम्पत्ति-समिति, और

(3) निबन्धन-समिति।

14. इन उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से विशेष मामलों में अस्थायी समिति नियुक्त ... और प्रस्ताव द्वारा उनके कृत्यों और प्रक्रियाओं को विनियमित करने की, बोर्ड की शक्ति प्रभावित ... होगी।

15. हर समिति में अध्यक्ष, को छोड़कर, जो पदेन सदस्य होगा, चार सदस्य होंगे। बोर्ड, ... विवेक से, अपने सदस्यों से बाहर का एक सदस्य नियुक्त करेगा। सदस्य, अपने में से एक को समिति के सभापति के रूप में निर्वाचित करेंगे, जो समिति की बैंठकों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो बोर्ड द्वारा उसे सौंपी जाएं, परन्तु यदि समिति की बैठक में अध्यक्ष उपस्थित हो ... वही वैठक की अध्यक्षता करेगा परन्तु यह भी कि बोर्ड के अध्यक्ष या समिति के सभापति की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्य ही अपने में से एक को समिति की बैठक के लिये सभापति चुन लेंगे।

16. हरेक समिति महीने में कम से कम एक बार बैठेगी बशर्ते कि अध्यक्ष का विचार ... पर्याप्त काम रहने के कारण समिति की बैठक बुलाना उचित है। दो सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) ... हरेक समिति एक वर्ष के लिए निर्वाचित होगी पर बोर्ड के प्रस्ताव से यह अवधि विशेष काल के लिए बढ़ाई जा सकेगी। ऐसी दशा को छोड़कर जब समिति बोर्ड के किसी अन्य पदाधिकारी को अपना ... नियुक्त करे, अधीक्षक सभी समितियों के मंत्री के रूप में काम करेगा। मंत्री, कार्यावली तैयार करेगा ...

अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक बुलवायेगा। समिति की साधारण बैठकों के लिए सदस्यों को कम से कम सात दिन और विशेष बैठकों के लिये कम से कम तीन दिन पूर्व सूचना दी जायेगी।

17. हरेक समिति की बैठक की कार्यवाही अभिलिखित करने के लिये एक कार्यवृत्त पुस्ती रखी जायेगी। मंत्री तथा अध्यासी-पदाधिकारी उस पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और समिति की अगली बैठक में उसकी सम्पुष्टि होगी। बोर्ड की अगली बैठक में यथास्थिति बोर्ड के अनुमोदन या जानकारी के लिए, बोर्ड के सामने कार्यवृत्त रखे जाएंगे।

18. विशेष प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के दो-तिहाई व्यक्ति यदि प्रस्ताव करें और मत दें तो बोर्ड समिति को विघटित कर सकेगा और उसके बाद उस स्थान में एक नयी समिति चुन सकेगा।

19. अध्यक्ष के अतिरिक्त, यदि समिति का कोई सदस्य, बोर्ड के समाधानानुरूप पर्याप्त कारण दिखाये बिना, समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न हो तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा और बोर्ड उस रिक्त की पूर्त्ति के लिए दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करेगा।

20. हरेक समिति को बोर्ड, उपविधियों में विहित शक्तियों और कृत्यों के साथ-साथ किसी विशिष्ट कालावधि के लिये, विशेष प्रस्ताव द्वारा अतिरिक्त शक्तियां और कृत्य सौंपे सकेगी, यदि उचित कार्य संचालन के लिए ऐसा करना इष्टकर प्रतीत हो।

21. यदि समिति की सदस्यता के लिये अपेक्षित संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नाम निर्वाचन के लिए प्रस्तावित हों तो जिसे सबसे अधिक मत मिलेंगे वह सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित किया जायेगा। मत-साम्य की दशा में अध्यासी-पदाधिकारी को द्वितीय या निर्णायक मत देने का अधिकार होगा।

22. **वित्त-समिति**–वित्त-समिति की निम्न शक्तियां और कृत्य होंगे:–

(1) बोर्ड का बजट तैयार करना,

(2) उन न्यासों का बजट तैयार करना, जिनके न्यासियों ने यथासमय अपने बजट प्रस्तुत न किये हों;

(3) न्यासों द्वारा प्रस्तुत किये गए बजटों का परिनिरीक्षण करना;

(4) न्यासों के उन बजटों को पास करना, जो उसे बोर्ड, प्रस्ताव द्वारा, समय-समय पर दिया करे;

(5) जब कभी आवश्यक समझा जाये तो न्यासियों से रिपोर्ट, विवरणी, बजट तथा अन्य दस्तावेज मंगाना;

(6) बोर्ड के मासिक लेखों का परिनिरीक्षण करना और रिपोर्ट देना;

(7) निबन्धित न्यासों के बजट में आवश्यकता पड़ने पर ऐसे परिवर्त्तन या रूप-भेद करना, जो अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों से अथवा जिन उद्देश्यों से न्यास का सृजन किया गया हो उन उद्देश्यों से, असंगत न हों;

(8) किसी निबन्धित न्यास के न्यासियों को, बजट में किये गए रूपभेद या परिवर्त्तन, यदि कोई हो, उस न्यास के बजट पाने की तारीख से छ: सप्ताहों के भीतर संसूचित करना;

(9) वित्तीय उलझनों से युक्त सभी प्रस्तावों पर विचार करना;

(10) यदि किसी न्यास के बजट में किसी मद पर व्यय का उपबन्ध विशेष रूप से न किया गया हो, किन्तु सम-शीर्ष के अधीन को बजट से उसकी पूर्ति हो सकती हो तो वित्त समिति इसकी मंजूरी दे सकेगी, किन्तु जब ऐसी मद अनावर्त्तक व्यय की दशा में 500 रु० से अथवा आवर्त्तक व्यय की दशा [illegible] रु० से अधिक न हो और अनावर्त्तक व्यय की दशा में 500 रु० से या आवर्त्तक व्यय की दशा [illegible] रु० से अधिक रकम की मंजूरी वित्त-समिति की सिफारिश पर, बोर्ड दे सकेगा;

(11) बोर्ड के पास सिफारिश करना कि वह न्यास सम्पत्ति को विभिन्न प्रकार की सम्पत्ति में परिवर्तित कर दे, यदि समिति का समाधान हो जाये कि ऐसा रूपान्तरण सम्बद्ध न्यास के लिये लाभप्रद हो;

(12) जब कभी वह आवश्यक समझे किसी निबन्धित न्यास के प्रशासन के सम्बन्ध में जांच करना और बोर्ड द्वारा अपेक्षा किये जाने पर आवश्यक कार्रवाई के लिये रिपोर्ट भेजना;

(13) निबन्धित न्यास के यहां सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के बकाया भू-राजस्व, लगान, उपशुल्क (रेट) या कर, न्यासी द्वारा न दिये जाने या देना अस्वीकार करने पर, न्यास निधि से भुगतान की मंजूरी देना और जब भुगतान न देना या देना अस्वीकार करना जानबूझकर हो अथवा उपेक्षा की जाए तो 12½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हर्जाने सहित उन्हें वसूल करना;

(14) निबन्धित न्यासों के कार्य का पर्यवेक्षण और नियन्त्रण;

(15) सभी वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना और उन पर विचार करना तथा अन्तिम आदेश देना अथवा यदि यह उचित समझे तो बोर्ड को उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट करना;

(16) बोर्ड के प्रस्ताव द्वारा आरोपित, प्रतिबन्धों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में निधियों का पुनर्विनियोग करना;

(17) न्यास निधि के लिये, आवश्यकता पड़ने पर, चालू वित्तीय वर्ष में पुनरीक्षित बजट अनुमान तैयार करना और आवश्यक तथा उचित कार्रवाई करना;

(18) यदि वर्ष के भीरत कोई न्यासी बजट के पुनरीक्षण के लिये आवेदन करे, तो उस पर आवश्यक तथा उचित कार्रवाई करना;

(19) बोर्ड के अधीन नये पदो के सृजन अथवा वर्त्तमान पदों के वेतनमान में फेरबदल करने के सभी प्रस्तावों पर विचार करना और बोर्ड के पास इस संबंध में अपनी सिफारिश भेजना;

(20) अधीक्षक अथवा बोर्ड के किसी अन्य पदाधिकारी को सौंपी गई शक्तियों के अधीन रहते हुए निबन्धित न्यासों के लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करना और उन पर आवश्यक आदेश देना। परन्तु समिति उस वर्ष के न्यास सम्बन्धी कार्यकलाप की सामान्य परिशंसा सहित एक रिपोर्ट प्राप्त कर लेगी जिसमें वित्तीय प्रशासन का विशेष रूप से निर्देश रहेगा और उसे बोर्ड के पास अपनी टीका-टिप्पणी सहित भेजे देंगी;

(21) न्यास निधि के लेखाओं पर लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनी टीका-टिप्पणी सहित बोर्ड के पास भेजना;

(22) ऐसे अन्य विषयों पर विचार करना जो इसे बोर्ड अथवा किसी अन्य समिति द्वारा भेजे जाएं;

(23) बोर्ड के अधीन 100 रु० से अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्ति की मंजूरी देना;

(24) अवर निबन्धित न्यास के लेखाओं पर लेखा परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करना और उस पर आवश्यक आदेश देना।

23. सम्पत्ति समिति।–सम्पत्ति समिति की निम्न शक्तियां और कृत्य होंगे :–

(1) यह देखना कि दूकान, मकान, बंगले और भूमि आदि इस प्रकार पट्टे पर दी जाए कि न्यास को अधिक से अधिक लाभ हो;

(2) सभी वैध साधनों से न्यास सम्पत्तियों के मूल्य बढ़ाने की सभी योजनाओं पर विचार करना और जब न्यास की शर्तों का उल्लंघन न होता हो तो वित्त समिति की सहमति से उन योजनाओं को कार्यान्वित करना;

(3) यह सुनिश्चित करना कि न्यास के नक्शे (प्लान) और भवनादि तथा भूमि सम्बन्धी स्वत्व-विलेख भलीभांति रखे जाते हैं;

(4) न्यास सम्पत्तियों के पट्टे की मंजूरी देना अथवा उसे रद्द करना;

(5) न्यास की सम्पत्तियों पर अवलंघन होने से उसे बचाना या, जहां आवश्यक हो, उन से अवलंघन हटाने के लिये उचित और प्रभावी प्रयत्न करना;

(6) न्यास सम्पत्तियों के सम्बन्ध में न्यायालयों में मुकदमें दायर करने की मंजूरी देना और

बजट उपबन्ध के अधीन रहते हुए उसके लिये व्यय की मंजूरी देना;

(7) बजट के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, बोर्ड के विरुद्ध दायर किये गए न्यास सम्पत्ति संबंधी मुकदमों की पैरवी के खर्च की मंजूरी देना;

(8) यह विचार करना कि सम्पत्तियों का उपभोग सम्बद्ध न्यास के अधिक से अधिक लाभ के लिये हो रहा है या नहीं और बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(9) ऐसे अन्य विषयों पर विचार करना जो उसे बोर्ड अथवा किसी समिति द्वारा सौंपे गये हों;

(10) खोई हुई सम्पत्ति का पता लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना और ऐसी सम्पत्ति को पलटाने के लिये सुझाव देना; और

(11) न्यास के भवनादि की मरम्मत और निर्माण के लिये कार्रवाई करना।

24. निबन्धन समिति।–निबन्धन समिति की निम्न शक्तियां और कृत्य होंगे:–

(1) राज्य में सभी न्यास सम्पत्तियों के अविलम्ब निबन्धन के लिये आवश्यक कार्रवाई करना;

(2) न्यासों के निबन्धन सम्बन्धी सभी विषयों पर विचार करना और उन पर परामर्श देना।

25. बोर्ड की कार्यावलियों या अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिये सभी आवेदन विहित फारम में अधीक्षक के पास किये जायेंगे। यह फारम बोर्ड के लेखा-पाल को [1][दस रुपये] देकर प्राप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार के आवेदन-पत्र पक्षों या पक्षों में से किन्हीं उनके उचित रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा बोर्ड के कार्यालय में, कार्यालय के समय, व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जायेंगे अथवा निबन्धित डाक से भेजे जायेंगे।

26. बोर्ड का अधीक्षक, अध्यक्ष के निदेश से, [1][पाँच रुपये] हर 100 शब्दों या उसके भिन्नांक के लिये, चाहे कार्यवाहियां अथवा अभिलेख अंग्रेजी में हों या किसी भारतीय भाषा में, और तीन पृष्ठों तक के लिये [1][पन्द्रह रुपये] तथा तीन पृष्ठों से ऊपर हर अतिरिक्त पृष्ठ के लिये [1][दस रुपये] के हिसाब से नकल करने की फीस चुकाने पर, बोर्ड अथवा समिति अथवा किसी निबन्धित न्यास के अभिलेख या कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां देगा। इस उपविधि के प्रयोजनार्थ चार अंक एक शब्द में गिने जायेंगे। आवेदक यदि व्यक्तिगत रूप से डिलीवरी न ले तो आवेदन पर दिये गये आदेश और उसकी नकल, यदि कोई हो जिसके दिये जाने का आदेश दिया गया हो, भेजने का डाकखर्च, पक्ष को ही देना होगा।

27. चालू वर्ष के पूर्व वाले वर्ष की किन्हीं कार्यवाहियों या अभिलेखों की प्रतिलिपि के लिये आवेदन करने वाले पक्ष को नकल के खर्च के अतिरिक्त आवेदन के साथ-साथ निम्न मान के अनुसार अन्वेषण शुल्क देना होगा:–

	रु० पैसे
(क) आवेदन किये गये प्रथम लेख्य प्रविष्ट के लिये देय शुल्क अथवा यदि केवल एक लेख्य या प्रविष्टि के लिए आवेदन किया गया हो तो उस लेख्य या प्रविष्ट के लिये देय शुल्क।	[1][50.00
(ख) आवेदन में सम्मिलित और उसी विषय संबंधी प्रथम को छोड़कर प्रत्येक लेख्य या प्रविष्ट के लिये देय शुल्क।	[1][25.00

टिप्पणी–यदि सभी पत्रजात एक साथ संचिकाबद्ध हों और उनके एक ही अभिलेख हों तो अन्वेषण शुल्क केवल [1][पचास रुपये] लगेगा।

(ग) जब पक्ष को यह ज्ञात न हो कि पिछले दो वर्षों या अधिक वर्षों के किसी वर्ष का लेख्य या प्रविष्टि है तो पहले को छोड़कर हर वर्ष के अभिलेख अन्वेषण का शुल्क।	[1][50.00

28. अध्यक्ष अथवा अधीक्षक, बोर्ड या किसी समिति या किसी अधीनस्थ निबन्धित न्यास के किसी अभिलेख या कार्यवाही की प्रतिलिपि के लिये दिया गया आवेदन सम्बद्ध न्यास के हित में अस्वीकृत कर सकता।

29. निरीक्षण-फीस–धार्मिक न्यास के किसी अभिलेख या पंजी के निरीक्षण के लिये दिया गया आवेदन-पत्र, निरीक्षण में लगनेवाले प्रतिदिन या उसके किसी भाग के लिये [1][दो सौ रुपया] देने पर,

---

1. अधिसूचना सं० 1003, दिनांक 14.9.2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।

अध्यक्ष के आदेश से, अधीक्षक स्वीकृत कर सकेगा। आवेदन पत्र में लेख्यों के ब्योरे तथा ऐसी अन्य सूचनायें रहेंगी जो निरीक्षण के लिये अपेक्षित लेख्यों की पहचान के लिये आवश्यक हो। ऐसे निरीक्षण केवल कार्यालय के समय में ही करने के लिये अनुमान्य हैं। परन्तु निरीक्षण प्रत्येक दशा में अध्यक्ष या अधीक्षक द्वारा निदेशित पर्यवेक्षण के अनुसार होगा।

30. बोर्ड परिशिष्ट 4 के फारम 3 में धार्मिक न्यासों की एक पंजी तैयार करेगा और उसे अद्यतन रखेगा।

31. बोर्ड के कार्यालय में निम्न पुस्तें और पंजियाँ रखी जायेंगी:–

(1) बोर्ड के कार्यवृत्त;
(2) वित्त समिति के कार्यवृत्त;
(3) सम्पत्ति समिति के कार्यवृत्त;
(4) निबन्धन समिति के कार्यवृत्त;
(5) न्यासों की पंजी;
(6) निबन्धित न्यासों से सम्बन्धित लेख्यों और अन्य पत्रजातों की सही प्रतिलिपियों की पंजी;
(7) वाद (केस) पंजी;
(8) बोर्ड की स्टाक पंजी;
(9) बोर्ड की सम्पत्ति पंजी;
(10) दैनिक लेखा पुस्त;
(11) लेखाओं के मासिक सारांश;
(12) प्राप्त रकम के निमित्त रसीद पुस्त;
(13) चेक बुक;
(14) पास बुक;
(15) नकद पंजी;
(16) पत्राचार संचिका;
(17) पत्र-प्रेषण पंजी;
(18) पत्र-प्राप्ति पंजी;
(19) आदेश पुस्त;
(20) निरीक्षण पुस्त;
(21) परिदर्शन पुस्त (विजिट बुक);
(22) दैनिक उपस्थिति पंजी;
(23) छुट्टी पंजी;
(24) स्थापना पंजी;
(25) सेवा पुस्त;
(26) दी गई सामग्रियों की पंजी;
(27) न्यास निधि की लेखा परीक्षा पंजी;
(28) निबन्धित न्यासों की लेखा परीक्षा पंजी;
(29) भरपाई पंजी।
[1][(30) बेची गयी अचल सम्पत्तियों की पंजी।
(31) न्यास की संपत्तियों की बिक्री के लिए दिये गये सभी आदेशों की पंजी]''

32. मुद्रित किये जाने के बाद सभी रसीद पुस्तें स्टाक पंजी में प्रविष्ट की जायेंगी और अधीक्षक के अभिरक्षण में रखी जायेंगी। दी जानेवाली सभी रसीद पुस्तें, दी जाने वाली सामग्री की पंजी में प्रविष्ट की जायेंगी और ऐसी हरेक प्रविष्टि पर अधीक्षक का हस्ताक्षर होगा। सभी चेक पुस्तें अधीक्षक के अभिरक्षण में रहेंगी।

1. अधिसूचना सं० 1003, दिनांक 14.9.2011 द्वारा अन्त:स्थापित ।

33. हरेक धार्मिक न्यास व[illegible] में वर्णित पुस्ते और पंजिया रखेंगे।

34. न्यासी, हर वर्ष, बोर्ड [illegible]क परिशिष्ट 4 के फारम 5 में बजट और परिशिष्ट 2 के फारम 1 में फीस के निर्धार[illegible]स्तुत करेंगे। परिशिष्ट 3 के फारम 2 में, भू-राजस्व और सभी सरकारी बकाये की अदायगी करके [illegible] के पास अर्द्धवार्षिक विवरण भी प्रस्तुत करेंगे।

35. धार्मिक न्यासों के लेखों की हर वर्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नियत अल्प अन्तरावधियों पर परीक्षा की, धारा 63 की उप-धारा (4) की अपेक्षाओं के साथ-साथ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्न ब्योरे रहेंगे:-

(1) क्या लेखे नियमित रूप से रखे जाते हैं तथा अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अनुसार हैं;

(2) क्या लेखे में आय और व्यय उचित और सही तरीके से दिखलाये जाते हैं;

(3) क्या न्यासियों के अभिरक्षण के रोकड़ शेष और प्रमाणक लेखा परीक्षा के दिन लेखे से मिलते थे;

(4) क्या बजट से कोई अन्तर पड़ा है;

(5) क्या इसकी आय को विविध मदों की वसूली उचित समय में हुई है और कालातीत रकमों को वसूलने के लिये कानूनी कार्रवाई की गई है;

(6) क्या बचत और शेष को उचित रूप से लगाया गया है;

(7) क्या इसके व्यय के हरेक मद को इस कार्य के लिये सक्षम प्राधिकारी ने मंजूर किया है और क्या उचित प्रमाणक द्वारा इसका समर्थन हुआ है;

(8) क्या जिस प्रयोजन के लिये धर्मस्व स्थापित हुआ था उसके विपरीत इसकी निधियां लगायी गई हैं;

(9) क्या उसकी मूल्यवान वस्तुओं को सही-सही प्रविष्ट करके रखा गया है;

(10) क्या इसके अवसारों की सही सूची रखी गई है;

(11) क्या नकद शेष सहित इसके माल भत्ता का सत्यापन उन्होंने किया है;

(12) धारा 44 के उपबन्धों के प्रतिकूल अंचल सम्पत्ति का स्वत्वान्तरण यदि कोई हो, जो लेखा-परीक्षक के ध्यान में आया हो; और

(13) कोई विशेष विषय, जिसे लेखा-परीक्षक बोर्ड के ध्यान में लाने के लिये आवश्यक समझे।

[1]["35क- यदि पर्षद् किसी वित्तीय वर्ष के अन्त तक, जिसके लिए अंकेक्षण किया जाना हो, न्यास के अंकेक्षण के लिए अर्हता प्राप्त अंकेक्षक की प्रतिनियुक्ति नहीं कर पाता है, तब न्यास एक अर्हता प्राप्त चार्टर एकाउंटेन्ट, न्यास की लेखा के अंकेक्षण हेतु, नियुक्ति करेगी और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर अंकेक्षण-प्रतिवेदन अवश्य प्रस्तुत करेगी।

अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा पर्षद् द्वारा की जायेगी और तद्नुसार आवश्यक अनुदेश निर्गत किये जायेंगे। अध्यक्ष को नया अंकेक्षण कराने का अधिकार होगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि पर्षद् को प्रस्तुत किया गया अंकेक्षण प्रतिवेदन न्याय का आय-व्यय का सत्य प्रतिबिम्ब नहीं है।]"

36. लेखा-परीक्षा पूरी हो जाने पर, परीक्षित लेखाओं का, लेखा-परीक्षक मुद्रण के लिए एक सार तैयार करेगा जिसे वह अपनी रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा। उक्त सार का प्रकाशन नीचे उपबन्धित रीति से होगा:-

न्यासों से सम्बद्ध प्राधिकारी का विवरण।	किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा।	प्रकाशन का समय।	कहां प्रकाशित होगा।
1. अध्यक्ष	राज्य सरकार	राज्य सरकार द्वारा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पाने पर यथाशीघ्र।	बिहार गजट
2. न्यास	अध्यक्ष...	अध्यक्ष द्वारा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट पाने पर एक पक्ष के भीतर।	सम्बद्ध न्यास के बोर्ड के सूचना पट पर।

37. बोर्ड या न्यासी द्वारा प्राप्त सभी धन स्टेट बैंक आफ इण्डिया [2][या अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित

1. अधिसूचना सं० 1003, दिनांक 14.9.2011 द्वारा अन्त:स्थापित ।

2. प्रतिस्थापित तत्रैव।

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक] में जमा किया जायग

कोई भी ऐसी रकम जिसके शीघ्र खर्च ... क्षा न हो अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी ले
निम्न प्रकार लगायी जायेगी:–

(क) प्रामिसरी नोट या ऋण-पत्र या स्टाक ... सरकार की अन्य प्रति-भूतियों में, अथवा

(ख) प्रामिसरी नोट, ऋण-पत्र, स्टाक या राज्य-सरकार की अन्य प्रतिभूतियों में; अथवा

(ग) पोस्ट आफिस सेविंग्स बैंक में अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया या रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 में यथापरिभाषित अनुसूचित बैंक में अधिक से अधिक तीन वर्षों की कालावधि के लिये अचल जमा के रूप में। बोर्ड की पूर्व मंजूरी लेकर न्यासी रकम निकाल सकता है।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया अथवा किसी अन्य बैंक से जहां बोर्ड के रुपये रखे जाते हों, अध्यक्ष लेनदेन संबंधी सभी कार्य करेगा।

पटना से उनकी अनुपस्थिति की कालावधि में अथवा जब वे किसी कारणवश अपना कर्तव्य सम्पादन करने में असमर्थ हो जाएं तो अधीक्षक और बोर्ड का एक सदस्य, जो अध्यक्ष द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किया गया हो, रुपये की निकासी के लिये सम्मिलित रूप से चेकों पर हस्ताक्षर करेंगे।

[1][38. निम्नलिखित पदाधिकारियों और सेवकों को उनके पद के सामने दिए गए वेतन के अनुसार पर्षद नियुक्त कर सकती है:-

पद का नाम एवं संख्या	अपुनरीक्षित (रूपए में)	पुनरीक्षित	
		पे-बैण्ड (रूपए में)	ग्रेड-पे (रूपए में)
अधीक्षक 1	7500-250-12000 अवकाश प्राप्त न्यायिक/प्रशासनिक पदा० का से०नि० के समय मूल वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर अनुमान्य राशि।	9300-34800	4800
सहायक अधीक्षक 2	5500-175-9000	9300-34800	4200
विधि पदाधिकारी 1	5500-175-9000	9300-34800	4200
अंकेक्षक 4	4500-7000	5200-20200	2800
निरीक्षक 4	4500-7000	5200-20200	2800
आशुलिपिक 2	4000-100-6000	5200-20200	2400
प्रधान लिपिक 1	4500-7000	5200-20200	2800
लेखापाल 1	4500-125-7000	5200-20200	2800
कम्प्यूटर ऑपरेटर 4	4000-100-6000	5200-20200	2400
रोकड़िया 1	3050-75-3950-80-4590	5200-20200	1900
विधि अभिकर्त्ता 8	4500-125-7000	5200-20200	2800
निम्नवर्गीय लिपिक 8	3050-75-3950-80-4590 टंकक, नेमी लिपिक एवं लिपिक का परिवर्तित पदनाम	5200-20200	1900
अभिलेखवाह 1	2610-60-3250-65-3540	4400-7440	1400
पोस्टल पिउन 1	2550-55-2660-60-3200	4400-7440	1300
प्रहरी 2	2550-55-2660-60-3200	4400-7440	1300
कार चालक (लाईट) 1	3050-75-3950-80-4590	5200-20200	1900
पीउन 12	2550-55-2660-60-3200	4400-7440	1300

कुल पदों की संख्या-54

1. अधिसूचना सं० 1003, दिनांक 14.9.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिये उम्मीदवारों की शैक्षणिक अर्हता, उम्र, वेतनमान आदि वही होगी, जो समय-समय पर समान पद वाले सरकारी पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए उस पद के लिए आवश्यक है।

पर्षद सरकार के पूर्व अनुमोदन से पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का पुनरीक्षण कर सकेगी।''

[2][''38क (i) यदि न्यायाधिकरण के पीठासीन न्यायाधीश उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हों तो उन्हें वेतन एवं उपलब्धियाँ अवकाश प्राप्त उच्च न्यायालय के न्यायांधीश के प्रावधानों के अनुसार पेंशन राशि घटाकर प्राप्त होंगी, लेकिन यदि वे अवकाश प्राप्त जिला न्यायाधीश हों तो वे अन्तिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर अपना वेतन पाने के हकदार होंगे।

(ii) जब अधीक्षक अवकाश प्राप्त न्यायिक या प्रशासनिक पदाधिकारी हों तो वे भी अन्तिम वेतन में से पेंशन की राशि घटाकर अपना वेतन पाने के हकदार होंगे।''

39. बोर्ड के पदाधिकारियों और सेवकों की छुट्टी बिहार सेवा संहिता में विनिहित सरकारी सेवकों के निमित्त पुनरीक्षित छुट्टी नियमों से शासित होगी। उक्त अधिनियम के अधीन अनुमान्य सभी छुट्टियां बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दी जायेंगी।

40. बोर्ड के किसी पदाधिकारी या सेवक पर, जुर्माने को छोड़कर अन्य कोई कठोर दंड आरोपित करने के हरेक आदेश देने के पूर्व सरकारी सेवकों के लिये यथाविहित रीति से, जांच कर ली जायेगी। उस पदाधिकारी या सेवक के विरुद्ध लाये गये अभियोग उन्हें लिखित रूप में संसूचित किये जायेंगे। उसके विरुद्ध जो साक्ष्य होंगे, अभिलिखित कर लिये जायेंगे और उन्हें समझा दिया जायेगा। उनके विरुद्ध जो साक्ष्य होंगे, उनका खंडन करने और लिखित रूप में जो स्पष्टीकरण वे देना चाहें उसे देने की उन्हें अनुमति दी जायेगी। ऐसी जांच के बाद दिये गये आदेश में अभियोग या अभियोगों के विवरण, पदाधिकारी या सेवक का स्पष्टीकरण, उसके पक्ष या विपक्ष के साक्ष्यों की परीक्षा और हर अभियोग पर मंतव्य के कारण रहेंगे। आदेश की प्रतिलिपि पदाधिकारी या सेवक के पास अविलम्ब ही भेज दी जायेगी।

41. विशेष प्रस्ताव से बोर्ड अपने पदाधिकारियों और सेवकों के लिये अंशदायी भविष्य-निधि गठित कर सकेगी। पदाधिकारी और सेवक उस निधि में, हर महीने, अपने वेतन पर प्रति रुपये [1][एक आने की दर से दिया करेंगे, और उसमें न्यासनिधि से भी समान राशि मिला दी जायेगी। निधि में जमा कुल रकम उन्हें अपनी सेवा के अन्त में दी जायेगी। प्रोविडेंट फंड ऐक्ट, 1925 (19, 1925) और बिहार जेनरल प्रोविडेंट फंड रूल्स, आवश्यक परिबर्तनों के साथ, बोर्ड के पदाधिकारियों और सेवकों पर भी लागू होंगे। बोर्ड भविष्य निधि के प्रबंध के लिये, पृथक् उपविधि बनायेगी।

42. कार्यालय के उचित प्रबंध के लिये अधीक्षक जिम्मेवार होगा। कर्मचारियों की स्थापना संबंधी सभी विषय उसके जरिये पास करेंगे।

43. बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन अध्यक्ष करेगा:–

(क) बिहार राज्य के सभी धार्मिक न्यासों का पूर्ण अभिलेख तैयार करना और उसे बनाये रखना;

(ख) किसी धार्मिक न्यास के सृजन संबंधी सभी लेख्यों की पंजी तैयार करना और उसे बनाये रखना;

(ग) किसी धार्मिक न्यास की खोई हुई सम्पत्ति की प्राप्ति के लिये उपाय करना;

(घ) किसी धार्मिक न्यास की सम्पत्ति और कार्यालय का, जिसमें लेखा की जांच भी शामिल है, निरीक्षण करने के लिये बोर्ड के अधीक्षक अथवा किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक को प्राधिकृत करना;

(ङ) न्यासियों से सूचना, प्रतिवेदन, विवरणी और अन्य लेख्य मांगना;

(च) उस विधि के अनुसार जिसके द्वारा न्यास शासित हो और संस्थापक की इच्छानुसार जहां तक वह जानी जा सके और जो ऐसी विधि के विरुद्ध न हो, धार्मिक न्यास के उचित प्रशासन के लिये निदेश देना;

(छ) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में, न्यासियों के हाथ में रहने वाले किसी धार्मिक न्यास का धर्मस्व-धन जमा करने का निदेश देना;

1. अब छः पैसे ।

2. अधिसूचना सं० 1003, दिनांक 14.9.2011 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ज) राज्य सरकार के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुये न्यास निधि का नियंत्रण और प्रशासन करना;

(झ) बोर्ड की आय तथा व्यय का सही और नियमित [illegible] रखना और उनको लेखा परीक्षा के लिये प्रस्तुत करना;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई विवरण, रिपोर्ट, विवरणी या अन्य लेखा तथा अन्य कोई सूचना राज्य-सरकार के पास भेजना;

(ट) किसी धार्मिक न्यास के प्रशासन के संबंध में जांच करवाना;

(ठ) किसी धार्मिक न्यास के न्यासी को निदेश देना कि वह न्यास अथवा उससे संबंधित किया विषय के सिलसिले में किसी विधि-न्यायालय में वाद या कार्यवाही चलावे;

(ड) धार्मिक न्यासों के संबंध में चलाये गये वाद या कार्यवाही की पैरवी करना;

(ढ) धार्मिक न्यास के न्यासी को निदेश देना कि वह अचल सम्पत्ति में किसी न्यास का अधिकार, हक्क अथवा हित, यदि कोई हो, खतियान या नगर-पालिका अभिलेख में प्रविष्ट करने के लिये समुचित पदाधिकारी या प्राधिकारी के यहां आवेदन करे;

(ण) धार्मिक न्यास की आय में से खंड (ण), (त) अथवा (थ) के अधीन चलाये गये वाद या कार्यवाहियों के मद्धे बोर्ड द्वारा किये गये खर्चों को धार्मिक न्यास की आय से वसूल करना;

(त) पद से निवृत्त होने के लिये न्यासी को अनुमति देना;

(थ) पर्याप्त कारण से, उस समय को बढ़ाना जिसके भीतर इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन बोर्ड के समक्ष किसी काम का किया जाना अपेक्षित या आदेशित हो;

(द) धार्मिक न्यासों के उचित प्रशासन के लिये योजनाओं की व्यवस्था करना;

(ध) अस्थायी न्यासियों [1]["और अधिनियम की धारा-28(2)(ज) के अधीन न्यासधारी के अपसारण के रिक्त स्थान पर न्यासधारी की नियुक्ति संस्थापक की इच्छा की शर्त्तों पर या पर्षद् एवं न्यास के बीच आपसी सहमति से]" को नियुक्त करना;

(न) फीस लेकर कार्यवाहियों, अभिलेखों तथा किन्हीं अन्य लेख्यों की प्रतिलिपियां देना;

(प) धार्मिक न्यासों की ओर से कतिपय भुगतान करना और उन्हें संबद्ध न्यासों की सम्पत्ति से वसूल करना;

(फ) किसी धार्मिक, पुनीत या दातव्य कार्य, जिसका किया जाना किसी सम्पत्ति पर भारित हो, के सम्पादन में चूक होने पर जिला जज के यहां आवेदन करना;

(ब) आभारों का निर्वहन करने के लिये न्यासियों को बाध्य करने अथवा अधिप्रापक नियुक्त करने के लिये जिला जज के यहां आवेदन करना;

(भ) किसी धार्मिक न्यास से हित संबद्ध व्यक्ति को किसी न्यासी को हटाने या नियुक्त करने के संबंध में आवेदन करने के लिये अनुमति देना;

(म) यदि किसी न्यास के उद्देश्य अस्पष्ट या अनिश्चित हो तो जिला जज के यहां आवेदन करना;

(य) किसी न्यासी अथवा अन्य किसी व्यक्ति द्वारा किसी धार्मिक न्यास या सम्पत्ति के संबंध में चलाये गये किसी वाद या कार्यवाही में पक्ष के रूप में बोर्ड को शामिल करने के लिये न्यायालय में आवेदन करना;

(र) किसी वाद या कार्यवाही में समझौता, व्यवस्था आदि के लिये अनुमोदन देना; गवाहों के नाम सम्मन जारी करना और उपस्थित होने के लिये तथा लेख्यों को उपस्थापित करने के लिये उन्हें बाध्य करना;

(ल) धार्मिक न्यास के किसी न्यासी को, किसी ऐसे प्रश्न पर राय, परामर्श या निदेश देना, जिससे ऐसे न्यास की सम्पत्ति के प्रबंध या प्रशासन पर प्रभाव पड़ता हो;

[1][(व) विवाद के किसी गम्भीर मामले या गम्भीर आरोपों की जाँच-पड़ताल करना एवं संबंधित पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् निर्णय लेना;

1. अधिसूचना सं० 1003, दिनांक 14.9.2011 द्वारा अन्तःस्थापित।

(ज) किसी सार्वजनिक या निजी न्यास से संबंधित सभी विवादों को विनिश्चित करना;

(झ) अधिनियम 32(1) के अधीन न्यास कमिटी का गठन करना;

(ञ) न्यासी या न्यास के धार्मिक कार्यों से हितबद्ध कोई दो व्यक्ति को न्यास का अन्य सक्रान्त सम्पत्ति की वापसी के लिए अथवा अतिक्रमण हटाने के लिये या अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन सम्पत्ति विवाद के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने की अनुमति प्रदान करना।]"

44. लेखापाल को 250 रु० की नकद प्रतिभूति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। शोधक्षम प्रतिभुओं से नकद प्रतिभूति की दूनी रकम वैयक्तिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी।

45. बोर्ड को अदा की गई रकमों की रसीद बोर्ड कार्यालय की लेखा प्रशाखा के प्रधान देंगे और अधीक्षक उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। अदा की गई रकमों की कच्ची रसीद बोर्ड के निरीक्षण पदाधिकारी देंगे।

46. बोर्ड की सामान्य मुहर अधीक्षक की अभिरक्षा में रहेगी।

47. जब कोई संकट काल आ पड़े और बोर्ड की बैठक करना संभव न हो सके तो डाक के जरिये पत्रजातों का परिचारण करके बोर्ड के निर्णय का निश्चय होगा। बोर्ड के हर सदस्य को स्थायी पते से निर्बंधित डाक के जरिये पत्रजात भेज दिये जाएँगे और यदि उसमें उल्लिखित समय के भीतर कोई जवाब न आवे तो यह मान लिया जायेगा कि सदस्य को किसी भी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। यदि सदस्यों के स्थायी पते में कोई परिवर्तन हो तो वे अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे।

48. धार्मिक न्यास का हरेक न्यासी दूसरे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के निमित्त, परिशिष्ट 4 के फारम 5 में अनुमित आय और व्यय का एक बजट तैयार करेगा और हर वर्ष, 15 जनवरी तक, उसकी एक प्रतिलिपि अध्यक्ष के पास निर्बंधित डाक के जरिये भेज देगा। फारम में के सभी ब्योरे यथासंभव ठीक-ठीक प्रस्तुत किये जायेंगे।

49. क्षेत्रीय न्यास समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य रहेंगे। ऐसी समिति की बैठक के लिये चार सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) होगी। सभापति चुनने के लिये जो बैठक होगी, उसका कोरम चार व्यक्तियों से होगा।

50. क्षेत्रीय न्यास समिति की बैठक के संचालन के लिये, यथासंभव, वही नियम होंगे जो बोर्ड या किसी समिति की बैठकों के लिये इन उपविधियों में उपबन्धित हैं।

51. हरेक क्षेत्रीय न्यास समिति की अपेक्षानुकूल उसके लिये अपेक्षित कर्मचारियों का निर्धारण बोर्ड करेगा। ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्तें वे ही होंगी जो बोर्ड के कर्मचारियों की हों।

52. किसी क्षेत्रीय न्यास समिति के सदस्य, समिति के कार्यों के लिये बैठकों में उपस्थित होने तथा उस प्रयोजन से की गई यात्रा के लिये बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली में राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी के सेवकों के लिये विनिहित यात्रा-भत्ता ले सकेंगे।

53. हरेक क्षेत्रीय न्यास समिति प्रति वर्ष अपना बजट तैयार करेगी और 15 जनवरी तक बोर्ड के पास मंजूरी के लिये भेजेगी।

54. हरेक क्षेत्रीय न्यास समिति स्थानीय न्यास पंजी, लेखा बही, आदेश-पुस्त, दर्शक-पुस्त और भरपाई पंजी बनाये रखेगी।

55. बोर्ड की निम्न सूचनायें, निर्णय और आदेश सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से हित-संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी के लिये बिहार राज्य में प्रकाशित होनेवाले किसी पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे:–

(क) बोर्ड के पदाधिकारियों और सेवकों की सभी नियुक्तियां, मुअत्तली, बर्खास्तगी या हटाया जाना;

(ख) निर्बंधित न्यासों के न्यासियों की नियुक्तियां, मुअत्तली, हटाया जाना या निवृत्ति;

(ग) न्यासों, संस्थाओं या समितियों का अवक्रमण; और

[1][(घ) अधिनियम के अधीन परियोजनाओं की व्यवस्था एवं समितियों की नियुक्ति।"

1. अधिसूचना सं० 1003, दिनांक 14.9.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

(श) किसी सार्वजनिक या निजी न्यास से संबंधित सभी विवादों को विनिश्चित करना;
(ष) अधिनियम 32(1) के अधीन न्यास कमिटी का गठन करना;
(स) न्यासी या न्यास के धार्मिक कार्यों से हितबद्ध कोई दो व्यक्ति को न्यास का अन्य सक्रान्त सम्पत्ति की वापसी के लिए अथवा अतिक्रमण हटाने के लिये या अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन सम्पत्ति विवाद के निर्णय के लिए न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदन करने की अनुमति प्रदान करना।]''

44. लेखापाल को 250 रु० की नकद प्रतिभूति प्रस्तुत करनी पड़ेगी। शोधक्षम प्रतिभुओं से नकद प्रतिभूति की दूनी रकम वैयक्तिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी।

45. बोर्ड को अदा की गई रकमों की रसीद बोर्ड कार्यालय की लेखा प्रशाखा के प्रधान देंगे और अधीक्षक उस पर प्रतिहस्ताक्षर करेंगे। अदा की गई रकमों की कच्ची रसीद बोर्ड के निरीक्षण पदाधिकारी देंगे।

46. बोर्ड की सामान्य मुहर अधीक्षक की अभिरक्षा में रहेगी।

47. जब कोई संकट काल आ पड़े और बोर्ड की बैठक करना संभव न हो सके तो डाक के जरिये पत्रजातों का परिचारण करके बोर्ड के निर्णय का निश्चय होगा। बोर्ड के हर सदस्य को स्थायी पते से निबंधित डाक के जरिये पत्रजात भेज दिये जाएंगे और यदि उसमें उल्लिखित समय के भीतर कोई जवाब न आवे तो यह मान लिया जायेगा कि सदस्य को किसी भी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। यदि सदस्यों के स्थायी पते में कोई परिवर्तन हो तो वे अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे।

48. धार्मिक न्यास का हरेक न्यासी दूसरे अनुवर्त्ती वित्तीय वर्ष के निमित्त, परिशिष्ट 4 के फारम 5 में अनुमित आय और व्यय का एक बजट तैयार करेगा और हर वर्ष, 15 जनवरी तक, उसकी एक प्रतिलिपि अध्यक्ष के पास निबंधित डाक के जरिये भेज देगा। फारम में के सभी ब्योरे यथासंभव ठीक-ठीक प्रस्तुत किये जायेंगे।

49. क्षेत्रीय न्यास समिति में अधिक से अधिक सात सदस्य रहेंगे। ऐसी समिति की बैठक के लिये चार सदस्यों की गणपूर्त्ति (कोरम) होगी। सभापति चुनने के लिये जो बैठक होगी, उसका कोरम चार व्यक्तियों से होगा।

50. क्षेत्रीय न्यास समिति की बैठक के संचालन के लिये, यथासंभव, वही नियम होंगे जो बोर्ड या किसी समिति की बैठकों के लिये इन उपविधियों में उपबन्धित हैं।

51. हरेक क्षेत्रीय न्यास समिति की अपेक्षानुकूल उसके लिये अपेक्षित कर्मचारियों का निर्धारण बोर्ड करेगा। ऐसे कर्मचारियों की सेवा की शर्त्तें वे ही होंगी जो बोर्ड के कर्मचारियों की हों।

52. किसी क्षेत्रीय न्यास समिति के सदस्य, समिति के कार्यों के लिये बैठकों में उपस्थित होने तथा उस प्रयोजन से की गई यात्रा के लिये बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली में राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी के सेवकों के लिये विनिहित यात्रा-भत्ता ले सकेंगे।

53. हरेक क्षेत्रीय न्यास समिति प्रति वर्ष अपना बजट तैयार करेगी और 15 जनवरी तक बोर्ड के पास मंजूरी के लिये भेजेगी।

54. हरेक क्षेत्रीय न्यास समिति स्थानीय न्यास पंजी, लेखा बही, आदेश-पुस्त, दर्शक-पुस्त और भरपाई पंजी बनाये रखेगी।

55. बोर्ड की निम्न सूचनायें, निर्णय और आदेश सामान्य रूप से जनता और विशेष रूप से हित-संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी के लिये बिहार राज्य में प्रकाशित होनेवाले किसी पत्र में प्रकाशित किये जायेंगे:-

(क) बोर्ड के पदाधिकारियों और सेवकों की सभी नियुक्तियां, मुअत्तली, बर्खास्तगी या हटाया जाना;
(ख) निबंधित न्यासों के न्यासियों की नियुक्तियां, मुअत्तली, हटाया जाना या निवृत्ति;
(ग) न्यासों, संस्थाओं या समितियों का अवक्रमण; और
[1][(घ) अधिनियम के अधीन परियोजनाओं की व्यवस्था एवं समितियों की नियुक्ति।''

---

1. अधिसूचना सं० 1003, दिनांक 14.9.2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

3. उस ग्राम, डाकघर, थाना, सबडिवीजन और जिले का नाम जिसमें यह अवस्थित हो (सबसे अधिक समीपी रेलवे स्टेशन भी)।
4. प्रधान मठ या मंदिर के पड़ोस के छोटे मठों या मंदिरों के नाम और उनकी अवस्थिति।
5. न्यासियों और प्रबंधकों के पते सहित नाम (नियुक्ति और पदावधि समाप्ति की तारीख सहित)।
6. ऐसे व्योरे कि संस्था का प्रशासन-न्यायालय द्वारा तय की गई किसी योजना के अधीन होता है या न्यासियों द्वारा बिन किसी नियंत्रण के तथा ऐसे व्योरे भी कि न्यासी और प्रबंधक के पद के उत्तराधिकार के संबंध में किसी लेख्य या प्रचलन में कोई उपबंध है कि नहीं।
7. न्यास की उत्पत्ति या निर्माण के बारे में लेख्यों के विवरण।
8. संस्थापक या दानदाता का नाम, यदि ज्ञात हो।
9. न्यास के उद्देश्य
10. न्यास द्वारा धारित चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के विवरण।
11. गत वित्तीय वर्ष के भीतर बेची गई अन्तरित या गठित चल और अचल सम्पत्तियों के विवरण।

[1][12. वार्षिक आय, यह पिछले वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए और निम्न प्रकार दिखलाई जाये:–
 (क) भू-सम्पत्तियों से आय।
 (ख) चढ़ावों से आय।
 (ग) विभिन्न फीस से आय।
 (घ) विक्रय आगम से आय।
 (ङ) किराया से आय।
 (च) दान से आय।
 (छ) सरकार से किसी अनुदान या बैंक या किसी संस्था से आय।
 (ज) न्यास द्वारा संचालित संस्था से, कर्ज एवं सूद भुगतान के पश्चात् एक मुश्त अधिशेष राशि, यदि अधिशेष आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन अग्रेनीत नहीं किया हो।]''

13. वार्षिक व्यय–
 (क) न्यासियों और प्रबंधकों के पारिश्रमिक पर
 (ख) स्थापना और कर्मचारिवर्ग पर
 (ग) धार्मिक कार्यों पर
 (घ) दानों के संबंध में
 (ङ) विविध मदो पर
14. अनुसरण किए जानेवाले महत्वपूर्ण आचारों और प्रयोगों के विवरण।
15. न्यास-सम्पत्तियों पर ऋणभारों के विवरण।

[2][''**15-'क'** न्यास द्वारा स्थापित किसी संस्था का विस्तृत ब्यौरा।''

16. महत्वपूर्ण अन्य सूचना
17. विशेष

न्यासी का हस्ताक्षर

---

1. अधिसूचना सं० 1003, दिनांक 14.9.2011 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. अन्तःस्थापित तत्रैव ।

परिशिष्ट 5

आवेदन का फारम।

(उपविधि 50 देखे।)

सेवा में,

मैं, ... पुत्र ... ..., निवासी ग्राम ... ..., थाना ... ..., जिला ... ... न्यासी की ओर से ... ... के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित लेख्यों का निरीक्षण करना / की प्रतिलिपि लेना, चाहता हूं।

लेख्यों के विस्तृत-व्योरे।

क्रम संख्या।	लेख्यों के विवरण।	विशेष।
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

2. मैं घोषित करता हूं कि उपविधि 27, 28 और 30 द्वारा यथापेक्षित फीस ... ... रुपये ... ... में जमा कर दिये गये हैं और उनकी रसीद संलग्न है।

3. मैं ... ... तारीख को ऊपर प्रगणित लेख्यों का निरीक्षण करना / की प्रतिलिपि लेना चाहता हूं।

हस्ताक्षर ... ...

पदनाम ... ...

द्वारा दिया गया आदेश हस्ताक्षर

हस्ताक्षर ... ...

पदनाम ... ...

तारीख ... ...

द्रष्टव्य–(1) इस संबंध में दिया गया आदेश आवेदक के पास अविलम्ब भेज देना चाहिए।

(2) यदि ... ...आवेदक को निरीक्षण करने या प्रतिलिपि लेने की अनुमति न दे तो जमा की गई फीस आवेदक को लौटा दी जाएगी।

परिशिष्ट 6

फारम 5

... ... न्यास का, 200 ... ... 200 ... ... वर्ष का बजट अनुमान

सभी स्रोतों से 200.... 200... वर्ष में आय।

1. 200.......200........... में न्यास विलेख में उल्लिखित सम्पत्तियों से तथा न्यासी के प्रभार की सम्पत्तियों से होनेवाली आय।
2. 200....200..... में अन्य स्रोतों से आय (आय की हर मद अलग-अलग दिखायी जाये)।

200... 200... वर्ष में व्योरे सहित व्यय।

1. स्थापना व्यय।
2. (क) मंदिर और अन्य सम्पत्तियों के रख-रखाव का खर्च अलग-अलग दिखायें।
   (ख) खेती पर व्यय।
3. न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्त्ति पर अथवा उन मदों में जिन पर अब तक व्यय किया गया हो। (हर शीर्षक के अधीन अलग-अलग दिखाये जायें।)
4. सरकारी पावने–
   (1) भू-राजस्व–
   (2) उप-कर।
   (3) अन्य पावने।
5. बोर्ड के पावने–
   (1) न्यास शुल्क।
   (2) अन्य पावने।
6. मुकदमेबाजी पर व्यय यदि कोई हो।
7. 200.....200.... वर्ष में विविध व्यय

जोड़........

उपज के व्योरे निम्न शीर्षकों के अधीन दिये जायेंगे:–

1. रैयतों ने जिस भूमि में खेती की हो उस संबंध में उनके द्वारा प्राप्त परिमाणं।
2. खास खेती में बकाशत भूमि से प्राप्त परिणाम।
3. खरीद से प्राप्त परिमाण
4. भेंट, दान आदि अन्य स्रोतों से प्राप्त

1. राग-भोग, साधुओं तथा दरिद्र-नारायणों को खिलाने पर खर्च की गई राशि अलग-अलग दिखाई जाये।
2. कर्मचारियों की स्थापना पर
3. खेती पर
4. बिक्री
5. विविध

टिप्पणी–एक शीर्षक की राशि को दूसरे शीर्षक में खर्च करना केवल बोर्ड की पूर्व अनुमति से ही होगा।

न्यासी का हस्ताक्षर।

परिशिष्ट 6

फारम 5

... ... न्यास का, 200 ... ... 200 ... ..., वर्ष का बजट अनुमान

सभी स्रोतों से 200.... 200... वर्ष में आय।

1. 200.......200............ में न्यास विलेख में उल्लिखित सम्पत्तियों से तथा न्यासी के प्रभार की सम्पत्तियों से होनेवाली आय।
2. 200....200..... में अन्य स्रोतों से आय (आय की हर मद अलग-अलग दिखायी जाये)।

200... 200... वर्ष में ब्यौरे सहित व्यय।

1. स्थापना व्यय।
2. (क) मंदिर और अन्य सम्पत्तियों के रखाव का खर्च अलग-अलग दिखाये
   (ख) खेती पर व्यय।
3. न्यास विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति पर अथवा उन मदों में जिन पर अब तक व्यय किया गया हो। (हर शीर्षक के अधीन अलग-अलग दिखाये जायें।)
4. सरकारी पावने–
   (1) भू-राजस्व–
   (2) उप-कर।
   (3) अन्य पावने।
5. बोर्ड के पावने–
   (1) न्यास शुल्क।
   (2) अन्य पावने।
6. मुकदमेबाजी पर व्यय यदि कोई हो।
7. 200.....200.... वर्ष में विविध व्यय

जोड़........

उपज के ब्यौरे निम्न शीर्षकों के अधीन दिये जायेंगे:–

1. रैयतों ने जिस भूमि में खेती की हो उस संबंध में उनके द्वारा प्राप्त परिमाण।
2. खास खेती में बकाशत भूमि से प्राप्त परिणाम।
3. खरीद से प्राप्त परिमाण
4. भेंट, दान आदि अन्य स्रोतों से प्राप्त

1. राग-भोग, साधुओं तथा दरिद्र-नारायणों को खिलाने पर खर्च की गई राशि अलग-अलग दिखाई जाये।
2. कर्मचारियों की स्थापना पर
3. खेती पर
4. बिक्री
5. विविध

टिप्पणी–एक शीर्षक की राशि को दूसरे शीर्षक में खर्च करना केवल बोर्ड की पूर्व अनुमति से ही होगा।

न्यासी का हस्ताक्षर

दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास राज्य-पर्षद् की उपविधियां

1. परिभाषा:-इन उपविधियां में, जबतक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, जबतक

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950;

(ख) "परिशिष्ट" से अभिप्रेत है इन उपविधियों से अनुबद्ध परिशिष्ट;

(ग) "पर्षद्" से अभिप्रेत है बिहार राज्य दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास पर्षद्;

(घ) "फारम" से अभिप्रेत है इन उपविधियों के परिशिष्ट में दिया गया फारम;

(ङ) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है पर्षद् या क्षेत्रीय न्यास समिति यथास्थिति का अध्यक्ष;

(च) "अध्यासी पदाधिकारी" से अभिप्रेत है पर्षद् या समिति या क्षेत्रीय न्यास समिति, यथास्थिति, की बैठक की अध्यक्षता करनेवाला व्यक्ति;

(छ) "नियम" से अभिप्रेत है धारा 82 के अधीन निर्मित नियम;

(ज) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा; और

(झ) "पंजीकृत न्यासों" से अभिप्रेत है न्यासों जो उपविधि सं- 22 के अधीन पर्षद् द्वारा संधारित पंजी में प्रविष्ट किये गये हैं।

2. पर्षद् की कार्यवाहियों का संचालन:-(1) पर्षद् की सभी बैठकें साधारणतया पर्षद् के कार्यालय में होगी।

(2) बैठक के लिए जारी की गई कार्यावली में सम्मिलित कार्यों के सिवाय अन्य कोई भी कार्य अध्यासी पदाधिकारी की विशेष अनुमति के बिना बैठक में सम्पादित नहीं होगा:

परंतु, विशेष बैठक में केवल कार्यावली में सम्मिलित कार्यों का ही सम्पादन होगा।

(3) नियम आपत्ति या जानकारी अथवा किसी सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण को छोड़कर जब कोई सदस्य बोल रहा हो तो उसका क्रम-भंग नहीं किया जाएगा। नियम आपत्ति की दशा में या जब अध्यासी पदाधिकारी बोल रहा हो, तो बोलने वाले सदस्य को अपना आसन ग्रहण कर लेना चाहिए। अध्यासी पदाधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी सदस्य को दुबारा नहीं बोलने दिया जाएगा, किंतु उत्तर देने के लिए वह बोल सकता है।

3. गणपूर्त्ति का अभाव:-कोई भी सदस्य, किसी भी समय बैठक के लिए गणपूर्ति के अभाव की ओर अध्यासी पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और तब गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित कर दी जाएगी।

4. निर्णीत प्रश्नों का फिर से उठाया जाना:-पर्षद् के कम-से-कम छ: सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांगपत्र पर अध्यासी पदाधिकारी की विशेष अनुमति से ही वैसे किसी प्रश्न को उसके निर्णीत किये जाने के छ: महीनों के भीतर फिर से उठाया जा सकता है जिसे पर्षद् ने एक बार निर्णीत कर दिया हो।

धन्यवाद, बधाई के संदेश तथा शोक सम्बन्धी प्रस्ताव अथवा उसी प्रकार

5. धन्यवाद आदि के प्रस्ताव:-कोई भी सदस्य बिना सूचना के कर सकता है।

के अन्य प्रस्ताव अध्यासी पदाधिकारी या उसकी अनुमति से कोई भी सदस्य विवादान्तक प्रस्ताव कर सकेगा। इस प्रकार किये गए

6. वाद-वृत्त की बन्दी:-कोई भी सदस्य विवादान्तक प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर, प्रस्तावक को जवाब देने का

प्रस्ताव पर मत लिया जाएगा। विवादान्तक (प्रस्ताव) स्वीकृत हो जाने पर, प्रस्तावक को जवाब देने का अधिकार नहीं होगा।

अधिकार होगा, लेकिन किसी संशोधन के प्रस्तावक को जवाब देने का अधिकार हाथ उठा कर अथवा गुप्त मतदान

7. मतों का अभिलेखन:-अध्यासी पदाधिकारी के विवेकानुसार हाथ उठा कर अथवा गुप्त मतदान के द्वारा बैठक में मत अभिलिखित किये जाएंगे।

8. कार्यवृत्त:-सभी बैठकों के कार्यवृत्त हिन्दी (देवनागरी लिपि) में या अंग्रेजी में अभिलिखित होंगे और उक्त प्रयोजन के लिए रखे गए पुस्त में प्रविष्ट किये जाएंगे तथा अध्यासी पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाएंगे। अधीक्षक अथवा उसकी अनुपस्थिति में अध्यासी पदाधिकारी या अध्यासी पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति बैठक की कार्यवाहियां अभिलिखित करेगा।

9. जब कोई संकट-काल आ पड़े और पर्षद् की बैठक करना संभव न हो तो डाक से कागजातों को परिचारित करके पर्षद् के निर्णय का अभिनिश्चय किया जाएगा। पर्षद् के प्रत्येक सदस्य को उसके स्थायी पता पर रजिस्ट्री डाक से कागजात भेज दिये जाएंगे और यदि उसमें उल्लिखित समय के भीतर कोई जवाब न प्राप्त हो तो यह मान लिया जाएगा कि सदस्य को किसी प्रकार की टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। यदि सदस्यों के स्थायी पते में कोई परिवर्तन हो तो वे अध्यक्ष को इसकी सूचना देंगे।

10. पर्षद्, निम्नलिखित पदाधिकारियों और सेवकों को प्रत्येक के सामने उल्लिखित वेतनमान में नियुक्त कर सकेगी:-

[1][(1) एक अधीक्षक:-रु॰ 350—15—380—30—590—द॰ रो॰–30—770—40—...

(2) एक वरीय सहायक:-रु॰ 120—8—200;

(3) तीन कनीय सहायक:-रु 70—3—85—द॰ रो॰–4—105—2—140;

(4) एक लेखापाल-सह-रोकड़पाल:-रु॰ 129—4—140;

(5) दस निरीक्षक:-रु॰125—259;

(6) चार लेखा परीक्षक:-रु॰ 150/5—2—175—7/2—215—द॰ रो॰–2—250;

(7) एक आशुलिपि, श्रेणी:-रु॰ 125—250;

(8) दो टंकक:-रु॰ 60—2—80—द॰ रो॰–2—100;

(9) सोलह चपरासी:-रु॰ 22½—½—27½;

(10) एक अभिलेखवाहक:-रु॰ 28—½—40]

परंतु, किसी कारणवश, पर्षद्, राज्य सरकार की पूर्वानुमति से, अपने कर्मचारियों को इससे भिन्न वेतनमान दे सकती है।

वे, राज्य सरकार के समान स्तर के पदाधिकारियों और सेवकों की तरह वेतनमानों पर अनुमान्य जीवनयापन भत्ता के भी हकदार होंगे।

11. लेखापाल को 250 रु॰ की नकद प्रतिभूति प्रस्तुत करनी होगी। शोधक्षम प्रतिभुओं से नकद प्रतिभूति की दूनी रकम वैयक्तिक प्रतिभूति के रूप में स्वीकृत की जा सकेगी।

12. पर्षद् के पदाधिकारियों और सेवकों की छुट्टी बिहार सेवा संहिता में विनिहित सरकारी सेवकों के निमित्त पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली से शासित होगी। उक्त नियमावली के अधीन अनुमान्य सभी छुट्टियां पर्षद् के अध्यक्ष द्वारा दी जाएंगी।

13. विशेष प्रस्ताव से पर्षद् अपने पदाधिकारियों और सेवकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि गठित कर सकेगी। वे उस निधि में, हर महीने, अपने वेतन के प्रति रुपया [2][एक आना की दर से अभिदान किया करेंगे, जिसमें न्यासनिधि से भी समान राशि मिला दी जाएगी। निधि में जमा कुल रकम उन्हें अपनी सेवा के अन्त में दी जाएगी। भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का 19) और बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, पर्षद् के पदाधिकारियों और सेवकों पर लागू होंगी। पर्षद् भविष्य निधि के प्रबन्ध के लिए पृथक् उपविधियां बनाएगी।

14. कार्यालय के उचित प्रबंध के लिए अधीक्षक जिम्मेवार होगा। कर्मचारियों की स्थापना से सम्बन्धित सभी विषय उसके जरिए पास करेंगे।

15. पर्षद् की सामान्य मुहर अधीक्षक की अभिरक्षा में रहेगी।

16. किसी पदाधिकारी या सेवक पर, जुर्माने को छोड़कर अन्य कोई कठोर दंड आरोपित करने के हरेक आदेश देने के पहले जांच की जाएगी, पदाधिकारी या सेवक के विरुद्ध लाए गये आरोप अभिलिखित किये जाएंगे और उन्हें संसूचित किये जाएंगे। उनके विरुद्ध जो साक्ष्य होंगे अभिलिखित कर लिये जाएंगे

1. अब नया वेतनमान देखें।
2. अब छव पैसे।

और उन्हें समझा दिया जाएगा, और उनके विरुद्ध जो भी साक्ष्य पेश किये जाएंगे उनका खंडन करने और लिखित रूप में जो स्पष्टीकरण वे देना चाहें उसे देने की उन्हें अनुमति दी जाएगी। ऐसी जांच के बाद दिये गए आदेश में आरोप या आरोपों के विवरण, पदाधिकारी या सेवक का स्पष्टीकरण, उसके पक्ष या विपक्ष के साक्ष्यों की परीक्षा और प्रत्येक आरोप पर मंतव्य रहेंगे। आदेश की प्रतिलिपि पदाधिकारी या सेवक के पास अविलम्ब भेज दी जाएगी।

17. पर्षद् की निम्नांकित शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का पालन अध्यक्ष करेगा:–

(क) राज्य के सभी धार्मिक न्यासों का पूर्ण अभिलेख तैयार करना और उसे बनाए रखना;

(ख) किसी धार्मिक न्यास के सृजन संबंधी सभी लेख्यों की पंजी तैयार करना और उसे बनाए रखना;

(ग) किसी धार्मिक न्यास की खोई हुई सम्पत्ति की प्राप्ति के लिए उपाय करना;

(घ) किसी धार्मिक न्यास की सम्पत्ति और कार्यालय का, जिसमें लेखा की जांच भी शामिल है, निरीक्षण करने के लिए पर्षद् के अधीक्षक अथवा किसी सदस्य, पदाधिकारी या सेवक को प्राधिकृत करना;

(ङ) न्यासियों से सूचना, रिपोर्ट, विवरणी और दस्तावेज मांगना;

(च) उस विधि के अनुसार जिसके द्वारा न्यास शासित हो और संस्थापक की इच्छानुसार जहां तक वह विनिश्चित किया जा सके और जो ऐसी विधि के विरुद्ध न हो, धार्मिक न्यास के उचित प्रशासन के लिए निदेश देना;

(छ) भारतीय स्टेट बैंक या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी बैंक में न्यासियों के हाथ में रहनेवाले किसी धार्मिक न्यास के धर्मस्व-धन को जमा करने का निदेश देना;

(ज) राज्य सरकार के सामान्य पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए न्यास का नियंत्रण और प्रशासन करना;

(झ) पर्षद् की आमदनी और खर्च का सही और नियमित लेखा रखना और उनको लेखा-परीक्षा के लिए प्रस्तुत करना;

(ञ) राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित कोई विवरण, रिपोर्ट, विवरणी या अन्य दस्तावेज और कोई जानकारी राज्य सरकार को देना;

(ट) किसी धार्मिक न्यास के प्रशासन के संबंध में जांच करवाना;

(ठ) किसी धार्मिक न्यास के न्यासी को न्यास या उससे संबंधित किसी विषय के बारे में किसी विधि-न्यायालय में वाद या कार्यवाही चलाने का निदेश देना;

(ड) धार्मिक न्यासों के सम्बन्ध में चलाये गये किसी वाद या कार्यवाही में पैरवी करना;

(ढ) धार्मिक न्यास के न्यासी को निदेश देना कि वह अचल सम्पत्ति में किसी न्यास का अधिकार, हक अथवा हित, यदि कोई हो, खतियान या नगर पालिका-अभिलेख में प्रविष्ट करने के लिए समुचित पदाधिकारी या प्राधिकारी के पास आवेदन करे;

(ण) धार्मिक न्यास की आय में से धारा 28(2) के खंड (ण), (त) या (थ) के अधीन चलाए गए वाद या कार्यवाहियों के मुद्धे पर्षद् द्वारा किये गये खर्चों को वसूल करना;

(त) पद से निवृत्त होने के लिए न्यासी को अनुमति देना

(थ) पर्याप्त कारण से, उस समय को बढ़ाना जिसके भीतर इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन पर्षद् के समक्ष किसी काम का किया जाना अपेक्षित या आदेशित हो;

(द) धार्मिक न्यासों के उचित प्रशासन के लिए स्कीम तय करना;

(ध) अस्थायी न्यासी नियुक्त करना;

(न) फीस लेकर कार्यवाहियों, अभिलेखों तथा किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपियां देना;

(प) धार्मिक न्यासों की ओर से कतिपय भुगतान करना और उन्हें सम्बद्ध न्यासों की ... से वसूल करना;

(फ) किसी धार्मिक, पुनीत या दातव्य कार्य, जिसका किया जाना किसी सम्पत्ति ... के सम्पादन में चूक होने पर जिला न्यायाधीश के पास आवेदन करना;

(ब) दायित्वों के निर्वहन वास्ते न्यासियों को बाध्य करने या अधिप्रापक नियुक्त करने ... जिला न्यायाधीश के पास आवेदन करना;

(भ) किसी धार्मिक न्यास से हितबद्ध व्यक्ति को किसी न्यासी को हटाने या नियुक्त ... संबंध में जिला न्यायाधीश के पास आवेदन करने के लिए अनुमति देना;

(म) यदि किसी न्यास के उद्देश्य अस्पष्ट या अनिश्चित हो तो जिला न्यायाधीश ... आवेदन करना;

(य) किसी न्यासी या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी धार्मिक न्यास या सम्पत्ति के संबंध में ... गए किसी वाद या कार्यवाही में पक्षकार के रूप में पर्षद् को शामिल करने ... न्यायालय में आवेदन करना;

(र) किसी वाद या कार्यवाही में समझौता, व्यवस्था आदि के लिए अनुमोदन प्रदान ...

(ल) गवाहों के नाम सम्मन जारी करना और हाजिर होने के लिए तथा दस्तावेजों को पेश ... के लिए उन्हें बाध्य करना;

(व) धार्मिक न्यास के किसी न्यासी को, किसी ऐसे प्रश्न पर राय, परामर्श या निदेश ... जिससे ऐसे न्यास की सम्पत्ति के प्रबन्ध या प्रशासन पर प्रभाव पड़ता हो।

18. पर्षद् की निम्नलिखित नोटिसें, निर्णय और आदेश, सर्वसाधारणजन और विशेष रूप से ... व्यक्तियों की जानकारी के लिए इस राज्य में प्रकाशित होनेवाले किसी पत्र में प्रकाशित किये जा...

(क) पर्षद् के पदाधिकारियों और सेवकों की सभी नियुक्तियां, निलम्बन, बर्खास्तगी या ... जाना;

(ख) पंजीकृत न्यासों के न्यासियों की नियुक्तियां, निलम्बन, हटाया जाना या सेवा-निवृ...

(ग) न्यासों, संघों या समितियों का अवक्रमण; और

(घ) अधिनियम के अधीन समितियों की नियुक्ति।

19. पर्षद् को अदा की गई सभी रकमों की रसीदें पर्षद्-कार्यालय की लेखा-प्रशाखा का प्रधान ... और अधीक्षक उन पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा। अदा की गई रकमों के लिए कच्ची रसीदें पर्षद् के ... पदाधिकारी दे सकेंगे।

20. पर्षद् या न्यासी द्वारा प्राप्त सभी धन भारतीय स्टेट बैंक में जमा किया जाएगा और यदि ... के प्रधान कार्यालय के निकट भारतीय स्टेट बैंक की कोई शाखा न हो तो उसे भारतीय रिजर्व बैं... अधिनियम, 1934 में यथापरिभाषित और अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किसी अनुसूचित बैंक में जमा कि... जाएगा। कोई भी ऐसी रकम, जिसके शीघ्र खर्च किये जाने की अपेक्षा न हो, अध्यक्ष की पूर्व मंजूरी ... इस प्रकार निवेशित की जाएगी:(क) प्रामिसरी नोट या ऋणपत्र या केन्द्रीय सरकार की अन्य प्रतिभू... में, अथवा (ख) प्रामिसरी नोट, ऋणपत्र, स्टाक या राज्य सरकार की अन्य प्रतिभूतियों में, अथवा (ग) ... डाकघर बचत बैंक में, अथवा (घ) भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 ... यथापरिभाषित अनुसूचित बैंक में अधिक-से-अधिक तीन वर्षों के लिए सावधि जमा के रूप में।

पर्षद् की पूर्व मंजूरी लेकर न्यासी रकम निकाल सकता है।

अध्यक्ष पर्षद् के सभी लेखाओं का संचालन करेगा, चाहे लेखे भारतीय स्टेट बैंक में हो या किसी अन्य बैंक में। पर्षद् के मुख्यालय से उसकी अनुपस्थिति के दौरान अथवा जब वह किसी कारणवश अप... कर्तव्य सम्पादन में असमर्थ हो जाए तो अधीक्षक और पर्षद् का एक सदस्य रुपए की निकासी के लि... संयुक्त रूप से चेकों पर हस्ताक्षर करेंगे।

21. धार्मिक न्यास का प्रत्येक न्यासी दूसरे अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अनुमित आय और व्यय का एक बजट तैयार करेगा और उसे प्रबन्ध समिति द्वारा पारित कराएगा। वह समिति द्वारा पारित किया गया प्रस्ताव की सही प्रतिलिपि के साथ परिशिष्ट 4 के फारम-5 में बजट, अध्यक्ष के पास रजिस्ट्री डाक के जरिए इस तरह भेजेगा कि अनुवर्ती वर्ष के प्रारंभ होने के ढाई महीने पहले वह उसके पास पहुंच जाए। फारम में अंतर्विष्ट सभी विवरण यथासम्भव ठीक-ठीक दिये जाएंगे।

22. पर्षद् फारम-3 में धार्मिक न्यासों की एक पंजी तैयार करके बनाए रखेगा।

23. पर्षद् के कार्यालय में निम्नलिखित पुस्तें और पंजियां रखी जाएंगी:–

(i) पर्षद् के कार्यवृत्त;

(ii) वित्त समिति के कार्यवृत्त;

(iii) सम्पत्ति समिति के कार्यवृत्त;

(iv) पंजीयन समिति के कार्यवृत्त;

(v) न्यासों की पंजी

(vi) पंजीकृत न्यासों से सम्बन्धित दस्तावेजों और अन्य कागजात की सच्ची प्रतिलिपियों की पंजी;

(vii) मुकदमों की पंजी;

(viii) पर्षद् की स्टाक-पंजी;

(ix) पर्षद् की सम्पत्ति-पंजी;

(x) दैनिक लेखा-पुस्त;

(xi) लेखाओं के मासिक सारांश;

(xii) प्राप्त रकम की रसीद-पुस्त;

(xiii) चेक-बुक;

(xiv) पासबुक;

(xv) नकद पंजी;

(xvi) पत्राचार संचिका;

(xvii) पत्र प्रेषण पंजी;

(xviii) पत्र प्राप्ति पंजी;

(xix) आदेश पुस्त;

(xx) निरीक्षण पुस्त;

(xxi) परिदर्शन पुस्त (विजिट बुक);

(xxii) दैनिक उपस्थिति पंजी;

(xxiii) छुट्टी पंजी;

(xxiv) सेवा पुस्त;

(xxv) दी गई सामग्रियों की पंजी;

(xxvi) न्यास निधि की लेखा-परीक्षा पंजी;

(xxvii) पंजीकृत न्यासों की लेखा परीक्षा पंजी; और

(xxviii) भरपाई पंजी।

24. मुद्रित किये जाने के बाद सभी रसीद पुस्तें स्टाक पंजी में प्रविष्ट की जाएंगी और अधीक्षक की अभिरक्षा में रखी जाएंगी। जारी की गईं सभी रसीद पुस्तें जारी की गईं सामग्रियों की पंजी में प्रविष्ट की जाएंगी और प्रत्येक प्रविष्टि पर अधीक्षक हस्ताक्षर करेगा। सभी चेक-बुक अधीक्षक की अभिरक्षा में रहेंगे।

25. धार्मिक न्यास के लेखे की प्रत्येक वर्ष अथवा अध्यक्ष द्वारा नियत अल्प अंतरालों पर परीक्षा होगी। धारा 63 की उपधारा (4) की अपेक्षाओं के अतिरिक्त लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में निम्न बातें होंगे:–

(1) क्या लेखे नियमित रूप से रखे जाते हैं तथा अधिनियम और नियमावली के उपबंधों के अनुसार हैं;

(2) क्या लेखे में आय और व्यय उचित और सही तरीके से दिखलाए जाते हैं;

(3) क्या न्यासियों की अभिरक्षा के रोकड़शेष और वाउचर लेखा-परीक्षा की तारीख को लेखे से मिलते थे;

(4) क्या बजट से कोई अन्तर पड़ा है;

(5) क्या इसकी आय की विभिन्न मदों की वसूली उचित समय पर हुई है और विलम्बित रकमों को वसूलने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई है;

(6) क्या बचत और शेष को उचित रूप से निवेशित किया गया है;

(7) क्या इसके व्यय की प्रत्येक मद को इस निमित्त सक्षम प्राधिकारी ने मंजूरी दी है और क्या उचित वाउचर से ये समर्थित है;

(8) क्या जिन प्रयोजनों के लिए धर्मस्व स्थापित हुआ था उनके विपरीत इसकी निधियां लगाई गई हैं;

(9) क्या इसकी मूल्यवान वस्तुओं को सही-सही प्रविष्टि करके रखा गया है;

(10) क्या इसके दायित्वों की सही सूची रखी गई है;

(11) क्या नकद शेष सहित इसकी परिसम्पत्तियों का सत्यापन उसके द्वारा किया गया है;

(12) धारा 44 के उपबंधों के प्रतिकूल अचल सम्पत्ति का स्वत्वान्तरण, यदि कोई हो, जो लेखा-परीक्षक के ध्यान में आया हो; और

(13) कोई विशेष विषय, जिसे लेखा-परीक्षक पर्षद् के ध्यान में लाने के लिए उचित या आवश्यक समझे।

26. लेखां-परीक्षा पूरी हो जाने पर, लेखा-परीक्षक प्रकाशन के लिए परीक्षित लेखाओं का एक सार तैयार करेगा और अपनी रिपोर्ट के साथ उक्त सार को प्रस्तुत करेगा। उक्त सार का प्रकाशन नीचे उपबंधित रीति से होगा:–

लेखाओं से सम्बद्ध प्राधिकारी का विवरण	किसके द्वारा प्रकाशित किया जायेगा	प्रकाशन का समय	कहां प्रकाशित होगा
1	2	3	4
1. अध्यक्ष	राज्य सरकार	राज्य सरकार द्वारा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर यथा-शीघ्र	बिहार गजट
2. न्यास	अध्यक्ष	अध्यक्ष द्वारा लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की प्राप्ति पर एक पक्ष के भीतर	सम्बद्ध न्यास के नोटिस-बोर्ड पर

27. अधिनियम की धारा 22 के अधीन समितियों की नियुक्ति, उनके कृत्य और प्रक्रिया:–पर्षद् निम्न-लिखित समितियां नियुक्त करेगी, अर्थात्:–

(1) वित्त समिति;

(2) सम्पत्ति समिति; और

(3) पंजीयन समितिः

परंतु, यदि पर्षद् किसी कारणवश किसी समिति की नियुक्ति अनावश्यक समझे तो पर्षद् की अनुशंसा पर, राज्य सरकार, आवश्यक समझने पर, किसी भी अवधि तक ऐसी समिति की नियुक्ति स्थगित कर सकती है।

28. इन उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी भी बात से विशेष मामलों में अस्थायी समिति नियुक्त करने और प्रस्ताव द्वारा उसके कृत्यों और प्रक्रिया को विनियमित करने की पर्षद् की शक्ति प्रभावित नहीं होगी।

29. प्रत्येक समिति में अध्यक्ष के अतिरिक्त, जो पदेन सदस्य होगा, चार सदस्य होंगे। अध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा। परंतु, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए, उपस्थित सदस्य अपने में से एक को निर्वाचित कर लेंगे।

30. जब समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए अपेक्षित संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित हों तो अधिकतम मत प्राप्त करनेवाले उम्मीदवार विधिवत् निर्वाचित घोषित किये जाएंगे। मत-साम्य की स्थिति में अध्यासी पदाधिकारी के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा।

31. प्रत्येक समिति महीने में कम-से-कम एक बार बैठक करेगी बशर्ते कि अध्यक्ष का विचार हो कि पर्याप्त काम रहने के कारण समिति की बैठक बुलाना उचित हैं दो सदस्यों से गणपूर्ति (कोरम) होगी। प्रत्येक समिति एक वर्ष के लिए निर्वाचित होगी, किंतु पर्षद् के प्रस्ताव से यह अवधि विशेष समय के लिए बढ़ाई जा सकेगी। ऐसी स्थिति को छोड़कर जब समिति पर्षद् के किसी अन्य पदाधिकारी को अपना मंत्री नियुक्त करे, अधीक्षक सभी समितियों के मंत्री के रूप में काम करेगा। मंत्री, कार्यावली तैयार करेगा और अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक बुलाएगा। समिति की साधारण बैठकों के लिए सदस्यों को कम-से-कम सात दिन और विशेष बैठकों के लिए कम-से-कम तीन दिन पहले नोटिस दी जाएगी।

32. प्रत्येक समिति की बैठक की कार्यवाही अभिलिखित करने के लिए एक कार्यवृत्त पुस्त रखी जाएगी। मंत्री तथा अध्यासी पदाधिकारी उसपर अपने हस्ताक्षर करेंगे और समिति की अगली बैठक में उसकी सम्पुष्टि होगी। पर्षद् की अगली बैठक में यथास्थिति, पर्षद के अनुमोदन या जानकारी के लिए, पर्षद् के सामने कार्यवृत्त उपस्थापित किए जाएंगे।

33. विशेष प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या की दो तिहाई यदि प्रस्ताव करे और मत दे तो पर्षद् समिति को विघटित कर सकेगी और उसके बाद उसके स्थान पर एक नई समिति चुनने के लिए कार्रवाई कर सकेगी।

34. अध्यक्ष को छोड़कर, यदि समिति का कोई सदस्य, पर्षद् के समाधानानुरूप पर्याप्त कारण दिखाए बिना, समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित न हो तो वह समिति का सदस्य नहीं रहेगा और पर्षद उस रिक्ति को भरने के लिए दूसरा व्यक्ति को नियुक्त करेगी।

35. प्रत्येक समिति को पर्षद्, उपविधियों में विहित शक्तियों और कृत्यों के अलावे किसी विशेष अवधि के लिए, विशेष प्रस्ताव द्वारा अतिरिक्त शक्तियां और कृत्य सौंप सकेगी, यदि उचित कार्य-संचालन के लिए ऐसा करना समीचीन प्रतीत हो।

36. वित्त समितिः–(क) वित्त समिति के निम्न लिखित शक्तियां और कृत्य होंगेः–

(1) पर्षद् का बजट तैयार करना;

(2) उन न्यासों का बजट तैयार करना, जिनके न्यासियों ने यथा समय अपने बजट प्रस्तुत न किए हों;

(3) न्यासों द्वारा प्रस्तुत किये गए बजटों का परिनिरीक्षण करना;

(4) न्यासों के उन बजटों को पारित करना जो उसे पर्षद्, प्रस्ताव द्वारा समय-समय पर दिया करे;

(5) जब कभी आवश्यक समझा जाए तो न्यासियों से रिपोर्ट, विवरणी, बजट तथा अन्य दस्तावेज मांगना;

(6) पर्षद् के मासिक लेखाओं का परिनिरीक्षण करना और रिपोर्ट देना;

(7) पंजीकृत न्यासों के बजट में आवश्यकता पड़ने पर ऐसे परिवर्तन या रूपांतरण करना, जो अधिनियम के किन्हीं उपबंधों से अथवा जिन उद्देश्यों के लिए न्यास का सृजन किया गया हो उन उद्देश्यों से, असंगत न हो;

(8) किसी पंजीकृत न्यास के न्यासियों को, बजट में किये गए रूपांतरण या परिवर्तन, यदि कोई हो की संसूचना उक्त न्यास के बजट पाने की तारीख से छः सप्ताहों के भीतर देना;

(9) वित्तीय उलझनों से युक्त सभी प्रस्तावों पर विचार करना;

(10) पर्षद् के पास अनुशंसा करना कि वह न्यास-सम्पत्ति को भिन्न प्रकार की सम्पत्ति में रूपांतरित कर दे, यदि समिति का समाधान हो जाए कि ऐसा रूपांतरण सम्बद्ध न्यास के लिए लाभप्रद है;

(11) जब कभी वह आवश्यक समझे, किसी पंजीकृत न्यास के सम्बन्ध में जांच कराना और पर्षद् द्वारा अपेक्षा किये जाने पर आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजना;

(12) पंजीकृत न्यास के यहाँ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के बकाया भू-राजस्व, सेस, लगान, महसूल (रेट) या कर, न्यासी द्वारा न दिये जाने पर अथवा देने से इनकार करने पर, न्यास-निधि से भुगतान की मंजूरी देना और जब भुगतान न करना या भुगतान करने से इनकार करना मंशापूर्ण या उपेक्षापूर्ण हो तो 22½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हर्जाने सहित उन्हें वसूल करना;

(12) पंजीकृत न्यासों के कार्य का पर्यवेक्षण और नियत्रंण करना;

(14) सभी वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना और उनपर विचार करना तथा अंतिम आदेश देना अथवा यदि उचित समझे तो पर्षद् को उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट करना;

(15) पर्षद् के प्रस्ताव द्वारा लगाये गए किन्हीं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में निधियों का पुनर्विनियोग करना;

(16) न्यास निधि के लिए, आवश्यकता पड़ने पर, चालू वित्तीय वर्ष में पुनरीक्षित बजट अनुमान तैयार करना तथा आवश्यक कार्रवाई करना;

(17) यदि वर्ष के दौरान कोई न्यासी बजट के पुनरीक्षण के लिए आवेदन करे तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करना;

(18) पर्षद् के अधीन नये पदों के सृजन अथवा वर्तमान पदों के वेतनमान में फेरबदल करने के सभी प्रस्तावों पर विचार करना और पर्षद् को इस सम्बन्ध में अपनी अनुशंसाएं भेजना;

(19) पर्षद् के अधीक्षक या किसी अन्य कोई पदाधिकारी को सौंपी गई शक्तियों के अधीन रहते हुए, पंजीकृत न्यासों के लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करना और उस पर आवश्यक आदेश देना; परंतु समिति उस वर्ष के न्यास सम्बन्धी काम-काज का सामान्य मूल्यांकन सहित एक रिपोर्ट प्राप्त करेगी। जिसमें उसके वित्तीय प्रशासन का विशेष रूप से निर्देश रहेगा और उसे पर्षद् के पास अपनी टीका-टिप्पणी के साथ भेजेगी;

(20) न्यास निधि के लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनी टीका-टिप्पणी सहित पर्षद् के पास भेजना;

(21) ऐसे अन्य विषयों पर विचार करना जो इसे पर्षद् या किसी अन्य समिति द्वारा भेजे जाएं;

(22) पर्षद के अधीन 100 रु० से अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्ति की मंजूरी देना;

(5) जब कभी आवश्यक समझा जाए तो न्यासियों से रिपोर्ट, विवरणी, बजट तथा अन्य दस्तावेज मांगना;

(6) पर्षद् के मासिक लेखाओं का परिनिरीक्षण करना और रिपोर्ट देना;

(7) पंजीकृत न्यासों के बजट में आवश्यकता पड़ने पर ऐसे परिवर्त्तन या रूपांतरण करना, जो अधिनियम के किन्हीं उपबंधों से अथवा जिन उद्देश्यों के लिए न्यास का सृजन किया गया हो उन उद्देश्यों से, असंगत न हो;

(8) किसी पंजीकृत न्यास के न्यासियों को, बजट में किये गए रूपांतरण या परिवर्त्तन, यदि कोई हो की संसूचना उक्त न्यास के बजट पाने की तारीख से छः सप्ताहों के भीतर देना;

(9) वित्तीय उलझनों से युक्त सभी प्रस्तावों पर विचार करना;

(10) पर्षद् के पास अनुशंसा करना कि वह न्यास-सम्पत्ति को भिन्न प्रकार की सम्पत्ति में रूपांतरित कर दे, यदि समिति का समाधान हो जाए कि ऐसा रूपांतरण सम्बद्ध न्यास के लिए लाभप्रद है;

(11) जब कभी वह आवश्यक समझे, किसी पंजीकृत न्यास के सम्बन्ध में जांच कराना और पर्षद् द्वारा अपेक्षा किये जाने पर आवश्यक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजना;

(12) पंजीकृत न्यास के यहाँ सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार के बकाया भू-राजस्व, सेस, लगान, महसूल (रेट) या कर, न्यासी द्वारा न दिये जाने पर अथवा देने से इनकार करने पर, न्यास-निधि से भुगतान की मंजूरी देना और जब भुगतान न करना या भुगतान करने से इनकार करना मंशापूर्ण या उपेक्षापूर्ण हो तो 22½ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हर्जाना सहित उन्हें वसूल करना;

(12) पंजीकृत न्यासों के कार्य का पर्यवेक्षण और नियत्रंण करना;

(14) सभी वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना और उनपर विचार करना तथा अंतिम आदेश देना अथवा यदि उचित समझे तो पर्षद् को उनके सम्बन्ध में रिपोर्ट करना;

(15) पर्षद् के प्रस्ताव द्वारा लगाये गए किन्हीं प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में निधियों का पुनर्विनियोग करना;

(16) न्यास निधि के लिए, आवश्यकता पड़ने पर, चालू वित्तीय वर्ष में पुनरीक्षित बजट अनुमान तैयार करना तथा आवश्यक कार्रवाई करना;

(17) यदि वर्ष के दौरान कोई न्यासी बजट के पुनरीक्षण के लिए आवेदन करे तो उस पर आवश्यक कार्रवाई करना;

(18) पर्षद् के अधीन नये पदों के सृजन अथवा वर्त्तमान पदों के वेतनमान में फेरबदल करने के सभी प्रस्तावों पर विचार करना और षर्षद् को इस सम्बन्ध में अपनी अनुशंसाएं भेजना;

(19) पर्षद् के अधीक्षक या किसी अन्य कोई पदाधिकारी को सौपी गई शक्तियों के अधीन रहते हुए, पंजीकृत न्यासों के लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करना और उस पर आवश्यक आदेश देना; परंतु समिति उस वर्ष के न्यास सम्बन्धी काम-काज का सामान्य मूल्यांकन सहित एक रिपोर्ट प्राप्त करेगी। जिसमें उसके वित्तीय प्रशासन का विशेष रूप से निर्देश रहेगा और उसे पर्षद् के पास अपनी टीका-टिप्पणी के साथ भेजेगी;

(20) न्यास निधि के लेखाओं पर लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करना और उसे अपनी टीका-टिप्पणी सहित पर्षद् के पास भेजना;

(21) ऐसे अन्य विषयों पर विचार करना जो इसे पर्षद् या किसी अन्य समिति द्वारा भेजे जाएं;

(22) पर्षद के अधीन 100 रु० से अधिक वेतन वाले पदों पर नियुक्ति की मंजूरी देना;

40. क्षेत्रीय न्यास समिति की बैठक के संचालन के लिए, यथासंभव, वही नियम होंगे जो पर्षद् या किसी समिति की बैठकों के लिए उपविधियों में उपबंधित हैं।

41. प्रत्येक क्षेत्रीय न्यास समिति की आवश्यकता के अनुसार उसके लिए अपेक्षित कर्मचारियों का निर्धारण पर्षद् करेगी। ऐसे कर्मचारियों की सेवा-शर्तें वही होंगी जो पर्षद् के कर्मचारियों की होंगी।

42. किसी क्षेत्रीय समिति के सदस्य, समिति के कार्यों के लिए बैठकों में उपस्थित होने तथा उस प्रयोजन से की गई यात्रा के लिए बिहार यात्रा भत्ता नियमावली में राज्य सरकार के द्वितीय श्रेणी के सेवकों के लिए विनिहित यात्राभत्ता ले सकेंगे।

43. प्रत्येक क्षेत्रीय न्यास समिति प्रति वर्ष अपना बजट तैयार करेगी और 15 जनवरी तक पर्षद् के पास मंजूरी के लिए प्रस्तुत करेगी।

44. प्रत्येक क्षेत्रीय न्यास समिति, स्थानीय न्यास पंजी, लेखा-पुस्त, आदेश-पुस्त, दर्शक-पुस्त और भरपाई- बही संघारित करेगी।

45. प्रत्येक धार्मिक न्यास के न्यासी परिशिष्ट-1 में वार्णित पुस्ते और पंजियां संघारित करेगा।

46. किसी न्यासी द्वारा किया जानेवाला किसी कार्य की सभी नोटिसें या निदेश साधारणतः रजिस्ट्री डाक के जरिए भेजे जाएंगे। इनकार करने अथवा किसी नोटिस या निदेश की तामीली में टालमटोल करने की दशा में इसे चपरासी के जरिये भेजा जाएगा और इस प्रकार उसपर आया खर्च अध्यक्ष के विवेक पर न्यासी या उसके प्रभार के अधीन रहनेवाली सम्पत्ति से वसूलनीय होगा।

47. न्यासी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ से ढाई महीने पहले, प्रबन्ध समिति द्वारा सम्यक रूप से पारित किया गया, परिशिष्ट 4 के फारम 5 में न्यास का बजट अनुमोदन के लिए पर्षद् के पास भेजेगा, और न्यास-फीस के निर्धारण के लिए वह उस वर्ष के अंत से छःमहीनों के भीतर स्वीकृत न्यास-फीस के साथ परिशिष्ट 2 के फारम-1 में जानकारी (विवरणी) भेजेगा।

48. व्यवस्था कायम रखनाः—अध्यासी पदाधिकारी पर्षद् या समिति की बैठक में व्यवस्था बनाए रखेगा और अव्यवस्था या अव्यवस्था की संभावना उत्पन्न होने पर उसे स्थगित कर सकेगा। यदि कोई सदस्य, अध्यक्ष का आदेश पालन न करे तो उसे बैठक से निकाला जा सकेगा।

49. प्रश्नों की नोटिसः—कोई भी सदस्य किसी बैठक के लिए, पर्षद् या समिति की क्षमता के भीतर के किसी विषय के सम्बन्ध में, प्रश्नों की नोटिस उस बैठक की तारीख से कम-से-कम पूरे पांच दिन पहले दे सकेगा। अध्यासी पदाधिकारी वैसे किसी प्रश्न को, जिसका न्यास के विषयों से सम्बन्ध न हो, अस्वीकार कर सकेगा और अध्यासी पदाधिकारी का आदेश अंतिम होगा।

50. प्रस्तावों की नोटिसः—कोई भी सदस्य किसी बैठक की तारीख से कम-से-कम छः दिन पहले उक्त बैठक की कार्यावली में सम्मिलित करने के लिए किसी प्रस्ताव की नोटिस दे सकेगा। सभी प्रस्ताव ऐसे विषय से सम्बन्धित होंगे जिन्हें पर्षद या समिति विचार करने के लिए सक्षम होगी। कोई सदस्य किसी प्रस्ताव के संशोधन की नोटिस बैठक शुरू होने के बाद किसी समय दे सकेगा।

अध्यासी पदाधिकारी प्रस्ताव के विचार-विमर्श के किसी स्तर पर किसी संशोधन पेश करने की अनुमति दे सकेगा। प्रस्ताव पर वैसा कोई संशोधन नहीं पेश किया जाएगा जो उक्त प्रस्ताव को निष्प्रभावी कर दे। प्रत्येक संशोधन प्रस्ताव की विषय-वस्तु सेसुसंगत होगा। प्रत्येक प्रस्ताव या संशोधन पर विचार करने के पहले उसका अनुमोदन किया जाना आवश्यक हैं संशोधनों को विपरीत क्रम से उठाया जाएगा अर्थात् अंतिम को सबसे पहले लिया जाएगा। प्रस्ताव या संशोधन स्वीकार्य है कि नहीं—इस सम्बन्ध में अध्यासी पदाधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

51. अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव और निर्णय का कार्यान्वयनः—अध्यासी-पदाधिकारी, पर्षद् या किसी समिति द्वारा समय-समय पर पारित किये गए या लिये गए सभी प्रस्तावों या निर्णयों को कार्यान्वित करेगा।

52. कोई भी सदस्य, जो राज्य स्थित किसी न्यास या न्यास के प्रबंध या प्रशासन के सम्बन्ध में किसी विषय की जानकारी प्राप्त करना चाहता हो, अध्यक्ष से लिखित रूप में ऐसी जानकारी की मांग करेगा और उसकी अनुमति प्राप्त करके पर्षद् के अभिलेखों को देख सकेगा।

53. धार्मिक न्यास के किसी अभिलेख या पंजी के निरीक्षण के लिए दिया गया आवेदनपत्र, निरीक्षण में लगनेवाले प्रतिदिन या उसके किसी भाग के लिए एक रुपया देने पर, अध्यक्ष के निदेश के अधीन, अधीक्षक स्वीकृत कर सकेगा। आवेदनपत्र में दस्तावेजों के ब्योरे तथा ऐसी अन्य जानकारियां रहेगी जो निरीक्षण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की पहचान के लिए आवश्यक हों। ऐसा निरीक्षण केवल कार्यालय-अवधि के दौरान किया जाना अनुज्ञेय होगा जो हर मामला में अध्यक्ष या अधीक्षक द्वारा निदेशित पर्यवेक्षण के अनुसार होगा।

54. पर्षद् की कार्यवाहियों या अन्य अभिलेखों की प्रतिलिपियों के लिए सभी आवेदन विहित फारम में अधीक्षक के पास किये जायंगे। यह फारम पर्षद् के लेखापाल को [1][चार आने मात्र देकर प्राप्त किया जा सकेगा। इस प्रकार के आवेदन-पत्र पर्षद् के कार्यालय में कार्यावधि के दौरान या तो व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाएंगे या रजिस्ट्री डाक से भेजे जाएंगे।

55. पर्षद् का अधीक्षक, अध्यक्ष के निदेश से, [1][चार आने हर 100 शब्दों या उसके भिन्नांक के लिए, चाहे अभिलेख या कार्यवाहियां अंग्रेजी में हों या किसी भारतीय भाषा में, और तीन पृष्ठों तक के लिए एक रुपया तथा तीन पृष्ठों से ऊपर हर अतिरिक्त पृष्ठ के लिए [2][आठ आने की दर से नकल करने की फीस चुकाने पर, पर्षद् अथवा समिति अथवा किसी अवर पंजीकृत न्यास के अभिलेख या कार्यवाहियों की प्रमाणित प्रतिलिपियां देगा। चार अंक एक शब्द गिने जाएंगे। आवेदक यदि व्यक्तिगत रूप से डिलीवरी न ले तो आवेदन पर दिये गए आदेश और उसकी नकल, यदि कोई हो जिसकी आपूर्त्ति किये जाने का आदेश दिया गया हो तो, भेजने का डाकखर्च (पक्षकार) को ही चुकाना होगा।

परंतु, अध्यक्ष या अधीक्षक सम्बद्ध न्यास के हित में पर्षद् या किसी समिति या किसी अवर पंजीकृत न्यास की किसी कार्यवाही या अभिलेख की नकल के लिये आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर सकेगा।

56. चालू वर्ष के पूर्ववर्ती किसी वर्ष की किन्ही कार्यवाहियों या अभिलेखों की प्रतिलिपि के लिये आवेदन करनेवाले को नक़ल के खर्च के अतिरिक्त आवेदन के साथ-साथ निम्नमान के अनुसार अन्वेषण-फीस देनी होगी:-

(क) आवेदन किये गए प्रथम दस्तावेज या प्रविष्टि के लिए देय फीस यदि केवल एक दस्तावेज या प्रविष्ट के लिए आवेदन किया गया हो तो उस दस्तावेज या प्रविष्टि के लिए देय फीस– रु॰ 1

(ख) उसी आवेदन में सम्मिलित और उसी विषय सम्बन्धी प्रथम को छोड़कर प्रत्येक अन्य दस्तावेज या प्रविष्टि के लिए देय फीस– रु॰ 0–50

टिप्पणी:– (यदि सभी कागजपत्र एक साथ संचिकाबद्ध हों और उनका एक ही अभिलेख हो तो अन्वेषण-फीस केवल एक रुपया लगेगा)

(ग) जब पक्षकार को यह मालूम न हो कि पिछले दो वर्षों या अधिक वर्षों के किस वर्ष का दस्तावेज या प्रविष्टि है तो प्रथम को छोड़कर हर वर्ष के अभिलेख की अन्वेषण-फीस होगी– रु॰ 0.50

57. पर्षद् और उसकी समितियों के सभी अभिलेख और कार्यवृत्त तथा सभी पंजियां पर्षद्-कार्यालय में रखी जाएंगी और किसी भी वजह से पर्षद् की स्पष्ट मंजूरी के बिना उन्हें किसी अन्यत्र नहीं हटाया जाएगा। तथापि, यदि कोई अभिलेख किसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, तो उसे पर्षद् के अध्यक्ष की लिखित अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकेगा।

---

1. अब पच्चीस पैसे।
2. अब पचास पैसे।

परिशिष्ट–1

न्यासी द्वारा संधारित की जानेवाली पुस्तों और पंजियों की सूची

[उप-विधि 45]

1. नकद और जिन्स के रूप में आय-व्यय का दैनिक लेखा।
2. मुकदमेबाजी के सम्बन्ध में, यदि कोई हो, खर्च का लेखा।
3. नकद और जिन्स के रूप में लेखाओं की मासिक सार-पंजी।
4. मुद्रित रसीद-बही।
5. हर किश्त के लिए देय तौजी, राजस्व और उपकर सहित मौजा की बही।
6. जमीन का बही, जिसमें विभिन्न उप-शीर्षकों के अधीन हर तरह की जमीन की सविस्तार सूची होगी।
7. बन्दोवस्ती बही।
8. सार्वजनिक न्यास की पंजी।
9. न्यासियों के अधीन मंदिरों और आभूषणों की पंजी। और
10. न्यासी के अधीन मंदिरों और देवता के आभूषणों और वर्त्तनों की पंजी।
11. बैंक में जमा की गईं धनराशियों का पास बुक।
12. लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पंजी।
13. स्थापना-पंजी, मोफस्सिल और मुख्यालय, दोनों, की।
14. न्यासी द्वारा पर्षद् से प्राप्त किये गए आदेशों/निदेशों की पंजी।
15. स्टाक-बही।
16. सिविल, राजस्व और फौजदारी मुकादमों की पंजी।
17. भूमि की खेती से संबंधित खर्चों की पंजी।
18. दाखिल-खारिज-पंजी।
19. विविध आयों की पंजी।
20. वेतन-भत्ता सहित सेवकों, यदि हों, की पंजी।

परिशिष्ट 2

फारम-1

[बिहार दिगम्बर जैन धार्मिक न्यास नियमावली, 1955, के नियम 8 और 14 देखें।]

1. क्रम सं॰:–
2. न्यास का नामः–
3. उस ग्राम, डाकघर, थाना, सबडिवीजन का नाम जिनमें यह अवस्थित हो (निकटतम रेलवे स्टेशन भी):–
4. प्रधान मठ या मंदिर के पड़ोस के छोटे मठों या मंदिरों के नाम और उनकी अवस्थितिः–
5. न्यासियों और प्रबन्धकों के पत्ते सहित नाम (नियुक्ति और पदावधि की समाप्ति की तारीखों के साथ):–
6. ऐसे विवरण की संस्था का प्रशासन न्यायालय

द्वारा तय की गई किसी योजना के अधीन होता है या न्यासियों द्वारा बिना किसी नियंत्रण के, तथा ऐसे ब्योरे भी कि न्यासी और प्रबंधक के पद के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में किसी दस्तावेज या प्रचलन में कोई उपबंध है या नहीं:–

7. न्यास की उत्पत्ति या निर्माण के बारे में दस्तावेजों के विवरण:–
8. संस्थापक या दानकर्त्ता का नाम, यदि ज्ञात हो:–
9. न्यास के उद्देश्य:–
10. न्यास द्वारा धारित चल और अचल, दोनों, प्रकार की सम्पत्तियों के विवरण:–
11. गत वित्तीय वर्ष के दौरान बेची गई, अंतरित या बन्दोवस्त की गई चल और अचल, दोनों, प्रकार की सम्पत्तियों के विवरण:–
12. वार्षिक आय, यह पिछले वित्तीय वर्ष की होनी चाहिए और निम्नवत् दिखलाई जाएं:–
    (क) सभी स्रोतों से आय; और–
    (ख) राजस्व, लगान, कर, स्थानीय और अन्य उपकरों तथा 12½ प्रतिशत प्रबंध-खर्च की कटौती के बाद शुद्ध आय:–
13. वार्षिक व्यय:–
    (क) न्यासियों और प्रबन्धकों के पारिश्रमिक पर:–
    (ख) स्थापना और कर्मचारियों पर:–
    (ग) धार्मिक कार्यों पर:–
    (घ) दान कार्यों पर:–
    (ङ) विविध मदों पर:–
14. अनुसरण किये जानेवाले महत्वपूर्ण आचारों और प्रयोगों के विवरण:–
15. न्यास-सम्पत्तियों पर ऋणभारों के विवरण:–
16. कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी:–
17. अभ्युक्ति:–

न्यासी के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट-3

फारम-2

... ... न्यास की ... ... को समाप्त होनेवाली अवधि की

अर्धवार्षिक विवरणी

तौजी सं॰	सम्पत्ति या सम्पदा का नाम	सम्पत्ति या संपदा में अंश	न्यास का नाम
1	2	3	4

भु-राजस्व, उपकर और अन्य सरकारी मांगों की रकम	सरकारी पावनों के भुगतान की रकम और तारीख	बकाया, यदि कोई हो	पूरे पावनों के भुगतान के किए जाने के कारण	अभ्युक्ति
5	6	7	8	9

परिशिष्ट 4

क्रम सं॰	जिले सहित न्यास का नाम और प्रकार तथा वर्तमान न्यासी का नाम	न्यास-विलेख में नामित सम्पत्तियां	न्यास-विलेख में नामित सम्पत्तियों की आय	फारम सं॰ 1 में दिखाई गई सम्पत्तियां	फारम सं॰ 1 में दिखाई गई आय	अन्तर यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
			रु॰		रु॰	रु॰

वर्ष की कुल वसूली	कुल मांग और सरकारी पावने की अदायगी	तहसील का कुल खर्च और की गई अदायगी	न्यासी के हाथ में कुल शुद्ध शेष	वर्ष के कुल व्यय	सभी व्यय चुकाने के बाद न्यासी के हाथ बचत-राशि	अभ्युक्ति
8	9	10	11	12	13	14
रु॰	रु॰	रु॰	रु॰	रु॰	रु॰	रु॰

परिशिष्ट-5

आवेदन का फारम

(उपविधि 50 देखें)

सेवा में ... ...

मैं ... ... पुत्र ... ... निवासी ग्राम ... ... की ओर से ... ... के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित

दस्तावेजों (का निरीक्षण करना / की प्रतिलिपि लेना) चाहता हूं।

दस्तावेजों के विस्तृत ब्योरे

क्रम सं०	दस्तावेजों के विवरण	अभ्युक्ति
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

2. मैं घोषित करता हूं कि उपविधि 27, 28 और 30 द्वारा यथापेक्षित फीस ... ... रुपये ... ... में जमा कर दिये गए हैं और उनकी रसीद संलग्न हैं

3. मैं ... ... तारीख को ऊपर प्रगणित दस्तावेजों का निरीक्षण करना/की प्रतिलिपि लेना चाहता हूं।

हस्ताक्षर ... ...

तारीख ... ...

... ... द्वारा दिया गया आदेश

हस्ताक्षर ... ...

पदनाम ... ...

तारीख ... ...

द्रष्टव्यः–इस संबंध में दिया गया आदेश आवेदक के पास अविलम्ब भेज देना चाहिए।

यदि ... ... आवेदक को निरीक्षण करने या प्रतिलिपि लेने की अनुमति न दे तो जमा की गई फीस आवेदक को लौटा दी जाएगी।

परिशिष्ट-6
फारम 5

... ... न्यास का, 200 ... ... –200 ... ... वर्ष बजट-अनुमान	
सभी स्रोतों से 200 ... ... –200 वर्ष में आय	200 ... ... –200 ... ... वर्ष में ब्योरे सहित व्यय
1. 200......-200..... वर्ष के दौरान न्यास-विलेख में उल्लिखित सम्पत्तियों से तथा न्यासी के प्रभाराधीन सम्पत्तियों से होनेवाली आय	1. स्थापना व्यय– 2. (क) मन्दिर और अन्य सम्पत्तियों के रख-रखाव का खर्च अलग-अलग दिखायें– (ख) खेती पर व्यय–
2. 200....-200 वर्ष के दौरान अन्य स्रोतों से आय (आय की हर मद अलग-अलग दिखाई जाए)	3. न्यास-विलेख में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्त्ति पर अथवा उन मदों में जिनपर अबतक व्यय किया गया हो (हर शीर्षक के अधीन अलग-अलग दिखाये जायें)–

4. सरकारी पावने–
   (1) भ-राजस्व–
   (2) उप-कर–
   (3) अन्य पावने–
5. पर्षद् के पावने:–
   (1) न्यास फीस–
   (2) अन्य पावने
6. मुकदमेबाजी पर व्यय, यदि कोई हो....
7. 200....-200.... वर्ष के दौरान विशेष व्यय–

जोड़....

उपज के ब्योरे निम्नलिखित शीर्षकों के अधीन दिये जाएंगे:–

1. रैयतों ने जिस भूमि में खेती की हो उस संबंध में उनके द्वारा प्राप्त परिमाण।
2. खास खेती में बकाश्त भूमि से प्राप्त परिमाण
3. खरीदगी से प्राप्त परिमाण
4. उपहार, दान, आदि अन्य स्रोतों से प्राप्त
5. विविध

1. राजभोग, साधुओं तथा दरिन्द्र नारायणों को खिलाने पर खर्च की गई राशि अलग-अलग दिखायी जाए।
2. कर्मचारियों की स्थापना पर
3. खेती पर
4. बिक्री
5. विविध

द्रष्टव्य:–एक शीर्षक की राशि को दूसरे शीर्षक में खर्च करना पर्षद् की पूर्वानुमति से ही सम्भव होगा।

न्यासी के हस्ताक्षर

धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम, 1988][1]

(1988 का 41)

धार्मिक संस्थानों के राजनीतिक और अन्य प्रयोजनों के लिए दुरूपयोग निवारित करने के लिए अधिनियम।

भारतीय गणतंत्र के उनतीसवें वर्ष के संसद द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:–(1) यह अधिनियम धार्मिक संस्थान (दुरूपयोग का निवारण) अधिनियम, 1988, कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में होगा।

(3) यह 26 मई, 1988, से लागू माना जाएगा।

2. परिभाषा:–इस अधिनियम में, जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तबतक–

(क) ''गोला-बारुद'' का वही अर्थ होगा जो आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54), की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में दिया गया है;

(ख) ''आयुध'' का वही अर्थ होगा जो आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का 54), की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में दिया गया है;

(ग) किसी धार्मिक संस्थान के सम्बन्ध में ''प्रबन्धक'' से अभिप्रेत है प्रत्येक व्यक्ति, किसी

1. 1ली सितम्बर, 1988, को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त और भारत-गजट, असाधरण, भाग–2, अनुभाग 1, पृष्ठ 1–4, दिनांक 2 सितम्बर, 1988, में प्रकाशित।

धार्मिक कार्यकर्ता समेत (कोई भी नाम से क्यों न जाना जाए), जो अन्य व्यक्तियों, प्रशासकों, प्रबन्धकों या अन्यथा के साथ या से मिलकर उस संस्थान के कार्य, इसके कृत्यों या सम्पत्तियों का उस समय नियंत्रण करता हो;

(घ) ''राजनीतिक कार्यकलाप'' के अन्तर्गत है सभा, प्रदर्शन, जुलूस आयोजित करके, निधियों के संग्रह, या वितरण द्वारा या निदेशों या आज्ञाप्तियों के द्वारा या किसी अन्य साधन के द्वारा राजनीतिक दल के उद्देश्यों या सिद्धांतों के प्रोन्नति या प्रचार या राजनीतिक प्रकृति के किसी हेतु, मामला या प्रश्न सम्बन्धी कोई कार्यकलाप; और इसमें संसद, किसी राज्य विधान-मंडल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसा कोई कार्य-कलाप भी शामिल होगा;

(ङ) ''राजनीतिक दल'' से अभिप्रेत है व्यक्तियों का संघ या निकायः–

(i) जो तत्समय प्रवृत्त निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, के अधीन भारत के निर्वाचन आयोग के यहां राजनीतिक दल के रूप में निबन्धित है या निबन्धित माना जाता है; या

(ii) जिसने किसी विधानमंडल के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार खड़े किये हैं, किंतु जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968, के अधीन निबन्धित नहीं है और न निबन्धित माना जाता है; या

(iii) जिसका गठन किसी राजनीतिक कार्यकलाप को अग्रसर करने के लिए अथवा निर्वाचन के माध्यम से या अन्यथा राजनीतिक शक्ति अर्जित या प्रयोग करने के लिए किया गया है;

(च) ''धार्मिक संस्थान'' से अभिप्रेत है किसी धर्म या पंथ के प्रोन्नयन के लिए संस्थान, और इसके अंतर्गत है सार्वजनिक उपासना-स्थल के रूप में प्रयुक्त कोई स्थान या परिसर, चाहे किसी भी नाम या अभिधान से जाना जाए।

3. कतिपय प्रयोजनों के लिए, धार्मिक संस्थानों के प्रयोग का निवारणः–कोई भी धार्मिक संस्थान या उसका प्रबन्धक उस संस्थान के अथवा उसके नियंत्रण के अधीन किसी परिसर का प्रयोग नहीं करेगा या प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगा–

(क) किसी राजनीतिक कार्यकलाप की प्रोन्नति या प्रचार के लिए; या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त या सिद्धदोष किसी व्यक्ति को आश्रय देने के लिए; या

(ग) किसी शस्त्र या गोला-बारूद के भंडारण के लिए; या

(घ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के विरुद्ध कोई माल या सामग्री रखने के लिए; या

(ङ) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विधिमान्य लाइसेंस या अनुमति के बिना, तहखाना, बंकर, मीनार या दीवार समेत किसी निर्माण या सुदृढ़ीकरण करने या रचने के लिए; या

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वर्जित या किसी न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध किसी अविधिक या विनाशक कार्य करने के लिए; या

(छ) कोई ऐसा कार्य करने के लिए, जो विभिन्न धार्मिक, मूलवांशिक, भाषायी या क्षेत्रीय दलों या जातियों या सम्प्रदायों के बीच फूट या शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं बढ़ाता हो या बढ़ाने का प्रयास करता हो; या

(ज) भारत की संप्रभुता, एकजुटता, और अखंडता के लिये हानिकर कोई कार्य करने के लिए; या

(झ) राष्ट्रगौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (1971 का 69), के उपबंधों के प्रतिकूल कोई कार्य करने के लिए।

4. धार्मिक संस्थान में शस्त्र और गोला-बारूद लाने पर प्रतिबन्ध:—कोई भी धार्मिक संस्थान या उसका प्रबन्धक किसी शस्त्र या गोला-बारूद को या किसी शस्त्र या गोला-बारूद साथ ले जाने वाले व्यक्ति को उस धार्मिक संस्थान में प्रवेश की अनुमति नहीं देगा:

परंतु इस धारा की कोई बात निम्नलिखित के प्रति लागू नहीं होगी—

(क) सिख धर्म का माननेवाला किसी व्यक्ति द्वारा कृपाण पहनना और रखना; या

(ख) कोई शस्त्र जो रुढ़ि या प्रथा द्वारा स्थापित रूप से संस्थान के किसी धार्मिक त्योहार-समारोह का अंक जैस प्रयुक्त किया जाता हो।

5. कतिपय कार्यकलापों के लिए धार्मिक संस्थानों की निधियों के प्रयोग का प्रतिषेध:—कोई भी धार्मिक संस्थान या उसका प्रबंधक संस्थान की या उसके नियंत्रण के अधीन की किसी निधि या अन्य सम्पत्ति को किसी राजनीतिक कार्यकलाप के प्रयोजन के लिए किसी राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए या किसी ऐसा कार्य करने के लिए, जो किसी विधि के अधीन अपराध जैसा दंडनीय हो, प्रयोग नहीं करेगा और न वैसा करने की अनुमति देगा।

6. राजनीतिक विचारों के लिए धार्मिक (कार्य-कलापों) का प्रतिषेध:—कोई भी धार्मिक संस्थान या उसका प्रबंधक अपने तत्वावधान में किसी वैसे समारोह, उत्सव, समागम, जुलूस या जनजमाव को आयोजित करने या होने नहीं देगा जो किसी राजनीतिक कार्यकलाप के लिये प्रयुक्त किया जा सके।

7. दंड:—यदि कोई धार्मिक संस्थान अथवा उसका प्रबंधक धारा 3, धारा 4, धारा 5, या धारा 6 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, तो प्रबन्धक और उक्त उल्लंघन से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक हो सकेगा, दंडित किया जा सकेगा।

8. इस अधिनियम के अधीन दोषसिद्ध या आरोपपत्रित व्यक्तियों की अनर्हता:—(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष होने पर धार्मिक संस्थान का कोई प्रबन्धक या अन्य कर्मचारी अपने पद या कार्य से निष्कासित माना जाएगा और किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी दोषसिद्धि की तारीख से छः वर्ष की अवधि तक किसी धार्मिक संस्थान में या किसी अन्य हैसियत में नियुक्ति के लिए अनर्ह हो जाएगा।

(2) यदि धार्मिक संस्थान का कोई प्रबंधक या अन्य कर्मचारी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त हो जाता है और उस व्यक्ति के अभियोजन के लिए आरोप-पत्र दाखिल हो जाता है तथा आरोप-पत्र पर विचार करने के बाद और अभियोजन और अभियुक्त को सुनने के बाद न्यायालय का यह मत बनता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है तो न्यायालय उक्त मामला का विचारण लम्बित रहने तक उस व्यक्ति को उसके कार्यालयी और पदीय शक्तियों के प्रयोग करने या कर्त्तव्यों के सम्पादन करने से अवरूद्ध करते हुए आदेश या निदेश देगा।

(3) यदि कोई प्रबंधक या अन्य कर्मचारी उपधारा (1) के अधीन निष्कासित कर दिया गया हो या उपधारा (2) के अधीन अवरूद्ध कर दिया गया हो तो इस प्रकार निष्कासन या अवरोध से उत्पन्न रिक्ति उक्त धार्मिक संस्थान को प्रयोज्य विधि में उपबंधित रीति से भरी जा सकती है।

9. पुलिस को जानकारी देने की कतिपय व्यक्तियों की बाध्यता:—धार्मिक संस्थान का प्रत्येक प्रबंधक या अन्य कर्मचारी उस थाना के प्रभावी पदाधिकारी को, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर उक्त धार्मिक संस्थान अवस्थित है, इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन या किसी संभाव्य उल्लंघन की जानकारी देने को बाध्य होगा और ऐसा नहीं किया जाना भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 176 के अधीन दंडनीय होगा।

10. निरसन और व्यावृत्ति:—(1) धार्मिक संस्थान (दुरुपयोग) का निवारण) अध्यादेश, 1988

(1988 का अध्या॰ 3), एतद्द्वारा निरसित किया जाता हैं

(2) इस निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन कोई किया गया कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के तत्समानी उपबंधों के अधीन किया गया या की गई मानी जाएगी।

उपासना-स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991][1]

(1991 का 42)

(18 सितम्बर, 1991)

किसी उपासना-स्थल का संपरिवर्तन प्रतिषेद्ध करने और 15 अगस्त, 1947 को यथास्थिति किसी उपासना-स्थल की धार्मिक प्रकृति को परिरक्षित करने के लिए उपबंध करने और उससे सम्बन्धित या प्रासंगिक विषयों के लिए अधिनियम।

भारतीय गणतंत्र के बयालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो:-

प्रारंभिक टिप्पणी:-उद्देश्यों और हेतुओं का अभिकथन:-उपासना-स्थलों के संपरिवर्तन के सम्बन्ध में समय-समय पर उत्पन्न होने वाले विवादों के मद्देनजर यह महसूस किया गया है कि ऐसे संपरिवर्तनों पर प्रतिषेध लगना चाहिए।

2. किसी उपासना-स्थल, जो 15 अगस्त, 1947, को अवस्थित था, के सम्बन्ध में किसी विवाद को पुरोबद्ध कर देने के लिए 15 अगस्त, 1947, को यथावस्थित उपासना-स्थल की धार्मिक प्रकृति के परिरक्षण के लिए उपबन्ध करना आवश्यक समझा गया है। परिणाम स्वरूप वैसे उपासना-स्थलों में से किसी के सम्बन्ध में 11 जुलाई, 1991, को लम्बित सभी वाद या अन्य कार्यवाहियां उपशमित हो सकेंगी और आगे भी वादों या अन्य कार्यवाहियों पर रोक लग सकेगी।

3. तथापि, चूंकि सामान्य रूप से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद कहलानेवाला स्थल से सम्बन्धित मामला स्वत: ही एक विशेष श्रेणी में आता है, अत: इसको इस अधिनियम के प्रवर्तन से सर्वथा मुक्त रखना आवश्यक हैं

4. अपरंच, सांप्रदायिक सामंजस्य और शांति बनाए रखने के प्रयोजन से, 15 अगस्त, 1947 और 11 जुलाई, 1991, के बीच न्यायालयों, अधिकरणों या अन्य प्राधिकारों द्वारा निर्णीत किये गये मामलों तथा पक्षकारों द्वारा आपस में या मौनानुकूलता के जरिए तय किये गये मामलों को भी इस अधिनियम के प्रवर्तन से मुक्त किया जाता है।

5. 11 जुलाई, 1991, की तिथि इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि प्रस्तावित की जाती है क्योंकि इसी तिथि को राष्ट्रपति ने ऐसी घोषणा करते हुए संसद को सम्बोधित किया।

6. इस विधेयक का लक्ष्य उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-(1) यह अधिनियम उपासना-स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991, कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में होगा।

(3) इस अधिनियम के धारा 3, 6 और 8 के उपबंध तुरंत प्रभावी होंगे और इसके शेष उपबंध 11 जुलाई, 1991, से प्रभावी माने जाएंगे।

2. परिभाषा:-जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, तबतक इस अधिनियम में,-

(क) ''इस अधिनियम का प्रारंभ'' से अभिप्रेत है 11 जूलाई, 1991, से इस अधिनियम का प्रारंभ;

1. 18 सितम्बर, 1991 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त और भारत-गजट, असाधारण, भाग 2, अनुभाग, पृष्ठ 1—3, दिनांक 18 सितम्बर, 1991, में प्रकाशित।

(ख) ''संपरिवर्तन'', व्याकरणीय परिवर्तनों सहित, से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार का फेरबदल या बदलाव;

(ग) ''उपासना-स्थल'' से अभिप्रेत है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ या किसी धार्मिक पंथ या उसके किसी अनुभाग का कोई अन्य सार्वजनिक धार्मिक उपासना-स्थल, उसका नाम कुछ भी क्यों न हो।

3. उपासना-स्थल के संपरिवर्तन का वर्जनः–कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक पंथ या उसके किसी अनुभाग के किसी उपासना-स्थल को उसी धार्मिक पंथ के भिन्न अनुभाग के अथवा भिन्न धार्मिक पंथ या उसके किसी अनुभाग के उपासना-स्थल में संपरिवर्तित नहीं करेगा।

4. कुछ उपासना-स्थलों की धार्मिक प्रकृति के बारे में घोषणा और न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जनः–(1) एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि किसी उपासना-स्थल की, 15 अगस्त, 1947 को, विद्यमान धार्मिक प्रकृति वही रहेगी जो उस तिथि को थी।

(2) यदि इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर किसी उपासना-स्थल की, 15 अगस्त, 1947 को, धार्मिक प्रकृति के संपरिवर्तन के सम्बन्ध में किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकार के समक्ष कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही लम्बित है तो वह उपशमित हो जाएगी और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकार में उक्त प्रारंभ के बाद किसी वैसे मामले के सम्बन्ध में कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही नहीं रहेगी:

परंतु यह कि यदि कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही, जो इस आधार पर दायर या संस्थित की गई हो कि 15 अगस्त, 1947 के बाद उक्त स्थल की धार्मिक प्रकृति में संपरिवर्तन हुआ है, किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकार के समक्ष इस अधिनियम के प्रारंभ हो जाने पर लम्बित हो तो इस प्रकार के वाद, अपील या अन्य कार्यवाही इस तरह उपशमित नहीं होगी और इस प्रकार का प्रत्येक वाद, अपील या कार्यवाही का निपटारा उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी–

(क) उक्त उपधाराओं में उल्लिखित किसी उपासना-स्थल जो प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24), या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा आच्छादित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक या पुरातत्वीय स्थल या अवशेष हो;

(ख) उपधारा (2) में उल्लिखित किसी मामला से सम्बन्धित कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही जिसका इस अधिनियम के प्रारंभ से पहले किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकार द्वारा अंतिम रूप से निर्णय, निर्धारण या निपटारा हो चुका हो;

(ग) किसी ऐसे मामले से सम्बन्धित कोई विवाद जिसे इस प्रकार के प्रारंभ से पहले पक्षकारों द्वारा आपस में सुलझा लिया गया हो;

(घ) इस प्रकार के प्रारंभ से पहले मौनानुकूलता के द्वारा किसी ऐसा स्थल का किया गया संपरिवर्तन;

(ङ) इस प्रकार के प्रारंभ से पहले किसी स्थल का किया गया संपरिवर्तन जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन परिसीमा द्वारा वर्जित होने के कारण किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकार के समक्ष चुनौती देने योग्य न हो।

5. राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद पर यह अधिनियम लागू नहीं होगाः–इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या स्थित सामान्य रूप से राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद नाम से ज्ञात स्थान या उपासना-स्थल पर और उक्त स्थान या उपासना-स्थल से सम्बन्धित किसी वाद, अपील या अन्य कार्यवाही पर नहीं लागू होगी।

6. धारा 3 के उल्लंघन के लिए दंडः–(1) जो कोई धारा 3 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, उसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और जुर्माने भी देने होंगे।

(2) जो कोई उप-धारा (1) के अधीन किसी दंडनीय अपराध करने या करवाने का प्रयत्न करेगा और ऐसे प्रयत्न में उक्त अपराध होने के प्रति कोई कार्य करेगा, उसे उक्त अपराध के लिए उपबंधित दंड दिया जाएगा।

(3) जो कोई उप-धारा (1) के अधीन किसी दण्डनीय अपराध करने के लिए दुष्प्रेरित करेगा अथवा आपराधिक षडयंत्र में हाथ बटाएगा, उसे, चाहे वैसा दुष्प्रेरण के फलस्वरूप या वैसा आपराधिक षडयंत्र के अनुसरण में उक्त अपराध कारित हो या नहीं, तथा भारतीय दंड संहित (1860 का 45) की धारा 116 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उक्त अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा।

7. यह अधिनियम अन्य अधिनियमनों पर अध्यारोही होगाः–इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे क्यों न तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के चलते किसी प्रभावी लिखित में इन उपबंधों से असंगत कोई बात हो।

8. 1951 के अधिनियम 43 का संशोधनः–लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, की धारा 8 की उपधारा (1) में–

(क) खंड (i) के अंत में ''या'' शब्द अंतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) खंड (i) के बाद, जैसा कि संशोधित हुआ है, निम्नांकित खंड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्ः–

''(i) उपासना-स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की धारा 6 . उपासना-स्थल को संपरिवर्तित करने का अपराध।''

धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863

(1863 का अधिनियम सं॰ 20)

सरकार को धार्मिक विन्यासों के प्रबन्धन से निर्निहित करने के निमित्त समर्थ बनाने के लिए अधिनियम।

[10 मार्च, 1863]

प्रस्तावनाः–(मस्जिदों, हिन्दू-मंदिरों, महाविद्यालयों और अन्य प्रयोजनों के संभरण के लिए अनुदत्त भूखंडों के लगान और उपज के सही विनियोग के लिए; पुलों, सरायों, कटरों और अन्य सार्वजनिक भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए और नजूल सम्पत्तियों या राजगामी सम्पत्तियों के अभिरक्षण और व्ययन के लिए) बंगाल संहिता के विनियम 19 (सन् 1810 का बंगाल विनियम 19) के द्वारा, और (मस्जिदों, हिन्दू-मंदिरों, महाविद्यालयों और अन्य प्रयोजनों के संभरण के लिए अनुदत्त भूखंडों के लगान और उपज के सही विनियोग के लिए; पुलों चौलटरियों, या चत्तरामों और अन्य सार्वजनिक भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए; और राजगामी सम्पत्तियों के अभिरक्षण और व्ययन के लिए) मद्रास संहिता के विनियम 1817 (1817 का मद्रास विनियम 7) के द्वारा राजस्व बोर्डों, और बंगाल के फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी और फोर्ट सेंट जॉर्ज प्रेसिडेंसी के स्थानीय अभिकत्ताओं को उनपर अधिरोपित कर्त्तव्यों से, जहां तक उन कर्त्तव्यों में, मस्जिदों या हिन्दू-मंदिरों और अन्य धार्मिक उपयोग के संभरण के लिए अनुदत्त भूखंडों के अधीक्षण; वैसे धार्मिक प्रतिष्ठानों के संभरण के लिए विन्यासों के विनियोजन; उनसे संबंधित भवनों की मरम्मत और रखरखाव, और उनके न्यासियों या प्रबन्धकों की नियुक्ति, सम्मिलित हैं; अथवा जहां तक उनका संबंध वैसे धार्मिक विन्यासों के प्रबन्धन से है, मुक्त करना समीचीन है;

अतः निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है:

1. [बंगाल विनियम 19 सन् 1810 और मद्रास विनियम 7 सन् 1817 के भागों का निरसन] संशोधन अधिनियम, 1870 (1870 का 14), धारा 1 और अनुसूची द्वारा निरसित।

2. निर्वचन खंड:—इस अधिनियम में—

[xxxx]

''सिविल न्यायालय'' और ''न्यायालय'':—''सिविल न्यायालय'' और ''न्यायालय'' शब्दों (सिवाय धारा 10 में यथोपबंधित के) से अभिप्रेत हैं उस जिला का जिसमें [या राज्य सरकार द्वारा तन्निमित्त शक्ति प्रदत्त किसी अन्य न्यायालय जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर] अवस्थित मस्जित, मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठान हों, उसके अथवा उसके विन्यास के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई वाद संस्थित या आवेदनपत्र दाखिल करने के लिए आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रधान न्यायालय।

3. मस्जिद, आदि के सम्बन्ध में सरकार विशेष उपबन्ध करेगी:—हरेक मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान, जिसको इस अधिनियम की प्रस्तावना में विनिर्दिष्ट विनियमों में से किसी के भी उपबंध प्रयोज्य हों और जिसके न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक का मनोनयन इस अधिनियम के पारित होने के समय सरकार या किसी लोक पदाधिकारी में निहित हो जाए अथवा उनके द्वारा प्रयोग किया जा सके, अथवा जिसमें वैसे न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक का मनोनयन सरकार या किसी लोक पदाधिकारी के संपुष्टीकरण के अधीन हो, के मामलों में राज्य सरकार, इस अधिनियम के पारित होने के शीघ्रातिशीघ्र बाद, एतस्मिन्पश्चात् उपबंधित जैसे विशेष उपबन्धें करेगी।

4. राजस्व बोर्ड के प्रभाराधीन न्यास-सम्पत्ति का न्यासियों, आदि को अंतरण:—हरेक मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान के मामलें में जो इस अधिनियम के पारित होने के समय किसी वैसे न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक के अधीन हो, जिसका मनोनयन सरकार, या किसी लोक पदाधिकारी में न तो निहित हो, न उसके द्वारा प्रयोग किया जाए और न सरकार के सम्पुष्टीकरण के अधीन हो राज्य सरकार इस अधिनियम के पारित होने के बाद भी शीघ्रातिशीघ्र वैसी किसी सम्पत्ति को छोड़कर जो एतस्मिन पश्चात् उपबंधित है, सारी भू-सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति जो इस अधिनियम के पारित होने के समय राजस्व बोर्ड या किसी स्थानीय अभिकर्त्ता के अधीक्षण या दखल में हो और उक्त मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान की हो, वैसे न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक को अंतरित कर देगी।

ऐसी सम्पत्ति के प्रति बोर्ड की शक्तियों का अवसान:—और, ऐसे मस्जिद, मंदिर, या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में और इस प्रकार अंतरित सभी भूमि और अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में राजस्व बोर्ड और स्थानीय अभिकर्ताओं की शक्तियां और जवाबदेहियां, सिवाय उक्त राजस्व बोर्ड या किसी स्थानीय अभिकर्ता द्वारा ऐसे अन्तरण के पहले किये गये कार्यों और उपगत किये गये दायित्वों के, अवसायित और समाप्त हो जाएंगी।

5. रिक्त न्यासिता पर उत्तराधिकार के हक सम्बन्धी विवाद के मुकदमा में प्रक्रिया:—जब कभी, किसी कारणवश, किसी वैसे न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक के पद रिक्त होगी, जिसे निकटतम पूर्ववर्ती धारा के अधीन कोई सम्पत्ति अंतरित की गई होती और वैसे पद के उत्तराधिकार सम्बन्धी अधिकार के बारे में कोई विवाद उठेगा, तो यह विधिसम्मत होगा कि कोई भी व्यक्ति जो वैसे मस्जिद, मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठान में, जिसकी वह सम्पत्ति हो, या उपासना के अनुष्ठान में अथवा उसकी सेवा में या तत्संबंधित न्यासों में हितबद्ध हो, उक्त मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान का प्रबन्धक नियुक्त करने के लिए सिविल न्यायालय, में आवेदन करे और ऐसा किंये जाने पर उक्त न्यायालय उस समय तक के लिए कोई प्रबन्धक नियुक्त कर सकेगा जबतक कोई अन्य व्यक्ति वैसे पद पर उत्तराधिकार का अपना हक स्थापित न करे।

न्यायालय द्वारा नियुक्त प्रबंधकों की शक्तियां:—सिविल न्यायालय द्वारा इस प्रकार नियुक्त किया गया प्रबन्धक को वे सारी शक्तियां होंगी और वह उन्हें प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम या किसी अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक जिसके स्थान पर न्यायालय द्वारा ऐसे प्रबन्धक की नियुक्ति हुई है को वैसे मस्जिद,मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठान या उसकी सम्पत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त थी या जिन्हें प्रयोग कर सकता था।

6. न्यासियों के अधिकार, जिन्हें धारा 4 के अधीन सम्पत्ति अंतरित हुई:– हरेक न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक के, जिसे इस अधिनियम की धारा 4 में विहित रीति से किसी मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान की भूमि और अन्य सम्पत्ति अंतरित की गई हैं, अधिकार, शक्तियां और जबाबदेहियां, तथा उनकी नियुक्ति, निर्वाचन और निष्कासन की शर्तें वही होंगी मानो यह अधिनियम पारित ही नहीं हुआ हो, सिवाय इसके कि उनके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन मुकदमे चलाये जा सकेंगे और सिवाय एतद्द्वारा निरसित विनियमों द्वारा राजस्व बोर्ड और स्थानीय अभिकर्ताओं के वैसे मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान पर, और वैसे न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक पर दिये गये प्राधिकार के, जिस प्राधिकार को एतद्द्वारा समाप्त और निरसित किया जाता है।

इस अधिनियम की उक्त धारा के अधीन अंतरित की गई भूमि के लगान की वसूली या सम्पत्ति की वापसी के लिये सभी शक्तियां, जो किसी बोर्ड या स्थानीय अभिकर्ता द्वारा प्रयुक्त की गई होतीं, वैसे अंतरण की तारीख से उस किसी न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक द्वारा प्रयुक्त की जाएंगी जिन्हें ऐसा अंतरण किया जाएगा।

समितियों की नियुक्ति:–इस अधिनियम की धारा 3 में वर्णित सभी दशाओं में राज्य सरकार एतद्द्वारा निरसित विनियमों के अधीन राजस्व बोर्ड और स्थानीय अभिकर्ताओं का स्थान लेने के लिए शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रत्येक प्रमंडल और जिला में सदा के लिए एक समिति या उससे अधिक नियुक्त करेगी।

7. समिति का गठन और कर्त्तव्य:–ऐसी समितियां तीन या इससे अधिक व्यक्तियों की होंगी और वैसे बोर्ड और स्थानीय अभिकर्त्ताओं पर अधिरोपित किये गये सभी कर्त्तव्य करेंगी, सिवाय किसी वैसी सम्पत्ति विषयक के, जो इस अधिनियम की धारा 21 के अधीन विशेष रूप से उपबंधित हैं

8. समिति के सदस्यों की अर्हता:–उक्त समिति के सदस्य उस धर्म के माननेवाले व्यक्तियों में से नियुक्त किये जाएंगे, जिसके प्रयोजन के लिए मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान संस्थापित किया गया है और सम्प्रति संरक्षित है और, जहां तक विनिश्चित किया जा सके, उन लोगों के सामान्य इच्छानुसार जो वैसे मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान के संरक्षण के प्रति हितबद्ध है।

समिति की नियुक्ति शासकीय गजट में अधिसूचित की जाएगी।

हितबद्ध व्यक्तियों की इच्छाओं का विनिश्चयन:–ऐसी नियुक्ति के सम्बन्ध में इस तरह के व्यक्तियों की सामान्य इच्छाओं के विनिश्चयन के लिए, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत, शासकीय गजट में अधिसूचना के जरिए, वैसे नियमों के अधीन, जो राज्य सरकार बनाएगी, निर्वाचन करा सकेगी।

इस धारा के अधीन बनाया गया हरेक नियम, बनाए जाने के बाद शीघ्रातिशीघ्र, राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

9. पदावधि:–उपर्युक्त प्रकार से नियुक्त समिति का हरेक सदस्य आजीवन पद धारण करेगा, अन्यथा उसे कदाचार या अयोग्यता के कारण निष्कासित किया जाए।

निष्कासन:–और, एतस्मिन् पश्चात् जैसा उपबंधित किया गया है, कोई भी ऐसा सदस्य सिविल न्यायालय के आदेश के बिना नहीं निष्कासित किया जाएगा।

10. रिक्तियों की पूर्त्ति:–यथोक्त प्रकार से नियुक्त समिति के सदस्यों में जब कभी कोई रिक्ति होगी तब उपर्युक्त उपबंधानुसार हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा उक्त रिक्ति को भरने के लिए नया सदस्य निर्वाचित किया जाएगा।

प्रक्रिया:–राज्य सरकार द्वारा बनाई जाने वाली निर्वाचन-नियमावली के अधीन समिति के बाकी सदस्य ऊपर उपबंधित प्रकार से हितबद्ध व्यक्तियों के द्वारा नया सदस्य को निर्वाचित करने के लिए यथाशीघ्र उक्त रिक्ति की एक सर्वसाधारण नोटिस देंगे और एक तारीख नियत करेंगे जो वैसी रिक्ति की तारीख से तीन महीने के बाद की नहीं होगी।

और, तत्पश्चात् जो कोई निर्वाचित होगा वह, उक्त नियमावली के अधीन, उस रिक्ति को भरने के लिए उस समिति का सदस्य हो जाएगा।

न्यायालय रिक्ति को कब भर सकेगी:–यदि उपर्युक्त प्रकार की कोई रिक्ति कारित होने के बाद तीन महीनों के भीतर उपर्युक्त प्रकार के निर्वाचन के द्वारा नहीं भरी जाएगी, तो सिविल न्यायालय, किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर, रिक्ति को भरने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति कर सकेगा अथवा आदेश कर सकेगा कि समिति के शेष सदस्यों द्वारा रिक्ति तत्काल भरी जाए, जिस आदेश के होते ही उन शेष सदस्यों को उसका अनुपालन करना कर्त्तव्य होगा, और, यदि इस आदेश का अनुपालन नहीं होगा तो सिविल न्यायालय उक्त रिक्ति को भरने के लिए सदस्य नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण:–इस धारा में ''सिविल न्यायालय'' से अभिप्रेत है उस जिला में, आरंभिक सिविल अधिकारिता का प्रधान न्यायालय, जिसमें वैसी मस्जिदें, मंदिरें या धार्मिक प्रतिष्ठानों या उनमें से कोई अवस्थित हो, जिनके समिति नियुक्त की गई हैं

11. समिति का कोई सदस्य मस्जिद, वगैरह का न्यासी, आदि नहीं होगा:–इस अधिनियम के अधीन नियुक्त समिति का कोई भी सदस्य किसी वैसे मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान का, जिसके प्रबन्ध के लिए समिति नियुक्त की गई हो, न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक बनने या उस हैसियत से काम करने का पात्र नहीं होगा।

12. समिति नियुक्त हो जाने पर बोर्ड और स्थानीय अभिकर्त्ता उसे सम्पत्ति अंतरित करेंगे:–किसी वैसे मस्जिद, मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठान और उसके कार्यों के प्रबन्ध के लिए ऊपर में उपबंधित जैसी समिति की नियुक्ति के तुरंत बाद राजस्व बोर्ड, या उक्त बोर्ड के प्राधिकार के अधीन काम करने वाले स्थानाय अभिकर्त्ता उस समिति को वह सारी भू-सम्पत्ति या अन्य सम्पत्ति, सिवाय उसके जिसके लिए एतस्मिन्पश्चात् उपबंध किये गये हैं, अंतरित कर देगा, जो नियुक्ति के समय उक्त बोर्ड या स्थानीय अभिकर्त्ताओं के अधीक्षण में या दखल में होगी और जो उक्त धार्मिक प्रतिष्ठान की होगी।

बोर्ड और अभिकर्ताओं की शक्तियों और उत्तरदायित्वों का अंत:–और तत्पश्चात् बोर्ड और स्थानीय अभिकर्त्ताओं के, वैसे मस्जिद, मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठान के प्रति और, सिवा उपर्युक्त के और सिवा उक्त अंतरण के पहले उक्त बोर्ड या अभिकर्ताओं द्वारा किये गये कार्यों और उपगत किये गये दायित्वों को, इस प्रकार अंतरित की गई सारी भू-सम्पत्ति और अन्य सम्पत्ति पर शक्तियों और उत्तरदायित्वों का अंत और समापन हो जाएगा।

ममिति की शक्तियों का प्रारंभ:–इस धारा के अधीन अंतरित भूमि के लगान की वसूली या किसी अन्य सम्पत्ति की वापसी के लिए बोर्ड या स्थानीय अभिकर्ता द्वारा प्रयोग की जानेवाली सभी शक्ति ऐसे अंतरण की तारीख से उस समिति द्वारा प्रयुक्त की जायंगी जिसे ऐसा अंतरण किया गया हो।

13. लेखाओं के बारे में न्यासी, आदि के कर्त्तव्य:–जिन मस्जिदों, मंदिरों या धार्मिक प्रतिष्ठानों पर इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, उनके हर न्यासियों, प्रबन्धकों और अधीक्षकों का कर्त्तव्य होगा कि वे वैसे मस्जिदों, मंदिरों या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित अपने आय और व्यय के नियमित लेखायें रखा करें; तथा समिति के (कर्त्तव्य) तथा इस अधिनियम के प्राधिकार के उपबंधों के अधीन नियुक्त की गई या कार्य करती हुई प्रत्येक प्रबन्ध-समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह हर साल कम-से-कम एक बार वैसे मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान के हरेक न्यासी, प्रबंधक और अधीक्षक से वैसे आय-व्यय के वैसे लेखायें नियमित रूप से प्रस्तुत करवाए; और हरेक वैसी प्रबन्ध-समिति स्वयं उन सबकें उस तरह के लेखा रखेगी।

14. न्यास-भंग, आदि की दशा में हितबद्ध व्यक्ति अकेले वाद दायर कर सकेगा:–किसी मस्जिद, मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठान, या उपासना कार्य या तत्सम्बन्धी सेवा, या तत्सम्बद्ध न्यास में हितबद्ध कोई व्यक्ति या व्यक्तिगण, बिना किन्हीं अन्य व्यक्तियों को वादी के रूप में सम्मिलित किये, वैसे मस्जिद, मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठान के न्यासी, प्रबन्धक या अधीक्षक अथवा इस अधिनियम के अधीन नियुक्त

किसी समिति के सदस्य के विरुद्ध जिनमें या जिन तक यह न्यास क्रमशः निहित या सीमित है, उसके द्वारा कारित किसी उपकरण, न्यास-भंग या कर्त्तव्य की उपेक्षा के लिए सिविल न्यायालय में वाद दायर कर सकेगा।

सिविल न्यायालय की शक्तिः–तथा, सिविल न्यायालय वैसे न्यासी, प्रबंधक, अधीक्षक या समिति के सदस्य के किसी कार्य को स्पष्ट रूप से करने का निदेश दे सकेगा,

और वैसे न्यासी, प्रबन्धक, अधीक्षक या समिति-सदस्य के विरुद्ध हरजाना और खर्च देने की डिक्री पारित कर सकेगा,

और वैसे न्यासी, प्रबन्धक अधीक्षक या समिति-सदस्य को हटाने के लिए भी निदेश दे सकेगा।

15. वाद दायर करने के लिए, व्यक्ति को हकदार करनेवाले हितों की प्रकृति।–अंतिम पूर्ववर्ती धारा के अधीन वाद लाने के लिए किसी व्यक्ति को हकदार बनाने वास्ते अपेक्षित हित का धनीय अथवा प्रत्यक्ष या अनन्तवर्ती हित होना अथवा ऐसा हित होना, जो उस व्यक्ति को न्यास के प्रबन्धन या अधीक्षण में किसी प्रकार का भाग लेने का हकदार करे, जरूरी नहीं है।

किसी मस्जिद, मंदिर या धार्मिक प्रतिष्ठान के उपासना या सेवा कार्य के सम्पादन पर उपस्थिति का अधिकार रखनेवाला या उपस्थित रहने का अभ्यस्त या भिक्षा के किसी वितरण-लाभ में भागीदारी करनेवाला कोई व्यक्ति पूर्ववर्ती धारा के मायने के अन्दर हितबद्ध व्यक्ति माना जाएगा।

16. मध्यस्थों के पास निर्देशन।–इस अधिनियम के अधीन दाखिल किसी वाद या कार्यवाही में उस न्यायालय के लिए, जिसके समक्ष ऐसा वाद या कार्यवाही लम्बित हो, उक्त वाद में मतभिन्नता वाले किसी विषय को निर्णय के लिए एक अथवा अधिक मध्यस्थ को निर्देशित करने का आदेश देना विधिक होगा।

1940 का अधिनियम 10 लागू होगा।–जब कभी कोई वैसा आदेश होगा तो उस आदेश और माध्यस्थम् के प्रति माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 के अध्याय 4 के उपबंध उसी तरह सब प्रकार लागू होंगे मानो वह आदेश उक्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन पक्षकारों के आवेदन पर दिया गया हो।

17. 1940 का अधिनियम 10 के अधीन निर्देशन।–अंतिम पूर्ववर्ती धारा की कोई भी बात माध्यस्थम् अधिनियम, 1940 (1940 का 10), की उक्त धारा 21 के अधीन पक्षकारों को न्यायालय से निर्देशन-प्राप्ति के लिए आवेदन करने और न्यायालय को निर्देशन का आदेश देने से प्रवारित नहीं करेगी।

18. वाद दायर करने की अनुमति के लिये आवेदन।–जबतक ऐसा वाद दायर करने की अनुमति के लिए न्यायालय को आरंभिक आवेदन न दिया गया हो तबतक इस अधिनियम के अधीन कोई वाद नहीं लिया जाएगा।

न्यायालय, आवेदनपत्र को पढ़कर, यह तय करेगा कि वाद दायर करने के लिए प्रथम दृष्टया पर्याप्त आधार है या नहीं, और, यदि न्यायालय के निर्णय में ऐसे आधार होंगे तो वाद दायर करने की अनुमति दे सकेगा।

खर्च।–यदि न्यायालय का यह मत हो कि वाद न्यास के लाभ के लिए हुआ है और वाद का कोई भी पक्षकार दोषी नहीं है, तो न्यायालय आदेश दे सकेगा कि इसका खर्च या खर्च का वह हिस्सा, जो न्यायालय वाजिब समझे, उसकी सम्पदा से भुगतान किया जाय।

19. न्यायालय न्यास के लेखा को दाखिल करवा सकेगा।–वाद दायर करने की अनुमति देने के पहले, या अनुमति देने के बाद किसी कार्यवाही करने के पहले, या वाद लम्बित रहने के दौरान किसी समय, न्यायालय, न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक या किसी समिति-सदस्य को, यथास्थिति, न्यास का लेखा या उसका उतना भाग, जितना न्यायालय को आवश्यक जान पड़े, न्यायालय में दाखिल करने का आदेश दे सकेगा।

20. आपराधिक न्यास-भंग की कार्यवाही।–पूर्ववर्ती धारा के अधीन किसी सिविल न्यायालय के समक्ष कोई वाद या कार्यवाही, न्यास, भंग के लिए किसी दंड न्यायालय में चल रही किसी कार्यवाही को

किसी तरह प्रभावित या बाधित नहीं करेगी।

21. मामले, जिनमें दान भागतः धार्मिक और भागतः पंथनिरपेक्ष प्रयोजनों के लिए हों।–किसी वैसा मामला में जिसमें कोई भूमि या अन्य सम्पत्ति भागतः धार्मिक और भागतः पंथनिरपेक्ष प्रकृति के किसी प्रतिष्ठान के संभरण के लिए अनुदत्त की गई हो,

अथवा जिसमें किसी प्रतिष्ठान के लिए किया गया दान भागतः धार्मिक और भागतः पंथनिरपेक्ष उपयोगों पर विनियोजित किया जाता हो,

राजस्व बोर्ड, किसी न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक, या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्रबन्ध-समिति को अंतरित करने से पहले यह तय करेगा कि भूमि या अन्य सम्पत्ति का कितना भाग, यदि कोई हो, पंथनिरपेक्ष उपयोगों के लिए उक्त बोर्ड के अधीक्षण के अधीन रहेगा,

और कितना भाग न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक, या समिति के अधीक्षण में अंतरित किया जाएगा,

और यह भी कि यथा पूर्वोक्त पंथनिरपेक्ष उपयोगों के लिए कितनी वार्षिक रकम, यदि कोई हो, उक्त न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक या समिति के अधीक्षण में अंतरित की जानेवाली भूमि या अन्य सम्पत्ति पर प्रभारित की जाय और उक्त बोर्ड को या स्थानीय अभिकर्त्ताओं को देय की जाए।

हरेक ऐसा मामला में, इस अधिनियम के उपबंध केवल इस प्रकार अंतरित की जानेवाली भूमि और अन्य सम्पत्ति पर ही लागू होंगे।

22. किसी मस्जिद, मंदिर, आदि के संभरण के लिए सम्पत्ति का प्रभार सरकार के पास अबसे नहीं रहना।–इस अधिनियम में यथोपबंधित को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के लिए अथवा किसी सरकार के किसी पदाधिकारी के लिए, उसकी पदीय हैसियत में, यह विधिक नहीं होगा कि वह–

किसी मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान के संभरण के लिए अनुदत्त की गई या अन्यथा उसके स्वामित्व में होने वाली किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के अधीक्षण का भार अपने ऊपर ले या फिर से ग्रहण करे, या

किसी मस्जिद, मंदिर या अन्य प्रतिष्ठान के संभरण के लिए किया गया किसी दान के प्रबन्ध या विनियोग में कोई भाग ले, या

उसका किसी न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक मनोनीत या नियुक्त करे अथवा उसके किसी प्रकार सम्बन्द्ध हो।

23. अधिनियम का तस्मिनुक्त विनियमों और पुराकालीन भवनों, आदि के सम्बन्ध में प्रभाव।–इस अधिनियम की कोई भी बात जहां तक उसका सम्बन्ध मस्जिदों, हिन्दू मंदिरों और अन्य धार्मिक प्रतिष्ठानों से हो, उसे छोड़कर, इस अधिनियम में उल्लिखित विनियमों के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी और न अपनी पुराकालीनता के लिए या अपना ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के लिए उल्लेखनीय अथवा जनसाधारण की सुविधा के लिए अपेक्षित भवनों के परिरक्षण करने और उन्हें क्षति से बचाने वास्ते सरकार द्वारा यथावश्यक समझी जानेवाली कार्रवाईयों को प्रवारित करेगी।

24. [''भारत''] प्रशासनिक आदेश, 1948, द्वारा निरसित।

●

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890

(1890 का अधिनियम 6)

पूर्व प्रयोजनों के लिए न्यास में सम्पत्ति के निहित करने और प्रशासन के लिए उपबन्ध करने वास्ते अधिनियम।

पूर्व प्रयोजनों के लिए न्यास में सम्पत्ति के निहित करने और प्रशासन के लिए उपबन्ध करना

किसी तरह प्रभावित या बाधित नहीं करेगी।

21. मामले, जिनमें दान भागतः धार्मिक और भागतः पंथनिरपेक्ष प्रयोजनों के लिए हों।–किसी वैसा मामला में जिसमें कोई भूमि या अन्य सम्पत्ति भागतः धार्मिक और भागतः पंथनिरपेक्ष प्रकृति के किसी प्रतिष्ठान के संभरण के लिए अनुदत्त की गई हो,

अथवा जिसमें किसी प्रतिष्ठान के लिए किया गया दान भागतः धार्मिक और भागतः पंथनिरपेक्ष उपयोगों पर विनियोजित किया जाता हो,

राजस्व बोर्ड, किसी न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक, या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी प्रबन्ध-समिति को अंतरित करने से पहले यह तय करेगा कि भूमि या अन्य सम्पत्ति का कितना भाग, यदि कोई हो, पंथनिरपेक्ष उपयोगों के लिए उक्त बोर्ड के अधीक्षण के अधीन रहेगा,

और कितना भाग न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक, या समिति के अधीक्षण में अंतरित किया जाएगा,

और यह भी कि यथा पूर्वोक्त पंथनिरपेक्ष उपयोगों के लिए कितनी वार्षिक रकम, यदि कोई हो, उक्त न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक या समिति के अधीक्षण में अंतरित की जानेवाली भूमि या अन्य सम्पत्ति पर प्रभारित की जाय और उक्त बोर्ड को या स्थानीय अभिकर्त्ताओं को देय की जाए।

हरेक ऐसा मामला में, इस अधिनियम के उपबंध केवल इस प्रकार अंतरित की जानेवाली भूमि और अन्य सम्पत्ति पर ही लागू होंगे।

22. किसी मस्जिद, मंदिर, आदि के संभरण के लिए सम्पत्ति का प्रभार सरकार के पास अबसे नहीं रहना।–इस अधिनियम में यथोपबंधित को छोड़कर, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के लिए अथवा किसी सरकार के किसी पदाधिकारी के लिए, उसकी पदीय हैसियत में, यह विधिक नहीं होगा कि वह–

किसी मस्जिद, मंदिर या अन्य धार्मिक प्रतिष्ठान के संभरण के लिए अनुदत्त की गई या अन्यथा उसके स्वामित्व में होने वाली किसी भूमि या अन्य सम्पत्ति के अधीक्षण का भार अपने ऊपर ले या फिर से ग्रहण करे, या

किसी मस्जिद, मंदिर या अन्य प्रतिष्ठान के संभरण के लिए किया गया किसी दान के प्रबन्ध या विनियोग में कोई भाग ले, या

उसका किसी न्यासी, प्रबंधक या अधीक्षक मनोनीत या नियुक्त करे अथवा उसके किसी प्रकार सम्बन्द्ध हो।

23. अधिनियम का तस्मिनुक्त विनियमों और पुराकालीन भवनों, आदि के सम्बन्ध में प्रभाव।–इस अधिनियम की कोई भी बात जहां तक उसका सम्बन्ध मस्जिदों, हिन्दू मंदिरों और अन्य धार्मिक प्रतिष्ठानों से हो, उसे छोड़कर, इस अधिनियम में उल्लिखित विनियमों के उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी और न अपनी पुराकालीनता के लिए या अपना ऐतिहासिक या पुरातात्विक महत्व के लिए उल्लेखनीय अथवा जनसाधारण की सुविधा के लिए अपेक्षित भवनों के परिरक्षण करने और उन्हें क्षति से बचाने वास्ते सरकार द्वारा यथावश्यक समझी जानेवाली कार्रवाईयों को प्रवारित करेगी।

24. [''भारत''] प्रशासनिक आदेश, 1948, द्वारा निरसित।

●

पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890

(1890 का अधिनियम 6)

पूर्व प्रयोजनों के लिए न्यास में सम्पत्ति के निहित करने और प्रशासन के लिए उपबन्ध करने वाला अधिनियम।

पूर्व प्रयोजनों के लिए न्यास में सम्पत्ति के निहित करने और प्रशासन के लिए उपबन्ध करना

समीचीन है; अत: एकद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियमित किया जाता है–

1. नाम, विस्तार और प्रारंभ।–(1) यह अधिनियम पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890, कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में होगा; और

(3) यह पहली अक्तूबर, 1890 से लागू होगा।

2. परिभाषा।–इस अधिनियम में 'पूर्त प्रयोजन' के अंतर्गत हैं गरीबों की सहायता, शिक्षा, चिकित्सा-सहायता और साधारण लोक-उपयोगिता के किसी अन्य कार्य की प्रगति, किंतु इसके अंतर्गत यह प्रयोजन नहीं है जिसका सम्बन्ध एकमात्र धार्मिक शिक्षण या उपासना से है।

3. पूर्त विन्यास के कोषपाल की नियुक्ति और निगमन।–(1) केन्द्रीय सरकार भारत के लिए पूर्त विन्यासों के कोषपाल के पदनाम से एक सरकारी पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी, और किसी राज्य की सरकार उस राज्य के लिए पूर्त विन्यासों के कोषपाल के पदनाम से सरकारी पदाधिकारी नियुक्त कर सकेगी।

(2) इस अधिनियम के प्राधिकार के अधीन चल या अचल सम्पति लेने, धारित और अंतरित करने के प्रयोजनों के लिए यह कोषपाल भारत या राज्य, यथास्थिति, के लिए पूर्त विन्यासों के कोषपाल के एकमात्र नाम में एक निगम होगा, और इसलिए इन कोषापालों के स्थायी उत्तराधिकार और निगमित मुहर होंगे और ये अपने निगमित नाम से मुकदमें कर सकेंगे और इसके निगमित नाम के विरुद्ध मुकदमें किये जा सकेंगे।

3-क. ''उपयुक्त सरकार'', आदि की परिभाषा।–इस अधिनियम के अगले उपबंधों में, उस पूर्त विन्यास के सम्बन्ध में, जिसका कार्य एक राज्य के बाहर विस्तृत नहीं हो और न वैसे कार्य हों जिनपर केन्द्रीय सरकार की कार्यपालिका का प्राधिकार हो, ''उपयुक्त सरकार'' से अभिप्रेत होगा उस राज्य की सरकार, और किन्हीं अन्य पूर्त न्यासों के सम्बन्ध में–केन्द्रीय सरकार।

4. कोषपाल में सम्पत्ति निहित करने के आदेश।–(1) जहां कोई सम्पत्ति किसी पूर्त प्रयोजन के लिए न्यास में धारित या इस्तमाल की जानी हो वहां उपयुक्त सरकार, यदि ठीक समझे, एतस्मिन पश्चात् उल्लिखित रूप में आवेदन किये जाने पर, और इस धारा के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, शासकीय गजट में अधिसूचना के जरिए आदेश दे सकेगी कि सम्पत्ति को पूर्त विन्यासों के कोषपाल में इन शर्तों पर निहित किया जाए कि उक्त सम्पत्ति या उसकी आय का प्रयोग उस प्रकार किया जाए जो उपयुक्त सरकार और प्रयोग के अभिप्राय समझने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच तय हो, और तत्पश्चात् उक्त सम्पत्ति तदनुसार निहित हो जाएगी।

टिप्पणी।–यह अधिनियम, भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम के द्वारा भाग ख राज्यों पर लागू हुआ। 1950 के म॰ प्र॰ अधिनियम सं॰ 12 द्वारा इसको मध्य प्रदेश में विस्तारित किया गया।

(2) जब कोई सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन पूर्त विन्यासों के कोषपाल में निहित हो जाएगी तब वह उक्त सम्पत्ति के सम्बन्धित सभी स्वत्व-दस्तावेजों का हकदार हो जाएगा।

(3) (निरसित)।

(4) इस अधिनियम के अधीन पूर्त विन्यासों के कोषपाल में सम्पत्ति निहित करने का आदेश यह अपेक्षा नहीं करेगा या यह अपेक्षा करता नहीं समझा जाएगा कि सम्पत्ति के प्रकाशन के सम्बन्ध में न्यासी द्वारा सम्पत्ति प्रशासित करने का कर्त्तव्य वह करे यह उसपर अधिरोपित हुआ समझा जाए।

5. कोषपाल में निहित सम्पत्ति के प्रशासन के लिए स्कीम।–(1) एतस्मिन् पश्चात् यथोल्लिखित आवेदन पर और आवेदन करनेवाले व्यक्ति या व्यक्तियों की सहमति से, उपर्युक्त सरकार, यदि उचित समझे, उस किसी सम्पत्ति के प्रशासन के लिए, जो पूर्त विन्यासों के कोषपाल में निहित कर दी गई है या निहित की जानी है कोई स्कीम निश्चित करे और वैसी स्कीम में उक्त सम्पत्ति के प्रशासन के लिए सिवा उस कोषपाल के, किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को पद के नाम पर नियुक्त करे।

निहित की गई थी।

9. कोषपाल में निहित सम्पत्तियों की सूची का वार्षिक प्रकाशन।–पूर्त विन्यासों का कोषपाल वैसे समय पर, जो उपर्युक्त सरकार निदेशित करे, शासकीय गजट में इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित सभी सम्पत्तियों की सूची और अंतिम पूर्ववर्ती धारा की उपधारा (2) के अधीन उसके रखे गये सभी लेखाओं का सार प्रकाशित कराएगा।

10. कोषपाल के कृत्य और शक्ति की परिसीमा।–(1) पूर्त विन्यासों का "एक" ही कोषपाल मात्र न्यासी होगा और कोषपाल के रूप में वह इस अधिनियम में उपबंधित से अन्यथा किसी सम्पत्ति को गृहित या धारित नहीं करेगा, अथवा उन उपबंधों के अधीन उसमें निहित हुई से अन्यथा कोई सम्पत्ति अंतरित नहीं करेगा, सिवाय वैसे सम्पत्ति के जो उसको विनिर्हित करनेवाली डिक्री के पालन के लिए अथवा उस प्राधिकार द्वारा इस निमित्त निर्गत किया गया निदेश के अनुपालन के लिये करना पड़े, जिसके आदेश से उसमें सम्पत्ति निहित हुई थी।

(2) ऐसा निदेश, कोषपाल को उसमें निहित किसी सम्पत्ति को बेचने या अन्यथा व्ययित करने, और निदेश निर्गत करनेवाला प्राधिकार की मंजूरी से निदेश में विनिर्दिष्ट किये अनुसार बिक्री की आमद को विनिहित करने की अपेक्षा कर सकेगा अथवा मुन्दार्थ किसी प्रतिभूति में सम्पत्ति को व्ययित करने या अचल सम्पत्ति को खरीदने में व्ययित करने का आदेश कर सकेगा।

(3) जब पूर्त विन्यासों का कोषपाल, इस धारा के अधीन, उपर्युक्त सरकार के निदेश द्वारा, किसी सम्पत्ति से निर्निहित कर दिया जाएगा, तब सम्पत्ति के प्रशासन में कार्य करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों में उक्त सम्पत्ति निहित हो जाएगी और उसी न्यास पर उसके या उनके द्वारा उन्हीं (शर्तों) पर धारित की जाएगी जिनपर उक्त कोषपाल द्वारा धारित की जाती थी।

11. कुछ आकस्मिकताओं में कोषपाल को पद पर बने रहने के उपबन्ध।–यदि सरकार का कोई पदाधिकारी, जिसे पूर्त विन्यासों का कोषपाल नियुक्त किया गया हो, के द्वारा धारित किया गया पद समाप्त कर दिया जाए या उसका नाम बदल दिया जाए, तो उपर्युक्त सरकार उसी सरकारी पदाधिकारी या किसी अन्य को उसके पदनाम से वैसा कोषपाल नियुक्त कर सकेगी, और ऐसा होने पर उत्तरवर्ती पद का धारक इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पूर्ववर्ती पद के धारक का पदोत्तरवर्ती माना जाएगा।

12. एक से दूसरे कोषपाल को सम्पत्ति का अन्तरण।–यदि क्षेत्रों में किसी फेरबदल के कारण या भारत के लिये या किसी राज्य के लिए, जिसका कोषपाल पहले नियुक्त नहीं हुआ हो, पूर्त विन्यासों के कोषपाल की नियुक्ति के कारण अथवा और भी किसी कारण से केन्द्रीय सरकार को लगे कि पूर्त विन्यासों के किसी कोषपाल में निहित की गई कोई सम्पत्ति किसी उस तरह का अन्य कोषपाल में निहित की जानी चाहिए तो उक्त सरकार निदेश दे सकेगी कि सम्पत्ति इस तरह निहित होगी और इस पर वह सम्पत्ति उस अन्य कोषपाल और उसके उत्तरवर्तियों में निहित हो जाएगी–इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सम्पूर्ण रूप से प्रभावकारी रूप में, मानों वह आरंभ में ही इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित की गई थी।

13. नियमावली रचने और बनाने की शक्ति।–(1) [निरसित]

(2) उपर्युक्त सरकार इस अधिनियम से संगत नियमावली बना सकती है–

(क) पूर्त विन्यासों के कोषपाल में इस अधिनियम के अधीन निहित किसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सरकार को दी जानेवाली फीस के निर्धारण के लिए;

(ख) धारा 5 के अधीन निश्चित या निर्मित की जानेवाली स्कीमों और उनके किसी उपांतरण को प्रकाशित किये जाने से पहले की स्थितियों और रीतियों के विनियमन के लिए;

(ग) पूर्त विन्यासों का कोषपाल द्वारा रखे जानेवाले लेखाओं के फारम और उन लेखाओं के परीक्षण की रीति निर्धारित करने के लिए; और

(घ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को सामान्य रूप से कारगर बनाने के लिए।

14. सरकार और कोषपाल को क्षतिपूर्ति।–सरकार के विरुद्ध कोई भी मुकदमा इस अधिनियम के अधीन किसी काम किये जाने या किये जाने को तात्पर्यित के सम्बन्ध में, या इस अधिनियम के अधीन सरकार पर सम्यक रूप में न्यागत होनेवाला किसी कर्तव्य करने की किसी कथित उपेक्षा या चूक के सम्बन्ध में या सरकार पर इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग, प्रयोग की विफलता के सम्बन्ध में नहीं किया जाएगा, और न कोई मुकदमा पूर्त विन्यासों के कोषपाल के विरुद्ध किया जाएगा सिवाय पूर्त प्रयोजन के लिए किसी सम्पत्ति को न्यास के अध्यधीन नहीं करने के आधार पर उसमें उक्त सम्पत्ति का निर्निहित करने के लिए उसमें निहित किसी सम्पत्ति या उसकी आय हानि का दुष्प्रयोग के लिए उसे आरोप्य या जवाबदेह करने के लिए, जहां उक्त हानि या दुष्प्रयोग उसके साक्ष्य अपेक्षा या चूक के द्वारा या कारण से हुई या हुआ हो।

15. महा-अधिवक्ता और शासकीय न्यासी के सम्बन्ध में व्यावृत्ति।–इस अधिनियम की किसी भी बात का किसी दान के संबंध में कार्य करने के किसी महा-अधिवक्ता के प्राधिकार विषयक, या किसी शासकीय न्यासी में पूर्त प्रयोजन के लिए न्यास में सम्पति का निहितीकरण विषयक शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913 का या सम्प्रति प्रवृत्त किसी अधिनियमन का ह्रास करनेवाला अर्थ नहीं निकाला जाएगा।

●

पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920

(1920 का अधिनियम 14)

पूर्त और धार्मिक न्यासों के प्रशासन पर अधिक प्रभावकारी नियंत्रण उपबंधित करने के लिए अधिनियम।

पूर्त या धार्मिक प्रकार के लोक-प्रयोजनों के लिए सृजित न्यासों से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने वास्ते सुविधाएं मुहैया करने और कतिपय विषयों पर न्यायालय के निर्देश प्राप्त करने वास्ते ऐसे न्यासों के न्यासियों को समर्थ बनाना, तथा ऐसे न्यासों के न्यासियों के विरुद्ध कुछ वादों में किये गये खर्चे की अदायगी के लिए विशेष उपबन्ध करना समीचीन है :

अतः एतद् द्वारा निम्नांकित अधिनियमित किया जाता है :–

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार।–(1) यह अधिनियम पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम, 1920 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में होगा :

परंतु, किसी राज्य की सरकार, शासकीय गजट में अधिसूचना के जरिए, निदेशित कर सकेगी कि यह अधिनियम, या इसका कोई विनिर्दिष्ट भाग, राज्य में या उसके किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिर्दिष्ट न्यास या न्यास-श्रेणी पर नहीं लागू होगा।

3. पूर्त या धार्मिक प्रकार के न्यासों के सम्बन्ध में न्यायालय में आवेदन करने की शक्ति।–इस अधिनियम में एतस्मिन् पश्चात् यथा-उपबंधित को छोड़कर, पूर्त या धार्मिक प्रकार के लोक-प्रयोजन के लिए सृजित या विद्यमान् किसी अभिव्यक्त या आन्वीयक न्यास में हित रखनेवाला कोई व्यक्ति निम्नांकित सभी निर्देशों या उनमें से किसी वास्ते आदेश प्राप्त करने के लिए याचिका देकर उस न्यायालय के पास आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त न्यास की विषय-वस्तु का पर्याप्त भाग अवस्थित हो, अर्थात्–

(1) न्यासी को निर्देश दिया जाय कि वह न्यायालय के माध्यम से आवेदक को न्यास के प्रकार और उद्देश्य, न्यास की विषय-वस्तु और उसे होनेवाले आय अथवा इनमें से किसी के सम्बन्ध में ब्योरे प्रस्तुत करे; और

(2) निर्देश दिया जाय कि न्यास के लेखा की परीक्षा और अंकेक्षण करवाई जाए:

परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति याचिका दाखिल करने की तारीख से तीन वर्ष से अधिक पहले की अवधि से सम्बन्धित लेखा के सम्बन्ध में ऐसा किसी निर्देश के लिए आवेदन नहीं करेगा।

टिप्पणी।–

(1) यह अधिनियम, भाग ख राज्य (विधि), अधिनियम के अनुसार भाग ख राज्यों पर लागू हुआ।

(2) यह अधिनियम, संघ राज्यक्षेत्र (विधियां) अधिनियम, 1950 के द्वारा मध्य प्रदेश में विस्तारित किया गया।

(3) विलयित राज्य (विधियां) अधिनियम, 1949, के अधीन यह अधिनियम नये प्रांतों और विलयित राज्यों में विस्तारित किया गया। ''विलयित राज्य'' अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो राज्य विलयन (संयुक्त प्रांत) आदेश, 1949 के द्वारा यथासंशोधित राज्य-विलयन (राज्यपाल प्रांत) आदेश, 1949 में है। ''नये प्रांत'' अभिव्यक्ति से राज्य विलयन (संयुक्त प्रांत) आदेश, 1949, द्वारा यथासंशोधित राज्य विलयन (चीफ कमिश्नर के प्रांत) आदेश, 1949, के अधीन गठित चीफ कमिश्नर के प्रांत निर्दिष्ट हैं।

4. याचिका की विषय-वस्तु और सत्यापन।–(1) याचिका में दर्शित किया जाएगा कि याचिकाकर्ता किस प्रकार अपने को न्यास के हितबद्धता का दावा करता है, और यथासंभव उन ब्योरों और लेखा-परीक्षणों को स्पष्ट करेगा जो वह प्राप्त करना चाहता है।

(2) याचिका लिखित होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा वादपत्र को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए विहित की गई रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित की जाएगी।

5. याचिका पर प्रक्रिया।–धारा 3 के अधीन याचिका की प्राप्ति पर यदि न्यायालय, जैसा उचित समझे वैसा साक्ष्य लेने और वैसी जांच, यदि कोई हो, करने के बाद इस राय का हो कि वह न्यास, जिससे याचिका का सम्बन्ध है, एक ऐसा न्यास है जिसको यह अधिनियम लागू होता है और याचिकाकर्ता का उसमें हित है, तो यह याचिका की सुनवाई के लिए एक तारीख नियत करेगा और उसकी एक प्रति, इस तरह नियत की गई तारीख की नोटिस समेत, न्यासी पर और उस किसी अन्य व्यक्ति पर, जिसे उसकी राय में याचिका की नोटिस दी जानी चाहिए, तामील कराएगा।

(2) याचिका की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख पर या उस किसी बादवाली तारीख पर, जिसपर सुनवाई स्थगित की गई हो, न्यायालय याचिकाकर्ता और न्यासी, यदि वह उपस्थित होता है, तथा किसी अन्य व्यक्ति, जो नोटिस के फलस्वरूप उपस्थित हुआ हो, या जिसे सुनना वह वांछनीय समझता हो, की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा और वैसी कोई अगली जांच, जैसी वह ठीक समझे, करेगा। न्यासी, स्वतः या न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर, प्रथम सुनवाई के समय या न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर अपने केस का लिखित अभिकथन प्रस्तुत करेगा। यदि वह लिखित अभिकथन देता है तो उक्त अभिकथन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, द्वारा अभिवचनों को हस्ताक्षरित और सत्यापित करने के लिए विहित की गई रीति से हस्ताक्षरित और सत्यापित किया जाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति याचिका की सुनवाई के लिए नियत की गई तारीख पर उपस्थित होकर न्यास होने की बात नकारता हो या यह नकारता हो कि यह कोई वैसा न्यास है जिसपर यह अधिनियम लागू होता है, और इस आशय की घोषणा के लिये या किसी अन्य अनुतोष के लिय तीन महीनों के भीतर वाद दायर करने का वादा करता हो, तो न्यायालय कार्यवाही को स्थगित करने वास्ते आदेश देगा और यदि इस तरह का वाद दायर कर दिया जाता हो तो उक्त वाद के अंतिम फैसला तक कार्यवाही स्थगित रखेगा।

(4) यदि वैसा वाद किया जाता हो, या तीन महीने के अंत तक कोई वैसा वाद दायर नहीं किया जाता हो, तो न्यायालय स्वयं ही इस प्रश्न का फैसला करेगा।

(5) उपधारा (2) में उपबंधित की गई जांच के पूरा हो जाने पर, न्यायालय या तो याचिका खारिज कर देगा या समुचित आदेश पारित करेगा :

परंतु, यदि उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार कोई वाद दायर किया गया हो तो न्यायालय द्वारा वैसा कोई आदेश नहीं पारित किया जाएगा जो उसके अंतिम निर्णय के विरुद्ध हो।

(6) इस धारा में यथा-उपबंधित को छोड़कर, न्यायालय, याचिकाकर्ता और न्यास पर मोखालफाना हक का दावा करनेवाला किसी व्यक्ति के बीच पैदा हुआ हक के किसी सवाल का विचारण या फैसला नहीं करेगा।

6. धारा 5 के अधीन आदेश का न्यासी द्वारा अनुपालन।–यदि बिना किसी युक्तियुक्त कारण के न्यासी धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन दिया गया आदेश का पालन करने में चूक करेगा तो उक्त न्यासी, किसी अन्य दंड या दायित्व पर विपरीत प्रभाव डाले जो उसे तत्समय प्रवृत्त किये विधि के अधीन भुगतना पड़ सकता है, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के उपबन्धों के अधीन न्यास-भंग करने के लिए वाद का आधार प्रदान करता हुआ माना जाएगा, और कोई भी ऐसा वाद जहां तक वह ऐसी चूक पर आधृत होगा, महाअधिवक्ता की पूर्व सहमति के बिना दायर किया जा सकेगा।

7. निर्देश के लिए आवेदन करने की न्यासी की शक्तियां।–सिवाय इसके जैसा इस अधिनियम में एतिस्मिन् पश्चात् उपबंधित है, पूर्त या धार्मिक प्रकार के लोक-प्रयोजन के लिए सृजित या विद्यमान किसी अभिव्यक्ति या आन्वयिक न्यास का न्यासी न्यास-सम्पत्ति के प्रबन्ध या प्रशासन को प्रभावित करनेवाला किसी प्रश्न पर न्यायालय की राय, परामर्श या निर्देश के लिए याचिका के माध्यम से उस न्यायालय के पास आवेदन कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के स्थानिक सीमाओं के भीतर उक्त न्यास की विषय-वस्तु का पर्याप्त भाग अवस्थित हो, और न्यायालय उसपर अपनी राय, परामर्श या निर्देश, यथास्थिति, देगा :

परंतु, न्यायालय वैसे किसी प्रश्न पर इस तरह की राय, परामर्श या निर्देश देने के लिये बाध्य नहीं होगा जिसे वह संक्षिप्त निपटारे के लिए उचित नहीं समझे।

(2) उपधारा (1) के अधीन याचिका पर, न्यायालय या तो उसपर अपनी राय, परामर्श या निर्देश तुरंत देगा, या याचिका की सुनवाई के लिए तारीख नियत कर देगा और यह निर्देश दे सकेगा कि इसकी एक प्रति, इस प्रकार नियत की गई तारीख की नोटिस समेत, न्यास में हित रखनेवाले उन व्यक्तियों पर तालीम की जाए या, जैसी वह उचित समझेगा, वैसी तरह से उसकी जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन नियत की गई तारीख पर या किसी वैसी बाद की तारीख पर जिसको सुनवाई स्थगित की जाय, न्यायालय, किसी राय, परामर्श या निर्देश देने के पहले, याचिका के सम्बन्ध में उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों को सुनवाई के लिए समुचित अवसर प्रदान करेगा।

(4) उपधारा (1) के अधीन न्यास से संबंधित किसी विषय के तथ्यों को सद्भावपूर्वक अभिकथित करनेवाला और उसपर न्यायालय द्वारा दिये गए राय, परामर्श या निदेश के अनुसार कार्य करने वाला न्यासी, जहां तक उसका अपना उत्तरदायित्व का सम्बन्ध है, याचिका में उल्लेख किया गया विषय के सम्बन्ध में उक्त न्यासी के रूप में अपना कर्त्तव्य निभा चुका माना जाएगा।

8. इस अधिनियम के अधीन की याचिका के खर्चे।–इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों के अधीन की किसी याचिका और तत्सम्बन्धी सभी कार्यवाहियों के और उनके मुतल्लिक खर्चे, महसूलें और व्यय न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेंगे जो किसी वैसे खर्च, महसूल और व्यय, पूरा-का-पूरा अथवा उसका कोई भाग उस न्यास की सम्पत्ति से या उसकी आय से जिसके सम्बन्ध में याचिका है, या उस रीति से या उन व्यक्तियों के द्वारा भुगतान या वहन किया जाएगा जो वह (न्यायालय) उचित समझे :

परंतु, ऐसा कोई भी आदेश (याचिकाकर्त्ता से भिन्न) उस किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं दिया जाएगा जिसे याचिका की नोटिस नहीं मिली और सुनवाई का समुचित अवसर नहीं मिला।

9. व्यावृत्ति।–इस अधिनियम के पूर्ववर्ती उपबन्धों के अधीन, किसी न्यास के सम्बन्ध में निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी में कोई याचिका ग्राह्य नहीं होगी :–

(क) यदि प्रश्नगत न्यास के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, की धारा 92 के

उपबन्धों के अनुसार दायर किया गया कोई वाद लम्बित हो;

(ख) यदि न्यास-सम्पत्ति पूर्त विन्यासों के कोषपाल, महा-प्रशासक, शासकीय न्यासी या सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी में निहित हो; या

(ग) यदि न्याय-सम्पत्ति के प्रशासन के लिए कोई स्कीम सक्षम अधिकारिता के किसी न्यायालय द्वारा, या किसी अधिनियमन के उस उपबंध के अधीन कार्य करनेवाला किसी अन्य प्राधिकार द्वारा तय या अनुमोदित की गई हो।

10. पूर्त और धार्मिक न्यासों के न्यासियों के विरुद्ध कुछ वादों के खर्चे के बारे में न्यायालयों की शक्ति।–(1) धार्मिक विन्यास अधिनियम, 1863, की धारा 14 के अधीन या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 92 के अधीन दायर किये गये किन्हीं वादों में वैसे वाद का विचारण करनेवाला न्यायालय, यदि वादी के आवेदन पर और प्रतिवादी की सुनवाई और उचित समझी गई जांच के बाद, संतुष्ट हो कि लोक-हित में ऐसा आदेश करना आवश्यक है, तो वह या तो प्रतिवादी को वादी द्वारा उक्त वाद को दायर और चलाने में लगाया गया या लगाये जाने को संभावित किसी खर्चे के लिये प्रतिभूति देने का निदेश दे सकेगा या उस न्यास के, जिसके सम्बन्ध में वाद है, न्यासी के रूप में उसके हाथ पर रहनेवाला किसी धन से उतनी रकम जितनी न्यायालय वैसे खर्चे को पूर्णतः या भागतः पूरा करने वास्ते पर्याप्त समझे, जमा करने का।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन दिया गया आदेश के अनुसार कोई रकम जमा की गई हो तब न्यायालय उक्त वाद को चलाने के लिए उक्त रकम पूरा-के-पूरा या उसका कोई भाग वादी को सौंप देगा। वादी को कोई रकम सौंपने के पहले न्यायालय वादी से प्रतिभूति लेगा ताकि न्यायालय द्वारा बाद में रकम वापस करने के आदेश दिये जाने की स्थिति में रकम वापस हो जाए।

11. सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध लागू होंगे।–(1) इस अधिनियम के अधीन–

(क) सत्यापन द्वारा तथ्यों को साबित करने;

(ख) किसी व्यक्ति को हाजिर करवाकर शपथ पर परीक्षण करने;

(ग) दस्तावेजों की पेशी करवाने; और

(घ) आयोग जारी करने

से सम्बन्धित सभी कार्यवाहियों पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, के उपबंध लागू होंगे, और सम्मन की तामीली से सम्बन्धित उपबंध एतदधीन नोटिस की तामीली पर लागू होंगे।

(2) डिक्रियों के निष्पादन के सम्बन्ध में उक्त संहिता के उपबंध, जहां तक प्रयोज्य होंगे इस अधिनियम के अधीन आदेशों के निष्पादन पर प्रयुक्त किये जायेंगे।

12. अपीलों का वर्जन।–इस अधिनियम के अधीन पारित किया किसी आदेश से या दी गई किसी राय परामर्श या निर्देश के विरुद्ध कोई अपील संधार्य नहीं होगी।

●

बिहार अनधिकृत धार्मिक संरचना निर्माण सर्वेक्षण एवं विनियमन, पुनर्स्थापन एवं इसका निराकरण (Removal) नियमावली 2013

अधिसूचनाएं सं० सी०/सी०.आई.पॉल-104/95-पार्ट-II-4895.—एस०एल०पी०(सी) सं०-8519/2006 भारत सरकार बनाम् गुजरात सरकार एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश को ध्यान रखते हुए राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाने/पुनर्स्थापित करने/ नियमित करने के लिए, भारत-संविधान के अनुच्छेद 166 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ :- (1) यह नियमावली ''बिहार अनधिकृत धार्मिक संरचना निर्माण सर्वेक्षण एवं विनियमन, पुनर्स्थापन एवं इसका निराकरण (Removal) नियमावली 2013'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में जब तक किसी संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो: -

(क) ''नियत तिथि'' से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि;

(ख) ''अनधिकृत धार्मिक संरचना'' से अभिप्रेत है सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक संरचना का निर्माण यथा- मंदिर, गिरिजाघर, मस्जिद एवं गुरूद्वारा इत्यादि;

(ग) ''सार्वजनिक स्थल'' से अभिप्रेत है सार्वजनिक पार्क, सड़क, गली, सरकारी भूमि अथवा कोई भी भवन या भूमि जो निजी सम्पति नहीं है।

3. सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित्त धार्मिक संरचनाओं का सर्वेक्षण:- (1) भविष्य में किसी भी सार्वजनिक भूमि पर धार्मिक संस्थाओं के नाम पर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा और न ऐसा करने की अनुमति दी जायेगी।

(2) पहले से ही निर्मित धार्मिक संस्थाओं के अनधिकृत संरचनाओं को हटाने के लिए 'केस-टू-केस' आधार पर पृथक रूप से विचार किया जायेगा। इसके प्रयोजनार्थ राज्य में पहले से ही निर्मित धार्मिक संरचनाओं के पूर्व सर्वेक्षण के आधार पर सभी धार्मिक स्थलों का पृथक रूप से पुनर्विलोकन करके और उनकी पहचान करने के पश्चात् आगे समुचित कार्रवाई हेतु जिला स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जिसके अध्यक्ष जिला पदाधिकारी होंगे तथा पुलिस अधीक्षक, अपर समाहर्त्ता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदस्य होंगे एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। समिति द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अनधिकृत संरचनाओं को पृथक रूप से 'केस टू केस' आधार पर पुनर्विलोकन करके, हटाने/ पुनर्स्थापित करने/ नियमित करने के संबंध में की गई अनुशंसा के आधार पर अनधिकृत संरचनाओं को हटाने हेतु संबंधित जिला पदाधिकारी स्वयं सक्षम होंगे।

4. अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं का विनियमन:- सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक संस्थाओं की नियत तिथि को 30 वर्षों से अधिक पुराने संरचनाओं को नियमित किया जाएगा;

परन्तु उसे हटाने के संबंध में कोई मामला किसी न्यायालय में लम्बित नहीं हो तथा उसके नियमितिकरण के चलते यातायात की सहज गति बनाए रखने में कोई व्यवधान नहीं होना चाहिए। यथासंभव कम से कम क्षेत्रफल में बनी संरचना को नियमित किया जायेगा तथा इसके लिये भी राज्य सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अवधारित समुचित फीस की वसूली की जायेगी। ऐसे मामले में विनियमन का प्रस्ताव जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा जाएगा।

5. अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को हटाना/प्रतिस्थापन:-(1) सार्वजनिक स्थलों पर निर्मित धार्मिक संरचनाओं की पहचान करने के पश्चात् सर्वप्रथम स्थानीय समुदाय के सहयोग से विचार-विमर्श एवं सहमति के आधार पर वैकल्पिक जमीन पर उनको हटाने/ प्रतिस्थापित करने या अन्य रीति से शांतिपूर्ण रीति से समाधान की खोज करते हुए वैसी संरचनाओं के संबंध में समाधान ढूँढने का प्रयास किया जाएगा।

(2) सहमति के आधार पर अंतिम समाधान न होने की दशा में बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम तथा अन्य संगत विधियों में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए प्रत्येक मामले में 'केस-टू-केस' आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

(3) सार्वजनिक स्थलों पर तीस वर्षों से कम अवधि वाली धार्मिक संस्थाओं की संरचनाओं को हटाने के लिये बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के अधीन कार्रवाई यथा संभव तुरत की जायेगी। अनधिकृत संरचनाओं को हटाने की ऐसी कार्रवाईयों के दौरान समाज में तनाव उत्पन्न होने के कारण जहाँ विधि-व्यवस्था की गम्भीर समस्या होने की संभावना हो वहाँ जिला पदाधिकारी द्वारा ऐसे मामलों को विनिश्चय हेतु सरकार को अग्रसारित किया जा सकेगा तथा सरकार के अनुमोदन से समुचित कार्रवाई की जा सकेगी। जहाँ सरकार द्वारा किसी अनधिकृत संरचना को तत्काल नहीं हटाने का विनिश्चय किया जाता हो वहाँ वैसी संरचना को इस हद तक कम करने/ छोटा करने का प्रयास किया जाएगा कि बिना किसी व्यवधान के आम जनता के लिये सहज एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी रहे।

(4) केन्द्र सरकार या केन्द्रीय लोक उपक्रमों के स्वामित्व के अधीन भूमि पर बने अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं को प्रतिस्थापित करने/ हटाने/ विनियमित करने के पूर्व संबंधित जिला पदाधिकारी को केन्द्र सरकार/केन्द्रीय लोक उपक्रम के सक्षम पदाधिकारी की अधियाचना/सहमति/मंतव्य प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6. अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं के संबंध में प्रतिवेदन:- जिला पदाधिकारी प्रतिमाह उपर्युक्त निर्देशों के अधीन की गयी कार्रवाई के संबंध में सरकार को, संलग्न विहित प्रपत्र में एक प्रतिवेदन गृह विभाग में समर्पित करेंगे।

7. अन्यान्य :- राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भविष्य में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी धार्मिक संस्थाओं की कोई अनधिकृत संरचना का निर्माण न हो।

8. निर्वचन- जहाँ इस नियमावली के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ वह विषय गृह (विशेष) विभाग, बिहार को निर्देशित किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

●